खण्ड-301, अंक-2
गुरूवार, 21 पौष, शक संवत् 1894
(11 जनवरी, 1973 ई0)

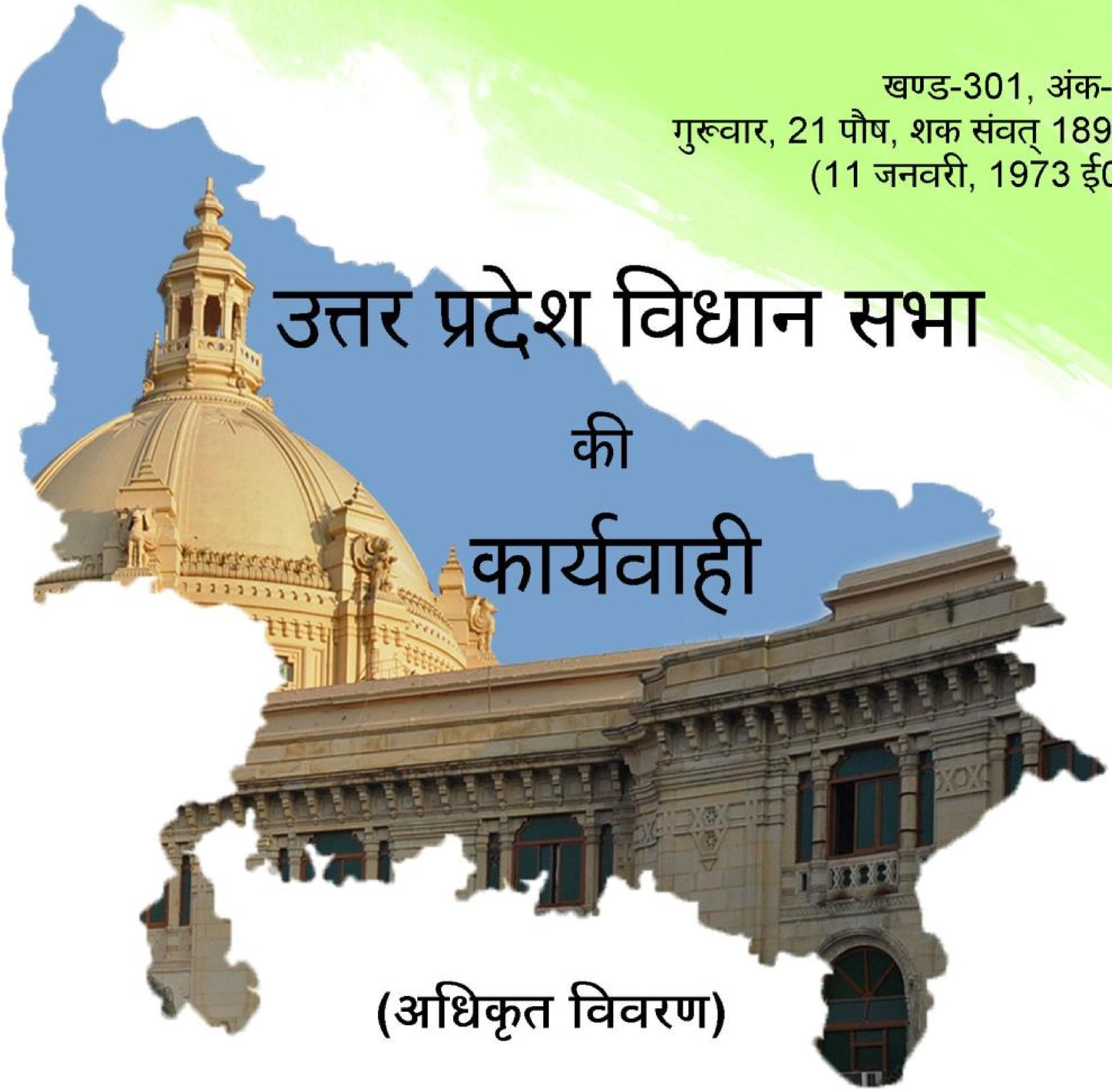

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 301 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1973

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, 11 जनवरी, 1973

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—369

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुर गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दूबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वरदयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदयप्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपयी, श्री (उर्फ भैयाजी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओमप्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ अग्रवाल, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती

उत्तर प्रदेश सभा

गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुलाब सिंह, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्रप्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह 'जूदेव', श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
ज० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तज बहादुर, श्री
तजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवणी राय, श्री
त्रिवणी सहाय, श्री
द लसिंगार यादव, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाई लाल, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यार लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री

बब्बन सिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ)
महीलाल, श्री
माखनलाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
मुन्शी लाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा काभिल किदवई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल दहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल सण्ड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल द्विवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्यारे शुक्ल, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री

रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबिलास पांडेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
राम रतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसागर, श्री
राम सिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्राम दास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शान्ती चरण पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेर सिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्री कृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोष कुमारी, श्रीमती
सैईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तूराम, श्री

सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज लाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नबाव
सोहनलाल धुसिया, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरी सिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

नोट:—सामुदायिक विकास मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य एवं सूचना राज्य मंत्री, श्री पुरुषोतम दास टण्डन भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 11 जनवरी, 1973

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

देवरिया की माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं की बन्दी

**1—श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 2 दिसम्बर, 1972 से देवरिया जिले के सभी माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षण संस्थायें पुलिस जुल्म के विरोध में बन्द हैं? यदि हां, तो बन्द होने का कारण क्या है?

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधा कृष्ण)—

देवरिया शहर में एक छात्र की हत्या के फलस्वरूप उत्पन्न विषम परिस्थिति के कारण देवरिया शहर के सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा डिग्री कालेज पहले 3–12–72 से 10–12–72 तक, तत्पश्चात् 13–12–72 से 21–12–72 तक बन्द रहे। जिले के अधिकांश माध्यमिक विद्यालय 19–12–72 को बन्द रहे, परन्तु प्राथमिक शिक्षा संस्थायें कभी भी बन्द नहीं रहीं।

श्री हरिवंश सहाय—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि विषम परिस्थिति क्या थी जिसके कारण विद्यालय बन्द रहे?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, वहां एक लड़के की हत्या हुयी थी। उस हत्या के फलस्वरूप जब पुलिस हत्या करने वाले विद्यार्थी को पकड़ने के लिए गयी तो उस समय वहां काफी मोब था और हत्या

करने वाले विद्यार्थी को पकड़ कर ले जाने में अनेकों कठिनाइयां पड़ने लगीं। उस लड़के को सुरक्षित ले जाने में कठिनाई पैदा हो गयी। इस कारण पुलिस और विद्यार्थियों में संघर्ष हुआ। वहां एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी थी कि शान्ति व्यवस्था के दृष्टिकोण से विद्यालय बन्द करने पड़े।

श्री हरिवंश सहाय--

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि 17-12-72 को 14 छात्र नेताओं को कोतवाली में ले जाकर लात, जूते व थप्पड़ मार कर जेल में बन्द किया गया था ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया था ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो बिल्कुल नया प्रश्न है।

श्री हरिबंश सहाय--

यह 3 से लेकर 21 दिसम्बर, 1972 तक की घटना है। 17 दिसम्बर को उसी सिल-सिले में 14 छात्र नेताओं को पुलिस कोतवाली में लात, जूते व थप्पड़ से मारा गया था।

श्री अध्यक्ष--

वह तो ठीक है। माननीय शिक्षा मंत्री, आपकी जानकारी है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

विषम परिस्थिति में वहां पर दफा 144 लगा दी गयी थी। उसके बावजूद भी कुछ अध्यापकों तथा विद्यार्थियों ने उल्लंघन किया और उल्लंघन करके अशान्ति का वातावरण पैदा करने का प्रयास किया। इसी कारण इन लोगों को गिरफ्तार किया गया।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कमिश्नर व डी0 आई0 जी0, गोरखपुर, अध्यापकों तथा विद्यार्थियों म समझौता हुआ था ? यदि हां, तो वह क्या था ?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण--

डी0 आई0 जी0 और कमिश्नर जब देवरिया पहुचे तो उन्होंने अध्यापकों, प्रधान अध्यापक तथा छात्र नेताओं से वार्ता की और उसके फलस्वरूप कुछ पुलिस अधिकारियों का स्थानान्तरण हुआ। गिरफ्तार लोगों को रिहा करने की बात भी समझौत के अन्तर्गत हुयी और उसी आधार पर काम हुआ। अब विद्यालय सुचारु रूप से चल रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

यह जो विषम परिस्थिति उत्पन्न हुयी वह किस लिए उत्पन्न हुयी ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी के लिए कहा था।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)--

जिन लड़कों पर हत्या करने के आरोप थे क्या उनके अलावा भी अन्य छात्र शामिल हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जी हां, और भी छात्र थे जो दफा 144 भंग करने में गिरफ्तार हुये थे।

श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

हमें मौका नहीं देते हैं, बड़ा अन्याय करते हैं।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

जिस छात्र की गिरफ्तारी के लिए पुलिस वहां गयी थी क्या यह प्रमाणित हो गया था कि उसने ही कत्ल किया है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

वह भाग कर जलकल की कालोनी के क्वार्टर के अन्दर पहुंच गया था, छात्र उसको घेरे थे और यह था कि इसी छात्र ने हत्या की है और फिर भागा है। इसी नाते उस समय जो उपलब्ध प्रमाण थे या जो स्थिति थी उसके आधार पर उसको गिरफ्तार करना था और उसको सुरक्षित थाने ले जाना था।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो विषम परिस्थिति पैदा हुई वह इसलिए हुई कि डिग्री कालेज के प्रिंसिपल को हथकड़ी लगा कर बाजार में घुमाया गया और विद्यार्थियों को जूतों से पीटा गया और उनके मुंह में पेशाब किया गया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, प्रधानाचार्य को हथकड़ी लगाकर ले जाया गया, लेकिन किसी को पीटा गया, पेशाब किया गया, इसके बारे में शिकायतें हैं लेकिन उसके तथ्य सामने नहीं आये, जांच हो रही है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मंत्री जी ने कहा कि दफा 144 लगी हुई थी और अधिकारियों ने शान्ति स्थापना के लिये गिरफ्तारी की और हथकड़ी लगाकर घुमाया तो आपके कथनानुसार अधिकारियों ने सही काम किया, तो फिर उनका आपने स्थानान्तरण क्यों किया ? एक तरफ तो आप स्थानान्तरण कर रहे हैं जनरोष के सामने और फिर कहते हैं कि सही काम किया, तो आपने क्यों किया उनका स्थानान्तरण ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

एक ऐसी तनाव की स्थिति थी कि शान्ति स्थापना के लिए उनके हटाने की व्यवस्था करनी आवश्यक समझी गयी।

श्री बांके लाल—

अध्यक्ष जी, आपको तो दिखलाई नहीं देता, मैं कई बार खड़ा हुआ ! मैं जानना चाहता हूं कि 2 दिसम्बर को जब उस लड़के ने कत्ल किया और कत्ल करके भागा तो क्या कत्ल करने की रपट विद्यालय की तरफ से कोतवाली में लिखाई गयी या नहीं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, जैसे ही सूचना पहुंची वैसे ही कोतवाल वगैरह वहां से चले और उनको जो सूचना थी उसी के आधार पर आकर उस लड़के को जो जलकल के क्वार्टर में था वहां से थाने ले जाया गया।

श्री बांके लाल--

क्या रपट दर्ज करायी गयी है ? अगर हां, तो जरा पढ़ दें ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, इस समय उस रिपोर्ट की कापी तो यहां पर नहीं उपलब्ध है, क्योंकि इस समय उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, न इस तरह का प्रश्न ही है और जो प्रश्न है उससे इसका तनि क भी संबंध नहीं है और इस नाते उसको उपलब्ध करने की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--

उन्होंने कहा कि विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी थी, क्या यह सही है कि वह इसलिए उत्पन्न हो गयी थी कि वहां के स्थानीय कोतवाल और पुलिस वालों ने जब कि एक प्राध्यापक ने कहा कि क्यों एक घंटे बाद पहुंचे तो उसका गला पकड़ लिया जिन्होंने लड़के को पकड़ा था और जो कि एन० सी० सी० के कमांडेट थे और यही कारण था कि विद्यार्थियों ने ढेले चलाने शुरू किये और फिर इसलिए झगड़ा हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, आपको सूचना है इस तरह की ?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण--

मान्यवर, अध्यापकों का तो यह कहना है कि सूचना देने के काफी देर बाद पुलिस आयी। पुलिस का कहना है कि सूचना मिलते ही तत्काल फोर्स लेकर रवाना हुए और एक लक्ष्य था कि उस लड़के को जो कि जलकल के क्वार्टर में बन्द था उसको सुरक्षित लेकर थाने में पहुंचना। इस बीच में विद्यार्थियों और अध्यापकों का वाद-विवाद हुआ। अध्यापकों का कहना है कि जब लेट आने के लिये जब पुलिस आफिसर से पूछा तो मेरे पर गरम हो गये। उनका कहना है कि ऐसी परिस्थिति नहीं है बल्कि अध्यापकों और विद्यार्थियों द्वारा अपने आप उसको छुड़ाने के प्रयास में और अपने कब्जे में लेने के कारण ही यह विषम स्थिति हुई और झगड़ा हुआ।

श्री रामगोपाल संड--

क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि 18 दिसम्बर को इसी संदर्भ में चार प्रधानाचार्यों को हथकड़ी लगा कर तीन घंटे तक राज मार्गों पर घुमाया गया और क्या मंत्री जी को यह भी सूचना है कि सत्य प्रकाश वर्मा, धर्मराज सिंह, सुभाषचन्द्र श्रीवास्तव, रामानन्द शुक्ल आदि 14 विद्यार्थियों को थाने पर 17 तारीख की रात्रि को ले जाकर 3 बजे से 6 बजे तक बहुत पीटा गया जिसमें बहुत लोग घायल हुये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

जसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका एक प्रधानाध्यापक के हथकड़ी लगाने की सूचना है और उसी स्थिति में उसकी जांच के आदेश भी दे दिये गये हैं ? साथ ही विद्यार्थियों को पीटा गया, ऐसा विद्यार्थियों और अध्यापकों का आरोप है और इसी सब की जांच हो रही है और ताकि जांच पर किसी तरह का प्रभाव न पड़े उनकी यह मांग थी और उनकी सांत्वना के लिये और शान्ति व्यवस्था स्थापित करने के लिये उन अधिकारियों का वहां से स्थानान्तरण भी कर दिया गया।

श्री हरिवंश सहाय--

क्या माननीय मंत्री जी इस समूचे कांड की न्यायिक जांच करायेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

जो जांच हो रही है उसमें जब तथ्य प्रकाश में न आयेंगे, कोई ऐसी बात होगी और इसकी आवश्यकता समझी जायेगी तो वह भी करायी जायेगी। अभी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि घटना दो दिन की है। उस लड़के का कत्ल 2 दिसम्बर को हुआ और उसके बाद जो हड़ताल चल रही थी उसके बाद 1? दिसम्बर को जो लड़के डी0 एम0 के घर के सामने बैठे हुये थे उनको पकड़ लिया गया और बुरी तरह मारा गया और उसके विरोध में अध्यापकों ने जब कहा तो सब को पकड़ लिया गया और कुछ की मूछें उखाड़ी गयीं और उसकी जांच भी कर रहे हैं। तो 2 दिसम्बर के बाद 17 दिसम्बर को जो घटना हुई वह वहां के स्थानीय अधिकारियों की साजिश से हुई और उन्होंने जानबूझ कर यह अत्याचार किया। तो क्या आप यह उचित नहीं समझते कि उसकी न्यायिक जांच करायी जाय ताकि सारे तथ्य प्रकाश में आयें ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

सी0 आई0 डी0 को तो जांच सौंपी गयी है और जांच हो भी रही है। इस समय अभी न्यायिक जांच कराने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसीलिये न्यायिक जांच के आदेश नहीं हुये।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)--

जब महामहिम राज्यपाल 15, 16 या 17 दिसम्बर को गोरखपुर गये थे और वहां के लोगों ने उनको देवरिया बुलाया था और उनका प्रोग्राम भी लगा था तो किन कारणों से उनका देवरिया का प्रोग्राम काट दिया गया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

वहां अशान्ति का वातावरण था इसी कारण उनका प्रोग्राम परिवर्तित करना पड़ा था ?

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

जिस प्रधानाचार्य को हथकड़ी लगायी गयी वह भारतीय दंड विधान की किस धारा के अन्तर्गत लगायी गयी और उस प्रधानाचार्य को क्या 24 घंटे के अन्दर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया ? यदि हां, तो प्रस्तुत करने का समय क्या था ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

धारा 144 तोड़ने के आरोप में धारा 188 के अन्तर्गत उनको बन्द किया गया और उसी में एक प्रधानाचार्य के हथकड़ी भी लगायी गयी। बाद को ये सब जमानत पर रिहा हुये।

पिथौरागढ़ की शिक्षा संस्थाओं में अशान्ति

**2--श्री हीरा सिंह बोरा, श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़) तथा श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

**2--क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगें कि पिथौरागढ़ जिले में शिक्षा संस्थायें तथा पिथौरागढ़ राजकीय महाविद्यालय को पुनः कब से खोलने का निश्चय किया गया है ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री पुरुषोत्तम दास टंडन)--

राजकीय महाविद्यालय पिथौरागढ़ शीतकालीन अवकाश के बाद दिनांक 1 फरवरी, 1973 को खुलेगा । इस जनपद की अन्य शैक्षिक संस्थायें फरवरी, 1973 के प्रथम सप्ताह में खुलेंगी ।

श्री हीरा सिंह बोरा--

शीत कालीन अवकाश की निर्धारित तिथि से पूर्व ही इन सब कालिजों को बन्द कर देने का क्या आधार था ?

श्री पुरूषोत्तमदास टन्डन--

सदन को विदित है कि पिथौरागढ़ में काफी एजीटेशन हो रहे थे । एजीटेशन बढ़ने न पायें इसलिये वहां के लोगों से परामर्श करके यह कदम उठाया गया ।

श्री हीरा सिंह बोरा--

पिथौरागढ़ राजकीय महाविद्यालय को छोड़ कर और कहीं भी एजीटेशन आदि नहीं हो रहा था । क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है ? यदि हां, तो अन्य कालिजों को बन्द करने का क्या कारण है ?

श्री पुरूषोत्तम दास टन्डन--

एजीटेशन तो चारों ओर फैल रहा था और अधिक फैलने का डर था, इसीलिये उनको भी बन्द कर दिया गया ।

श्री गोपाल दत्त ओझा--

अभी भी पिथौरागढ़ में तनाव की स्थिति बनी हुई है । इस स्थिति को समाप्त करने के लिये क्या सरकार डिग्री कालिज के गिरफ्तार छात्रों के विरुद्ध चल रहे मुकदमों को वापस लेने पर विचार करेगी ?

श्री पुरुषोत्तम दास टन्डन--

यह मामला शासन के विचाराधीन है ।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

आप पहली फरवरी से पुनः जो खोलने जा रहे हैं तो क्या आपको यह विश्वास है कि कब तक वहां शान्ति व्यवस्था कायम हो जायेगी ? और क्या छात्रों की जो मांगे थीं वे सरकार ने मान ली हैं और वे मांगे क्या-क्या हैं ? इन मांगों को यदि सरकार ने माना है तो वहां पर हुई फायरिंग के पहले माना है या बाद में ?

श्री पुरुषोत्तमदास टन्डन--

अगर बाद को फिर गड़बड़ी मालूम होगी तो नहीं खोले जायेंगें । ऐसी आशा की जाती है कि तब तक वहां शान्ति व्यवस्था कायम हो जायेगी । उनकी मुख्य मांग यह थीं कि प्रिन्सिपल तथा दो अध्यापकों का ट्रांसफर कर दिया जाय, वह कर दिया गया है । कुछ कैन्टीन, बाथरूम आदि के बारे में था । उसको भी स्वीकार कर डायरेक्टर के पास भेज दिया गया है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

19 दिसम्बर, 1972 को पिथौरागढ़ में एक सार्वजनिक सभा हुई थी जिसमें उस क्षेत्र के एम0पी0 भी उपस्थित थे और उसमें सरकार के खिलाफ यह बात आयी कि यदि सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो वे लोग चीन या नेपाल से मिल जायेंगे । क्या सरकार को ऐसी बात की कोई जानकारी है ?

श्री पुरुषोत्तमदास टन्डन--

हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है और न हो सकती है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

जो वहां पर हुए गोलीकांड के विषय में जुडिशियल जांच चल रही है उसमें अपना पक्ष ठीक तरह से रखने के लिये क्या विद्यार्थियों की ओर से यह मांग की गयी है कि उनको एक वकील दिया जाय ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया है ?

श्री पुरुषोत्तमदास टन्डन--

इसकी हमारे पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री गोपाल दत्त ओझा--

क्या वहां के अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय की कोई रिपोर्ट सरकार के पास आई है, यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है और उस पर शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री पुरुषोत्तमदास टन्डन--

इसके लिये मान्यवर, सूचना की आवश्यकता है ।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छात्रों की मांग थी कुछ प्रधानाध्यापकों और प्रधानाचार्यों के हटाने की, तो यदि उसमें कुछ औचित्य था जैसा मालूम पड़ा है तो गोलीकांड से पहले उन्हें क्यों नहीं हटाया गया ? और यदि सरकार उसमें औचित्य नहीं समझती थी तो फिर इस कांड के बाद ऐसा क्यों किया गया ? यह बड़े दुर्भाग्य की सरकार की नीति है कि वह पहले किसी मांग को स्वीकार नहीं करती है और फिर हिंसा होने पर उसे शीघ्र स्वीकार कर लेती है ।

श्री पुरुषोत्तम दास टन्डन--

यह मामला विचारधीन था और बाद म दुर्घटना हो गई । गोली चलने के कारण उन्हें नहीं हटाया गया, बाद में सब मामला देखते हुए उन्हें हटाया गया ।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य--

विद्यार्थी अपनी इस मांग को कि प्रधानाचार्य और प्राध्यापकों को हटाया जाय प्रशासन की जानकारी में कब लाये ?

श्री पुरुषोत्तम दास टन्डन--

जब कोई मांग की जाती है तो उस पर विचार होता है, उसमें समय लगता है । उस बीच यदि कोई दुर्घटना हो जाय, तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है ।

श्री राम गोपाल संड--

मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में यह कहा कि फरवरी में स्थिति ठीक रहेगी तो विद्यालय खोल दिया जायेगा, साथ ही अन्य प्रश्न के उत्तर में, यह भी कहा कि अगर स्थिति सामान्य न रही तो नहीं खोला जायगा, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि छात्रों की ऐसी कौन सी मांगें हैं जो पूरी नहीं हुई हैं, जिसके कारण अभी आपको डर है कि अशांति वहां अब भी व्याप्त है ?

श्री पुरुषोत्तम दास टन्डन--

हमें तो डर नहीं है, लेकिन यदि कोई कारण होगा तो नहीं खोला जायेगा । यों हमारा तो इरादा इन तिथियों में खोलने का है ।

श्री हीरा सिंह बोरा--

वहां के छात्रों की जो मुख्य मांगे थी, जैसे राजनीति शास्त्र और रसायनशास्त्र विज्ञान के अध्यापकों की नियुक्ति करना, उनके लिये कैनटीन होना, उनके लिये शौचालय की व्यवस्था होना, तो क्या इन सब मांगों को आपने पूरा कर दिया है ? यदि नहीं, तो उन्हें पूरा करने के लिये आप क्या कर रहे हैं ? यदि नहीं पूरा करेंगें तो जब फरवरी में विद्यालय खुलेगा तो फिर क्या असन्तोष का वातावरण व्याप्त नहीं होगा ?

श्री पुरुषोत्तम दास टन्डन--

शौचालय और कैन्टीन आदि की व्यवस्था कर दी गई है तथा उन प्राध्यापकों की नियुक्ति शासन के विचाराधीन है ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा अगला प्रश्न लिये जाने पर)

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

इस पर अभी आप हमें और प्रश्न करने दें । पहाड़ों में गोली चल रही है और आप इसको टाल रहे हैं····

(व्यवधान)

श्री बांके लाल--

आपने हमारे दल के किसी आदमी को प्रश्न करने का मौका नहीं दिया । आप अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं । हमारी पार्टी के नेता 50 बार खड़े हुये, लेकिन आपने एक बार भी मौका उन्हें नहीं दिया है । आप क्या कुर्सी पर मनमानी करने के लिये बैठे हुये हैं । आपको शर्म नहीं मालूम पडती है । आपको शर्म आनी चाहिये ।

श्री अनन्त राम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सही नहीं है कि वहां के जिलाधिकारी ने प्रधानाचार्य और कुछ अन्य प्राध्यापकों का तबादला स्वीकार करते हुये शासन को लिखा कि उनका ट्रांसफर कर दिया जाय ? यदि लिखा, तो कब लिखा था ? और गोली चलने के पहले उनका ट्रांसफर क्यों नहीं किया गया ?

श्री पुरुषोत्तम दास टन्डन--

11 नवम्बर को पिथौरागढ़ से रेडियोग्राम आया उसमें कहा गया था कि कालेज के लड़के स्ट्राइक पर गये हैं । फौरन प्रिंसिपल को तार दिया गया कि इसका क्या कारण है ? रिपोर्ट आ भी नहीं पायी हमने अपने डाइरेक्टर को भेज दिया, जाकर स्थिति को देखें और बातों को समझें । उन्होंने शिकायतें जो की थीं, बहुत सी शिकायतें मान लीं और कहा कि ट्रांस्फर होने की मांग है । इस मामले पर रिकंसीडरेशन हो रहा था, ऐसी दुर्घटना दुर्भाग्यवश हो गयी ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मेरे सवाल का जबाव नहीं आया । मेरा प्रश्न यह था कि यह क्या सही नहीं है और मेरी निश्चित जानकारी है, कि वहां के जिला अधिकारी ने बहुत पहले शासन को लिखा था, इन मांगों को स्वीकार करते हुये कि प्राधानाचार्य और प्राध्यापकों को वहां से हटा दिया जाय, शासन को जिला अधिकारी की सूचना मिल गयी थी, तो क्यों नहीं गोली चलने के पहले उनको हटाया गया ?

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन--

जब कोई मांग आती है तो विचार होता है, उसके बीच में गोली चल जाय तो बुरी बात है । लेकिन आप दोष नहीं दे सकते । हम सोच विचार करते रहे ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला बाराणसी)--

इस बात को देखते हुये कि इस घटना के दो पहलू हैं, एक जैसा कि मंत्री जी ने स्वीकार किया और विद्यार्थियों की मांग थी कालेज के प्रिंसिपल और अध्यापकों के खिलाफ और लैटरिन वगैरह की सुविधा के लिये दूसरा घटना का पहलू यह हो गया कि जिलाधीश की बीबी से लड़कों का झगड़ा हो गया जिसमें जिलाधीश ने लड़कों के साथ अत्याचार किया, मंत्री जी ने प्रिंसिपल और अध्यापकों के ट्रांसफर के आदेश दिये हैं, इस घटना के दूसरे पहलू पर, जिस पर फायरिंग हुई और हत्यायें हुई, क्या उस जिलाधीश का हस्तांतरण करेंगे ?

श्री पुरूषोत्तम दास टन्डन--

उसका हो गया । लेकिन उनकी बीबी के झगड़े के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या मंत्री जी बतायेंगे...

श्री अध्यक्ष--

उसका उत्तर नहीं दिया ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, ट्रांसफर हो गया ।

श्री अनन्त राम जायसवाल--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो दो स्थान रिक्त थे लेक्चरर के, पूरा एजूकेशन सेशन बीत जाने के बाद, उनकी नियुक्ति क्यों नही की गयी ?

श्री पुरुषोत्तम दास टन्डन--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है । देख कर बता देगें ।

श्री हीरा सिंह बोरा--

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि उनके शिक्षा डाइरेक्टर जो पिथौरागढ़ 29 नवम्बर, को सारी बातों की जांच के लिये पंहुचे, उन्होंने वहां की स्थिति के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट शासन को दी उस रिपोर्ट पर शासन की तरफ से क्यों नहीं कोई कार्यवाही समय पर की गयी ? जहां तक मुझे जानकारी है एक दिसम्बर को उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, 13 दिसम्बर तक क्यों नहीं उनकी रिपोर्ट पर कार्यवाही की गयी ?

श्री पुरूषोत्तम दास टन्डन--

मान्यवर, जब कोई रिपोर्ट आती है तो उसका अध्ययन...

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

वह रिपोर्ट क्या है पढ़ायी जाय ।

श्री बांके लाल--

देखें दो-दो मंत्री साथ खड़े हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप जबाव नहीं देने देते उनके प्रश्न का ।

श्री बांके लाल--

अध्यक्ष महोदय, सभी पागल हो गये हैं क्या मंत्री मंडल चलायेंगे . . .

श्री अध्यक्ष--

बोरा जी के प्रश्न का जबाव दें ।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राजबिहारी सिंह)--

यह बात सही है कि डायरेक्टर आफ एजूकेशन ने पहली दिसम्बर को रिपोर्ट दी थी । उस रिपोर्ट में यह लिखा था कि विद्यार्थियों के लिये कैन्टीन की व्यवस्था नहीं है । तुरन्त उन्होंने आदेश दे दिया था कि इसकी व्यवस्था कर दी जाय । इसके बाद सरकार को लिखा था कि दो प्राध्यापकों का ट्रांसफर कर दिया जाय । उनकी रिपोर्ट आने के बाद दोनों प्राध्यापकों के ट्रांसफर के आदेश सरकार ने दे दिये थे ।

श्री अनन्त राम जायसवाल--

इस विषय पर चर्चा की आज्ञा दे दी जाय ।

श्री अध्यक्ष--

आप लिख कर भेंज दें ।

आलमबाग, लखनऊ की पुलिस तथा मकान मालिकों के विरुद्ध शिकायतें

**3--श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद), श्री सुरेन्द्र विक्रम तथा श्री रामविलास पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 20 दिसम्बर, 1972 को 30 हरिजन महिलायें अपने बच्चों को गोद में लिये हुये भूखी प्यासी आलमबाग (जिला लखनऊ) की पुलिस द्वारा सताई हुई उनसे मिली और रो-रो कर उत्पीड़न की करुण कहानी सुनाई ? यदि हां, तो उनकी मुख्य शिकायतें क्या-क्या थीं और शासन ने तत्काल उस पर क्या कायवाही की ?

श्री ोस्वामी राधा कृष्ण--

दिनांक 20 दिसम्बर, 1972 को 3-30 बजे अपरान्ह मुख्य मंत्री के निवास स्थान से पुलिस नियंत्रण कक्ष को टेलीफोन द्वारा सूचना मिली कि आलमबाग थाने के क्षेत्र की कुछ महिलायें मुख्य मंत्री के निवास स्थान पर आई हैं । इस सूचना पर क्षेत्राधिकारी, कैसरबाग तुरन्त मुख्य मंत्री के निवास स्थान पर पंहुचे और वहां माताबदल टेढ़ी पुलिया निवासिनी कुछ महिलाओं को बैठी हुई पाया । क्षेत्राधिकारी ने उन महिलाओं से वहां आने का कारण पूछा तो उन्होंने एक प्रार्थना पत्र जो मुख्य मंत्री को संबोधित था क्षेत्राधिकारी को दिया और उनके द्वारा शिकायतों की जांच करने का आश्वासन देने पर वे सभी महिलायें संतुष्ट होकर चली गईं । इन महिलाओं में सभी महिलायें हरिजन नहीं थी ।

प्रार्थना-पत्र में अमुक व्यक्तियों के विरुद्ध प्रार्थिनी व उनके बच्चों को मारने-पीटने तथा बेइज्जत करने व जबरिया सामान तोड़ने व फेंकने तथा मकान खाली कराने तथा इस बारे में पुलिस में सुनवाई न होने की शिकायत की गई है । इस प्रार्थना-पत्र की क्षेत्राधिकारी जांच कर रहे हैं ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो महिलायें हैं और वे मुख्य मंत्री के निवास स्थान पर गई उनकी मुख्य शिकायतें स्थानीय पुलिस से थी या पब्लिक से थी और उनकी वे शिकायतें क्या थीं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

उनकी शिकायतें वहां की स्थानीय पुलिस के खिलाफ थीं और साथ ही साथ उस मकान मालिक से भी थीं जिनके हाते में वे किरायेदार थीं । उनकी शिकायत थी कि वह मकान खाली कराने की दृष्टि से ज्यादती कर रहा है और पुलिस उसमें उनके साथ सहयोग कर रही है ।

श्री विश्वनाथ कपूर--

प्रार्थना-पत्र में अमुक व्यक्तियों के विरुद्ध मारने-पीटने तथा बेइज्जत करने का आरोप था और जबरिया सामान फेंकने की भी शिकायत थी तो वे अमुक व्यक्ति कौन-कौन हैं ?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण--

छोटे लाल वल्द माता बदल, निवासी टेढ़ी पुलिया, थाना आलमबाग, लखनऊ । 2-राधे लाल उर्फ मुन्ना,, वल्द बलेसर, टेढ़ी पुलिया, थाना आलमबाग, लखनऊ । 3- चैसू, वल्द नामालूम, निवासी हाता माता बदल थाना आलमबाग, लखनऊ । 4-श्यामा वल्द मालिक चन्द, निवासी हाता माता बदल थाना आलमबाग, लखनऊ । 5- राम जी पुत्र नामालूम, निवासी हाता माताबदल, थाना आलमबाग, लखनऊ । 6-नूरे वल्द नामालूम, निवासी सरदारी खेड़ा, थाना आलमबाग, लखनऊ तथा 7 -कल्लू वल्द नामालूम, निवासी हाता माता बदल, थाना, आलमबाग, लखनऊ ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम --

मुख्य मंत्री जी को जो प्रार्थना पत्र दिया गया है उसे माननीय मंत्री जी पढ़ने की कृपा करें ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

प्रार्थना पत्र इस प्रकार है:--महोदय, सेवा में निवेदन है कि--

1--यह कि हम प्रार्थीगण औरत जात हैं और हम लोगों के आदमी मेहनत मजदूरी पर जब चले जाते हैं तो उपरोक्त विपक्षीगण नं0 1 लगायत 7 हम लोगों को गन्दी-गन्दी गालियां ही नही देते हैं अपितु पकड़-पकड़ कर मारते-पीटते तथा हम लोगों के सामान को तोड़ते-फोड़ते हैं और कहते हैं कि तुम लोग मकान खाली कर दो, हमें किरायेदार नहीं रखना है ।

2--यह कि विपक्षी उक्त हाता के मालिक हैं तथा अब विपक्षीगण 2 लगायत 7 विपक्षी के जेरे असर तथा मेली व मददगार हैं । विपक्षी के इशारे पर अन्य विपक्षीगण मारने मरने तथा उजाड़ने पे कटिबद्ध हैं ।

3--यह कि प्रार्थीगण उक्त अहाता में बने क्वार्टर नुमा छोटे-छोटे मकान है उनमें अरसा दराज से किरायेदार आबाद हैं और बराबर किराया अदा करती चली आ रही है किन्तु विपक्षी नं0 1 की नियत खराब है और वह गरीब औरतों को मार-पीट कर बेइज्जत करते हैं और हम लोगों के आदमी जब काम पर चले जाते हैं तो सामान फेंकते हैं ।

4--यह कि आज दिनांक 20 दिसम्बर, 1972 ई0 करीब समय 7 बजे उपरोक्त वपक्षीगण नं0 1 लगायत 7 जिनके हाथों में लाठियां डन्डा थे हम लोगों के घर में घुस आये और कहा कि निकल जावो । हम लोगों के मना करने पर सामान बाहर फेंकने लगे, मना करने पर हम लोगों को बाल पकड़-पकड़ कर डन्डा, लाठी और लात घूंसों से बुरी तरह मारा-पीटा । विपक्षी नं0 1 का पैसा होने के कारण कोई सुनवाई जब हम लोग थाने गये तो वहां भी नहीं हुई और न हम लोगों की रिपोर्ट ही लिखी गई ।

5--यह कि विपक्षी नं0 1 हम लोगों से क्वार्टर जबरिया खाली कराने के लिये हम लोगों के आदमियों को जेल में झूठे आरोपों में बन्द करवा कर पीड़ित कर रहे हैं और धमकी देते हैं कि तुम लोगों का सामान लूट लेंगें और छोटे-छोटे बच्चे तुम लोगों के गायब करवा देंगे ।

6--हम लोगों का घर में रहना, खाना-पीना करना दुश्वार हो गया है, घर में घुस कर हम लोगों को मारा-पीटा तथा बेइज्जत किया किन्तु कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अतः माननीय के समक्ष यह आवेदन पत्र प्रेषित है।

7--यह कि विपक्षी का यह भी ऐलान है कि तुम लोग जितना किराया देती हो उतने से तिगुना देना होगा यानी 2/- के अब 6/- देना होगा जिसके लिये हम लोग तैयार नहीं हैं इसलिये अत्याचार होता है।

8--यह कि विपक्षी हम लोगों का जितना किराया महापालिका से अंकित है उससे अधिक ले रहा है और महापालिका कर की चोरी भी कर रहा है।

अतः माननीय महोदय से प्रार्थना है कि उपरोक्त विपक्षी गणो के विरुद्ध धारा 452 घर में घुस कर मार-पीट करके सामान तोड़ने, फोड़ने, फेंकने व गालियां देने के विरुद्ध कायम किया जावे और भविष्य में हम लोगों के जान-माल की सुरक्षा की जाय। उचित जान कर निवेदन है। अन्यथा विपक्षी गण किसी दिन प्रार्थिनी व उनके बच्चों व आदमियों को जान से मरवा डालेंगे, उचित जानकर निवेदन है। चूंकि पुलिस में सुनवाई नहीं हुई इसलिये माननीय के समक्ष यह आवेदन-पत्र प्रेषित है। हममें प्रार्थिनी अत्याचारों से पीड़ित व त्रसितः श्रीमती धनमती पत्नी देवनाथ, श्रीमती सुमान, श्रीमती कमलावती पत्नी चन्द्र, श्रीमती सुखपता, श्रीमती शांति, श्रीमती राम पियारी . . .।

श्री विश्वनाथ कपूर--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस शिकायती-पत्र के आधार पर एफ0 आई0 आर0 लौज किया गया और उसके अनुसार गिरफ्तारियां की गईं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, इस रिपोर्ट के आधार पर तत्काल पुलिस अधीक्षक को निदेश दिया गया कि वे मौके पर जांय और देखकर जांच करें। यह मामला इस रूप का नहीं था जिसमें तत्काल गिरफ्तारियों की आवश्यकता हो। मकान मालिक और किरायेदार का आपस में झगड़ा था। गिरफ्तारी की आवश्यकता तत्काल नहीं थी।

श्री राम गोपाल संड--

माननीय मंत्री जी ने मुस्कराते हुये कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पढ़ा है कि उनके बाल पकड़ कर खींचे गये और उनको अपमानित किया गया तथा उनका सामान फेंका गया व मारपीट की गई। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर भद्र महिलाओं को पीटना, अपमानित करना क्या माननीय मंत्री जी की दृष्टि में गम्भीर अपराध नहीं है ? यदि हां, तो मंत्री जी ने उनके सम्बन्ध में क्यों कार्यवाही नहीं की ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर माननीय सदस्य के विरुद्ध अगर कोई आरोप लगा दें और उस आरोप लगाने पर ही उसे सत्य मान लिया जाय यह सम्भव नहीं है। उसकी जांच की जायेगी और कार्यवाही की जायेगी।

यह सत्य होगा तो जरूर कार्यवाही होगी।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)--

क्या माननीय मंत्री जी ने इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त की कि पुलिस वाले जो उनको मनाने के लिये आये थे, वे क्यों आये थे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

जब मुख्य मंत्री के दरवाजे पर एक भीड़ आयी तो पुलिस कंट्रोल आफिस को सूचना दी गयी और उस सूचना के आधार पर वे यहां आये और उनसे बातचीत की । जब उन्होंने उनसे कहा तो वे चली गयीं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट रूप से बतलाने की कृपा करेंगे कि मकान मालिक जो गरीब किरायेदारों को बेदखल कर रहे हैं इसके लिये कोई ऐसा प्रबन्ध किया गया है कि गरीब किरायेदारों को जबरदस्ती कोई बेदखल न करने पावे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर यह तो कानून ही बना हुआ है कि गलत तरीके से किसी को बेदखल न किया जा सके । यदि कोई बेदखली की जाती है तो वह कानून के अन्तर्गत ही हो सकती है ।

श्री विश्वनाथ कपूर--

अधिकतर स्त्रियां हरिजन थीं और उनका बाल नोचना व घर में घुस कर मारपीट करना भी काग्नेजेबिल आफेंस है, तो क्या कोई एफ 0 आई 0 आर 0 उनके खिलाफ दर्ज की गयी या इसलिये कि वे हरिजन स्त्रियां थीं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

हरिजन और गैर हरिजन स्त्रियां भी थीं । उसकी जांच हुई जांच होने पर तथ्य सही नहीं पाये गये और इसलिये इस पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई ।

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय मंत्री जी ने स्वयं शिकायती-पत्र में कबूल किया है कि उन स्त्रियों के बाल नोचे गये और उनको अपमानित किया गया और फिर इसके विरुद्ध अपने उत्तर में कहा कि ऐसी शिकायत नहीं थीं कि कोई मुकदमा दर्ज किया जाय तो आज समाज के पिछड़े व निम्न वर्ग के लोगों के साथ आपके शासन में जो ज्यादतियां हो रहीं हैं आतंकवादियों कीतरफ से बड़े लोगों की तरफ से उसमें आपको पुलिस का पूरा सहयोग है जिसका एक नमूना आलमबाग एरिया का यह केस है । आपकी इस नीति के कारण ही पुलिस बड़े लोगों की गुंडई को नहीं रोक पा रही है जिससे हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार वगैरह की रोज ही शिकायतें आती रहती हैं, इस घटना की जांच पुलिस अधिकारी के बजाय किसी अन्य अधिकारी से करायेंगे या जुडिशियल इन्क्वायरी करायेंगे किसी जज के जरिये ताकि सही तथ्य आपके सामने आवें ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो आप सुझाव दे रहे हैं, प्रश्न करें ।

श्री मैनेजर सिंह--

पुलिस के खिलाफ शिकायत थी कि हरिजनों के साथ वे ज्यादती कर रहे हैं और आपने उसकी जांच के लिये पहले तो कहा कि सर्किल इंस्पेक्टर को दे दिया है और फिर कहा कि एस 0 पी 0 को दे दिया है--ये सब एक ही थैले के चट्टे-बट्टे हैं और सब एक साथ मिले हुये हैं, तो क्या इसकी जांच आप किसी जज से करायेंगे कि किस वजह से औरतें मुख्य मंत्री के पास आयीं थीं ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, आरोप लगा देने से ही आरोप की वास्तविकता नहीं मानी जा सकती । उसके पीछे तथ्य क्या हैं, उसकी सही जांच आवश्यक है । यह किरायेदारों और मकान मालिक के बीच का आपसी झगड़ा है । इसकी जांच हो रही है ।

श्री मैनेजर सिंह--

आप अनर्गल उत्तर दे रहे हैं । मेरा कहना है कि आरोप की गम्भीरता को देखते हुये किसी जज के जरिये इसकी जांच करायेंगे ? यह मैं कहां कहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं उसे सही मान लिया जाय ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

यह किरायेदारों और मकान मालिक दोनों का आपसी झगड़ा है और आपसी मतभेद है लेकिन जब कोई ऐसी स्थिति आयेगी तो उस पर कार्यवाही करने में शासन पीछे नहीं हटेगा । ऐसी किसी स्थिति की अभी कोई आशंका नहीं है और न कोई विशेष जांच की आवश्यकता है ।

श्री रामबिलास पांडेय--

मान्यवर, जब महिलायें मुख्य मंत्री जी के यहां गईं तो क्या उनकी मुलाकात उनसे हुई ? क्या जरूरत पड़ गई कि पुलिस बुला ली गई और पुलिस वहां पंहुच गई जब कि पुलिस के खिलाफ शिकायत होने वाली थी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, जब मुख्य मंत्री के दरवाजे पर या किसी सार्वजनिक स्थान पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो हर दृष्टि से पुलिस को सूचना देना पड़ता है । जब महिलायें वहां पंहुची तो पी० आर० ओ० उनसे मिला और भीड़ को देखकर पुलिस कंट्रोल आफिस को सूचना दी गई । पुलिस वहां आई और बात चीत के बाद वे संतुष्ट होकर चली गईं।

श्री अध्यक्ष--

उनकी मुख्य मंत्री जी से मुलाकात हुई या नहीं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण --

इसकी मुझे सूचना नहीं है ।

श्री विश्वनाथ कपूर--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब महिलाओं की शिकायत थी तो क्षेत्राधिकारी को जांच क्यों सुपुर्द की गई, किसी बड़े अधिकारी को क्यों नहीं दी गई ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ अधीक्षक को सूचना दे दी गई थी कि वह इसको देख लें ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फजाबाद)--

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि उनकी शिकायत की जांच की गई तो क्या एक एफ० आई० आर० की जांच कराई या मिसलेनियस की जांच कराई और जो जांच करने वाले पुलिस अधिकारी थे उनकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, पुलिस में जो सूचना जाती है उसको वह जनरल डायरी में दर्ज करती है और उसके आधार पर कार्यवाही की जाती है ।

श्री मनजर सिंह--

मान्यवर, राज्य मंत्री जी ने कहा है कि क्षेत्राधिकारी को जांच दी गई । एक बार कहा कि पुलिस अधीक्षक को दी गई और फिर कहा कि एस0 पी0 और एस0 एस0 पी0 भी देख लें ।

श्री अध्यक्ष--

इसके लिये नियम 49 मौजूद है ।

श्री विश्वनाथ कपूर--

आप हमको इजाजत दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

आप लिखकर दे दें ।

श्री विश्वनाथ कपूर--

बहुत अच्छा ।

गुलाब सिंह हिन्दू डिग्री कालेज, चान्दपुर, जिला बिजनौर के अध्यापकों एवं छात्रों की गिरफ्तारियां

**4--कुंवर शिव महेन्द्र सिंह (जिला बिजनौर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या गुलाब सिंह हिन्दू डिग्री कालेज, चांदपुर, जिला बिजनौर के प्रिंसिपल, श्री जौहरी, वाइस प्रिंसिपल, श्री रिजवी एक प्रवक्ता व छात्र तथा 2 चपरासियों को जिला प्रशासन ने दिनांक 15 दिसम्बर, 1972 को गिरफ्तार किया था ? यदि हां, तो ऐसी नौबत क्यों आई और उनके खिलाफ क्या आरोप हैं ? गिरफ्तारी के कितने दिन बाद श्री जौहरी आदि की जमानतें ली गईं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

दिनांक 15-12-72 को गुलाब सिंह हिन्दू डिग्री कालेज, चान्दपुर, जिला बिजनौर में श्री महाबीर प्रसाद जौहरी भूतपूर्व प्रधानाचार्य, श्री आफताब अहमद रिजवी, श्री ज्ञानेन्द्र सिंह प्रवक्ता एक छात्र, एक चपरासी व एक चौकीदार को उनके द्वारा शांति भंग करने की आशंका के कारण धारा 151/107/117 जा0 फो0 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तारी के तीन दिन बाद दिनांक 18-12-72 को सभी व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ दिया गया ।

कुंवर शिव महेन्द्र सिंह--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि श्री जौहरी से चार्ज कब और किसने लिया और गिरफ्तार शुदा व्यक्तियों से शांति भंग होने का क्या कारण था ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

जब उनके ऊपर आरोप लगे तो श्री आफताब अहमद रिजवी ने चार्ज लिया ।

कुवर शिव महेन्द्र सिंह--

मैं जानना चाहता हूं कि रिजवी वाइस-प्रिंसिपल ने चार्ज कब लिया ? यह बता दें कि श्री जौहरी से प्रिंसिपल पद का चार्ज कब और किसने लिया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

निश्चित तिथि की सूचना इस समय हमारे पास नहीं है ।

कुंवर शिव महेन्द्र सिंह--

उनको फिर 19-9-72 को रिइन्सटेट कर दिया गया था। जिस दिन गिरफ्तार हुए हैं उसी दिन यह काम कर रहे थे।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

श्री महाबीर प्रसाद जौहरी, प्रिंसिपल के ऊपर कुछ आरोप थे जिनके कारण उनको प्रिंसिपल पद से हटाया गया था। उनके स्थान पर एक श्री रिजवी जो लेक्चरार थे उनको आफिशियेटिंग चार्ज दिया गया। उसके बाद ही श्री रिजवी और वहां के हेड क्लर्क से कुछ मतभेद हो गया और उसमें श्री रिजवी ने उस क्लर्क के खिलाफ कार्यवाही की जिसको कि प्रबन्ध समिति ने स्वीकार नहीं किया और इस संघर्ष में उन्होंने श्री रिजवी को हटाया और यूनिवर्सिटी से उन्होंने एक प्राचार्य की मांग की और वहां से डा० दशरथराज आये और उनको 15-12-72 को चार्ज दिया गया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि 1-11-72 को भूतपूर्व प्रधानाचार्य, श्री महाबीर प्रसाद जौहरी को जिला जज ने स्टे-आर्डर दिया था जिस के खिलाफ 12 तारीख को जज ने दरख्वास्त खारिज कर दी तो उसके खिलाफ किन कारणों से नये प्रिंसिपल को चार्ज उनसे छुड़वा कर दिया गया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

कोर्ट के आदेश यह हुए थे कि जैसी स्थिति है वैसी ही कायम की जाय। उस पर दोनों ने अपने-अपने ढंग से इन्टरप्रिटेशन किया और इसलिये यह रूपरेखा सामने आई।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, पहली तारीख को स्टेटस-को आर्डर जिला जज ने दिये और उसके खिलाफ भी जो प्रार्थना की गई वह भी जज ने खारिज कर दी और स्टेटस-को की बात को कायम रखा तो फिर किन कारणों से वहां नये आदमी को चार्ज दिलाया गया?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

12-12-72 को सिविल जज ने पिछले आदेश को स्पष्ट करके आदेश दिये कि यथापूर्व स्थिति से मतलब उस स्थिति से है जो 1-11-72 की थी। उसके बारे में दोनों पक्षों ने कहा कि यह आदेश हमारे पक्ष में है और दूसरे पक्ष के खिलाफ है और इस तरह से स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।

श्री बलबीर सिंह--

वहां स्टेटस-को कायम कर दिया गया, एक प्रिंसिपल मौजूद थे, उनके दफ्तर पर और कमरों में ताला लगा दिया गया तो क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि जिलाधीश और एस० पी० न मिलकर उन तालों को तुड़वाया ? इस तरह से आदेश का भी उल्लंघन कराया तो इसकी जानकारी उन्हें है? यदि है, तो क्या कार्यवाही की गई और आगे वह क्या कार्यवाही करना चाहते हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

स्टेटस-को की बात इसके पहले हुई, प्रबन्ध समिति ने पहले ही दोनों को श्री जौहरी को और श्री रिजवी को हटाया और विश्वविद्यालय से प्राचार्य की मांग की और वहां से डा० दशरथराज आये और उनको चार्ज दिया गया।

श्री बलबीर सिंह--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस तरह की जानकारी है कि ताले तोड़े गये और उसके लिये वे क्या कार्यवाही करना चाहते हैं?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)--

क्या माननीय मन्त्री जी को यह मालूम है कि जिस वाके का जिक्र इस प्रश्न में है, उसके बाद 6 जनवरी को डी0 एस0 पी0 और जिलाधीश मौके पर गये और उन्होंने कालेज के प्रोफेसर को, एक लेक्चरार को, स्टूडेन्ट्स यूनियन के प्रेसीडेन्ट को, 55 लड़कों को और 8 लड़कियों को गिरफ्तार किया और उनको इन्सपेक्शन हाउस में रखा और फिर बिजनौर पुलिस लाइन में ले गये जहां पर न इनको कपड़े दिये गये और न खाना दिया गया । सुबह को 6 1/2 बजे जब जिलाधीश के पास लोग गये तब छोड़ा । क्या यह उनको मालूम है या नहीं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

इस सम्बन्ध में माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने मुझे निर्देश दिया कि ऐसा-ऐसा बिजनौर में हुआ । मैंने तुरन्त ही आई0 जी0 को आदेश दिया कि मुझे इसके बारे में जानकारी दी जाय । आज सुबह जब मैं एजेन्डा देख रहा था तो विदित हुआ कि यह अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों में आ गया है । इस सिलसिले में जो मैंने जानकारी प्राप्त की उससे ज्ञात हुआ है कि 2 अध्यापक, एक क्लर्क और कुछ लड़कों ने दफा 44 तोड़ने का प्रयास किया और इसलिये 44 विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया जिन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया । इतनी सूचना मेरे पास है लेकिन बाकी के लिये मैंने आई0 जी0 को आदेश दे दिया है ।

कुंवर शिव महेन्द्र सिंह--

आपने बताया कि 1-11-72 को आर्डर कोर्ट का था कि स्टेटस-कुओ बना रहेगा लेकिन 3-11-72 को एक पत्र है कि श्री महावीर प्रसाद जौहरी फार्म आदि लेंगे तथा अन्य कार्य करेंगे .....

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

जिस पत्र का माननीय सदस्य ने हवाला दिया है उसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

इसमे जजेज का आर्डर हुआ, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का आदेश हुआ और जैसा कि माननीय चरण सिंह जी ने भी प्रश्न किया तो क्या आप इस सारे मामले पर पुनः विचार करने के लिये सदन को आश्वासन देंगे कि जो दिलचस्पी एक्सीड करके जिलाधीश और एस0 पी0 ने ली, उनके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

अदालत के आदेशों के निर्णय का उल्लंघन करने अपने आप कन्टेप्ट हो जाता है । दोनों पार्टियां सचेष्ट हैं, शायद ही इस प्रकार की कोई लैप्स को नजर अन्दाज न करे । फिर भी मैं जानकारी करवा लूंगा ।

कुंवर शिव महेन्द्र सिंह (जिला बिजनौर)--

श्रीमन्, मेरा एक प्रश्न रह गया है ।

श्री अध्यक्ष--

अगर कोई प्रश्न रह गया है तो आप लिखकर दे दें ।

कुंवर शिव महेन्द्र सिंह--

क्या श्री रिजवी, इचार्ज प्रिंसिपल ने भी किन्हीं क्लर्क आदि के विरुद्ध रात में ताला खोलकर दफ्तर से कागजात चुराने के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट लिखायी थी और उस पर कोई कार्यवाही किए जाने के क्या कारण थे ?

श्री अध्यक्ष--

अब यह आप नियम 49 में ले आयें ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

हापुड़ नगरपालिका भवन में झण्डा तथा सभा

*1--श्री मोतीलाल यादव (जिला जौनपुर)--

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि दिनांक 3 दिसम्बर, 1972 को हापुड़ नगरपालिका, जिला मेरठ भवन पर लगे राष्ट्रीय ध्वज को किसी दल विशेष के सदस्यों ने जबरदस्ती उतार कर अपन दल का झंडा लगा दिया जिसके परिणामस्वरूप जन-सभा के अवसर पर उपस्थित जनता के क्रोध आ जाने के कारण मारपीट की नौबत आ गई और घटना की रिपोर्ट उक्त नगर-पालिका के कनिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा अधिकारियों को दी गई है । यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

दिनांक 3 दिसम्बर, 1972 को हापुड़ नगरपालिका भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा हुआ नहीं था । अतः उसे किसी दल विशेष के सदस्यों द्वारा जबरदस्ती उतारे जाने का प्रश्न नहीं उठता । यह अवश्य है कि उक्त दिनांक को नगरपालिका प्रांगण में जनसंघ द्वारा एक सभा आयोजित की गई थी तथा सभा स्थल पर उन्होंने अपने झंडे लगा रखे थे । उन्होंने भवन पर भी अपने दल का झंडा लगा दिया था।

उपस्थित जनता में क्रोध उत्पन्न होने तथा मारपीट करने जैसी कोई घटना नहीं हुई । नगरपालिका के कनिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा भी उस समय कोई रिपोर्ट किसी अधिकारी को नहीं दी गई थी । अतः किसी कार्यवाही के किये जाने का प्रश्न नहीं उठा।

"शोर" फिल्म को मनोरंजन-कर से छूट

*2--श्री सुरेन्द्र विक्रम तथा श्री बंशीधर पांडेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में "शोर" फिल्म पर जो मनोरंजन-कर सरकार द्वारा माफ किया गया, उससे कितना नुकसान मनोरंजन-कर का हुआ तथा मनोरंजन-कर के माफ करने का आधार क्या था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

फिल्म "शोर" को मनोरंजन-कर की छूट देने से सरकार को कुल रु० 10,95,688.29 के कर की हानि हुई ।

कर से छूट इसलिये दी गई थी कि फिल्म में राष्ट्रीय एकीकरण विभिन्न समुदायों में पारस्परिक सहयोग की भावना बढ़ाने आदि जैसी शिक्षाप्रद बातें दर्शायी गई हैं ।

श्री अवध बिहारी शोरावाल, उप पुलिस अधीक्षक, कानपुर का निलम्बन

*3--श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)--

विधान सभा की बैठक दिनांक 21 जुलाई, 1972 के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-2 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री अवध बिहारी शोरावाल निलम्बित उप पुलिस अधीक्षक, कानपुर को अब तक कोई आरोप-पत्र दिया गया ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या-क्या चार्जेज लगाये गये ? यदि नहीं, तो बिलम्ब का क्या कारण है ?

नोट:--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

श्री शोरावाल के मामले को दिनांक 29 दिसम्बर, 1972 को प्रशासनाधिकरण को सौंपा जा चुका है तथा उनसे श्री शोरावाल को आरोप-पत्र शीघ्रातिशीघ्र दे देने को भी कहा है । श्री शोरावाल की याचिका उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के विचाराधीन है ।

सतर्कता अधिष्ठान को सौंपे गये जांच के मामले

*4—श्री अनन्तराम जायसवाल, श्री रामधारी शास्त्री तथा श्री राम विलास पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनवरी, 1967 व 15 नवम्बर, 1972 की अवधि में शासन द्वारा कितने मामले जांच के लिये सतर्कता विभाग को सुपुर्द किये गये और कितने मामलों की जांच पूरी हो गई और कितने मामले अब जांच के लिये पड़े हुए हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

1 जनवरी, 1967 से 15 नवम्बर, 1972 की अवधि में शासन द्वारा 1,138 मामले जांच के लिये सतर्कता अधिष्ठान को सुपुर्द किये गये और उनमें से 845 मामलों में जांच पूरी हो गई तथा 16 नवम्बर, 1972 को 293 मामले जांच के लिये शेष थे ।

पौड़ी-गढ़वाल में बेसिक शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति

*5—श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि पौड़ी-गढ़वाल में बेसिक शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण अध्यापकों को सितम्बर मास 1972 से अब तक वेतन नहीं प्राप्त हुआ है तथा इसके विरोध स्वरूप 7 दिसम्बर, 1972 से सभी प्राथमिक अध्यापकों ने हड़ताल कर दी है ? क्या यह भी सही है कि जनपद के कई विद्यालयों में अध्यापक न होने के कारण पढ़ाई बन्द है ? यदि हां, तो इस संबंध में समुचित कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

बेसिक अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने तक जिला विद्यालय निरीक्षक बेसिक शिक्षा का काम देख रहे हैं । जिला परिषदीय अध्यापकों का अक्तूबर, 1972 तक का वेतन दिया जा चुका है । नवम्बर तथा दिसम्बर के वेतन भुगतान की कार्यवाही की जा रही है ।

नगरपालिका पौड़ी—सितम्बर का वेतन दिया जा चुका है ।

नगरपालिका कोटद्वारा और दुड्डा ने अक्तूबर तक का वेतन दे दिया है । 7-12-72 को प्राथमिक अध्यापकों ने कोई हड़ताल नहीं की और न ही अध्यापक न होने के कारण कोई स्कूल बन्द हुआ है ।

सर्वश्री गरीबदास व माखनदास, कायमगंज (फर्रुखाबाद) की कुर्की

*6—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि यह सही है कि 7 दिसम्बर, 1972 से 15 दिसम्बर, 1972 के बीच थाना कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद से संबंधित डी0 आई0 जी0, आई0 जी0 पुलिस व शासन को इस आशय की सूचना मिली कि 12 सितम्बर, 1971 को कस्बा कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद के पं0 राधेश्याम पुत्र गरीबदास व माखनदास आदि के मकानों की दबिश के दौरान लगभग साढ़े 5 लाख की सम्पत्ति एस0 पी0, फर्रुखाबाद ने स्वयं अपनी मौजूदगी में लुटवाई और उनके घरों को वीरान कर दिया ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है और शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा क्या इस संबंध में उप मंत्री श्री सियाराम गंगवार ने भी शासन को कोई सूचना दी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इस अवधि में डी0आई0जी0, कानपुर रेंज को तथा बाद में शासन को उल्लिखित आशय की सूचना प्राप्त हुयी थी। प्राप्त सूचना के अनुसार थाना कायमगंज, फर्रुखाबाद के एक सब-इन्स्पेक्टर की हत्या से संबंधित अभियुक्त राधे श्याम, गरीबदास व माखन सिंह आदि, निवासी कस्बा कायमगंज की रु0 22,500.00 की सम्पत्ति की कुर्की वारंट प्राप्त करके दिनांक 12-9-72 को सब-इंस्पेक्टरों द्वारा सम्पन्न की गई। जांच से ज्ञात हुआ कि कुर्की की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, फर्रुखाबाद के पर्यवेक्षण में नहीं की गई। प्राप्त शिकायतों के संबंध में विभागीय जांच एवं कार्यवाही की जा रही है। उप मंत्री श्री सियाराम गंगवार ने मुख्य मंत्री को कायमगंज के कुछ व्यक्तियों द्वारा उक्त कुर्की की कार्यवाही में पुलिस के विरुद्ध दिये गये शिकायती-पत्र को भेजा था।

*7—श्री रामबिलास पांडेय तथा श्री विश्वनाथ कपूर—

[4थे गुरुवार के लिये तारांकित प्रश्न सं0 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बलिवन, जिला देवरिया के श्री राम अवध की हत्या

*8—श्री हरिवंश सहाय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बलिवन, थाना खाभपार, जिला देवरिया के श्री राम अवध हजाम को गत 23 नवम्बर, 1972 को बाजार से पकड़वा कर एक भूतपूर्व जमींदार न उनकी बोटी-बोटी करवा कर झरही नाले में गड़वा दिया जिसका पोस्टमार्टम दिनांक 8 दिसम्बर, 1972 को हुआ? यदि हां, तो उक्त कत्ल में कौन-कौन मुलजिम है तथा घटना का विस्तृत विवरण क्या है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक 3-12-72 को थाना खाभपुर, देवरिया पर श्री सुखदेव हजाम, निवासी ग्राम बलूवन, थाना खाभपार, देवरिया ने एक प्रार्थना-पत्र द्वारा इस आशय की सूचना दी कि उनका भतीजा राम अवध 23-11-72 की शाम 6 बजे से गांव के बाजार से लापता है खोजने पर पता नहीं चल रहा है पता लगाने का कष्ट करें। इस सूचना के प्राप्त होन पर राम अवध की खोज हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की गई। कुछ सूत्र उपलब्ध होने पर दिनांक 7—12—72 को पुलिस द्वारा भोज नामक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया जिसके बताने पर राम अवध की हड्डियां व उसके कुछ कपड़े बरामद किये गये। उक्त व्यक्ति ने अपराध में सम्मिलित अन्य लोगों के नाम बताये। अतः दिनांक 7—12—72 को उक्त भोज तथा 5 अन्य के विरुद्ध धारा 147/302/201/364/120 की भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। लाश का पोस्ट मार्टम दिनांक 8-12-72 को नहीं वरन् 9 12-72 को किया गया। दो अभियुक्तों भोज और जई भर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये और दुखी लाल, लालजी तथा रामायन ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। एक अभियुक्त स्वामीनाथ फरार है जिसक विरुद्ध धारा 87/88 जा0फौ0 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु रिपोर्ट दी गई है।

देव प्रयाग हिन्दोलाख (टिहरी-गढ़वाल) के उद्यान सहायक विकास अधिकारी, श्री बुद्धिराम यादव की आग से मृत्यु

*9—श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर), श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ) तथा श्री राम निहोर (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक 13 अगस्त, 1972 को टिहरी-गढ़वाल के विकास खण्ड देव प्रयाग हिन्दोलाख के उद्यान सहायक विकास अधिकारी श्री बुद्धिराम यादव की हत्या जलाकर कर दी गई है और इस हत्या पर पर्दा डालने के लिये मृतक की लाश उनके परिवार को सौंप बगैर दफना दी गई है और मृतक के पिता को मृत्यु की सूचना एक तार द्वारा लाश दफना

के बाद दिनांक 15 अगस्त, 1972 को भेजी गई है जो उनके पिता को दिनांक 17 अगस्त, 1972 को मिली है ताकि हत्या की घटना पर पर्दा पड़ जाय ? यदि हां, तो क्यों और यदि नहीं, तो पूर्ण तथ्य क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 12/13-8-72 की रात्रि को श्री बुद्धि राम यादव की आकस्मिक आग से जल जाने के कारण मृत्यु हुई और इस विषय की सूचना श्री सुरेंद्र पाल सिंह, सुपरवाइजर (उद्यान) न दिनांक 13-8-72 को रेवेन्यू पुलिस थाना बनगढ़ (पटवारी बनगढ़) के पास भेजी । प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 13-8-72 को ही मृतक के पिता और भाई को तार द्वारा घटना की सूचना भज दी गई थी।

2—दिनांक 15-8-72 को मृतक के शव का परीक्षण कराया गया और शव जिला उद्यान अधिकारियों को दाह संस्कार आदि के लिये दे दिया गया । उक्त परीक्षण से मृत्यु का कारण अधिक जलने के फलस्वरूप सदमें का होना पाया था।

3—श्री यादव की मृत्यु की जांच के संबंध में दिनांक 30-8-72 को श्री सुरेंद्र पाल सिंह चौहान, सुपरवाइजर उद्यान तथा 31-8-72 को श्री महाबीर सिंह बिष्ट, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत को गिरफ्तार करके जेल भजा गया । इस मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई है।

सलखन अवई, जिला मिर्जापुर के सवर्ण हिन्दुओं पर आरोप

*10—श्री सूबेदार प्रसाद तथा श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर)

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 10 दिसम्बर, 1972 को ग्राम सलखन अवई, थाना चोपन, मिर्जापुर के हरिजनों को सवर्ण हिन्दुओं न बुरी तरह से मारा तथा उनके मकानों में आग भी लगा दी ? यदि हां, तो उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 10-12-72 को कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसमें ग्राम सलखन अवई, थाना चौपन, जिला मिर्जापुर के हरिजनों को सवर्ण हिन्दुओं ने मारा-पीटा हो या उनके मकानों में आग लगाई हो ।

महुआडाबर, जिला बस्ती का गोली कांड

*11—श्री रामलखन सिंह (जिला बस्ती), डाक्टर हरि प्रसाद शाही (जिला गोरखपुर), श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती), श्री मोहम्मद नबी खां (जिला बस्ती) तथा श्री अभिमन्यु प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिला बस्ती, ग्राम महुआ डाबर ग्राम सभा के ग्राम प्रधान के चुनाव के दूसरे दिन रात के 8 बजे के लगभग एक बात में कहा-सुनी क फलस्वरूप एक आदमी को मारने के वास्ते बन्दूक स सात फायर किया । जिसकी रिपोर्ट बस्ती जिला के पैकोलिया थाना पर की गई तथा थानाधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर एक बन्दूक तथा दगा हुआ कारतूस बरामद किये तथा क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि उपरोक्त गोली कांड की तफतीस बस्ती के डिप्टी एस0पी0 ने किया तो क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा शासन ने क्या-क्या कायवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक 31-5-72 को थान पैकोलिया, जिला बस्ती पर श्री झिल्ला, निवासी ग्राम महुवा डाबर की ओर से एक लिखित रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध वादी को घर से खींच कर ले जाने, मारने-पीटने तथा बन्दूक से गोली चलाने के आरोप लगाये गये थे ।

2—इस सूचना पर एक मुकदमा धारा 147/148/149/307/342 भा0दं0 वि0 व धारा 27 असलहा ऐक्ट के अन्तर्गत कायम किया गया । दिनांक 1-8-72 को घटना-स्थल से एक अदद टिकली कारतूस 12 बोर बरामद किया गया । रिपोर्ट में नामांकित एक अभियुक्त सरजू सिंह की स्त्री ने एक डी0बी0बी0 एल0 बन्दूक जमा की ।

3—इस मुकदमें की विवेचना अब सर्किल इंस्पेक्टर द्वारा की जा रही है । उप पुलिस अधीक्षक ने इस मामले की तफतीश नहीं की ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

गोरखपुर में मान्यता प्राप्त हाई स्कूलों एवं इन्टर कालेजों के अवैधानिक प्रधानाचार्य

*1—श्री फिरंगी प्रसाद बिशारद—

क्या मुख्य मंत्री जांच कर बताने की कृपा करेंगे कि जनपद, गोरखपुर में कितने मान्यता प्राप्त हाई स्कूल और इंटर कालेज हैं, जिसमें इस समय वैधानिक प्रधानाचार्य नहीं हैं और प्रत्येक में यह कमी कितने वर्ष से चली आ रही है ऐसे विद्यालयों के अलग-अलग नाम एवं पते क्या हैं ? और शासन उक्त विषय में क्या करने जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

गोरखपुर जनपद के 5 इंटरमीडिएट कालेजों तथा 14 हाई स्कूलों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक इस समय इंटरमीडिएट संशोधन अधिनियम में दिये गये प्राविधान के अनुसार वैधानिक नहीं है।

ऐसे विद्यालयों के नाम और पते कितने वर्षों से उक्त कमी चली आ रही है उसका विवरण संलग्न है । इन विद्यालयों के अधिकारियों को वैधानिक प्रधानाचार्यों की नियुक्ति हेतु आदेश दिये जा चुके हैं । जो संस्थाधिकारी आदेशों की अवहेलना करेंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 243 पर)

पंजीकृत छोटे उद्योगों के कच्चे माल की जांच

*2—श्री राम गोपाल सण्ड—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पंजीकृत छोटे उद्योगों को दिये जा रहे कच्चे माल के दुरुपयोग-सदुपयोग के बाबत जो जांच निदेशालय द्वारा कराई जा रही थी वह जिन जिलों की मुकम्मिल हो चुकी है वहां की बोगस या सही काम करने वाली इकाइयों की संख्या अलग-अलग जिलेवार जून, 1972 तक कितनी है ?

लघु उद्योग मंत्री (डाक्टर रामजीलाल सहायक)—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जिला परिषद्, बरेली में उप विद्यालय निरीक्षकों के यात्रा भत्ते का भुगतान

*3—श्री चेतराम गंगवार—

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि जिला परिषद्, बरेली में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उप-विद्यालय निरीक्षकों का वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 का यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान आज तक नहीं किया गया है । यदि हां, तो जिलों के भुगतान न होने का कारण क्या है और इन बिलों का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां, अब 17,435 रुपये 50 पैसे के बिलों का भुगतान होना शेष है। ये बिल एक वर्ष से अधिक अवधि के होने के कारण महालेखाकार को प्रि-आडिट हेतु भेजे जा रहे हैं। प्रि-आडिट हो जाने के बाद ही इन बिलों का भुगतान संभव हो सकेगा।

आर० बी० एम० इन्टर कालेज, शाहजहांपुर पर भ्रष्टाचार का आरोप

*4—श्री बंशीधर पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि आर0बी0 एम0 इंटर कालेज में भयानक गोलमाल, भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं की शिकायत विद्यालय प्रबन्धकारिणी के सदस्यों द्वारा 1 जनवरी, 1972 से 6 सितम्बर, 1972 तक अनेक बार शिक्षा मंत्री, शिक्षा निदेशक, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर से लिखित की गई? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं, अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

आर० बी० एम० इन्टर कालेज, शाहजहांपुर में प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव के विरुद्ध प्रधानाचार्य के बने रहने की अनुमति

*5—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला रायबरेली)—

क्या मुख्य मंत्री को मालूम है कि परगनाधिकारी, तिलहर, जिला शाहजहांपुर जो कि आर0बी0 एम0 इंटर कालेज के अधिकृत नियंत्रक भी हैं, ने स्थानीय राजनैतिक दबावों के कारण कालेज के अवैधानिक और अमान्य प्रधानाचार्य को प्रबन्ध समिति के सर्वसम्मति प्रस्ताव दिनांक 10 सितम्बर, 1972 के विरोध के बावजूद भी उनके पद पर कार्य करने की स्वीकृति दिनांक 12 सितम्बर, 1972 को एक आदेश भेज कर दी, जिसके विरोध में कालेज अनिश्चित काल के लिये बन्द हो गया? यदि हां, तो क्या सरकार तत्काल कालेज के हित में नियंत्रक महोदय को हटायेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अक्तूबर 1970 में तत्कालीन प्रबन्ध समिति ने श्री कृष्ण विनोद शर्मा को योग्य समझ कर प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त किया था जबकि साधिकार नियंत्रक का अस्तित्व भी नहीं था। प्रबन्ध समिति ने अपना प्रस्ताव दिनांक 10-9-72 द्वारा श्री कृष्ण विनोद शर्मा को हटा कर श्री सत्यभान सिंह कुशवाहा को प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त करने का अनुरोध किया। साधिकार नियंत्रक ने कार्यवाही करने का आश्वासन दिया किन्तु अनुशासनहीनता और शांति व्यवस्था के भंग होने की संभावना देखकर दिनांक 13-9-72 के आदेश द्वारा नियंत्रक ने कालेज को बन्द कर के आदेश दिये और प्रधानाचार्य की स्थायी नियुक्ति की व्यवस्था होने तक श्री कृष्ण विनोद शर्मा को इंचार्ज प्रधानाचार्य पद पर कार्य करने के आदेश द दिये। नियंत्रक ने किसी स्थानीय राजनैतिक दबाव के कारण उक्त आदेश नहीं दिये अतः नियंत्रक को हटाने का प्रबन्ध नहीं उठता।

*6—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह—

क्या मुख्य मंत्री संबंधित अधिकारियों को जिन्होंने अनाधिकार और अनुचित आर0 बी0 एम0 कालेज तिलहर, शाहजहांपुर में पिछले सप्ताह हस्तक्षेप किया जिसमें कालेज अनिश्चित काल के लिये बन्द हुआ है कालेज खुलवान और प्रबन्ध समिति के फैसले जनहित तथा कालेज हित म मनवाने का आदेश देगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

नियंत्रक ने अपने आदेश दिनांक 25–9–72 द्वारा कालेज को खोलने तथा प्रधानाचार्य की स्थायी नियुक्ति हेतु कार्यवाही करने के आदेश प्रबन्ध समिति को दे दिये । इस समय प्रबन्ध समिति और श्री कृष्ण विनोद शर्मा जो इंचार्ज प्रधानाचार्य हैं तथा साधिकार नियंत्रक के बीच न्यायालय में मुकदमा चल रहा है।

अस्थाई सब-इन्स्पेक्टर के पद पर कार्य करने वाले हेड कांस्टेबिलों का स्थायीकरण

*7—श्री उपेन्द्र नाथ दीक्षित (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि पुलिस आफिस मैनुअल की धारा 191 के अन्तर्गत प्रदेश में दस वर्ष से अधिक समय से कितने हेड कांस्टेबिल अस्थायी सब-इंस्पेक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं और उनकी सेवाओं को स्थायी बनाने के संबंध में वर्ष 1959 के पश्चात् आज तक विचार न किये जाने के कारण क्या हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

पुलिस आफिस मैनुअल के प्रस्तर191 के अन्तर्गत प्रदेश में ऐसे 5 हेड कान्स्टेबिल स्थानापन्न सब-इन्स्पेक्टर के पद पर कार्य कर रहे हैं । इस प्रस्तर के अन्तर्गत 7 वर्ष या उससे अधिक समय तक कार्य कर रहे स्थानापन्न सब-इन्स्पेक्टर को स्थायी करने के निमित्त वर्ष 1960–1963 में विचार किया गया था परन्तु शासन ने उसे उपयुक्त नहीं समझा ।

[11 जनवरी, 1973 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

प्राथमिक शिक्षकों का प्रादेशिक सम्मेलन, लखनऊ

*1—श्री राम गोपाल सण्ड—

क्या सरकार को ज्ञात है कि दिनांक 5 सितम्बर, 1972 को लखनऊ नगर महापालिका के विशाल कक्ष में प्राथमिक शिक्षकों का प्रादेशिक सम्मेलन हुआ ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं क्या प्राथमिक शिक्षा राज्य मंत्री भी उक्त सम्मेलन में गये ? यदि हां, तो प्राथमिक शिक्षकों ने उन्हें जो मांग-पत्र दिया था, उस पर शासन ने अब तक कौन-सा पग उठाया है । यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां ।

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की उक्त सम्मेलन द्वारा प्रस्तुत मांगों की सूची संलग्न है।

जी हां । मांगें विचाराधीन हैं ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 244 पर)

कासगंज थाने में पुलिस इन्स्पेक्टर के पद की समाप्ति एवं डी० आई० जी० सर्किल, आगरा के थानों में इन्स्पेक्टर के पद

*2—श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एटा जिले के कासगंज थाने की पुलिस इन्स्पेक्टर पोस्ट समाप्त कर दी गई है या समाप्त करने के आदेश कर दिये गये हैं ? इस संबंध में प्रश्न-कर्ता द्वारा कोई ज्ञापन माह मई, 1972 में सरकार को मिला ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार पुनः इन्स्पेक्टर की पोस्ट को रखगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

पुलिस आयोग 1970–71 की जिलों में सर्किल इंसपेक्टर (क्राइम) नियुक्त किये जाने की संस्तुति के संदर्भ में प्रयोगात्मक रूप में पुलिस महानिरीक्षक ने कुछ अन्य जिलों के साथ जिला एटा के थाना कासगंज एवं थाना कोतवाली से इंसपेक्टर स्तरीय थानाध्यक्ष हटाकर सब-इंस्पेक्टर थानाध्यक्ष नियुक्त किये हैं और जिला एटा में एक इंसपेक्टर (क्राइम) नियुक्त किया है ।

इस संबंध में माननीय सदस्य द्वारा ज्ञापन 10–5–72 को शासन को प्राप्त हुआ था । पुलिस महानिरीक्षक द्वारा किये जा रहे प्रयोग के फल के अध्ययन के पश्चात् शासन द्वारा अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा ।

*3—श्री नेतराम सिंह—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि आगरा रीजन से डी0 आई0 जी0 सर्किल, आगरा के किस-किस जिले के कौन-कौन थाने ऐसे हैं जिनमें इन्सपेक्टर पोस्ट को बदस्तूर रखने के आदेश दिये गये हैं और क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आगरा रेंज के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में निम्नलिखित थानों पर अब भी इंसपेक्टर इंचार्ज कार्य कर रहे हैं क्योंकि प्रशासनिक दृष्टिकोण से पुलिस महानिरीक्षक ने इन्हें हटाना उचित नहीं समझा।

जिले का नाम		थाने का नाम
1—आगरा	..	1—कोतवाली
		2—छत्ता
		3—हरिपर्वत
2—अलीगढ़	..	1—कोतवाली
		2—हाथरस
3—मथुरा	..	1—कोतवाली
4—मैनपुरी	..	1—कोतवाली

विश्वविद्यालयों के ऐक्टों में परिवर्तन विषयक सूचना

*4—श्री राम गोपाल संड—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने जुलाई, 1972 के अंतिम सप्ताह में लखनऊ में राज्य शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में प्रदेश के विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों तथा वरिष्ठ प्रोफेसरों की सभा में विश्वविद्यालयों के ऐक्टों में परिवर्तन करने का निश्चय लिया गया है ? यदि हां, तो व परिवर्तन क्या हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

के० जी० के० महाविद्यालय, मुरादाबाद के प्रिन्सिपल के विरुद्ध आरोप

*5—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अक्टूबर, 1971 को आगरा विश्वविद्यालय को जो पीरिआडिकल पैनेल इन्सपेक्शन के0जी0के0 महाविद्यालय, मुरादाबाद का कराया

[श्री शिवानन्द नौटियाल]

था उस पैनेल ने जो गंभीर आरोप तत्कालीन प्रिंसिपल के विरुद्ध लगाये हैं उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा मुख्य आरोप क्या थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

अक्टूबर, 1971 की पैनल इन्सपैक्शन की जांच रिपोर्ट के आधार पर आगरा विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् ने जांच समितियों का गठन किया । इसी बीच प्राचार्य तथा प्रबन्ध समिति में भेद-भाव अधिक बढ़ने के कारण शासन द्वारा कालेज का पर्यवेक्षण कराने के लिये जांच आयोग का गठन किया गया है। प्राचार्य के विरुद्ध लगाये गये मुख्य आरोप संलग्न तालिका में उल्लिखित हैं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 245 पर)

*6--श्री शिवानन्द नौटियाल--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*7-8--श्री सुरेन्द्र विक्रम--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*9--श्री नित्यानन्द स्वामी--

[20 वें गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*10--श्री नित्यानन्द स्वामी--

[20 में गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*11--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

थाना देव प्रयाग, टिहरी गढ़वाल में पटवारी, कानूनगो तथा थाने के कर्मचारियों की गिरफ्तारियां

*12--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल में देवप्रयाग थाने की पुलिस ने दिनांक 22-23 अगस्त, 1972 को या उसके लगभग हिण्डोलाखाल के पटवारी और कानूनगो को गिरफ्तार किया और उसके बाद 31 अगस्त, या 1ली सितम्बर, 1972 या उसके लगभग इसी कानूनगो ने देवप्रयाग थाने के उन्हीं कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया था ? यदि हां, तो यह गिरफ्तारियां किन-किन अपराधों के सम्बन्ध में की गईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

प्राप्त सूचना के अनुसार खण्ड विकास कार्यालय हिन्डोला खाल जिला टिहरी गढ़वाल के विभिन्न कर्मचारियों ने दिनांक 16 व 17 अगस्त, 1972 को हिन्डोलाखाल के सुपरवाइजर कानूनगो तथा पटवारी एवं रेवेन्यू पुलिस के कुछ अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध चौकी देव प्रयाग जिला टिहरी गढ़वाल पर तीन रिपोर्टें क्रमशः धारा 452/426/506 भा0 दं0 वि0, धारा 452, 342, 323/426 भा0 दं0 वि0 तथा धारा 147/504/508, भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत लिखाई थी । उपरोक्त रिपोर्टों पर कायम मुकदमों की विवेचना के दौरान सब इन्सपेक्टर, चौकी देव प्रयाग ने अन्य पुलिस कर्मचारियों की सहायता से हिन्डोलाखाल के सुपरवाइजर

कानूनगो व पटवारी तथा कुछ अन्य व्यक्तियों को 22–8–72 को गिरफ्तार किया और उसी दिन शाम को उन्हें जमानत पर छोड़ दिया। तदन्तर 23–8–72 को रेवेन्यू पुलिस के उक्त कर्मचारियों ने परगनाधिकारी, कीर्तिनगर की अदालत में धारा 353/332/342/504/506/147 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत चौकी देवप्रयाग के सब इन्सपेक्टर, हेड कांस्टेबिल मैठाणी तथा अन्य पुलिस कर्मचारियों के बिरुद्ध एक नालिश प्रस्तुत की, जिस पर परगनाधिकारी ने सुपरवाइजर, कानूनगो, देवप्रयाग को जांच के आदेश दिए, जिन्होंने 5–9–72 को हिन्डोलाखाल के उक्त सुपरवाइजर कानूनगो व पटवारी की सहायता से पुलिस विभाग के हेड कांस्टेबिल दयानन्द मैठाणी को गिरफ्तार किया और दूसरे दिन उसे जमानत पर छोड़ दिया। उक्त सभी मुकदमों की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई है।

*13–14––श्री वंशीधर पाण्डेय, श्री सच्चिदानन्द तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम––

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

लखीमपुर खीरी का गोलीकाण्ड

*15––श्री रूपनाथ सिंह यादव––

क्या मुख्य मंत्री कृपा करके बताने का कष्ट करेंगे कि लखीमपुर खीरी में गोलीकाण्ड में पुलिस की गोली से एक छात्र की मृत्यु हो गई और कतिपय लोग घायल हुये हैं? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही अब तक की है और मृतक परिवार के सदस्यों को क्या आर्थिक सहायता दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी––

दिनांक 17 अगस्त, 1972 को गोला, जिला खीरी में पुलिस द्वारा गोली चलाने के फलस्वरूप एक छात्र की मृत्यु हो गयी और एक अन्य छात्र को चोट आयी। शासन ने उक्त गोली कांड एवं अन्य संबंधित घटनाओं की जांच के लिए कमीशन्स आफ इंक्वायरी ऐक्ट के अन्तर्गत एक सदस्यीय जांच आयोग की नियुक्ति कर दी है। जब तक जांच रिपोर्ट प्राप्त न हो जाय तब तक संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना संभव नहीं है। मृतक के परिवार के सदस्यों को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गयी है और न तो इसके लिए कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ है।

*16––श्री शम्भूनाथ चौधरी––

[20 वें गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*17––श्री शम्भूनाथ चौधरी––

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

गौरीघाट (गोरखपुर) पर दो व्यक्तियों की ट्रैक्टर से मृत्यु एवं महराजगंज थानान्तर्गत जिन्दा व्यक्तियों को जलाने की घटनायें

*18––श्री फिरंगी प्रसाद विशारद––

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के थाना झंगहा में दिनांक 19 अप्रैल, 1972 ई0 को दो व्यक्तियों की मृत्यु गौरी घाट पर ट्रैक्टर के चढ़ जाने से हो गई? यदि हां, तो इस विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी––

यह सत्य है कि जनपद गोरखपुर के थाना झंगहा के अन्तर्गत गौरीघाट पर दिनांक 19–4–72 को दो व्यक्तियों की मृत्यु ट्रैक्टर के चढ़ जाने से हो गई। इस संबंध म थाना झंगहा

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

में धारा 279/337/304-ए के अन्तर्गत मुकदमा कायम हुआ जिसमें विवेचना के पश्चात् आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है ।

*19—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर, थाना महराजगंज में 20 मई, 1972 ई0 से 5 जून, 1972 तक कितने व्यक्तियों को मारकर जलाने की घटना दर्ज हुई है उक्त थाने से सम्बन्धित ग्राम बरगदही बसन्त के किसी धोबी को कुछ लोगों द्वारा मारकर पुनः उस जला देने से सम्बन्धित घटना दर्ज हुई है ? यदि हां, तो शासन ने अब तक क्या कदम उठाया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

थाना महराजगंज, जिला गोरखपुर के अन्तर्गत 20-5-72 से 5-6-72 तक की अवधि में जिन्दा व्यक्ति को जला देने की केवल एक घटना की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। यह घटना ग्राम बरगदही बसन्त में घटी, इसमें ग्राम के एक धोबी को जलाया गया। इस घटना से संबंधित मुकदमे में विवेचना के उपरान्त चार्जशीट लगाई गई। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है ।

होमगार्ड्स मुख्यालय द्वारा क्रीत सामान तथा पी० आर० डी० का बैन्ड

*20—श्री जयराम वर्मा (जिला फजाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि होमगार्ड्स मुख्यालय के कमाडेण्ट जनरल ने होमगार्ड्स के लिये जूता व अन्य सामान खरीदने हेतु एक लाख दस हजार रुपया मार्च, 1972 में ड्रा किया था और सरकार को यह रिपोर्ट दे दी थी कि उक्त सामान मार्च, 1972 ही में खरीद लिया गया, क्या यह सही नहीं है कि उक्त सामान अभी तक नहीं खरीदा गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह सही है कि मार्च 1972 में रु0 1,13,007.82 होमगार्ड्स के लिये जूते, चारपाइयां एवं मेजें क्रय करने हेतु बैंक ड्राफ्ट द्वारा ड्रा किया गया था। परन्तु यह सही नहीं है कि कमांडेन्ट जनरल होमगार्ड्स ने शासन को यह रिपो. दी थी कि उक्त सामान मार्च, 72 में खरीद लिया गया है। सामानों की पूर्ति हो गई है परन्तु कुछ सामानों में त्रुटि पाये जाने के कारण मूल्य का आंशिक भुगतान रोक लिया गया है ।

*21—श्री जयराम वर्मा—

क्या यह सही है कि पी0 आर0 डी0 का बैण्ड होम गार्ड्स के बैण्ड के रूप में परिवर्तित कर प्राइवेट बैण्ड बना दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों उक्त बैण्ड किस दर पर किराये पर दिया जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह सही नहीं है कि पी0 आर0 डी0 के बैण्ड को होमगार्ड्स के बैण्ड के रूप में परिवर्तित किया गया। होमगार्ड्स के पुनर्गठन के फलस्वरूप होमगार्ड्स संगठन एवं पी0 आर0 डी0 के दूसरे लोगों की भांति पी0 आर0 डी0 के बैण्ड वालों को भी पुनर्गठन होमगार्ड्स संगठन में अवसर दिया गया व नियुक्त किया गया। यह भी सही नहीं है कि इस बैण्ड को प्राइवेट बैण्ड बना दिया गया। जसे अन्य संस्थाओं में इस प्रकार के बैण्ड को समय-समय पर शादी आदि में किराये पर दिया जाता है, व उसकी आय से बैण्ड वालों को कुछ भत्ते दिये जाते हैं

एवं बैण्ड के रख-रखाव के लिये बैण्ड फंड में जमा किया जाता है वैसे ही इस बैण्ड के संबंध में भी किया जाता है। होमगार्डस के बैण्ड के किराये की दर निम्नलिखित है।

(क) सर्वसाधारण के लिये:

125.00 रुपया प्रथम घंटे के लिये 100.00 रुपया प्रत्येक बाद के घंटे के लिये।

(ख) होमगार्डस के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये:

रुपया 62.50 प्रथम घंटे के लिये, रुपया 50.00 प्रत्येक बाद के घंटे के लिये।

*22—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

[3रे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नैनी (इलाहाबाद) के प्रशिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति

*23—श्री सर्वसुख सिंह—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि सन् 1971–72 में इलाहाबाद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नैनी में कितने छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई और कितनी और उसमें पिछड़ी जाति के कितने छात्र थे ?

श्रम राज्य मंत्री (श्री गणेशदत्त बाजपेयी)

कुल 488 प्रशिक्षार्थियों को 25 रुपये प्रतिमाह की दर से छात्र-वृत्ति प्रदान की गई जिनमें 164 छात्र पिछड़ी जाति के थे।

डांडी (इलाहाबाद) के निकट पेट्रोल की टंकी तथा शराब की दूकान पर पड़ी डकैती

*24—श्री सर्वसुख सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद के डांडी गांव के पास पैट्रोल की टंकी तथा शराब की दूकान पर जो डकैती गत जुलाई के महीने में पड़ी थी और जिस पर 5–6 व्यक्तियों की हत्या हुई उसमें कौन-कौन डाकू गिरफ्तार हुये उनके नाम और पते क्या है और उपर्युक्त डकैती में मारे गये व्यक्तियों के शरीर में किन हथियारों के घाव मिले हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक 17–18 जुलाई, 1972 की रात्रि में इलाहाबाद जनपद के डांडी ग्राम के पास पेट्रोल की टंकी तथा शराब की दुकान पर पड़ी डकैती में 5 व्यक्ति मारे गये। मृत व्यक्तियों के शरीर में डंडा, लाठी व कुल्हाड़ी के घाव मिले। इस संबंध में 7 अभियुक्त गिरफ्तार किये गये जिनके नाम व पते निम्न हैं:—

1—रामाधार उर्फ गौना पुत्र किशोरी, सा० छोटी मलदेहिया, थाना चेतगंज, वाराणसी।

2—बनारसी पुत्र मोहन, सा० सनपुरा, थाना चेतगंज, वाराणसी।

3—दिल बहार पुत्र रामसमूरत डोम, सा० इंगलिशिया लाइन, थाना कैण्ट, वाराणसी।

4—बरफलाल पुत्र गोगवा उर्फ महन्तु सा० इंगलिशिया लाइन, थाना कैण्ट, वाराणसी।

5—गोगवा पुत्र झड़कवा, सा० इंगलिशिया लाइन, थाना कैण्ट, वाराणसी।

6—राजपूत पुत्र कन्धई सा० इंगलिशिया लाइन, थाना कैण्ट, वाराणसी।

7—कोठिया पुत्र कन्धई सा० इंगलिशिया लाइन, थाना कैण्ट, वाराणसी।

*25—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[16 वें गुरुवार के लिए प्रश्न सं 0 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

समाचार पत्रों के विकास हेतु योजना की जानकारी

*26—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सूचनामन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत प्रदेश और विशेष रूप से जिला स्तर के छोटे-छोटे समाचार पत्रों के विकास का प्रबन्ध हो सके ? यदि हां, तो इस योजना की क्या रूप-रेखा है और कब से लागू की जायगी ?

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन—

जी नहीं ।

*27—श्री रामधारी शास्त्री—

[छठे शुक्रवार के लिये प्रश्न सं 0 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कसया (देवरिया) में सोसलिस्ट पार्टी का विराट प्रदर्शन

*28—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या मुख्य मंत्री यह बतायेंगे कि,दिनांक 28 अगस्त, 1972 को कसया, जिला देवरिया में एस 0 डी 0 एम 0, पडरौना एवं हाटा, जिला देवरिया के न्यायालय के समक्ष सोशलिस्ट पार्टी के तत्वाधान में किसानों के विराट प्रदर्शन के सम्बन्ध में श्री बांके लाल, विधायक के साथ 15 व्यक्ति गिरफ्तार कर जेल भेजे गये और उक्त प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा डंडा चार्ज भी किया गया और उक्त प्रदर्शन में हुए पलिस द्वारा डंडा चार्ज के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता ने एस 0 डी 0 एम 0, पडरौना और पुलिस कप्तान, देवरिया को लिखित शिकायत की, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह सही है कि दिनांक 28 अगस्त, 1972 को कसया जिला देवरिया में एस 0 डी 0 एम 0, पडरौना एवं हाटा न्यायालयों के समक्ष सोशलिस्ट पार्टी के तत्वाधान में प्रदर्शन के संबंध में श्री बांके लाल, विधायक सहित 15 व्यक्ति गिरफ्तार करके जेल भेजे गये । किन्तु पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर कोई डंडाचार्ज नहीं किया गया ।

प्रश्नगत शिकायत प्राप्त हुई थी किन्तु पुलिस अधीक्षक तथा परगनाधिकारी द्वारा जांच किए जाने पर पुलिस द्वारा सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज किए जाने का कोई साक्ष्य नहीं मिला ।

नूरपुर—चांदपुर रोड (बिजनौर) पर गाड़ियों के लूटने की घटना

*29—श्री रूपनाथ सिह यादव—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बिजनौर में नूरपुर थाने के अन्तर्गत नूरपुर-चांदपुर रोड पर 7 अक्तूबर, 1972 के सांयकाल कतिपय मिनी बसें, कारें एवं ट्रकें रोक करके डाकुओं द्वारा लाखों रुपये की सम्पत्ति लूट ली गई ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक इसमें क्या कायवाही की है और क्षतिग्रस्त यात्रियों को क्या राहत दी गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 7—10—72 को सांयकाल बिजनौर में नूरपुर चान्दपुर रोड पर कई गाड़ियों को रोककर लूटने की घटना हुई थी जिसमें लूटी गई नगदी व सम्पत्ति

का मूल्य लगभग 6,000रु० आंका गया है। इसके अतिरिक्त एक प्राइवेट कार भी अभियुक्त ले गए थे जो बाद में मेरठ में सड़क पर पाई गई। इस घटना के सम्बन्ध में धारा 395, 397 भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम करके विवेचना की जा रही है। जांच से प्रकाश में आये 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा कुछ माल भी बरामद किया गया है।

अग्नेयास्त्रों के लाइसेंस प्राप्ति हेतु जालौन जिले के आवेदन-पत्र

*30—श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जिले में जनवरी, 1971 से अक्टूबर, 1972 तक कितने प्रार्थना-पत्र रिवाल्वर और पिस्टल के लाइसेंस के लिये किस-किस तारीख में और किसके-किसके प्राप्त हुए उनमें से किस-किस के और कहां-कहां के स्वीकृत हुये ? अस्वीकृत प्रार्थना-पत्रों के कारण क्या हैं ? क्या मन्त्री को इस बात की सूचना है कि जालौन जिले में अग्नेयास्त्रों के लाइसेंस के लिये दिये गये, प्रार्थना-पत्रों पर तहसीलदार और परगनाधिकारी द्वारा संस्तुति के लिये यह शर्त लगाई जाती है कि वे अल्प बचत आदि में राशि जमा करें ? यदि नहीं, तो सरकार क्या प्रश्नकर्त्ता की इस सूचना को सही मान कर जांच करायेंगे? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिला जालौन में जनवरी, 1971 से अक्टूबर, 1972 तक रिवाल्वर, पिस्तौल के कुल 81 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 20 प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये गये तथा 32 प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये गये और 29 प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं। तारीख और आवेदक का विवरण संलग्न सूची† में है। प्रार्थना-पत्र मुख्यतया आवश्यकता वास्तविक न पाई जाने अथवा आवेदक को लाइसेंस देना जनहित में न समझे जाने के कारण ही अस्वीकार किय गये है।

उपरोक्त आग्नयास्त्रों के लाइसेंस के लिए दिये गये प्रार्थना-पत्रों पर तहसीलदार अथवा परगनाधिकारी द्वारा संस्तुति करने हेतु ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई जाती है कि अभ्यर्थीगण अल्प बचत में धनराशि जमा करें। हां, स्वेच्छा से यदि कोई व्यक्ति स्वयं ही योगदान देना चाहता है तो उससे इन्कार भी नहीं किया जाता है।

अतः मामले में जांच कराने की आवश्यकता नहीं समझी जाती है।

अतिरिक्त निदेशक, शिक्षा द्वारा प्रसार शिक्षकों की नियुक्ति

*31—श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अतिरिक्त निदेशक, शिक्षा द्वारा जुलाई, 1971 से 20 अक्तूबर, 1972 तक कुल कितने प्रसार शिक्षक नियुक्त किये गये उनकी नियुक्ति में योग्यता का आधार क्या था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

102 प्रसार शिक्षक। निर्धारित योग्यता को दृष्टिगत रखते हुए श्रेष्ठता उनकी नियुक्ति का आधार था।

---

†छापी नहीं गई।

हल्द्वानी जिला, नैनीताल के सर्किल इंस्पेक्टर (पुलिस) के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*32—श्री राम निहोर राय—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक 15 सितम्बर, 1972 से 25 अक्तूबर, 1972 तक जिला ननीताल के हल्द्वानी निवासियों का सर्किल इन्सपेक्टर (पुलिस) के विरुद्ध अनाचार एवं भ्रष्टाचार के विषय में शिकायती-पत्र और तार प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक इस पर क्या कायवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उक्त अवधि में इन्सपेक्टर इंचार्ज, हल्द्वानी व अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध कथित आशय के शिकायती पत्र प्राप्त हुए। इन शिकायती पत्रों की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ननीताल द्वारा की गई। जांच से आरोप प्रभावित नहीं हुए।

*33—श्री शिव कैलाश तथा चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

सुहवल जिला, गाजीपुर के श्री गणेश राय की हत्या

*34—श्री राम निहोर राय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सुहवल, थाना दिलदार नगर, जिला गाजीपुर में श्री गणशराय को 30–31 अगस्त, 1972 को कुछ बदमाशों ने गायब कर हत्या कर दी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक 1–9–72 को 15-30 बजे दिन में श्री सन्तकुमार राय, निवासी ग्राम सुहवल, जिला गाजीपुर ने थाना दिलदार नगर में एक लिखित रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने अपने पिता गणश राय उर्फ लाल बहादुर राय की हत्या करके उनकी लाश गायब किए जाने का संदेह व्यक्त किया। इस प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर थाना दिलदार नगर पर धारा 302/201, भा0दं0वि0 के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम हुआ जिसकी विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है।

आगरा कालेज की बन्दी एवं प्रबन्ध समिति के विरुद्ध आरोप

*35—श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा, फतेहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा कालेज के कई महीनों से बन्द रहने तथा छात्रों द्वारा कालज कार्यालय पर जबरन कब्जा करके उन्हें सील करने की सूचना सरकार को फिलहाल मिली है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

शासन को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कालेज कुछ दिनों के लिये बन्द रहा तथा छात्रों ने कालेज के कार्यालय को सील कर दिया है। शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये इस सम्बन्ध म कायवाही जिला स्तर पर ही होनी थी।

*36—श्री हुकुम सिंह परिहार—

क्या यह सही है कि आगरा कालिज की प्रबन्ध समिति पर भ्रष्टाचार के आरोप कई वष से आगरा कालिज के प्रोफेसर तथा छात्रों द्वारा लगाये जा रहे हैं और सरकार को कई

ज्ञापन भी छात्रों द्वारा दिये गये हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या जांच कराई है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आगरा कालेज के प्रोफेसरों तथा छात्रों द्वारा कुछ ज्ञापन शासन को कुछ महीने पूर्व प्राप्त हुये थे जिनमें कि आगरा कालेज की प्रबन्ध समिति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं। आगरा कालेज, आगरा के लेखों का विशेष आडिट कराने के लिये महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश भेज दिये गये हैं।

होम गार्ड पुनर्गठन योजनान्तर्गत कमान्डेन्टों, इन्सपेक्टरों तथा प्लाटून कमान्डरों के चुनाव

*37—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि होमगार्ड विभाग में पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत जनवरी–फरवरी, 1972 में डिस्ट्रिक्ट कमाडेन्ट के पद तथा मार्च-अप्रैल, 1972 में इन्सपेक्टर व प्लाटून कमान्डर के पद हेतु की गई प्रतियोगिताओं तथा चुनावों के परिणाम अभी तक क्यों घोषित नहीं किये गये हैं तथा चुने हुये प्रत्याशियों की कब तक नियुक्ति-पत्र देने की सम्भावना है और इनकी नियुक्ति का आधार क्या रक्खा गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

होमगार्ड संगठन की पुनर्गठित योजना के अन्तर्गत जनवरी-फरवरी, 1972 में किसी पद के लिये प्रतियोगिता नहीं आयोजित की गई थी। मार्च, 1972 को जिला समादेष्टा के पद के लिये वैभागिक व सेना सेवामुक्त अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आयोजित किया गया था। साक्षात्कार के फलस्वरूप चुने हुये कुछ वैभागिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा चुकी है। जिला समादेष्टा एवं इसी वेतनक्रम के बाकी पदों पर अभी नियुक्ति नहीं हो सकी है क्योंकि नियुक्ति से पूर्व औपचारिकतायें पूर्ण नहीं हो सकी हैं।

पुनर्गठित होमगार्ड योजना में इंस्पेक्टर का कोई पद नहीं है वरन् इंस्पेक्टर के वेतन क्रम में पद स्वीकृत हैं। इन पदों तथा प्लाटून कमांडर के पद के लिये मार्च व अप्रैल, 1972 में वैभागिक अभ्यर्थियों के लिये चुनाव प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। वैभागिक अभ्यर्थियों में से दो पूर्ण अर्हता युक्त वैभागिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है। शेष अन्यथा उपयुक्त अभ्यर्थी निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण नहीं करते थे। अतः शासन इन अर्हताओं को शिथिल किये जाने पर विचार कर रही है। इस लिये अभी नियुक्ति करना संभव नहीं हुआ। नियुक्ति के सम्बन्ध में एक निश्चित समय बता पाना संभव नहीं है, वैसे इन्हें शीघ्र पूर्ण किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

यह सारी नियुक्ति तदर्थ रूप से की गई है। यह नियुक्ति शासन द्वारा निर्धारित अर्हताओं के आधार पर की गई है।

*38—श्री जगदीश गांधी—

क्या सरकार होमगार्ड विभाग में पुनर्गठन योजना के अधीन प्लाटून कमान्डर के पद हेतु वांछित शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा तथा शारीरिक मापदन्ड में कर्मचारियों को कुछ छूट देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी निश्चित रूप-रेखा बताने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। चूंकि सरकार द्वारा छूट दिये जाने के संबंध में अभी निर्णय नहीं लिया गया है। अतः निश्चित रूपरेखा बताना सम्भव नहीं है।

पी० सी० एस० परीक्षा के आधार पर नियुक्तियां

*39—श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 1970 में पी० सी० एस० हेतु ली गई परीक्षा के फल के आधार पर सन् 1972 में कुछ नियुक्तियां हुई हैं ? यदि हां, तो कितनी और क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। दिसम्बर, 1970 में हुई सम्मिलित राज्य सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रादेशिक सिविल सेवा में 51 रिक्तियां भरने की विज्ञप्ति की गई थी। परीक्षा का फल दिसम्बर 1971 में प्राप्त होने पर लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों के चरित्रवृत्त तथा स्वास्थ्य परीक्षा करा लेने पर 42 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश भेजे जा चुके हैं। शेष 9 अभ्यर्थियों की नियुक्ति किये जाने में कुछ कारणों से विलम्ब हो रहा है। यह नियुक्तियां प्रादेशिक सिविल सेवा के संदर्भ में हुई रिक्तियों को भरने के लिये की गई हैं।

चमोली जिला परामर्शदात्री समिति का प्रस्ताव एवं पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञापन

*40—श्री शेर सिंह दानू (जिला चमोली)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली के जिला परामर्शदात्री समिति के दिनांक 11 सितम्बर, 1972 के प्रस्ताव के अनुसार ग्वालदम देवाल-मुन्दौलीवाण, राभणी तपोवन स्वीकृत वैदम मार्ग के निर्माण के बजाय थराली-देवाल मुदौली वाण तक चौथी पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर मोटर मार्ग निर्माण हेतु दिनांक 20 सितम्बर, 1971 को मुख्य मंत्री तथा दिनांक 22 मार्च, 1972 को पर्वतीय विकास मन्त्री को प्रश्नकर्त्ता का ज्ञापन प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो मुख्य मंत्री तथा पर्वतीय विकास मन्त्री ने क्या-क्या आदेश दिये थे और उन पर अब तक शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। प्रश्नकर्त्ता का 20-9-71 का ज्ञापन मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ था और उसको उन्होंने सीमान्त विकास विभाग के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया था। 22-3-72 का प्रश्नकर्त्ता का ज्ञापन भी राज्य मंत्री जी, पर्वतीय विकास को प्राप्त हुआ था। उसको भी उन्होंने सीमान्त विकास विभाग को तत्काल कार्यवाही करने हेतु भेज दिया था।

इन दोनों ज्ञापनों में दिये गये सुझावों पर जिला मजिस्ट्रेट, चमोली एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (सीमान्त), सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश की आख्यायें मांगी गई जो कि अब प्राप्त हो गई हैं और उन पर विचार किया जा रहा है।

*41—श्री शेर सिंह दानू—

क्या मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त ज्ञापन में थराली देवाल वन विभाग द्वारा निर्मित मोटर मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने की मांग की गई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। उपरोक्त ज्ञापन में थराली देवाल वन विभाग द्वारा निर्मित मोटर मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस प्रस्ताव पर भी शासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

लोक सेवा आयोग के सचिव की नियुक्ति पद्धति में परिवर्तन

*42—श्री शिवराज सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वर्ष में यू0पी0 पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी की नियुक्ति तथा उनकी आचरण तालिका में प्रविष्ट करने के विषय में कोई परिवर्तन किया गया है? यदि हां, तो वह क्या है और क्यों किया गया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मार्च 4, 1972 के पूर्व उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी की नियुक्ति राज्यपाल के अनुमोदन से कमीशन द्वारा की जाती थी उक्त तिथि से यह नियुक्ति अध्यक्ष के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जायेगी। यह व्यवस्था प्रशासनिक हित में की गई है। सेक्रेटरी की आचरण तालिका में प्रविष्ट पूर्व की भांति अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है।

*43—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह—

[छठे गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या 78 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*44—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह—

[जांच जारी रहने के कारण निरस्त]

वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रस्तोता के पद पर नियुक्ति

*45—श्री उमा नाथ सिंह (जिला जौनपुर) तथा डाक्टर भगवत दयाल सिलोइया (जिला झांसी)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के वर्तमान प्रस्तोता निवृत्त राजकीय अधिकारी होने के बावजूद भी 62 वर्ष की आयु में प्रस्तोता का कार्य कर रहे हैं? क्या हरिचन्द्र कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में भीषण प्रशासकीय अनियमितताओं का दायित्व इन्हीं प्रस्तोता पर डाला था? यदि हां, तो फिर यह कैसे नियुक्त किये गये?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। चूंकि प्रस्तोता का पद एकाएक रिक्त हो गया और इस पद पर स्थायी नियुक्ति नियमानुसार तुरन्त नहीं की जा सकती थी, अतः विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय ने यह नियुक्ति अस्थायी रूप से की है। विश्वविद्यालय से कह दिया गया है कि प्रस्तोता के पद पर स्थायी नियुक्ति अविलम्ब करें।

*46—श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी तथा श्री विश्राम दास—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

हापुड़ परगनाधीश का न्यायालय

*47—श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किन कारणों से हापुड़ परगनाधीश का न्यायालय मेरठ में कार्य कर रहा है जब कि हापुड़ तहसील में सभी सुविधायें उपलब्ध हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रदेश के अन्य परगनों (केवल कुछ को छोड़ कर) के परगनाधिकारियों को जिस प्रकार जिले के मुख्यालय पर ही कार्य करने की व्यवस्था है, उसी प्रकार की व्यवस्था परगनाधीश हापुड़ के न्यायालय की भी चली आ रही है।

उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा औद्योगिक इकाइयों को दिये गये कोटे

*48—श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि उद्योग निदेशक, कानपुर ने सितम्बर, 1972 माह में प्रदेश के ग्यारह सौ औद्योगिक इकाइयों को उनके विभाग द्वारा जारी की गई परमिटों पर लोहे की चादर तथा जी० सी० सीट कोटे पर कंट्रोल रेट पर प्राप्त कर्त्ता की जांच द्वारा फर्जी पाई गई हैं ? यदि हां, तो विवरण क्या है तथा इस संबंध में ऐसी फर्मों तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

जी नहीं। अतः फर्मों तथा अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

*49—50—श्री दल सिंगार यादव—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

प्रतापगढ़ में गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमें

*51—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में 1970 से 10 नवम्बर, 1972 तक गुण्डा नियत्रण अधिनियम के अन्तर्गत कितने मुकदमें चलाये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उक्त अवधि में जनपद प्रतापगढ़ में 9 व्यक्तियों के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत रिपोर्ट प्रेषित की गई।

नगरपालिका कैराना जिला मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष द्वारा अनियमित कार्य

*52—श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सरकार को मालूम है कि नगरपालिका कैराना जनपद, मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष ने बेसिक शिक्षा के स्कूल प्रायमरी कदीम व जूनियर गर्ल्स स्कूल के सहन में अनाधिकृत रूप से दीवारें खींच कर सहन को अलग कर अपने कब्जे में कर लिया है ? यदि हां, तो सरकार शिक्षा विभाग की इस मिलकियत को खुर्द-बुर्द होने से बचाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। अध्यक्ष से भूमि को छुड़ाने की आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

*53—श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या सरकार को मालूम है कि म्युनिसिपल बोर्ड के कराना, जनपद मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष ने बेसिक प्राइमरी व सरकारी शिक्षा के अध्यापकों की माह जुलाई व अगस्त की तनख्वाहें नहीं दी जब कि सरकार की ओर से पूरे साल की ग्रांट इस नगर पालिकाओं को भेजी जा चुकी है और जुलाई से इन स्कूलों पर नगरपालिका का नियंत्रण भी समाप्त हो चुका है ? यदि हां, तो अध्यापकों को तनख्वाह दिलवाने के लिये सरकार व विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्रित कीं जा रही है ।

*54—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[पुर्नविचार पर अस्वीकृत]

*55—श्री गोपाल दत्त ओझा—

[6ठे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या 80 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सब-इंस्पेक्टर, सिविल पुलिस (टेंकर्स) के पदपर प्रोन्नति हेतु विभागीय साक्षात्कार का परिणाम

*56—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि माह अप्रैल, 1972 में प्रदेश में "सब-इंस्पेक्टर्स सिविल पुलिस (टेंकर्स)" के पद पर प्रोन्नति एवं नियुक्ति हेतु सम्पन्न विभागीय साक्षात्कार के परिणाम को दिनांक 11-11-72 तक घोषित न किये जाने के क्या कारण हैं तथा उक्त परिणाम कब तक घोषित कर दिये जायेंगे ? क्या सरकार ऐसे प्रत्याशियों को विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने का एक अवसर और देगी जो उपरोक्त साक्षात्कार में सम्मिलित हो चुके हैं किन्तु परिणाम की घोषणा में हो रहे विलम्ब के कारण "ओवर-एज" हो जायेंगें ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

रैंकर कैडटों का साक्षात्कार समाप्त होने के पश्चात् परिणाम सितम्बर, 1972 में ही पूर्ण कर लिया गया था परन्तु सब-इन्सपक्टरों के कुछ अतिरिक्त पद सृजित किये जाने के फलस्वरूप इन अतिरिक्त पदों में से भी कुछ पद उन्हीं रैंकर प्रत्याशियों में से भरे जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है । अतः परिणाम अभी घोषित नहीं किया गया ।

परिणाम घोषित न होने के कारण प्रत्याशियों के ओवर एज होने का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि जो भी प्रत्याशी चुन लिये जायेंगे, वे प्रशिक्षण में भेजे जायेंगे । ऐसे प्रत्याशियों को विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने का एक और अवसर दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

सूचना विभाग के विज्ञापन

*57—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या सूचना मन्त्री कृपया बतावेंगे कि प्रदेश के सूचना विभाग में विज्ञापन देने के सम्बन्ध में क्या कोई आधार निर्धारित है? यदि हां, तो प्रसार संख्या संबंधी आंकड़ों में सर्वाधिक प्रसार वाले प्रथम 10 (दस) हिन्दी साप्ताहिक कौन है जिन्हें विगत 3 वर्षों में कितनी-कितनी धनराशि के विज्ञापन प्रतिवर्ष प्राप्त हुए?

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन—

जी हां । वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 246 पर)

खेत मजदूरों के घोषित न्यूनतम वेतन

*58—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार द्वारा घोषित की गई खेत मजदूरों के न्यूनतम वेतन को पूर्ण रूप से लागू कराने के लिये कौन सी मशीनरी बनाई गई और यह मशीनरी खेत में मजदूरों को उचित मजदूरी पाने के लिये किस प्रकार का सहयोग देती है?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत खेतिहर मजदूरों के लिये निर्धारित मजदूरी की दरों को लागू करने के लिये श्रम निरीक्षकों तथा दावे सुनने के लिये प्राधिकारी नियुक्त करने का प्राविधान है। इसके अनुसार इस प्रदेश में भी श्रम निरीक्षक और प्राधिकारी नियुक्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त कोई दूसरी मशीनरी नहीं है।

जिला परिषद्, बलिया में बी० टी० सी० प्रशिक्षण हेतु चुनाव

*59--श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मई, सन् 1972 में जिला परिषद्, बलिया में कितने आवेदन-पत्र बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण हेतु प्राप्त हुए? क्या उक्त प्रशिक्षण में सैनिक परिवार अभ्यर्थियों के लिये भी कुछ स्थान सुरक्षित था? यदि हां, तो कौन-कौन से सैनिक परिवार अभ्यर्थियों को चुना गया और किस आधार पर? क्या यह भी सच है कि कुछ ऐसे व्यक्तियों को उक्त प्रशिक्षण के लिये चुन लिया गया है जिसके परिवार का कोई सैनिक नहीं है तथा समुचित योग्यता भी नहीं रखते हैं? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जिला परिषद्, बलिया कार्यालय में गत मई, 1972 में बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण हेतु कुल 2610 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे।

सैनिक परिवार के लिये कुछ भी स्थान सुरक्षित नहीं थे पर सुरक्षा विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों के आश्रितों या भूतपूर्व प्रतिरक्षा कर्मचारियों यदि वह न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखते हैं, उन्हें अवश्य ही ले लेने के विभागीय आदेश थे। यह सुविधा अवकाश प्राप्त अथवा मृत सैनिकों के आश्रितों को भी प्रदान करने का निर्देश था।

सैनिक या सैनिक परिवार के जिन व्यक्तियों का चुनाव हुआ है उनकी सूची मेरे सचिवालय कक्ष में देखी जा सकती है।

तीन व्यक्तियों का गलत चयन हुआ। इन लोगों ने सैनिक परिवार के होने का गलत प्रमाण दाखिल कर दिया था। इन्हें प्रशिक्षण से वंचित कर दिया गया है।

*60--श्री रामवचन यादव, श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी, श्री विश्वनाथ कपूर तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम--

(17वें गुरुवार में ता0 प्र0 सं0 24 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

प्रदेश के आई० ए० एस० सम्वर्ग अधिकारियों की सुपर टाइम स्केल

*61--श्रीमती सियादुलरी (जिला बांदा) तथा श्री यादवेन्द्र दत्त दूबे (जिला जौनपुर)--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 1 नवम्बर, 1972 तक उत्तर प्रदेश के आई0 ए0 एस0 का कैडर कितने व्यक्तियों का था और उनमें से कितने व्यक्ति सुपर टाइम स्केल अर्थात् कमिश्नर स्केल में वेतन पा रहे थे और ऐसे व्यक्तियों की संख्या सन् 1960 से वर्षानुवर्ष किस प्रकार बढ़ी?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

1 नवम्बर, 1972 को उत्तर प्रदेश के आई0 ए0 एस0 सम्वर्ग की स्वीकृति संख्या 371 थी। उक्त तिथि को 60 अधिकारी राज्य शासन के अधीन आई0 ए0 एस0 के सुपर टाइम स्केल में वेतन पा रहे थे। सन् 1960 से वर्षानुवर्ष राज्य शासन के अधीन आई0 ए0 एस0 के सुपर टाइम स्केल में वेतन पाने वाले अधिकारियों की संख्या संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ड.' आगे पृष्ठ 247 पर)

विश्वविद्यालयों में वित्तीय नियंत्रक की नियुक्ति

*62--श्रीमती सियादुलारी तथा श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में वित्तीय नियंत्रक नियुक्त किये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है और क्या उसके लिये आई0 ए0 एस0 के 6 पद सुपर टाइम स्केल में स्वीकार किये जा रहे हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

थाना जहानाबाद, जिला फतेहपुर के पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत

*63--श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि नवम्बर, 1972 के दूसरे सप्ताह में ईश्वरचन्द्र पुत्र बुद्ध निवासी कंजरनपुर मजरे बेता, थाना जहांनाबाद, जिला फतेहपुर मे शासन को इस आशय का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ कि 7/8 नवम्बर, 1972 की दरम्यानी रात लगभग 3 बजे उपर्युक्त ईश्वरचन्द उसके भाई रामदीन व चेतरा व बुद्धा सीताराम के घरों पर पुलिस जहांनाबाद के कर्मचारियों ने सशस्त्र डाका डाला और दौरान डकैती गोली मारकर गजराज को मार डाला और रामदीन, चेतराम, लालसिंह, बुद्धा को घायल किया? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां, एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था।

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 8-11-72 को थाना जहांनाबाद की पुलिस ग्राम कंजरनपुर मजरे बेता में नाजायज शराब होने की सूचना पर वहां गई और एक अभियुक्त को शराब सहित गिरफ्तार किया। गांव वालों ने इसका प्रतिरोध किया, और पुलिस पर हमला कर दिया। इस सम्बन्ध में थाने पर मुकदमा धारा 147/148/149/224/225। 307/332/333 भा0 द9 वि0 के अन्तर्गत दर्ज हुआ। उसी दिन संबधित व्यक्तियों ने थाने पर पुलिस के विरुद्ध रिपोर्ट दी जिसके आधार पर पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध धारा 396 भा0 द0 वि0 का मुकदमा दर्ज हुआ। दोनों मुकदमों की विवेचना क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही है। साथ ही घटना की जांच मजिस्ट्रेट द्वारा भी हो रही है।

*64-65--श्री राममूर्ति 'अंचल'--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*66--श्री डूंगर सिंह विष्ट तथा श्री इन्द्र लाल--

[7वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या 28 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सचिवालय में वार सर्विस वाले आशुलिपिकों की ज्येष्ठता सूची

*67--श्री वीरेन्द्र वर्मा--

विधान सभा के तीसरे गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या 38 के संदर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही कि शासन द्वारा यू0 पी0 सिविल सचिवालय में लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किये गये वार सर्विस वाले आशुलिपिकों की ज्येष्ठता उनके लिये बनाये गये स्पेशल रूल के अनुरूप उनकी सिविल पद पर नियुक्ति के आदेश की तारीख से न गिन कर दूसरे वगैर वार सर्विस वाले आशुलिपिकों की तरह आर्डिनरी रूल के अनुसार उनकी

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

सब्सटेंटिव नियुक्ति की तारीख से ही निर्धारित कर दी गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे अब सुधारेगी और कब? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां।

अब इसमें कोई सुधार सम्भव नहीं है। 'वार-सर्विस' वाले अभ्यर्थी की नियुक्ति लोक सेवा आयोग द्वारा जनवरी, 1947 में आयोजित परीक्षा के आधार पर हुई थी और उसे 1 अप्रैल, 1949 से स्थायी किया गया था। इससे पूर्व 1939 में तत्कालीन लोक-प्रिय सरकार ने गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ऐक्ट, 1935 की धारा 245 (5) के अन्तर्गत 11 अन्य आशुलिपिकों को बिना आयोग की परीक्षा पास किये नामांकित तथा स्थायी किये जाने का निर्णय लिया था, जो 1946 में नई लोक-प्रिय सरकार की स्थापना होने पर 17 सितम्बर, 1947 के कार्यालय आदेश द्वारा कार्यान्वित किया गया। उसी समय यह भी निर्णय लिया गया था कि उक्त नामांकित आशुलिपिकों को जनवरी, 1947 में आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से भर्ती किये गये आशुलिपिकों से ज्येष्ठ रखा जायगा।

गुराना, जिला मेरठ की संगीन फौजदारी

*68--श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 14-7-72 प्रातः 6 बजे ग्राम गुराना थाना बड़ौत, जिला मेरठ में संगीन फौजदारी हुई थी? जिसकी जांच व एस0 पी0पी0 की रिपोर्ट आदि भी पूर्ण हो चुकी है? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 14-7-1972 को प्रातः काल श्री श्याम सिंह, पुत्र बलवंत जाट निवासी ग्राम गुराना, थाना बड़ौत पर उसी गांव के नौ लोगों द्वारा उन्हें मरने-कटने की सूचना दी, जिसके आधार पर एक मुकदमा धारा 147/352/323/325 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत दर्ज किया गया। अभी इस मुकदमें की अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा विवेचना की जा रही है।

*69--श्री रामकुमार दीक्षित--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

कानपुर में नये थानों तथा पुलिस चौकियों की स्थापना

*70--श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)--

क्या मुख्य मन्त्री कानपुर जनपद में बढ़ते हुए जरायम को ध्यान में रख थाने के बड़े-बड़े क्षेत्रों को घटा कर कुछ नये थाने तथा पुलिस चौकियों की स्थापना कर बढ़ते हुए जरायमों की रोकथाम की कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

कानपुर जनपद में 9 नये थाने 1-1-72 से स्थापित किये गये हैं। जिला पुलिस अभियोगों की रोकथाम के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

*71--श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

सर्वोदय इंटर कालेज, गोरखपुर के छात्रों की मांगें

*72—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत सर्वोदय इन्टर कालेज के छात्रों की ओर से 1 अक्तूबर, 1972 से 15 नवम्बर, 1972 तक कितने प्रार्थना-पत्र एवं तार शिक्षा मन्त्री, जिलाधिकारी गोरखपुर, उप शिक्षा संचालक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक को प्राप्त हुए और छात्रों की मुख्य मांगें एवं उनकी शिकायतें क्या हैं कालेज के जिन विद्यार्थियों के नाम काट दिये गये हैं, उन छात्रों के नाम क्या हैं नाम काटने का कारण क्या है और कितने छात्रों, अध्यापकों पर मुकदमे चल रहे हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ का राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय एवं आर्किटेक्चर कोर्स उत्तीर्ण छात्रों का डिप्लोमा

*73—श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ को लखनऊ यूनिवर्सिटी का कांस्टीटुएट कालेज बनाने के बारे में तथा उक्त महाविद्यालय का आर्किटेक्चर कोर्स पास करने वाले छात्रों को भारत सरकार से नेशनल डिप्लोमा दिलाना आरम्भ करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई और कब तक यह दोनों कार्य सम्पन्न हो जायेंगे?

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन—

राजकीय कला महाविद्यालय को लखनऊ विश्वविद्यालय का कांस्टीटुएट कालेज बनाने की प्रक्रिया में लखनऊ विश्वविद्यालय ऐक्ट में कुछ संशोधन की आवश्यकता पाई गई है तथा शासकीय धन एवं परिसम्पत्तियों का हस्तान्तरण भी सन्निहित है । इन औपचारिकताओं की पूर्ति करने की कार्यवाही जारी है ।

महाविद्यालय के वर्तमान आर्कीटेक्चर कोर्स पास करने वालों को नेशनल डिप्लोमा देने का कोई प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है ।

सर्वोदय किसान इंटर कालेज, बांसगांव, जिला गोरखपुर के हरिजन एवं पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों की शिकायतें

*74—श्रीमती मसाली देवी—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत बांसगांव तहसील में स्थित सर्वोदय किसान इन्टर कालेज के कितने हरिजन तथा धोबी एवं पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों ने मा0 मन्त्री जिला विद्यालय के निरीक्षक को 1 सितम्बर, 1972 से 23 अक्टूबर, 1972 तक कितनी शिकायतें भेजी हैं उनकी मुख्य शिकायतें क्या-क्या हैं? और इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से कौन-सी कार्यवाही की जा रही है? क्या मन्त्री जी सदन के पटल पर सारा ब्योरा रखने की कृपा करेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कथित शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं । अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

विशेष भर्ती योजनान्तर्गत पी० सी० एस० के पदों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का आरक्षण

*75—श्री पन्नालाल गुप्त (जिला फतेहपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि पी० सी० एस० (इक्जीक्यूटिव) सेवा के कितने पदों पर विशेष भर्ती योजना के अन्तर्गत नियुक्तियां की जायेंगी? उक्त पदों में से कितने पदों पर सेना सेवा के विमुक्त अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे तथा कितने पदों पर नियुक्तियां स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों में से की जायेंगी और क्या शासन द्वारा कोई ऐसा निर्देश भेजा गया है कि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों के लिये दस प्रतिशत का आरक्षण दिया जाय? यदि हां, तो कब भेजा गया और क्या वह कार्य-क्रम में परिणित हुआ अथवा नहीं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उत्तर प्रदेश सिविल (प्रशासकीय शाखा) सेवा में विशेष भर्ती प्रतियोगात्मक परीक्षा के आधार पर 55 पदों को भरने का निर्णय शासन ने जून, 1971 में लिया था। विभिन्न वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण संबंधी तत्कालीन शासनादेशों के अनुसार उक्त पदों में से 11 पद सैन्य वियोजित अधिकारियों के लिये, 10 पद अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये तथा एक पद, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित किया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिये उस समय किसी आरक्षण का प्राविधान नहीं था। इसी आरक्षण के अनुसार, लोक सेवा आयोग ने दिसम्बर 1971 में परीक्षा सम्बन्धी विज्ञापन निकाला तथा मार्च 1972 में परीक्षा ली।

शासन ने हाल में निर्णय लिया है कि वर्ग 2 का अप्राविधिक सेवाओं में जिनमें प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भर्ती होती है, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों के लिये दस प्रतिशत का आरक्षण होगा। यह निर्णय दिनांक 18 जुलाई, 1972 को सब का सूचनार्थ भेजा गया था। इस तिथि के बाद की जाने वाली भर्ती पर यह आरक्षण लागू होगा।

पिथौरागढ़ डिग्री कालेज में हड़ताल एवं विद्यार्थियों की मांगें

*76—श्री गोपाल दत्त ओझा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिथौरागढ़ डिग्री कालेज के विद्यार्थियों ने 13-11-1972 को हड़ताल की है? यदि हां, तो उनकी क्या-क्या मांगें थीं व उनका समाधान क्या-क्या हुआ है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां।

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 248 पर)

बिजनौर जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें

*77—कुंवर शिव महेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बिजनौर जिले में नियुक्त बेसिक शिक्षा अधिकारी इस नियुक्ति से पूर्व इसी जिले की परिषद् के स्कूलों के डिप्टी इन्सपेक्टर थे? यदि हां,

तो क्या इनके विरुद्ध दो अतिरिक्त जिलाधिकारी (प्लानिंग) जिलाधिकारी व जिला स्कूल निरीक्षक को कुछ शिकायतें थीं ? यदि हां, तो वह शिकायतें क्या हैं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां।

इनके विरुद्ध केवल जिलाधिकारियों की शिकायतें प्राप्त हुयीं हैं जिनमें मुख्य आरोप हैं अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं के नियुक्ति पत्र निकालने में विलम्ब करना, अध्यापकों को परेशान करना, उच्चाधिकारियों की आज्ञा का उल्लंघन करना, विद्यार्थियों से अनधिकृत रूप से परीक्षा शुल्क लेना और बिना अवकाश प्रार्थना-पत्र के अनुपस्थित रहना। इन शिकायतों पर जांच कराई जा रही है।

*78--डाक्टर भगवत दयाल सिलोइया तथा श्री उमानाथ सिंह--

[7वें गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या 25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कानपुर श्रमिक बस्तियों के क्वार्टरों का आवंटन

*79--श्री मैनेजर सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर श्रमिक बस्तियों में कितने क्वार्टर गैर-श्रमिकों को आवंटित किया गया है और उसका आधार क्या है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

कानपुर श्रमिक बस्तियों में गैर-श्रमिकों को 30 सितम्बर, 1972 तक कुल 2846 गृह आवंटित किये गये हैं। यह आवंटन वर्ष 1958 में दार्जिलिंग में हुई, आवास मंत्रियों की बैठक में लिये गये उस निर्णय के आधार पर किया गया था जिसमें सरकार को वित्तीय क्षति से बचाने हेतु अपात्र व्यक्तियों को गृह आवंटित किये जाने का अधिकार दिया गया था।

*80--डाक्टर भगवान दयाल सिलोइया तथा श्री उमानाथ सिंह--

[7वें गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या 26 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

नैनीताल के सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार

1--श्री रूपनाथ सिंह यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद नैनीताल के सेवायोजन कार्यालयों में 1960 से लगभग अगस्त, 1972 तक कुल कितनी पंजीकरण संख्या बेरोजगारों की है और उनमें से कितनों को स्थायी तौर पर रोजगार दिया गया है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

जनपद नैनीताल के सेवायोजन कार्यालय में 1960 से अगस्त, 1972 तक 80,156 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया। इनमें से 11,915 लोगों को रोजगार पर लगाया गया। ऐसी सूचना एकत्र नहीं की जाती है जिससे ज्ञात हो सके कि कितने व्यक्तियों को स्थायी तौर पर रोजगार दिया गया।

2—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या सरकार यह बतायेगी कि नैनीताल जिले में जनजाति तथा अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों की अलग-अलग पंजीकरण संख्या पिछले दस वर्षों में क्या है और क्या सरकार ने इन लोगों लिय हिंदी टाइप तथा शार्ट हैण्ड की शिक्षा की सुविधा इस जिले के आई० टी० आई० कालेजों से प्रदान की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

नैनीताल जिले में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जातियों की 1962 से 1971 तक पंजीकरण संख्या क्रमशः 57 तथा 12,277 है। इन लोगों को आई० टी० आई० से हिन्दी टाइप शार्टहैन्ड की शिक्षा की सुविधा प्रदान करने का कोई प्राविधान नहीं है। केवल समान्य भर्ती के साथ 20.90 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के आरक्षित रहते हैं।

पिथौरागढ़ की मतकोट बाढ़ नियंत्रण योजना एवं सिचाई विभाग की योजना

3—श्री गोपाल दत्त ओझा—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पिथौरागढ़ में जो मतकोट बाढ़ नियन्त्रण योजना इस वित्तीय वर्ष में बनाई गई बह गई ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। कारण बताना अभी सम्भव नहीं है। क्योंकि इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग जांच कर रहे हैं।

4—श्री गोपाल दत्त ओझा—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष की भीषण वर्षा से धारचूला बाजबगढ़ को बचाने के लिये सिंचाई विभाग की कोई योजना कार्यान्वित की जा रही है ? यदि हां, तो कितनी धनराशि का कार्य हुआ है और कितना काम होना बाकी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

धारचूला को बचाने के लिए सिंचाई विभाग ने एक योजना बनाई है जो शासन के विचाराधीन है।

बाजबगढ़ को बचाने के लिये भी सिंचाई विभाग ने एक योजना बनाई है, जिसके प्राक्कलन बनाये जा रहे हैं। बाजबगढ़ तथा खेतबरार गांवों को बचाने के लिये भुजगढ़ नदी में 79 फीट लम्बाई का स्पर तथा उसके आगे 30 फीट लम्बाई के वायर क्रेट डालने के कार्य पर 25,124.43 रु० व्यय किया जा चुका है। अभी यह बताना संभव नहीं है कि कितना कार्य होना बाकी है।

थाना संजेती, जिला कानपुर में पड़ी डकैतियां

5—श्री ज्वाला प्रसाद कुरील (जिला कानपुर)—

प्रथम सत्र 1972 के 8वें गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 3 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार कृपया बतायगी कि जुलाई से दिसम्बर, 1971 तक थाना सजेती, जिला कानपुर

के अन्तर्गत जो दो डकैतियां पड़ीं वह कब और कहां-कहां पड़ी थीं तथा उनमें से प्रत्येक में क्या क्षति हुई थी तथा बदले सिमनापुर में पड़ी डकैती में भैयालाल की गिरफ्तारी कब हुई थी और उनका आधार क्या था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 249 पर)

बांदा में डकैती तथा हत्या की घटनायें

6—श्री दुर्जन (जिला बांदा)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बांदा में 1971 से अब तक कितनी डकैतियां और हत्यायें हुई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जनपद बांदा में 1–1–1971 से 15–11–1972 तक 185 डकैतियों व 208 हत्याओं की रिपोर्ट विभिन्न स्थानों में प्राप्त हुयीं।

7—श्री दुर्जन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना बदौसी के अन्तर्गत हाल ही में पड़ी डकैती में पुलिस न अब तक क्या कार्यवाही की है ? क्या पुलिस डकैतों को गिरफ्तार करने में सफल हुई, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जनपद बांदा के थाना बदौसी के अन्तर्गत वर्ष 1972 में 15–11–1972 तक 6 डकैतियां पड़ने की सूचनाएं पुलिस को प्राप्त हुई जिन पर मुकदमें दर्ज किए गए। 5 मुकदमों में अभियुक्त गिरफ्तार किये गये जिनमें से 3 में अभियुक्तों का चालान किया गया व 2 में जांच जारी है। शेष तीन मुकदमों में से एक अभियुक्त का मफरूरी में चालान किया गया, एक झूठा पाया गया तथा एक की जांच जारी है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद के कार्यालय में एन० आर० डब्लू० के पद के कार्य-कर्त्ताओं का स्थायीकरण

8—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद कार्यालय में एक साल से अधिक कुल कितने व्यक्ति एन0 आर0 डब्लू0 के पद पर काम कर रहे हैं और कितने वर्षों से और उनमें कितने अस्थाई हैं ? सरकार क्या उन सब की सेवायें स्थायी करने पर विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय में एन0 आर0 डब्लू0 के कोई पद नहीं है। परीक्षा सम्बन्धी कार्यों के समय से पूरा कराने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार समय-समय पर स्थानीय व्यक्तियों को बुलाया जाता है और कार्य पूर्ण होने पर उन्हें

हटा दिया जाता है। ऐसे व्यक्तियों को एन0 आर0 डब्लू0 कहते हैं। इन्हें रु0 4/- प्रति दिन की दर से वाहन-व्यय दिया जाता है। इस समय परिषद् कार्यालय में 131 एन0 आर0 डब्लू0 ऐसे हैं जिनका कार्यकाल, अलग-अलग अवधियों को मिलाकर, एक वर्ष से अधिक हो गया है। इनमें से 75 का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक, 17 का कार्यकाल 2 वर्ष से अधिक और 39 का कार्यकाल 3 अथवा 3 वर्ष से अधिक का है। उपरोक्त स्थिति में उनके स्थायीकरण का प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर के विभिन्न थानों में दर्ज मुकदमें

9—श्रीमती मसाली देवी—

क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर जिले के बांसगांव बेलीपार, गगहा तथा खजनी थाने में 1 नवम्बर, 1971 से 22 अक्तूबर, 1972 तक कितने मुकदमें धारा 302/307/395 में दर्ज हुए, कितने मुकदमों में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किये गये और कितने में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई? एवं कितने मुकदमें अभी तक तफतीश में विचाराधीन है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

1-11-1971 से 22-10-1972 की अवधि में जिला गोरखपुर के बांसगांव बेलीपार, गगहा तथा खजनी थानों में धारा 302, 307 तथा 395 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत कुल मिला कर 44 रिपोर्टें दर्ज कराई गयीं। इनमें से 26 मुकदमों में आरोप, पत्र न्यायालय में जे गये तथा 4 मुकदमों में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई तथा 11 मुकदमें एक्सपंज किये गये। शेष 3 में विवेचना अभी हो रही है।

लघु सिंचाई योजनान्तर्गत चमोली में लिफ्ट पम्प

10—श्री शेर सिंह दानू—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत लिफ्ट पम्पों की स्वीकृति हुई है और जिला प्रशासन से अब तक कुल कितने लिफ्ट पम्पों की मांग की गई है और इसमें आज तक क्या प्रगति हुई है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जनपद चमोली में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत कोई लिफ्ट पम्पों की योजना स्वीकृत नहीं हुई है। जिला प्रशासन ने केवल एक लिफ्ट पम्प सिंचाई योजना के निर्माण का प्रस्ताव भेजा है, जिसके सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग से आगणन बनाने के लिये कहा गया है। आगणन अभी तक अपेक्षित है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मेरठ शाखा पर व्यय

11—श्री सर्वसुख सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ में जो माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की एक शाखा इस वर्ष स्थापित हुई उससे सरकार पर कुल कितना आर्थिक भार पड़ा?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मेरठ के कार्यालय की स्थापना पर होने वाले व्यय का विवरण निम्नलिखित है:—

वर्ष	अनुमानित व्यय रु0	वास्तविक व्यय रु0
1971–72	24,000	5,000
1972–73	2,23,000	39,500 (31–11–72 तक)
1973–74	1,65 000	..

इलाहाबाद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की छात्रवृत्ति

12—श्री सर्वसुख सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि इलाहाबाद नगर तथा जनपद के हाई स्कूलों तथा इन्टर कालेजों में पढ़ने वाले कुल कितने स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों के आश्रित छात्र, छात्राओं ने वर्ष 1971–72 में छात्र वृत्ति के लिये सरकार को (शिक्षा विभाग को) प्रार्थना भेजी ? उसमें कितने प्रार्थना-पत्र स्वीकृत हुए तथा कितने अस्वीकृत हुए और क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कुल 49 छात्रों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 16 को छात्रवृत्तियां तथा 12 को पुस्तकीय सहायता दी गई। शेष 21 स्वीकृत नहीं हुए जिनके कारण संलग्न तालिका 'क' में अंकित हैं ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 250 पर)

इलाहाबाद के विभिन्न थानों में डकैती, हत्या, राहजनी तथा बलवा की घटनायें

13—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में थाना फूलपुर सराय-ममरेज तथा हंडिया में 1–5–1971 से 18–10–1972 तक कुल कितनी घटनायें डकैतियां, हत्या, राहजनी, बलवा के थानेवार हुई हैं और कितने मामले अब तक अदालत में भेजे जा चुके हैं और कितने अभियुक्त सजा पाये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 252 पर)

14—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[दूसरे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 14 के अन्तर्गत उत्तरित]

जिला परिषद्, मैनपुरी के प्रशिक्षित विज्ञान सहायक अथवा अध्यापकों का वेतन

15—श्री शिववक्ष सिंह राठौर (जिला मैनपुरी)—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि जिला परिषद्, मैनपुरी में जूनियर हाई स्कूल के प्रशिक्षित सहायक अध्यापक का वेतन-क्रम 100–4–160 है तथा उसी योग्यता के प्रशिक्षित विज्ञान सहायक अध्यापकों को जूनियर हाई स्कूल में केवल 71 रुपया मासिक मिलते हैं तथा उन्हें

कोई वेतन वृद्धि भी नहीं मिलती है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों हैं और इसके सुधार के संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। 32 प्रशिक्षित विज्ञान अध्यापकों को 100–4–120 द० रो० 5–145 द० रो०–5–160 का वेतन, क्रम नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये निर्धारित प्रशिक्षण परीक्षा जे0टी0 सी0 उत्तीर्ण नहीं हैं तथा उनके पांच वर्ष का प्रशिक्षण अनुभव नहीं है। उक्त अध्यापकों को सितम्बर, 1972 से प्राइमरी स्कूल के सहायक अध्यापक का 80–3–95–द0 रो0–3–110–द0 रो0–3–125 वेतन, क्रम दिया जा रहा है।

टीकादवरी उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल के अध्यापक

16—श्री शम्भू नाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जनपद के चिलकहर विकास खंड के अन्तर्गत टीकादवरी उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल में जुलाई, सन् 1972 से कोई अध्यापक कार्यरत नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

एक अध्यापक कार्यरत रहा है।

ग्राम कुटीर उद्योग, इलाहाबाद की उपलब्धियां

17—श्री सर्वसुख सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1970–71 और 1971–72 में ग्राम कुटीर उद्योग, इलाहाबाद की क्या उपलब्धियां रहीं इससे कितने लोगों को काम मिला ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

सूचना संलग्न तालिका में दी है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ 253 पर)

इलाहाबाद को माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को दी गई आर्थिक सहायता

18—श्री सर्वसुख सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1971–72 में इलाहाबाद जनपद के अन्तर्गत किन-किन माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को शिक्षा मंत्री के विवेकाधीन कोष से कितनी-कितनी धनराशि की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

ऐसी कोई आर्थिक सहायता स्वीकृत नहीं की गयी।

ग्राम सहदोडाड, जिला गोरखपुर के निवासियों को थाने में दर्ज करायी गई रिपोर्ट

19—श्रीमती मसाली देवी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत थाना गोला में स्थित ग्राम सहदोडाड के निवासियों की ओर से 1 जनवरी, 1972 से 15 सितम्बर, 1972 तक कितने व्यक्तियों ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अन्तर्गत रपट दर्ज कराई है और परगनाधिकारी बांसगांव (दक्षिणी) ने तथा पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर ने कितने प्रार्थना-पत्रों पर मुकदमा कायम करने और तफतीश करने का आदेश दिया था ? और उसम अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

1–1–72 से 15–9–72 की अवधि में ग्राम सहदोडाड, थाना गोला, जिला गोरखपुर के केवल एक व्यक्ति ने थाना गोला पर धारा 323/504/506 भा0 दं0 वि0 के अधीन रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले की विवेचना कराने के लिये वादी ने एक प्रार्थना-पत्र परगनाधिकारी बांसगांव (दक्षिणी) को 5–9–72 को दिया था जिस पर परगनाधिकारी ने मामले की विवचना किये जाने का आदेश उसी दिन दिये थे। परगनाधिकारी के आदेश सहित इस प्रार्थना-पत्र को प्राप्त होने पर थाना गोला की पुलिस ने रिपोर्ट दी कि मामला अहस्तक्षेपनीय पुलिस है तथा चोट साधारण है ऐसी परिस्थिति में विवेचना की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है। पुलिस की इस रिपोर्ट पर परगनाधिकारी ने प्रार्थना-पत्र को फाइल करवा दिया। अतः इस सम्बन्ध में कोई और कार्यवाही नहीं की गई।

आजमगढ़ के हायर सेकेन्डरी स्कूलों के भवन एवं विज्ञान हेतु दी गई आर्थिक सहायता

20—श्री दलसिंगार यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में सन् 1966, 1967व 1968, 1969, 1970 में हायर सेकडरी स्कूलों को भवन निर्माण-कार्य विज्ञान के लिये कितनी-कितनी सहायता सरकार ने प्रति वर्ष दी है? क्या उन विद्यालयों की एक सूची मय विवरण सहित सदन के मेज पर रखेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

21—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

(छठवें गुरुवार के लिए अतारांकित प्र0 सं0 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

इलाहाबाद के स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित छात्रों को दी गई आर्थिक सहायता

22—श्री सर्वसुख सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 1971–72 में इलाहाबाद जनपद के अन्तर्गत किन-किन स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिकों से सम्बन्धित छात्रों तथा छात्राओं को कितनी-कितनी छात्रवृत्तियां अथवा अन्य प्रकार की आर्थिक सहायता दी गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

†तालिका संलग्न है।

प्रश्नों के उत्तर ठीक न मिलने पर आपत्ति

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, नत्थी "ख" में मेरा प्रश्न संख्या 2 है जो मैंने 26–11–72 को दिया था। यह "शोर" फिल्म पर मनोरंजन कर माफ किए जाने के बारे में था। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष—

मैं जानना चाहता हूं कि जो प्रश्न चल रहा है आप इसके बारे में बात कर रहे हैं?

---

† छापी नहीं गई।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

नहीं मान्यवर, वह इसके बाद का है। नत्थी 'ख' का दूसरा प्रश्न है और वह यह है कि "क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश म 'शोर' फिल्म पर जो मनोरजन कर सरकार द्वारा माफ किया गया, उससे कितना नुकसान मनोरंजन कर का हुआ तथा मनोरंजन कर क माफ करन का आधार क्या था ?" मान्यवर, यह प्रश्न कमेटी के सामने जाना चाहिये था। इसमें बारह लाख का नुकसान हुआ। सविता बहन के दामाद मनोजकुमार को खुश करने के लिये और बहन जी को खुश करने के लिये, चालीस लाख का फायदा पहुंचाने के लिये किया गया है। मान्यवर, जो उत्तर मिला है वह अपूर्ण है मुझे 49 में आज्ञा दे दें।

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न आप लिख कर भेजें।

भारतीय क्रान्ति दल की सदस्य संख्या 43 हो जाने पर भी दल के नेता को नेता विरोधी दल घोषित न करने के सम्बन्ध में शिकायत

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना के तौर पर आपसे एक बात पूछना चाहता था और वह यह कि नियम यह है कि अगर 43 मेम्बर किसी पार्टी के हो जायं तो उसके लीडर को आप आपोजीशन का लीडर डिक्लेअर कर देंगे। ऐसा नियम है और ऐसा आपने अब तक किया है। लेकिन पहली जनवरी स भारतीय क्रान्ति दल के सदस्यों की संख्या 43 हो गई। आपने अब तक आपोजीशन के लीडर के नाम का एलान नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

मैं आज करूंगा।

*श्री चरण सिंह—

मेरा सवाल और है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब पहली जनवरी से भारतीय क्रान्ति दल के सदस्यों की संख्या 43 हो गई तो मुझे यह मालूम हुआ कि जो लोग आपके पास गय थे उनसे आपने कहा कि मैं बाहर जा रहा हूं और दस तारीख को एनाउन्समन्ट कर दूंगा कि लीडर आफ आपोजीशन वर्मा जी हो गये। म यह अर्ज करना चाहता हूं कि पिछली बार सगठन कांग्रेस के लीडर, श्री गिरधारीलाल जी थे, उनको 14 जून, 1971 को डिक्लअर कर दिया था जब कि भारतीय क्रान्तिदल और संगठन कांग्रस की सख्या बराबर थी। होना यह चाहिये था कि कुछ दिन और इन्तजार करते, विधान सभा की मीटिंग होती पता चल जाता लेकिन आपने उनके नाम की घोषणा तब ही कर दी थी जब विधान सभा की मीटिंग नहीं थी। विधान सभा की मीटिंग का होना जरूरी नहीं है आपकी अपनी राय और नजीरों के मुताबिक विरोधी पक्ष के नेता के नाम की घोषणा में। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आपका पहली बार जो फैसला था क्या उसमें कोई तब्दीली हो गई है?

दूसरे मैं जानना चाहता हूं कि चलिये दस तारीख आ गई। कल भी आपने ऐलान नहीं किया। आपने एक बार शुरू में यह कहा कि विरोधी दल के नेता—और दुबारा जयराम वर्मा कहा। अगर वरोधी दल के नेता के कहने से भी तकाजा नियमों का पूरा नहीं होता तो आपको नाम एनाउन्स करना चाहिये था। आपने कल भी नहीं किया। तीसरी बात मैं और आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं। आप तशरीफ ल गये थे। एक सेकेन्ड लगता था आप वर्मा जी

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का नाम एनाउन्स कर देते। आपके जहन में बात थी कि विरोधी दल के नेता बोलेंगे। आपकी जगह उस समय डिप्टी स्पीकर काम कर रहे थे तब एनाउन्स करने का टाईम आ भी गया उसको न करके दूसरी बात उठा ली। मुझे मालूम यह हुआ कि यहां के लोगों ने यह प्रश्न उठाया तो तो क्या आपकी गैरहाजिरी में यह छोटी बात भी एंनाउन्स नहीं कर सकते थे? मैंने यह सुना कि यह सवाल उठाया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिय वित्त मंत्री और वित्त सैक्रेटरी से भी पूछना पड़ेगा विरोधी दल के नेता का नाम एनाउन्स करने से पहले। क्या कोई ऐसा नियम या परम्परा है कि आप को वित्त सचिव से कुछ मालूम करना पड़े? मुझे मालूम हुआ है कि ऐसा भी उन्होंने फरमाया। हम को शंका हो गई है कि आप भारतीय क्रान्ति दल से कोई बहुत खुश नहीं मालूम होते हैं। आपका विश्वास अगर हमको प्राप्त न हो तो हमें काम करना मुश्किल हो जायेगा। मैं हर्गिज यह नहीं चाहता हूं। कोई जरूरत नहीं है। जब तक तादाद ज्यादा होगी तब तक यहां बैठेंगे। लेकिन आपने दुरहात बरती है। अगर नहीं बरती है तो आप फरमा दें। हम माफी मांग लेंगे।

श्री अध्यक्ष—

यह तो मैंने जरूर कहा कि ऐलान कर दूंगा। लेकिन दो दफा आपके एक सदस्य ने जो कि आपकी पार्टी में शामिल हुए थे कहा कि एनाउन्स न करें। आपकी तादाद भी बिल्कुल मार्जीनल है। 43 हुई हैं।

श्री चरण सिंह—

वह तो पहली जनवरी को हो गयी थी।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कह दिया था कि 10 तारीख को एनाउन्स कर दूंगा क्योंकि ऐसा न हो कि इस बीच वह वापस चले जायं। देखिये, एक का ही सवाल है। 42 और 43। अगर एक आदमी हट जाता है तो नतीजा यह होगा कि मुझे फिर बदलना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि पक्का कर लूं। यह मेरे सोचने की बात है। मैंने यह सोचा कि कल दस को एनाउन्स कर दूं। मैंने इशारा भी किया था। नेता विरोधी दल कह कर पुकारा था। मेरे पास उस समय उसकी फाइल नहीं आयी थी। उन्होंने जो इस्तीफा दिया वह घर पर दिया। वह फाइल में नहीं था। मैं बाहर चला गया था और इसलिए वह रह गया। परसों या कल मैंने उसको भेजा और कहा कि फाइल के साथ आ जाय तो मैं आडर कर दूंगा। लेकिन आर्डर नहीं हो पाया था। तो भी इशारतन मैंने यह बात कह दी थी क्योंकि उनकी तरफ से कोई बात नहीं आई कि उन्होंने इंकार किया हो। यह बात पक्की हो गयी।

श्री चरण सिंह—

कितने दिन में पक्की होती है? प्रोबेशन पर कितने दिन रखते हैं? 43 में से कोई कल चला जाय तो क्या 44 पर करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने वापस नहीं लिया। 43 हो गये। मैं कल एनाउन्स कर देता। लेकिन कल तीन शोक प्रस्ताव हुए। पौने दो बज गये थे। उसके बाद उपाध्यक्ष आ गये। उन्होंने क्या कहा मैं नहीं जानता। मैं होता तो जरूर एनाउन्स कर देता। फाइनेन्स का सवाल भी मेरे सामने आया। मैंने कहा कि फाइनेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं एनाउन्स करता हूं। मैं माननीय नता विरोधी दल से कह सकता हूं कि आपके लिए जो अरेन्जमेंट्स करने हैं उनमें कुछ देर हो सकती है और उसके लिये मैं क्षमा चाहता हूं। जैसे कि कमरे का अरेन्जमेंट करना है।

[श्री अध्यक्ष]

यह दिक्कत मेरे सामने है। ऐसे ही आपके लिए एक स्टेनो देना है। नेता तो मने ऐनाउन्स कर दिया। नेता विरोधी दल, श्री जयराम वर्मा हैं।

श्री चरण सिंह—

बात यह है कि आप हमारे लिए केवल अध्यक्ष महोदय ही नहीं हैं, माननीय खेर साहब भी हैं। हमारी यह मुश्किल हो जाती है। वरना जो आपने फरमाया है अगर उसको कोई और स्पीकर होते और वह कहते तो मैं मानने के लिए तैयार न होता। वर्मा जी मुझसे चुपचाप कह रहे हैं कि यह और पूछ लूं कि मुझसे खेर साहब नाराज तो नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं बहुत ज्यादा खुश हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री रामलखन सिंह (जिला बस्ती)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने प्रश्न किया था कि मेरे गांव में 7 बार फायरिंग हुई और एक आदमी को गोली लगी। पुलिस इन्क्वायरी करने गई। डी०एस० पी० ने दो दिन ईन्क्वायरी की। मुझे जवाब मिला है कि कोई डी०एस०पी० इन्क्वायरी करने नहीं गया था। सरकार से वह बयान जो डी०एस०पी० ने गांव में लिया है, इस सदन के पटल पर रखाया जाय। यदि यह असत्य हो तो मैं एसेम्बली से स्तीफा देने को तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप इसके बारे में लिखकर दे दें।

श्री रामलखन सिंह—

झूठा बयान दिया गया है कि डी०एस०पी० नहीं गया है।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया लिख कर मेरे पास भेज दें।

विधान सभा सचिवालय द्वारा लिखे गये पत्र के सम्बन्ध में शिकायत

*श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सचिवालय ने मेरे पास कल एक चिट्ठी भेजी है। मैंने नियम 51 के अन्दर एक सवाल आजमगढ़ के बारे में उठाया था। उसको अस्वीकार कर दिया गया था। मैंने अपनी ग्रीवेन्सेज रीड्रेस करने के लिये आपके पास एक चिट्ठी लिखी थी और उसका यह जवाब आया है। मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं:—

"आपके सवाल के सम्बन्ध में दिनांक 15 दिसम्बर, 1972 के पत्र के बारे में मुझे यह निवेदन करने का आदेश हुआ है कि इसको नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में स्वीकार कर लिया गया है और 21 दिसम्बर वक्तव्य के लिये निर्धारित किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझ यह भी कहने का आदेश हुआ है कि विधान सभा की राज भाषा हिन्दी है। अतः आप कृपया भविष्य में उर्दू भाषा में न लिखिये और हिन्दी भाषा में देवनागरी लिपि में पत्र भेजने का कष्ट करें।" यह आदेश आपके यहां से आया है। इस सम्बन्ध म दो बातें हैं।

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह चिट्ठी जो आपके सचिवालय से 18 दिसम्बर को लिखी गई मुझे कल 10 जनवरी को यहां मिली है। इन्डियन कान्सटीट्यूशन के आर्टिकिल 350 में यह लिखा हुआ है :

"Every person shall be entitled to sudmit representation for the redress of any grievance. to any officer or any authority of the Union or the State in any of the languages used in the Union or the State as the case may be."

तो मैंने यह इन्डियन कान्सटीट्यूशन के अनुसार अपना रिप्रेजेंटेशन उर्दू भाषा में उर्दू लिपि में दिया है। मुझे इस सम्बन्ध में यह कहना है कि "12th Report of the Commissioner for Ltnguistic Minorities in India.' के पैरा नं0 345 में यह लिखा है :

मैं उसे पढ़े देता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप कौन सी किताब से पढ़ रहे हैं ?

श्री हबीब अहमद--

दि ट्वैल्वफ्थ रिपोर्ट आफ दि कमिश्नर फार लिन्गिवस्टिक माइनारटीज इन इण्डिया से पढ़ रहा हूं। उसमें 349 में लिखा है--

"There is an Urdu Section in Language Department at the State Head quarters. Replies to representations received from the public are to be sent in the same script in which these are received, wherever possible.''

अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि स्टेट हेडक्वार्टर्स पर, मुख्य मंत्री जी ने यह कहा है, कि जिस लिपि में लिखेंगे, उसी में जवाब देंगे। तो क्या वजह है कि जब चिट्टी उर्दू में लिखी गयी, तो जवाब उर्दू में नहीं दिया ? मैं हाउस में उर्दू की बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि सदन की भाषा हिन्दी है। यह इण्डियन कान्स्टीट्यूशन के आर्टिकिल 350 में बता दिया है और कोई भी ऐक्ट उसको ओवर-रूल नहीं कर सका है। मैं जानना चाहता हूं कि किस नियम की तहत में यह आदेश दिया है कि उर्दू में न लिख कर हिन्दी में लिखें ? फिर यह चिट्ठी 18 दिसम्बर को लिखी गयी और हमको 10 जनवरी को मिली। यह तो अगर विलायत से भी 18 दिसम्बर को लिखी जाती तो हमको पहले मिल जाती। इसमें इतनी लेट का क्या कारण है ? दूसरी बात आप इस किस्म का आदेश देने वाले कौन होते हैं कि चिट्ठी उर्दू में न लिखकर हिन्दी में लिखें ?

श्री अध्यक्ष--

आप चिट्ठी हमें दे दें। मुझे जांच करानी पड़ेगी।

श्री हबीब अहमद--

मैं चिट्ठी आपको दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष--

आपने कृपया नियमावली देखा होगा जिसमें लिखा है कि सदन की भाषा हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि होगी।

श्री हबीब अहमद--

लेकिन चिट्ठी हाउस के बाहर दी है और स्टेट हेडक्वार्टर्स में दी है। मैंने सदन में उर्दू की बात नहीं की।

श्री अध्यक्ष--

चिट्ठी मेरे पास भेज दें। मैं वहां बात कर लूंगा।

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थाई निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा--

मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निबन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1972 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 दिसम्बर, 1972, के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 23 दिसम्बर, 1972 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 31 दिसम्बर, 1972 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1972 का उत्तर प्रदेश का 45 वां अधिनियम बन गया।

सोशलिस्ट पार्टी के नेता की घोषणा करने की मांग

श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)--

जैसा आपने, मान्यवर, अभी नेता विरोधी दल की घोषणा की, उसी के साथ मेरी प्रार्थना है कि मुझे सोशलिस्ट पार्टी का नेता चुना गया है, श्री हरबंश सहाय को मंत्री चुना गया है और कुंवर तेजभान सिंह को उपनेता चुना गया है। इस पार्टी का गठन हो गया है। उसका एनाउन्समेंट आप करने की कृपा करें, मैं यह कह रहा था।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, यह कौन सी पार्टी गठित हो गयी है ?

श्री हुकुम सिंह परिहार--

यह सोशलिस्ट पार्टी ह।

श्री अध्यक्ष--

मैं फैसला दूंगा बाद में।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

यह इन्दिरा सोशलिस्ट पार्टी है।

श्री हुकुम सिंह परिहार--

मैं तो हाउस में जो सोशलिस्ट पार्टी है, उसकी बात कर रहा हूं। कल उग्रसेन जी, राष्ट्रीय समिति सदस्य, सोशलिस्ट पार्टी की अध्यक्षता में मीटिंग हुयी थी। दो पार्टियां बनीं-क सोशलिस्ट पार्टी रह गयी और दूसरी संसोपा। संसोपा में जो लोग जाने वाले थे व चले गय होंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, मेहरबानी आपकी जो हम से पूछ लिया। जहां तक परिहार जी का संबंध है हमारे लिए तो वे बहुत दिन से सत्ता कांग्रेस में थे जो कांग्रस पार्टी वहां हुकूमत कर रही है। हर कार्यवाही में हमारी पार्टी का साथ देने के बजाए वे सत्ता कांग्रेस म ही रहे हैं। यह कोई नया नाटक किया है जिसकी वे ही जानकारी दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये। मैं बताता हूं। ये मेरे पास आये थे। उन्होंने यह कहा कि जो जायसवाल जी की पार्टी है वह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नाम से हो गयी है और उनकी सोशलिस्ट पार्टी अलग है। उनकी 3 आदमियों की पार्टी है। ऐसा उन्होंने मुझे लिखकर दिया है। मैंने कहा कि इस पर विचार करूंगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि जिस पार्टी का मैं नेता हूं वह संसोपा के नाम से ही पुकारी जाए। मैं इसकी लिखित सूचना भेज दूंगा। इतना ही मुझे कहना था।

श्री हुकुम सिंह परिहार--

जहां तक नाटक की बात है मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूंगा कि यह लोकतन्त्र है और इसमें जनता ही निर्णय कर सकती है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

मैं एक जानकारी चाहता हूं।

श्री हुकुम सिंह परिहार--

मैं सन् 1948 से एस0एस0पी0 में था जब से वह पार्टी बनी थी। अनन्तराम जी तो कल उसमें आए हैं। मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूंगा कि वे किसी प्रकार का प्रदर्शन न करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इस बारे में मैं फैसला दूंगा।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

न ये मुजक्कर में हैं और न मुअन्नस में हैं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कृत समय निर्धारण

श्री अध्यक्ष--

मैं कार्य-मंत्रणा समिति का जो फैसला है उसको सुनाता हूं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

मैंने आबकारी मंत्री जी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन दिया था 20 दिसम्बर को। आपन कहा था कि 14 दिन में निर्णय देंगे। अब तो 14 दिन से ज्यादा हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैं एक्सप्लेनेशन काल करूंगा, जरा मुझे रिमाइन्ड कर दीजियेगा।

कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी 10 जनवरी, 1973 की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये :--

दिनांक 15 जनवरी, 1973 को विधान सभा की बैठक न हो। दिनांक 15 जनवरी, 1973 को लिया जाने वाला "उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1972" जैसा कि वह विधान परिषद् से पारित हुआ है, पर विचार एवं उसका पारण दिनांक 18 जनवरी, 1973 को सामान्य कार्य के रूप में लिया जाय। दिनांक 18 जनवरी, 1973 को लिया जाने वाला "उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ती (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1972," जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार एवं उसका पारण दिनांक 19 जनवरी, 1973 को सामान्य कार्य के रूप में 4 बजे अपराह्न तक लिया जाय, उसके पश्चात् 4 बजे से 6 बजे अपराह्न तक संसद द्वारा यथापारित संविधान (30वां संशोधन) विधयक,

[श्री अध्यक्ष]

1972 के अनुसमर्थन के संकल्प पर विचार एवं उनका पारण हो, तथा 19 जनवरी, 1973 को अपरान्ह 2 बजे से लिया जाने वाला असरकारी कार्य उस दिन न हो।

दिनांक 22, 23 तथा 24 जनवरी, 1973 को सदन द्वारा पूर्व स्वीकृत कार्यक्रम यथावत् रहे।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम में की गयी सिफारिशों को जिसकी सूचना सदन को आज दी गयी है, स्वीकृत करता है।

(कोई आपत्ति न होने पर)

श्री अध्यक्ष—

यह कार्यक्रम स्वीकृत हुआ।

11 मई, 1972 को श्री छांगुर राम तथा अन्य सदस्यों द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उत्तर का शोधन

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, आप तो कार्य-सूची की मद संख्या 8 से आगे बढ़ गये।

श्री अध्यक्ष—

अभी तो मैं नम्बर 7 पर आ रहा हूं—

दिनांक 11 मई, 1972 को श्री छांगुर राम तथा अन्य विधायकों द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 4 में श्री छांगुर राम के अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का शोधन वक्तव्य।

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1972 के पांचवे गुरुवार दिनांक 11-5-72 को श्री छांगुर राम व अन्य विधायकों के तारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर दिया गया जो इस प्रकार था—

"श्री अबुल लैंसा निवासी मोहल्ला फरहाबाद थाना निजामाबाद, आजमगढ़ ने थाना कोतवाली पर दिनांक 25-3-72 को एक लिखित रिपोर्ट दी जिसमें दिनांक 24-3-72 को थानेदार निजामाबाद, दो सिपाहियों व अन्य व्यक्तियों द्वारा वादी को एक दीवार गिराए जाने से रोकने पर थानेदार द्वारा जान से मार दिये जाने की धमकी का, दिये जाने, मजदूरों को मारने पीटने, वादी और उसके भाई का सामान छीन लेने और वादी को जेल भेजने के आरोप थे।

उपरोक्त रिपोर्ट थाना कोतवाली से प्राप्त होने पर एक मुकदमा थाना निजामाबाद में धारा 144/307/427/392/भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत कायम हुआ और उसमें विवेचना हो रही है।

इस सम्बन्ध में शासन को ११ विधायकों का एक संयुक्त पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें थानाध्यक्ष व अन्य सिपाहियों के विरुद्ध उपरोक्त आशय की शिकायतें थीं और पुलिस कर्मचारियों को तुरन्त हटाकर निलंबित करने और मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराने की मांग की गई थी। इस संबंध में पुलिस विभाग के एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा जांच करायी गई। इन्हीं आरोपों से संबंधित उपरोक्त मुकदमें में अभी विवेचना हो रही है और उसके पूरी होने पर जो कार्यवाही आवश्यक होगी की जायेगी।"

इस उत्तर के संदर्भ में श्री छांगुर राम ने एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था जो इस प्रकार था—

श्री छांगुर राम—"मंत्री जी ने उत्तर दिया कि मुकदमें के संबंध में विवेचना हो रही है

जब कि सीधी सी बात है कि थानेदार ने एक आदमी के घर को लूट लिया दिन दहाड़े और उसे मारा पीटा जिसके कारण उस पर मुकदमा कायम किया गया तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार जो जांच करा रही है वह थानेदार को हटाकर करा रही है अथवा थानेदार वहीं पर मौजूद है ?"

इसके उत्तर में तत्कालीन उप-गृह मंत्री ने उत्तर दिया था कि "थानेदार को वहां से हटा दिया गया है ।"

बाद में पता चला कि वह उत्तर सही नहीं था। जांच कराने पर ज्ञात हुआ कि इस मामले के संबंध में तत्कालीन उप-गृह मंत्री को 11 विधायकों का एक संयुक्त प्रार्थना-पत्र दिनांक 12-4-72 को प्राप्त हुआ था जिसमें श्री राज नारायण सिंह थानाध्यक्ष, निजामाबाद, आजमगढ़ व सिपाहियों को स्थनान्तरित किये जाने व उनके विरुद्ध शिकायतों को जांच किये जाने की प्रार्थना की गई थी। इस पत्र पर तत्कालीन उप मंत्री गृह ने निम्नांकित आदेश दिये थे —

"पुलिस महानिरीक्षक—कृपया देखें अनेक विधायकों ने आरोप-पत्र प्रस्तुत किया है। मेरी दृष्टि में संबंधित एस0 ओ0 का स्थानान्तरण किया जाना उचित होगा।"

उक्त प्रार्थना पत्र इन आदेशों के साथ उप मंत्री, गृह के कार्यालय द्वारा पुलिस महानिरीक्षक को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था।

इस संबध में उप पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा जांच कराई गई जिसके उपरान्त 28-4-72 को उक्त थानाध्यक्ष को आजमगढ़ से बस्ती स्थानान्तरित किये जाने के आदेश उप पुलिस महानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र द्वारा दिये गये थे। यह आदेश बाद में कुछ प्रार्थना पत्र आदि प्राप्त होने पर मई, 1972 तक के लिये स्थगित कर दिये गये थे। और फिर' स्टे' कर दिये गये। किन्तु अंततः पुलिस महानिरीक्षक के आदेशानुसार सब इंस्पेक्टर का स्थानान्तरण 12-6-1972 को हो गया।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट होगा कि भूतपूर्व उप गृह मंत्री ने 13-4-72 को थानाध्यक्ष निजामाबाद, आजमगढ़, स्थानान्तरण के लिये जो आदेश पुलिस महानिरीक्षक को भिजवाये थे उन्हीं के आधार पर संभवतः उन्होंने सदन में यह सूचना दी कि थानेदार को हटा दिया गया है यद्यपि वास्तव में स्थानान्तरण 12-6-72 को हुआ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

किस बात का स्पष्टीकरण होगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

पहले तो गृहउप मंत्री ने यह आदेश दिया था कि उसके ट्रांसफर कर दिये जायं और वही उत्तर दे दिया लेकिन ट्रांसफर हुआ नहीं। अब करेक्टेड उत्तर आया है तो स्पष्टीकरण तो कराया ही जा सकता है। अगर पहले ही ठीक उत्तर आ जाता तो उस पर सप्लीमेंटरीज हो जाती। सही उत्तर न आने से सप्लीमेंटरीज हो न सकी। अब संशोधित उत्तर के बारे में स्पष्टीकरण तो मांग ही सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

इस पर विशेषाधिकार का प्रश्न आया था। अब उन्होंने उत्तर संशोधित कर दिये तो इस पर कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं आ सकता है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

विशेषाधिकार का मेरा प्रश्न नहीं है। संशोधित उत्तर आया तो उसके बारे में स्पष्टीकरण तो चाहिये ही कि···

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, यह बहुत गम्भीर बात है कि हमारे द्वारा जो सवाल पूछे जाते हैं उसका सरकार द्वारा गलत जवाब दे दिया जाय····

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने जान-बूझ कर तो झूठ बोला नहीं।

श्री छांगुर राम--

श्रीमन्, मई में यह प्रश्न किया गया था और उसका उत्तर मई में दिया गया था कि उसका ट्रांसफर हो गया, जब कि उसका ट्रांसफर जून में हुआ। तो यह गलत जवाब दिया गया था।

श्री अध्यक्ष--

देखिये, आप बैठिये, सवाल यह है कि उप गृह मंत्री जी ने तो यह आदेश दिया था कि उसका ट्रांसफर कर दिया जाय, आर्डर्स ट्रांसफर के हो गये, लेकिन किसी कारण वश बीच में रोक दिये गये जो उनको नहीं मालूम था। इस वजह से उन्होंने यह समझ कर कि ट्रांसफर हो गये होंगे उन्होंने कह दिया कि ट्रांसफर हो गया। जब उनको मालूम हुआ कि नहीं हुआ तो 12 जून को वह ट्रांसफर हो गया, उन्होंने अब इसे संशोधित कर दिया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

वह तो श्रीमन् 12 मई को ही कह रहे थे कि हो गया।

श्री अध्यक्ष--

वह थोड़ी सी गलती है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

वह गलती नहीं है श्रीमन्। उस आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ? आदेश फाइल पर मौजूद है, लेकिन अधिकारी उसको नहीं हटाते हैं, तो जब माननीय गृह मंत्री के आदेशों का पालन नहीं किया गया तो क्या कारण था कि ऐसा हुआ और पालन नहीं हुआ?

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 में 4 सूचनाएं आयी हैं। वह अब मैंने अस्वीकार कर दी हैं। एक श्री राम गोपाल संड की है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध····

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, विधान परिषद् में जब यह आता है तो स्वीकार हो जाता है और यहां जब उठाते हैं..सुन लें। कल जब मैंने उठाया तो उपाध्यक्ष जी ने कहा कि कल फिर से उठाइये और आज समाचार पत्र के अनुसार 4 डिग्री कालेज बहुत बड़े हैं, जिनमें 8,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं उनका भविष्य अंधकारमय हो जायगा, हजारों अध्यापकों का सवाल है। निर्णय हुआ था, कि सन् 67 में कि बढ़े हुए वेतन दिये जायं, लेकिन राज्य सरकार और विश्वविद्यालय लागू नहीं करता। तो वक्तव्य के लिये आज्ञा दे दें। बड़ा आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष--

यह अविलंबनीय नहीं हो सकता। यह निजी डिग्री कालेज से संबंधित है जो कि विश्वविद्यालय से संबद्ध है।

श्री राम गोपाल संड--

आप व्यवस्था दें कि डिग्री कालेज में अगर हड़ताल हो और यहां पर सवाल उठाया जाय कि शिक्षा मंत्री वक्तव्य दें तो क्या आप व्यवस्था नहीं देते हैं? जब विधान परिषद् में स्वीकार हुआ तो आप किस नियम के अनुसार हमें यह प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं देते हैं?

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न कर लें इसके बारे में। जो वहां होता है वह हमारे ऊपर लागू नहीं है।

दूसरा श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी आदि का है कि कानपुर में क्रीकेट मैच के टिकट उपलब्ध नहीं हुए हैं, इसके लिये कामरोको प्रस्ताव लाये हैं....

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)--

ग्रीन पार्क में सारा प्रबन्ध जुग्गीलाल कमलापति का फर्म करता है। 7 लाख के टिकट बिके बताये जाते हैं और कानपुर में इनकी बिक्री का इंतजाम किया गया। 21 दिसम्बर से, बिक्री प्रारम्भ हुई और कानपुर के अन्दर एक टिकट किसी को नहीं मिला। 20-20 और 50-50 रुपया ब्लेक चल रहा है। पिछले साल यह हुआ करता था....

श्री अध्यक्ष--

अल्पसूचित प्रश्न पूछ लीजिये। यह काम रोको प्रस्ताव का विषय नहीं है। कल को आप कहेंगे कि सिनेमा के टिकट नहीं मिल रहे हैं।

श्री बंशीधर पाण्डेय (जिला वाराणसी)--

आप तो क्रीकेट के खिलाड़ी रहे नहीं। पुराने जमाने में रहे होंगे।

श्री अध्यक्ष--

मैं हर गुण ज्ञाता हूं। (हंसी)

श्री बंशीधर पाण्डेय--

इनकी बहुत महत्वपूर्ण बात है और सरकार के मंत्री को इस पर शर्म आनी चाहिये कि 7 लाख रुपये के टिकट जबरिया क्लाथ मर्चेन्ट और आयरन मर्चेंट्स से बिकवा कर 25 लाख के बना दिया। यह तो एन्टरटेनमेंट ऐंड बैटिंग टैक्स और इस तरह के टैक्सों के इनके एजेन्ट बने हुए हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप इस पर अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर दीजिये।

एक माननीय सुरेन्द्र विक्रम जी का भी है, प्रदेश में नकली दवाइयों की भरमार होने से सार्वजनिक स्वास्थ्य के संकट के बारे में। यह भी अस्वीकृत किया।

श्री सुरेन्द्र बिक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

कुछ रोज पहले डाक्टर अनन्त कुमार वर्मा ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को लिखा है कि प्रदेश में लाखों रुपयों की नकली दवाइयां उपलब्ध हैं। डायरेक्टोरेट भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, कोई ऐक्शन लेने को तैयार नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री पैसा खाते हैं। पचासों खत लिख चुके हैं डा० वर्मा, क्यों नहीं ऐक्शन लेते हैं? यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ मजाक कर रहे हैं।

[श्री सुरेन्द्र विक्रम]

इससे ज्यादा महत्व की और क्या बात हो सकती है। आप बयान दिलवाइये, इसमें मंत्री जी की पोल खुलेगी। स्वास्थ्य मंत्री बिल्कुल भ्रष्ट हैं।

श्री अध्यक्ष—

दवाइयों का जो सवाल है यह एक दिन में हल होने वाला सवाल नहीं है। यह महीनों का सवाल है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

इस वक्त लाखों रुपयों की नकली दवाइयां मंत्री जी की जानकारी में बिक रही हैं। वह जानबूझकर छापा नहीं मरवा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

उसके लिये सदन का काम नहीं रुक सकता।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

और देश और प्रदेश में हजारों आदमी मर जायें ?

श्री अध्यक्ष—

ऐसे तो सैकड़ों प्रश्न हो सकते हैं। यह तत्कालिक महत्व का विषय नहीं है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

आपकी समझ में क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

आप सदन का काम रोकना चाहते हैं जो कि काम सदन द्वारा निश्चित हो चुका है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

सदन का काम न रोकिये, इसे नियम 51 या 52 में कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

आप नियम 51 में ध्यान आकृष्ट करने का प्रश्न भेजिये मैं स्वीकार कर लूंगा।

दूसरा माननीय अनन्तराम जायसवाल का है कि "कस्बा रेणुकूट, थाना पिपरी, जिला मिर्जापुर में हिंडालको के जन्म के साथ-साथ मुख्य मार्ग के दोनों तरफ मजदूरों की राहत के लिये सैकड़ों दुकानें व दुकानदारों के मकान बने थे। इस जमीन की मिल्कियत के बारे में हिंडालको, जिला परिषद्, मिर्जापुर व टाउन एरिया कमेटी रेणुकूट के बीच विवाद भी चल रहा था। हिंडालकों के चेयरमैन से साजिस करके जिलाधीश, मिर्जापुर ने कमिश्नर के स्थगन आदेश का उल्लंघन कर उन दुकानदारों के मकानात व दुकानात को माह नवम्बर-दिसम्बर, 72 में मिसमार कर दिया। क्षुब्ध जनता ने विरोध प्रकट करने के लिये 9-1-73 को शांतिपूर्ण सार्वजनिक सभा का आयोजन किया। सभा शान्तिपूर्वक चल रही थी कि जिलाधीश, मिर्जापुर के द्वेषपूर्ण भावना से पुलिस थाना, पिपरी सभा में मदाखलत बेजा करवाया और वक्ता, श्री राज नारायण जी को सभा के बीच ही गिरफ्तार करवा कर जेल भिजवा दिया। जिससे सर्वत्र रोष व्याप्त है तथा जनता अत्यधिक उत्तेजित है।

इसमें गिरफ्तार तो तब किया होगा जब धारा 144 लागू होगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

यह पता नहीं है, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष—

कल सदन में आपने इसके ऊपर प्रश्न उठाया था।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

144 का उसमें जिक्र नहीं था। हमने कल नोटिस दिया था लेकिन, उनको तो मान्यवर, राजनारायण जी के नामों से मालूम नहीं क्या चिढ़ है, उपाध्यक्ष जी उनका नाम नहीं पढ़ना चाहते....

श्री अध्यक्ष—

जो कल नियम 51 में नहीं स्वीकार हुआ, आज 56 में कैसे हो जायेगा। आप अल्प-सूचित प्रश्न पूछ लें। कल जवाब दिलवा देंगे।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

यह सही है...

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्,...

श्री अध्यक्ष—

आप क्या वक्तव्य चाहते हैं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, यह बड़े महत्व का प्रश्न है..

श्री अध्यक्ष—

मैं इसे केवल वक्तव्य के लिये स्वीकर कर लूंगा। कल इसको वक्तव्य के लिये रख दूंगा।

श्री राम प्यारे—

वहां दूकानदारों में हाहाकार मचा हुआ है, मैं यह चाहता हूं सरकार वक्तव्य दे और ऐसी व्यवस्था करे...

श्री अध्यक्ष—

आप कल जब वक्तव्य हो तो अपना सजेश्सन दे दें।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

यह सरकारी पक्ष के भी वक्तव्य के लिए मांग कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७२†

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय। श्रीमन्, यह बहुत साधारण सा विधयक है। जो कन्द्र से

† 12 दिसम्बर, 1972 की कार्यवाही में छपा है।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

हमें रुपया मिलता है जैसे कि अभी 49 करोड़ या 50 करोड़ के लगभग मिला तो उसको शीघ्र खर्च करने की आवश्यकता पड़ जाती है। उसके लिये केवल यही चारा है कि आकस्मिकता निधि का उपयोग किया जाय। अतः यह संशोधन विधेयक इसी उद्देश्य से लाया गया है। इसमें छोटा सा संशोधन है। आशा है माननीय सदन इसे स्वीकार करेगा।

*श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972 को सदन की एक प्रवर समिति को सौंपा जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह में दे। मैंने मंत्री जी के अत्यन्त छोटे से वक्तव्य को सुना। मान्यवर, केन्द्र हमें ही रुपया नहीं देता है, वरन् वह सभी को देता है। पिछली बार जब तामिलनाडु में बाढ़ आयी थी तो वहां के लिये केन्द्र न 25 करोड़ रुपया दिया है कि यू0पी0 में उससे कहीं भयंकर बाढ़ आयी थी और फिर भी ढाई करोड़ ही रुपया दिया था।

तो मान्यवर, साथ ही साथ एक चीज यह है कि यह रिजर्व फण्ड से निकालना चाहते हैं। यह जो इस प्रकार का धन है वह न केवल बाढ़ ग्रस्त इलाकों, सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में बांटा जाता है, बल्कि उसका बड़ा दुरुपयोग होता है। वह धन राजस्व मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के इशारे पर व्यय होता है। और सत्ताधारी पार्टी के विधायकों और कार्यकर्त्ताओं के क्षेत्रों में व्यय किया जाता है, किन्तु वास्तव में जो पीड़ित हैं उन तक बहुत कम धन पहुच पाता है। इसलिये इसके साथ मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि इसमें एक धारा और बढ़ानी चाहिये कि जिले जिले में यदि बाढ़ आये, सूखा आये तो जिला स्तर पर अथवा तहसील स्तर पर एक सर्वदलीय समिति बनाई जाए-उसमें सभी दलों के विधायक और सामाजिक कार्यकर्ता रहें, जो कि उस धनराशि के वितरण का काम करें। यह 10 करोड़ का जो खजाना निकालना चाहते हैं, उससे भूमिहीनों का और हरिजनों का कोई लाभ नहीं हो पाता है, आधे से अधिक धन मनमाने ढंग से बर्बाद हो जाता है। तमाम रुपया कांग्रेस दल के लोग ही प्रस्ताव पास करके प्राप्त कर लेते हैं। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इस बात का स्पष्टीकरण सदन को दें कि जब-जब अभाव आयेगा दुर्भाग्य से मकान जलेंगे, बाढ़ आयेगी, सूखा पड़ेगा, तो वह सर्वदलीय समिति जो बनेगी, उसके सदस्यों की राय से और उन्हीं की देखरेख में अभावग्रस्त क्षेत्रों में यह धन बांटा जायेगा। यह सुझाव देते हुए मैं अपना प्रस्ताव रख रहा हूं, जिससे वास्तव में पीड़ित आदमियों को धन मिल सके।

*श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो यह 10 करोड़ रुपये की मांग के लिये यह प्रस्ताव पेश किया है और उस पर जो श्री संड जी ने संशोधन दिया है, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। देखा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश इतना गरीब होते हुए भी धन का बुरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। पिछले दिनों इस हाउस में बहस हुई थी, यहां 225 करोड़ रुपये ड्रेनेज स्कीम के लिये दिये गये और 9 महीने में उस पर केवल 78 करोड़ रुपया खर्च किया गया और काम के लिये समय केवल 3 महीने का बचा है। जब उनसे पूछा गया कि 9 महीने में आपने एक तिहाई खर्च किया तो तीन महीने में आप शेष धन कैसे खर्च कर पायेंगे? तो उसका उन्होंने कोई समुचित उत्तर न देकर इधर उधर की बात कह डाली। तो इस तरह से खर्च तो कर डालेंगे, लेकिन क्या वह ठीक होगा, क्या उसका सही उपयोग हो पायेगा? मान्यवर, यदि प्रवर समिति के सुपुर्द यह कर दिया जाय तो इससे धन के उपयोग पर उसमें विचार हो सकता है, उसमें टारगेट बन सकता है, और जो दुरुपयोग हुआ करती है और उसकी सभावना बनी रहती है, उसको समाप्त किया जा सकता है।

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस समय जो है सरकार फिजूलखर्ची को बढ़ाती चली जा रही है। कन्टीजेंसी मद का जितना रुपया है, मेरा अपना मत है कि उससे संबंधित और स्वीकार करने वाले जो अधिकारी हैं, वह उनकी ऐयाशी पर खर्च होता है। उस काम पर, जिसके लिये वह दिया गया है एक चौथाई भी खर्च नहीं होता है। लेकिन सरकार में इतना दम नहीं है कि वह उनकी स्कीम्स को कंट्रोल कर सके। उनका मारेली बड़ा डिग्रेडेशन हो चुका है। आप देखें, टेक्निकल एजूकेशन पर कितना अधिक रुपया खर्च किया जाता है, लेकिन टेक्निकल एजूकेशन यहां पर करीब-करीब ठप पड़ी हुई है, उसका कोई विकास नहीं है, उसका कोई स्टैन्डर्ड नहीं है। इसके लिये धन ले लेते हैं। चूंकि हाउस में इतनी बड़ी शक्ति मिली हुई है डरा धमका कर हाथ उठवा देते हैं। दूसरे दल के लोग, जो अपने आप जिम्मेदार कहते हैं, समाजवाद को लाने के लिये, उनके अन्दर बोलने की शक्ति नहीं है। जो हमारे बांध बनाये जाते रहे हैं, बांधों पर कितना फिजूल रुपया खर्च हो जाता है। छितौनी बांध की 50 लाख की स्कीम थी। बढ़ते-बढ़ते करोड़ों में होती चली जा रही है। न कोई प्लान है, न कोई एकाउंट है। माननीय मंत्री ने कहा कि 10 करोड़ रुपये कंटिजेंसी में लेने जा रहे हैं, और चूंकि 50 करोड़ केन्द्र से मिला है इसलिये हम लोग इसको जल्द से जल्द खर्च कर दें। यह बड़ी अजीब बात है। धन दुरुपयोग करने के वास्ते लेना चाहते हैं, किसी कमेटी के जरिये खर्च का निर्धारण भी नहीं करना चाहते हैं।

इस प्रदेश का क्या हो रहा है? हमारे प्रदेश की आय गिरती चली जा रही है। उत्पादन गिरता चला जा रहा है। भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। इनकी स्कीमें फेल होती चली जा रही हैं। कल एलेक्ट्रिसिटी पर चर्चा थी। ताकत के ऊपर चाहे जो पास करवा लें। लेकिन इनके अधिकारी इस बात को मानते हैं कि यह किस प्रकार नाकामियाब हुए हैं। इन्होंने सारे मामलात को ब्यूरोक्रेसी के हाथ में दे दिया है। लोक लेखा समिति बार-बार इस बात पर सिफारिश कर रही है कि हमारे प्रदेश के अन्दर, जो बजट पेश होते हैं, उसके बाद सप्लीमेंटरी बजट के जरिये इतना खर्चा बढ़ाकर पेश कर दिया जाता है, कि वह बजट बिलकुल बेकार हो जाते हैं। बिक्री-कर का करीब-करीब 45 करोड़ रुपया इस वक्त उन लोगों से वाजिब है। सरकार उसको वसूल नहीं कर सकती। जब सरकार इस मामलात में फेल हो रही है तो यह 10 करोड़ जो इस वक्त लेना चाहते हैं, उसको ठीक तरह से खर्च करने की क्या गारंटी देंगे? जो 45 करोड़ रुपया इस वक्त बाकी है उसको वसूल करने के लिये क्या उपाय कर रहे हैं? वह यह वसूल कर नहीं सकते। हमने जिला स्तर पर जा कर देखा है। अगर किसी के पास एक लाख रुपया टैक्स का बाकी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एस0 डी0 ओं0 या तहसीलदार कार्यवाही करते हैं, तो वह दो चार हजार रुपया उन पर खर्च कर देते हैं। इस तरह से लाखों रुपयों की आमदनी उनकी हो जाती है। और को वारंट इशू किये जाते हैं, वह धक्के खाते फिरते हैं। क्या इमेज हमारे प्रदेश की बनी होगी जो दूसरे प्रदेश के लोग देखते होंगे।

(इस समय 12 बजकर 59 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

बिक्री-कर का 45 करोड़ रुपया वसूल करना वाजिब है और ऐसा अरबों रुपया वसूल नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश में कन्टीजेंसी के जितने फंड हैं उनका इतना दुरुपयोग हो रहा है। वह खर्च नहीं होता, अफसरों की जेब में चला जाता है। अगर खर्च होता है तो इतने थोड़े समय में कि उनका ठीक इस्तेमाल नहीं होता। इसलिये माननीय संड जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है मैं इसका समर्थन करता हूं। इसको पहले प्रवर समिति में भेज दिया जाय उसके बाद इसके बारे में कोई राय कायम की जाय।

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

मान्यवर, कंटिनजेंसी फंड के बारे में जो बिल आया है, संविधान के अनुछेद 267 के अन्तर्गत इस प्रकार का प्राविधान है, सरकार इस फंड का पैसा जमा कर सकती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री त्रिवेणी सहाय]

सन् 50, 67 तथा 70 में बराबर सरकार के इस फंड में पैसा जमा किया। पहले 4 करोड़ जमा किया, फिर 2 करोड़ तथा फिर 4 करोड़ जमा किया। अब फिर वह 10 करोड़ जमा करना चाहती है। सरकार अनुदान के रूप में जो पैसा खर्च करना चाहती है वह तो अलग चीज है। प्रदेश के अन्दर आकस्मिक घटनायें होती हैं इसलिये उसके लिये पैसा देना आवश्यक है और संविधान में इसके लिये प्राविधान किया गया है। लेकिन पिछले सालों के आंकड़ों से पता चलता है कि सरकार ने अनुदान का दुरुपयोग किया है और उसको ठीक से वितरित नहीं किया है। इस फंड में भी सरकार ने ठीक से पैसा खर्च नही किया। पिछले साल जब भयंकर बाढ़ आई और गोंडा में 16 हजार घर बेघर हो गये तो 35 लाख रुपया उनको मकान बनाने के लिये वितरित किया गया लेकिन उसमें भयंकर रूप से गोलमाल किया गया जिसके फलस्वरूप आपके ही दल के विधायकों ने सरकार को लिखकर दिया है कि इसकी जांच होनी चाहिये।

गोंडा जिले की दो तहसीलों के कागजात सीलबन्द करके रख दिये गये हैं। वहां के डी0 एम0, तहसीलदार तथा एस0 डी0 एम0 ने रुपये की जिस कदर लूटमार कराई है, उत्तर प्रदेश में शायद किसी जिले में वैसी लूटमार हुई हो। कलेक्टर के चपरासी को जिसका मकान नहीं गिरा उसे भी 100 रुपये मकान बनाने के लिये दिलाये गये। इस तरह की शिकायतें गोंड जिले के बारे में हैं। आज वहां के तहसीलदार का ट्रांसफर इसीलिये कर दिया गया, वहां के डी0 एम0 को हटा दिया गया लेकिन सारे मामले को खटाई में डाल दिया गया है और 35 लाख रुपया जो गोंडा जिले की जनता को मिलना चाहिये था, वह नहीं मिल सका। कागजात सीलबन्द कर देने से काम नहीं चलेगा। सी0 आई0 डी0 से उसकी जांच कराइये। ए0 जी0 की सन् 70–71 की रिपोर्ट को भी जरा पढ़कर आप देखेंगे उससे पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश मे न जाने कितने अनुदान हैं जिसमें सारा पैसा बच गया, उसका प्रयोग नहीं किया गया। रिपोर्ट के पृष्ठ 144 पर अनुदानों के न प्रयोग किये जाने के बारे में विवरण प्रस्तुत किया गया है। सन् 62 से 70 के बीच 87 क्षेत्र समितियों को 23.8 लाख रुपये का अनुदान दिया गया जिसका प्रयोग मार्च, 69 तक हो जाना चाहिये था लेकिन वह नहीं हो सका।

इसी तरह के उदाहरण पशुपालन उद्योग, शिक्षा, संचार, समाज कल्याण, कृषि, लोक स्वास्थ्य, पंचायती राज आदि विभागों के संबंध में हैं जिनमें अनुदानों को प्राप्त किया गया लेकिन उनको प्रयोग नहीं किया गया। इस रिपोर्ट के अन्दर महानियंत्रक ने यह लिखा है कि बड़े पैमाने पर अनुदान प्राप्त कर लिये जाते हैं लेकिन उन अनुदानों का कोई प्रयोग नहीं होता। इतना ही नहीं आगे इसका दुरुपयोग होता है। उसके उदाहरण भी आपके सामने हैं। इसी रिपोर्ट के पृष्ठ 149 पर लिखा हुआ है कि 34 नगरपालिकाओं, 1 जिला परिषद्, 4 नोटीफाइड एरियाज में 31 मार्च, 1970 को 39 लाख 25 हजार रुपया अनयूटिलाइज्ड पड़ा रहा। 25 लाख रुपया रोकड़ में डाल दिया गया और शेष 14 लाख 25 हजार रुपया दूसरी मदों में खर्च कर दिया गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन अनुदानों का उपयोग नहीं होता है, उनको दुरुपयोग किया जाता है।

इतना ही नहीं, आपका पैसा लेकर प्रदेश का जो मालिक बना बैठा है, नौकरशाही, वह उस पैसे का दुरुपयोग करता है। मैं आपके सामने विद्युत विभाग की रिपोर्ट पेश कर रहा हूं। उन जिलों के नाम आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं कि जिन जिलों के इक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को खरीददारी की पावर्स दे दी गई और उन्होंने उसका कितना दुरुपयोग किया है। इनके लिए एक सीमा निर्धारित थी कि इतने रुपये तक आप खर्च कर सकते हैं लेकिन उन्होंने उससे कहीं अधिक रुपया खर्च कर दिया है। मेरे पास ऐसे 12 जिलों के नाम हैं जैसे लखीमपुर, सीतापुर, बुलन्दशहर, हरदोई, बांदा, आजमगढ़, मैनपुरी, बनारस आदि जिन्होंने कि 4 करोड़ 18 लाख रुपये की प्रापर्टी खरीदी और राजकीय आदेश के विपरीत इन एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स ने खरीद की। इसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये थी। इन लोगों ने ऐसे माल को खरीदा जिसकी

कि हमारे उत्तर प्रदेश को कोई आवश्यकता ही नहीं थी। मैं कहना चाहता हूं कि आप बजट पास करते हैं, लेखानुदान पास करते हैं, अनुपूरक अनुदान पास करते हैं और बाद में कंटिनजेंसी से भी रुपया लेते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर तो उत्तर प्रदेश शासन को तो एकपैसा भी नहीं देना चाहिये था क्योंकि यहां का शासन इस प्रदेश के पैसे को जनता के हित में खर्च करने के बिलकुल पक्ष में नहीं है।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने जब कि सन् 70 में कंटीजेंसी फंड के लिये यहां पर एक बिल आया था और उस पर विचार हुआ था उसको आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं। उस समय लोगों ने इसका विरोध किया था और कहा था कि उत्तर प्रदेश का शासन भ्रष्ट शासन है और जो भी अनुदान यहां दे दिया जाता है वह जनता की झोली में न जाकर सीधे-सीधे नौकरशाही उसके अपव्यय करने में लगी हुई है। इसलिये इस अपव्यय को रोकने के लिये आवश्यकता इस बात की है कि आप इस तरह से इतनी बड़ी धनराशि कंटिनजेन्सी फंड में न लें। आप के पास पिछले 20 सालों का उदाहरण है। आप प्रति वर्ष डेफीसिट बजटिंग करते हैं साल के अन्त में आप क्या देखते हैं कि उसमें बचत होनें लगती है। जो घाटे का बजट था वह लाभ का बजट हो जाता है। इस तरह से बजट में घाटा दिखाकर पैसे का दुरुपयोग करना और लोगों पर टैक्स लगाना ही इस सरकार की नीति रही है। अन्त में हमेशा पैसा बचता है। इससे स्पष्ट है कि आप इस पैसे को लेकर क्षेत्रीय भेद-भाव उत्पन्न करना चाहते हैं। जैसा कि पिछले साल हुआ था कि जो पैसा कंटीन्जेन्सी में था उसमें भेद-भाव पैदा हो गया था। इस पर हमने माल मंत्री को आक्षेप किया था कि आपने इस मद में इतना पैसा क्यों दिया।

मैं आपके सामने इसी सदन के एक माननीय सदस्य, श्री रियासत हुसैनजी का भाषण पढ़ देना चाहता हूं। गन्ने के संबंध में आप कहते हैं कि जितनी गन्ने की मिलें हैं वहां पर रिसीवर्स नियुक्त किये जायेंगे। यह एक आकस्मिक बात आ गई। उनको पैसा देना होगा। उसके विरुद्ध श्री माननीय रियासत हुसैन ने कहा था—श्री रियासत हुसैन का कहना है—"नेशलाइजेशन में सिर्फ यही है कि किसान का गन्ना सूख जाय और उसमें आग लगा दी जाय? रिसीवर्स के लिये 4 करोड़ रुपया और चाहिये कंटिजेंसी फंड में जिससे वे अपना काम आसानी से कर सकें। इससे उनको 4 करोड़ रुपया पानी की तरह बहाने के लिये मिल जायेगा और उसका पता नहीं चलेगा कि वह कहां गया है। इसलिये मैं इस बिल का विरोध करता हूं कि यह जनता का पैसा है। इस तरीके से हर दूसरे महीने कंटिनजेंसी फंड के नाम से जो पैसा लिया जाता रहेगा तो पैसे की बर्बादी होगी।"

मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक नें जो रिपोर्ट दी है वह इस बात का साक्षी है कि उत्तर प्रदेश का शासन अब एक पैसा भी लेने का हकदार नहीं रह गया है। आज आपका प्रशासन भ्रष्ट हो गया है। चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे उद्योग विभाग हो, चाहे हरिजन विभाग हो, कोई विभाग ऐसा नहीं है जिस विभाग के अन्दर बड़े भारी पैमाने पर पैसे का गोलमाल न किया गया हो। जिस विभाग को भी बड़ पैमानें पर अनुदान दिया गया लेकिन देखा गया कि मार्च के अन्त तक सारा पैसा बच गया। संबंधित कार्य में उस पैसे को न लगाकर उसे बचा कर रखा गया और फिर उस बचे हुए पैसे को दूसरे खाते में जमा कर दिया गया। (व्यवधान)

(माइक के कुछ खराब होने पर)

श्री राम गोपाल संड--

मालूम होता है कि शासक दल तिकड़म करके बार-बार माइक को खराब करवा दे रहा है।

श्री त्रिवेणी सहाय---

मान्यवर, मैं कह रहा था कि पिछले सालों में जो अनुदान दिया गया वह अनुदान उस कार्य में उपयोग नहीं हुआ और साल के अन्त में जब इतनी बड़ी धनराशि बच गई तो उसे दूसरे मद में

[श्री त्रिवेणी सहाय--]

जमा कर दिया गया और उसी आधार पर उसे दूसरे मद में खर्च किया गया। इस तरह से उसी पैसे का दुरुपयोग हुआ है तो मैं माननीय तिवारी जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर अब कौन-सी ऐसी आवश्यकता पड़ गई जिसके लिए आप इतनी बड़ी धनराशि मांग रहे हैं ? क्या आपके सामने फिर सूखे का प्रकोप मंडरा रहा है, क्या आपके सामने फिर उत्तर प्रदेश में बाढ़ का प्रकोप मंडरा रहा है या आगे आने वाले सन् 74 का एलेक्शन आपने सामने है जिसके लिये आप इतनी बड़ी धनराशि लेना चाहते हैं ताकि अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिये पैसा पानी की तरह बहाया जा सके? इन शब्दों के साथ मैं श्री राम गोपाल संड के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री विजय बहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक है इसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। मान्यवर, हमारा प्रदेश बड़ा है, प्रदेश की जनसंख्या बड़ी है, और प्रदेश में गरीबी भी सबसे अधिक है। जब आर्थिक समानता के लिये आर्थिक कमजोरी को दूर करने के लिये सक्रिय कदम उठाना पड़ता है तो निश्चित है कि उसकी व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन होता है। इस विधेयक के जरिये जितने भी कदम सरकार द्वारा उठाये गये हैं वे आर्थिक परिवर्तन के लिये, आर्थिक असमानता को दूर करने के लिये, आर्थिक न्याय देने के लिये ही हैं। जहां तक आकस्मिक निधि का सवाल है, हमारे प्रदेश में सूखा व बाढ़ का दैवी प्रकोप वर्षों से ऐसा रहा है कि उससे ऐसा लगता है कि हमारे प्रदेश में स्थायी रूप से हर वर्ष दैवी प्रकोप होता रहेगा। तो आवश्यकता इस बात की है कि यदि हम आर्थिक प्रगति करना चाहते हैं, समाजवादी व्यवस्था को लाने के लिये अमीरी और गरीबी की खाई को पाटना चाहते हैं। वहां पर यदि दैवी प्रकोप आ जाते हैं तो हमारी योजनाओ में रुकावट आ जाती है, बाधायें आ जाती हैं और उनका सामना करने के लिये आकस्मिक निधि की आवश्यकता हो जाती है। हमे अपनी योजनाओं को पूरा करने के साथ-साथ इन दैवी प्रकोपों का भी सामना करना पड़ता है। जब बाढ़ आती है तो लाखों घर बर्बाद हो जाते हैं। लाखों आदमी गृहविहीन हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं और रोटी रोजी की समस्या हमारे सामने आ जाती है। यह सरकार जनता की है और यदि जनता बिना रोटी के रहे, बिना मकान के रहे तो उसका पहला कर्त्तव्य हो जाता है उसके लिये रोटी, रोजी और मकान की व्यवस्था करे और जो आफत आ गई है उसका सामना करने के लिये जितने धन की आवश्यकता हो उसको इस आदरणीय सदन को स्वीकार करना चाहिये।

मान्यवर, आज क्या स्थिति है ? आज जिस भी जिले में जायें वहां सूखे की स्थिति दिखाई पड़ती है। आज से 6 महीने पहले एक नैराश्य का वातावरण बन गया था, वहां की जनता, वहां के किसानों और वहां के लोगों को ऐसा लगता था कि 2/3 महीने के बाद अकाल की स्थिति का सामना करना पड़ जाय। पुन: 1967 की सी स्थिति आ जायेगी जब मतदाताओं को अपने पेट की ज्वाला को बुझाने के लिये अपने बच्चों को बेचना पड़ा था। मतदाताओं और बहनों को एक-एक बूंद पानी के लिय तरसना पड़ा था, लाखों लोग भूखो मर गये, अगर ऐसी स्थिति का सामना करने के लिये सरकार ने अगर कोई कदम उठाया है और उसके लिये धन की आवश्यकता पड़ गई तो मैं कहूंगा कि यह हमारी सरकार का एक साहसिक कदम है। हमारी योजनाओं को चलाने के साथ-साथ यदि कोई दैवी प्रकोप आ जाता है उसका हमारी सरकार साहस के साथ सामना करती है तो वह प्रशंसनीय है।

1967 में सूखा की स्थिति हमारे प्रदेश में आई थी और उसमें जो विपत्ति हमारे सामने आई थी वह ऐसी थी कि घर-घर लोग भूखों मर गये, लोग पानी के लिये तरसते रहे, आज सूखा की स्थिति आई सरकार अपनी योजनाओं को चलाने के साथ-साथ बांध बांधने लगी, पक्की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सड़कें बनाने लगी, जिससे लोगों को काम मिलने लगा। हमारे जनपद के जिलाधीश ने घोषणा की कि हमारे यहां बेकारी नहीं रह गई है क्योंकि काम के लिये मजदूर नहीं मिलते हैं। यह सही है या गलत, इसको मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूं लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूं कि सूखे कि वजह से जो स्थिति पैदा हो गई थी उसका सरकार ने बड़े साहस के साथ सामना किया और इसके लिये प्रशंसनीय है।

आज चारो तरफ बेरोजगारी है, आर्थिक समानता नहीं है, असमानता है और हमारे सामने अनेक समस्यायें आ रहीं हैं, पूंजीपति बिक्री-कर अदा नही करते हैं और प्रतिक्रियावादी शक्तियां हमारी समाजवादी व्यवस्था में रोड़े अटका रही हैं। जो आर्थिक व्यवस्था के अन्दर क्रान्तिकारी व्यवस्था आ रही है उसके विरोध में लड़ाई छिड़ी हुई है, जिसका सामना करने के लिये सरकार आकस्मिक निधि की मांग करती है उसके संबंध में मेरा कहना यह है कि मांग उचित है और इसको हम सबको सहर्ष स्वीकार करना चाहिये। विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने जो प्रस्ताव रखा है, उसको वापस लेना चाहिये। हो सकता है कि इसका मिसयूज हो, क्योंकि हमारा प्रदेश इतना बड़ा है और इसमें बहुत से अधिकारी और लाखों की संख्या में कर्मचारी हैं, हो सकता है कि उनसे कुछ त्रुटियां हो जायं, लेकिन सूखा तथा बाढ़ जैसे दैवी प्रकोपों का सामना करने के लिए जो हमारी योजना है यदि उसको रुपया नहीं मिलेगा तो वह छिन्न-भिन्न हो जायेगी और जनता में उससे एक निराशा की भावना आयेगी। जब भी दैवी आपदायें आयें और शासन के सामने ऐसी स्थिति आयेंगी तो शासन को ऐसे कदम उठाने पड़ेगें और इस तरह के विधेयक लाने होंगे। मैं इस विधेयक का इसलिये समर्थन करता हूं।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे मैंने उनका और अन्य साथियों के भाषणों को सुना। मैं तो दर असिल इसको बड़ा भारी अपराध मानता हूं, जैसा कि हमारे साथियों ने कहा कि इस में सूखा और बाढ़ की तमाम बातें कहां से आ गयीं। आप तो मृग-तृष्णा की तरह पीछे भाग रहे हैं लेकिन इससे यह समस्या हल नहीं होगी। गवर्नमेंट तो जब चाहें जिस तरह से भी सारी चीजों को काटकर, जैसे केबिनेट चाहे बजट का ट्रान्सफार्मेशन कर सकती है, यह आप सब जानते हैं, गवर्नमेंट को इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसा कि कहा गया कि यह सरकार तो बिलकुल अफसरों की गुलाम हो चुकी है। यह अफसर ही आज, मुझे माफ करेंगे, वित्त मंत्री जी, देश की प्लानिंग किये हैं। पंडित नेहरू कहा करते थे कि थर्ड प्लान से हमारी एकानामी टेक-आफ के स्टेज में आ जायगी और फोर्थ प्लान में वह उड़ान लायेगी। आज समय नहीं है तो मैं वह सारे आंकड़े बताता कि देश की एकानामी कहां जा रही है। 84 सौ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की देनदारी है और 75 सौ से 8 हजार करोड़ रुपये की देश के लोगों के कर्ज की देनदारी है। आप जोड़ लें कि उसका सूद ही कितना हुआ। 8 हजार करोड़ रुपये की करेंसी रिजर्व बैंक के अगेन्सट छाप कर बट चुकी है। यह आप दस बीस करोड़ की बात कहते हैं, यह अफसरों का बड़ा भारी जाल होता है।

अब बजट के भाषण में अपनी पहाड़ी भाषा में बड़ी भारी बात परफार्मेन्स बजट की कह देते हैं। आप प्रयास तो हमारी भाषा बोलने का करते हैं लेकिन आप उसमें अपनी पहाड़ी भाषा जोड़ देते हैं। मैं कहता हूं कि आप का परफारमेन्स बजट क्या है? आपने वह 2 बार पेश किया, उसका मतलब यह है कि किसी विभाग के लिये बजट में प्राविधान किया गया है उस विभाग के मासिक ब्योरे आप देते जांय कि 12 मास में क्या खर्च हुआ। लेकिन जैसा श्री त्रिवेणी सहाय जी ने कहा आप के विभागों के सब लोग सोते रहते हैं, जब 9 मास समाप्त हो जाते हैं और दिसम्बर आ जाता है तो अफसर आपके सप्लीमेन्टरी डिमान्ड लेकर आपके सामने आ जाते हैं मन्त्रियों के कमरे में आ जाते हैं और कहते हैं कि यह नहीं हुआ, यह जरूरी है, सप्लीमेंटरी ग्रान्ट चाहिये। इसी मशीन ने अंग्रजी साम्राज्य को खा ही लिया लेकिन वही मेशीनरी आज मतवाले हाथी की तरह सारे कदलीवन को कचर रही है, यह मशीनरी अफसरों

[श्री बंशीधर पाण्डेय]

की मतवाले हाथी की तरह मंत्री जी के कदलीवन को कचर रही है। मंत्री जी कदलीवन की तरह नष्ट हैं और वह बराबर कचरे जा रही है।

श्री राज मगल पांडेय (जिला देवरिया)—

पंडित जी ने कहा कि सरकारी अफसरों ने अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म कर दिया। तो देश के सब से बड़े हितैषी तो वही रहे कि जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म कर दिया।

श्री बंशीधर पांडेय—

वह तो अंग्रजी समाज के बड़े समर्थक थे और हमारे देश में उनको बने रहने दिया गया यही बड़ी भारी भूल हुई मैं तो यह कहता हूं। दुनिया के अन्य देशों में, चीन में जब क्रान्ति हुई तो वहां के सारे अफसर बदल दिये गये, अमरीका में, ब्रिटेन में कहीं भी आप देखे जब भी इन देशों की शासन पद्धति बदली और स्वराज्य आया तो उन सबको बदल दिया गया। लकिन आपने वही ओढ़नी ओढ़े रखी। ठीक है वह सबकी ज्वाइन्ट जिम्मेंदारी थी, हमारी सब की वह गल्ती हुई, यह वस्तु स्थिति है और मुझे कहना पड़ता है। लेकिन आप ने बताया कि यह 10 करोड़ रुपये का मामला है। मैं आपको फिर चेतावनी देना चाहता हूं कि जो रुपया आपने बजट में मांगा है वह भी खर्च नहीं होगा। आप किसी भी विभाग को देखिये चाहे वह पी0 डब्लू0 डी0 हो चाहे वह इरीगेशन हो रुपया खर्च नहीं होगा। मैं एक जिले की इरीगेशन कमेटी में एक दिन चला गया। मैं माननीय मंत्री जी को चुनौती देता हूं कि जितने ट्यूबवेल्स आपके सैंक्शन हैं, अगर वे टाइम के अन्दर पूरे हो जांय, उनके अन्दर मशीन लगवा दें, उनको बोरिंग करवा दें तो मैं अपनी आवाज वापस कर लूंगा लेकिन मैं जानता हूं कि आप नहीं कर पायेगें। केवल कागजी कार्यवाही पर आप गरीबी हटाना चाहते हैं। जो अधिकारी गेंहूं और जौ की बालियों की पहिचान नहीं जानते हैं वे श्वेत क्रान्ति का नारा देत हैं।

आपकी ही एक डेलीगेटड समिति की बात है, एक सज्जन ने मुझे बताया कि इलैक्ट्रिसिटी बोड के जो आप के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि अगर किसान को रात में बिजली दी जाती है तो वे अपने खेतों पर बल्ब क्यों नहीं लगा लेते हैं। मैं श्री त्रिवेदी जी को जानता हूं लेकिन मुझे यह बात सुन कर हंसी आ गयी। वहां पर अनन्त राम जायसवाल जी, बैठे थे, कृष्णानन्द राय जी बैठे हुए थे, उन्होंने उनके सामने कहा कि विद्युत परिषद् के चेयरमैन ने यह कहा कि किसान लोग कैसे हैं कि अपने खेतों पर बल्ब क्यों नहीं लगा लेते हैं। यह उसी तरह से हुआ कि जब जनता ने आन्दोलन किया तो फ्रांस की मिस मैरी ने कहा कि क्या ये ब्रेड नहीं खा सकते हैं। तो जिस विद्युत परिषद् के चेयरमैन को देहात और कृषि का ज्ञान नहीं है वह कैसे इस प्रकार के सुझाव देते हैं। आज आप इन अफसरों के बल पर कार्य कर रहे हैं, वे आपको खा जायेंगे। आप 10 रुपया लेकर क्या करेंगे? आपके यहां पर सूखा पड़ेगा, इस 10 करोड़ रुपये में से आप क्या करेंगे? पार साल जब पानी बरसा, सूखा पड़ा, उस पर काजी जलील अब्बासी का रेडियो पर भाषण हुआ और डाक्टर सीताराम जी का भी भाषण हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपये की फसल का नुकसान हुआ है। तो आप इस 10 करोड़ रुपये में क्या करेंगे? किसानों को भी नुक्सान होगा और पब्लिक का भी नुक्सान होगा। इसलिए इस 10 करोड़ रुपय का मामला एक ऐसी टेन्डेन्सी का मामला है जिस के द्वारा अफसर-शाही के ही गुलाम होता जा रहा है। उसको दूर करने के लिये आप एफर्ट्स नहीं करते हैं।

आप फाइनेन्स मिनिस्टर हैं, आप अपने अधिकारियों से नहीं कहते कि परफार्मेंस बजट को देखें कि 6 महीने में उन्होंने कितना खर्च किया? वे आकर कह देंगे कि रिगमशीन नहीं है, ड्रीलिंग मशीन नहीं है, कभी कह देंगे कि टंकी के लिये फौरेन एक्सचेन्ज न मिलने के कारण काम रुक गया है और वे ही ऐसी बातें करेंगे कि मजबूर होकर मंत्री जी को कह देना पड़ेगा कि कंटिजेन्सी का रुपया जमा कर दो। आज जो बड़ी भारी डींग हांकी जा रही है हिन्दुस्तान की गरीबी हटान की और 50 करोड़ या 500 करोड़ जो आप आकस्मिक निधि से निकाल

रहे हैं क्या कहीं आप का कोई अभियान चल रहा है ? एक क्षेत्र में एक जिला परिषद् में यह हुआ कि 2–3 मील की सड़क त्वरित योजना में ली जाय लेकिन मैं कहता हूं कि किसी क्षेत्र में हो गया होगा अन्यथा कहीं पर नहीं है। हो सकता है कि हमारे क्षेत्र में ही पाला पड़ गया हो जिसके कारण कोई त्वरित योजना चालू नहीं हो रही है। और मैं आप से कहता हूं कि आप डींग हांकते हैं। आप गरीबी दूर करेंगे हरिजनों की। मैं आश्वासन चाहता हूं। क्या सरकार चाहती है ? इसी सरकार ने वायदा किया था 30 जून को प्रत्येक हरिजन परिवार को जमीन मिल जायेगी कम से कम 16 विस्वा तो जरूर मिल जायेगी। यह गला फाड़ फाड़ कर मन्त्रियों का आश्वासन था। आप सोचिये कहां जमीन है। अगर आप हरिजनों के प्रति अन्याय नहीं होने देना चाहते हैं तो कहां जमीन है उनके लिये। तो बजट हरिजनों की तरफ करिये। देश यह तो जाने कि कोई हरिजनों के लिये प्लान है।

आप वोट कैचिंग नारे देकर और जात बिरादरी का नारा देकर कब तक वोट लेते रहेंगे। जात बिरादरी का नारा देने वाले जो चौधरी उधर बैठे हैं वे दिल से कुछ कहेंगे और चुनाव में कुछ करेंगे और कैन्डीडेट निश्चित करते समय कुछ कहेंगे। मैं कहता हूं कि आप गरीबी नहीं हटा सकते हैं। आपकी एकानामी अनमैनेजेबुल एकानामी हो गई है। मैं कहता हूं कि डरिये मत। अगर आ कुछ करेंगे तो आपको निश्चित वोट मिलेंगे लेकिन जो आपने काम को करने का वायदा किया है उसको तो करिये। 26 वर्षों से आप हैं। लेकिन आप कह देंगे कि आप भी तो थे, मैं कहूंगा कि था। लेकिन 26 कार्य-क्रमों के बीच में यहां की सरकार तो जिम्मेदार नहीं हो सकती। दिल्ली की सरकार कहती है कि अन्न के मामले में हम आत्मनिर्भर हो गये। लेकिन मैं समझता हूं कि अढ़ाई तीन सौ करोड़ का आपको गल्ला चाहिये और गल्ले की मार्केट आप को नहीं मिल रही है। डेढ़ सौ करोड़ के लिये तो अन्ना साहब शिन्दे ने कहा है। एक साल में जरा सा गल्ला हुआ तो कहते हैं कि आत्मनिर्भर हो गये। सूखा पड़ गया तो यह मानकर प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि किसी न किसी पार्टी में तो सूखा रहेगा। सब को मिलाकर इस साल सूखा पड़ गया, भयंकर सूखा पड़ गया। इनकी सारी कान्टीन्जेंसी और बजट तब फेल हो गये। पी० डब्लू० डी० के रोड्स में भी सूखा पड गया। ट्यूबवेल्स में भी सूखा पड़ गया। बेकारी और मंहगाई चार गुना होती चली जा रही है। आपने मंहगाई इन्फलेशन से क्रिएट कर दी। लोहे और सीमेन्ट के दाम बढ़ गये लोहे का उत्पादन आप तीन साल से कर रहे हैं। चाइना ने डेढ़ करोड़ टन पैदा कर दिया लेकिन आप साठ से भी नीचे जा रहे हैं। लोहे के दाम चौगुने बढ़ गये हैं गार्डर की कीमत तिगुनी हो गई है। वित्त मंत्री दिल्ली में कहते हैं अगर उनका कहना मान लें तो रुपये की कीमत चालीस पैसे हो गई है। सबसे बड़ा क्या है काला घोड़ा। व्हाइट हार्स और ब्लेक हार्स दोनों एक साथ दौड़ रहे है। नारायण दत्त तिवारी जी की एक जेब में काला घोड़ा और दूसरी में व्हाइट घोड़ा है।

उपाध्यक्ष जी, काला घोड़ा इसलिए है कि इनकी जो प्लानिंग है—यह सारी इकनोमी की पोजीशन आ जाती है 10 करोड़ रुपया। हर प्लान 40 फीसदी ब्लैक मनी पैदा करता जा रहा है और अब और ज्यादा पैदा करेगा। 21 हजार 500 करोड़ का प्लान है। मैं आपसे कहता हूं कि इसमें कम से कम 40 फीसदी ब्लैक मनी पैदा हो जायगा। यह मनी ऐश आराम में जायेगा, फालतू कामों में जायगा। आप देखें, दस करोड़ रुपये की कीमत एक करोड़ भी नहीं रह जा रही है। इसलिये मैं आप से निवेदन करूंगा कि इस तरीके को मत निकालिये। यह अफसरों का शार्ट कट है। आप उनसे कहें कि 632 करोड़ का बजट दिया तो उसमें क्या खर्च हुआ। दो महीने-फरवरी और मार्च रह गये। अगर खर्च नहीं हुआ तो आप अन्दाज कर लीजिये। अब तो आपको अनुभव होगा। दो तीन साल से आप इस काम को देख रहे हैं। मार्च के आखिरी महीने में ठेकेदारों का सारा पेमेंट होता है। जितना नौ महीने में पेमेंट नहीं

[श्री बंशीधर पांडेय]

होता उतना पेमेंट नौ दिन में होता है। इस तरह से आप का रुपया ड्रेन आउट हो रहा है। इसलिये आप इस पद्धति को समाप्त करें। आप इसका पुनरीक्षण करें तो इसमें ही रास्ता निकल आयेगा। जो विभाग खर्च नहीं कर पा रहा है तो आप उस रुपये को डाइवर्ट करके सूखा में कर दें, बाढ़ में कर दें।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--

उपाध्यक्ष महोदय, आकस्मिकता निधि में इस समय 20 करोड़ की धनराशि है। 10 करोड़ की धनराशि और बढ़ाने के लिये यह संशोधन विधेयक लाया गया है। लेकिन माननीय मन्त्री जी ने उसका औचित्य सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया। मैं तो समझता हूं कि 20 करोड़ रुपया आकस्मिकता निधि में काफी है। लेकिन अगर कभी कोई कठिनाई पैदा हुई हो और उसे यह सदन के सामने लायें तो इस निधि को बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन उसका औचित्य होना चाहिये। माननीय मंत्री जी ने सिर्फ एक कारण बतलाया कि भारत सरकार से दैवी आपदाओं के लिए 49 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई है। लेकिन यह नहीं बतलाया कि परेशानी कहां पैदा हुई। उन्होंने तो एक कारण बतलाया है लेकिन इस विधेयक में तीन कारण बतलाये गये हैं कि यह दस करोड़ क्यों बढ़ाना चाहते हैं। पहली बात कही गयी है कि विकास कार्यों में अत्याधिक वृद्धि हो रही है। ठीक है अगर वृद्धि हो रही है तो उसके लिए बजट में धन की व्यवस्था की जाती है। और इतनी व्यवस्था रहती है कि कभी किसी मद में रुपये की कमी नहीं पड़ती। अभी पिछली बार जब सप्लीमेंटरी बजट लाया गया था तो उस समय मैंने बतलाया था कि महज एक ग्रान्ट के अन्तर्गत 96 टोकेन ग्रान्ट मांगी गयी। इसका मतलब यह था कि 96 मदों में रुपया मौजूद था और उस मद में रुपया खर्च हो रहा था। उस मद से दूसरे मद में ले जाने के लिये 96 टोकेन ग्रान्ट एक ग्रान्ट के अन्दर मांगी गई थीं। तो इस तरह से इन विकास कार्यों में अतिरिक्त व्यय हो जाने से कोई कठिनाई ऐसी पैदा हो जावेगी कि आपको आकस्मिक निधि से रुपया निकालना पड़े और रुपया न हो, ऐसी बात कभी आती नहीं है। रुपया बच जावेगा, रुपये की कमी पड़ने वाली नहीं है।

दूसरा कारण आपने यह रक्खा है कि कीमतों में वृद्धि हो गई है। कीमतों में वृद्धि हो जाने से कोई असर आकस्मिक निधि पर पड़ने वाला नहीं है। कीमतें जिस हिसाब से बढ़ती हैं उसी हिसाब से बजट बनाया जाता है। बजट में हर मद के लिये धन की व्यवस्था की जाती है। तीसरी बात यह कही गई है कि दैवी आपत्तियों के कारण तत्काल व्यय करने की आवश्यकता हो जाती है। उस समय आप को रुपये की जरूरत पड़ती है क्योंकि जब तक बजट में उसकी व्यवस्था न हो, तब तक रुपया खर्च करने के लिये कहां से मिलेगा। तो आकस्मिक निधि से रुपया निकाल कर खर्च कर देंगे और बाद में उसकी मंजूरी सदन से ले लेंगे। लेकिन 20 करोड़ रुपये की धनराशि काफी है। क्योंकि एक जगह ही उसकी जरूरत पड़ती है, तो 20 करोड़ से उसमें कोई कठिनाई नहीं पड़ने वाली है। पिछले साल इतनी बड़ी दैवी आपदा इस प्रदेश पर आई जितनी सैकड़ों वर्ष से नहीं आई, तो क्या उस समय दैवी आपदा के सम्बन्ध में खर्च करने में कोई कठिनाई आई? क्या आकस्मिक निधि में इतना धन नहीं था कि आप जितना धन खर्च करना चाहते थे उतना मिल सके? तो उससे बड़ी कौन आपत्ति आने वाली है जिससे पता लगे कि जब तक आप मंजूरी लेंगे तब तक कठिनाई पैदा होगी और 20 करोड़ रुपया कम पड़ेगा। मैं तो नहीं समझता हूं कि 20 करोड़ रुपये से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। आप कहते हैं कि 49 करोड़ की सेन्टर ने खर्च करने की मंजूरी दी है। तो आप के पास काफी धनराशि है जिसे आप खर्च करते और औरीजिनल बजट में मंजूरी ले लेते।

आप कहते हैं कि 10 करोड़ पया बढ़ाया जाय। इसका परिणाम यह होगा कि बज बनाने में जो सावधानी बरती जाती है वह नहीं की जावेगी। ऐसे मद में रुपया रक्खा ज, है खर्च नहीं होता है और दूसरे मद में ले जाना पड़ता है। तो आप के अधिकारी अ ो

कर्मचारी असावधानी से काम लेंगे। कहेंगे कि सदन के सामने जाने की अभी क्या जल्दी है, धन मौजूद है, तब तक हम रुपया लेकर खर्च करते रहेंगे। तो यह जो चेक था कि उनको सावधानी से बजट में धन की व्यवस्था करनी चाहिये, वह खतम हो जावेगा। असावधानी होगी क्योंकि उनको परवा नहीं होगी कि सदन के सामने जल्दी जाना है। अगर हमारे पास रुपया नहीं है तो परेशानी हो सकती है तो उसको दूर करने के लिये आपने रुपया दे दिया। जब आप सदन में आवेंगे तो आप कह देंगे कि इतना रुपया खर्च हो गया है। तो फिर सदन उसको मंजूर करेगा ही। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक आप अच्छी तरह से देख न लें कि 20 करोड़ रुपये कम पड़ रहे हैं, तब तक सदन की मंजूरी इसके लिये न करायें। तो आप इसको सिद्ध कीजिये और आंकड़ों से बतलाइये। पिछले साल और इस साल आपदायें आई हैं तो आप को कौन सी कठिनाई पड़ी है, इसको आप सदन को बतलायें। आप इसको सप्ली-मेन्ट्री बजट में ला सकते हैं। यदि कभी कोई कठिनाई हुई तो मैं समझता हूं कि सदन इसको मंजूर करेगा कि इतना धन अवश्य देना चाहिये कि जिससे किसी काम को करने में कोई कठिनाई न हो तो इसलिये मैं समझता हूं कि आपको 10 करोड़ रुपया बढ़ाने का औचित्य बतलाना चाहिये और यह कि 20 करोड़ रुपये से कमी पड़ी है। जब तक आप ऐसा न करें तब तक इसको बढ़ाने का औचित्य नहीं है।

यह संशोधन लाया गया है कि इस पर अच्छी तरह से विचार होना चाहिये। आप यह साबित कीजिये कि कहां इसका औचित्य है। आपने ऐसे ही लापरवाही से कर दिया कि 49 करोड़ केन्द्र सरकार से मिला है। उसके लिये हम को 10 करोड़ रुपये की बढ़ाने की जरूरत है। अगर धन मौजूद था और आप ने काम नहीं किया तो बढ़ाने की जरूरत कहां है। जब कभी जरूरत पड़े और सदन को बुलाना कठिन हो और हमको बहुत जरूरी काम हो, हम आकस्मिकता निधि में रख लें। लेकिन ऐसी कोई चीज पैदा नहीं हुयी और न पैदा होने की जरूरत दिखाई पड़ती है। इसलिये माननीय मंत्री जी या तो उस संशोधन को मंजूर कर लें या यहां साबित करें कि इस रुपये की जरूरत है, तो हम लोगों को मन्जूर करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं मननीय नेता विरोधी दल का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने स्वयं अपने विचार व्यक्त किये और इस विधेयक के बारे में सुझाव दिये। उनको तो स्वयं ही वित्त विभाग का ज्ञान है। जहां तक मुझे याद है, उन्हें वित्त विभाग संभालने का मौका मिला है और उन्होंने उसमें अपना योगदान किया है। आकस्मिकता निधि कोई नयी बात नहीं है। भारत के संविधान में इसका उल्लेख है और सब से पहले सन् 1950 में इस कन्टिनजेंट फण्ड की स्थापना की गयी और वह अपरिहार्य कारणों की वजह से की गयी। क्योंकि आकस्मिक व्यय तुरन्त करना पड़ता है और वह ऐसा व्यय है कि जिसे सभी को आवश्कता होती है। ऐसे व्यय में सब से पहले 1950 में 4 करोड़ की धनराशि रखी गयी, आज से 22—:23 साल पहले। अब, तब से इस बजट का खर्च कितना बढ़ गया है, इस पर आप स्वयं अन्दाज लगा सकते हैं।..

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। सन् 1950, 4 करोड़ यह थी, सन् 1967 में (17 वर्ष बाद) यह 6 करोड़ हुयी और 1972 में 10 करोड़ पहले और 10 करोड़ अब, 20 करोड़ किस आधार पर हो गयी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सदन को याद होगा, पिछले वर्ष श्रीमन्, 75 करोड़ की व्यवस्था बजट से ली गयी, कन्टिन-जेन्ट फण्ड से नहीं लिया और उसमें विरोधी दल के सदस्यों ने अपना सहयोग दिया और सरकार ने अपनी मर्यादा की रक्षा की चेष्टा की, उस समय जब कि 71 में बाढ़ आयी थी और बाढ़ से बचने के उपायों के लिये धन की आवश्यकता थी। इस वर्ष सूखा पड़ा। किसको यह बात नहीं मालूम

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

अब उसी आधार पर हमारी केन्द्र से बातचीत चलती रही। वहां की दो बार टीम आई। केन्द्र के कृषि मंत्री श्री फखरुद्दीन अली अहमद आये। उनके सामने समस्यायें रखी गयीं और विचार-विमर्श हुये। समय-समय पर वहां से ग्रान्ट आती रहीं। अब बिल्कुल नयी योजनायें, जिनका पहले पता नहीं था, जिनका चालू किया जाना आवश्यक था, जो जनहित में थीं।

श्री विश्वनाथ कपूर--

अभी प्रधान मन्त्री ने स्टेटमेंट दिया था दिल्ली में।

श्री त्रिवेणी सहाय--

कपड़ा तो बिक रहा है वहां पर।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

यह कोटि-कोटि जनता का नारा है "गरीबी हटाओ"। यह सारे राष्ट्र का लक्ष्य है। हमारा और आप का लक्ष्य है।

श्री रामगोपाल सण्ड--

आप तो गरीबों को ही हटा देना चाहते हैं। न डालडा मिल रहा है, न चावल मिल रहा है और न राशन मिल रहा है। मैं कर्मचारियों और गरीबों में ही काम करता हूं। वेदना से कहता हूं सचमुच नहीं मिल रहा है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

गरीबी जरूर हटाओ मगर बातें न बनाओ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यह कोई मजाक नहीं है। यह हमारा और आपका लक्ष्य है। सारे दलों और सारे समाज का लक्ष्य है कि देश की गरीबी को कैसे दूर करें। यह एक राष्ट्रीय लक्ष्य है--यह सारे सदन का लक्ष्य है। यह कोई अकेले मेरा ही लक्ष्य नहीं है। हर विरोधी दल वाले सदस्य कहते हैं कि अफसर खाये जा रहे हैं। बिना अफसरों और कर्मचारियों के कैसे काम हो सकता है? उन्हें तो रखना ही है। यह नहीं कह सकते कि हम कोई इंजीनियर नहीं रखेंगे, कोई डाक्टर नहीं रखेंगे। जो कमियां हैं उन्हें हम सबको मिल जुल कर दूर करना है,। जो दोषी हैं उन्हें दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन हम यह नहीं कर सकते कि हम कोई कर्मचारी नहीं रखेंगे।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)--

मंत्री भी देश को खाये जा रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

वे भी मंत्री थे कभी। मैं तो उनका आदर करता हूं।

श्री विश्वनाथ कपूर--

इसका मतलब यह है कि आपने स्वीकार कर लिया।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

हर आदमी भ्रष्ट है, सब चोर हैं, इससे कोई काम होने वाला नहीं है। यह तो सीधा सादा विधेयक है, आप की आज्ञा का पालन करने वाला विधेयक है। आप तो स्वयं ही कहते

हैं कि अधिक से अधिक योजना बनाओ और अधिक से अधिक उन पर कार्य चलाओ। आज का बजट डाइनेमिक हो सकता है। अगर हम कंजरवेटिव हो जाएंगे और हर रूल में रिजिड हो जाएंगे तब तो कोई योजना मन्जूर नहीं हो सकेगी। बहुत से लोगों को फाइनेन्स का अनुभव होगा। अगर हम अंग्रेजों के जमाने की बजट प्रणाली को चलायें और यह कहें कि फाइनेन्शियल हैण्डबुक के सारे रूल वैसे ही होने चाहिये तब तो कोई काम नहीं हो सकेगा। गरीबी दूर करने का हमारा और आप का प्रयास है। कंटीजेंसी फण्ड और सप्लीमेंटरी बजट हमारे लिये हैं, इनके लिये हम नहीं हैं। बजट का डाइनेमिक रोल होना चाहिए---एक ज्वलन्त अभियन्त्रण प्रणाली और सशक्त प्रणाली होनी चाहिए जो हमें यह मौका दे कि हम जनता की आवश्यकता के अनुसार, प्रदेश की योजनाओं के अनुसार खर्चे और आमदनी का सन्तुलन कर सकें। इसलिये मैं बड़े आदर के साथ निवेदन करता हूं कि आप इसे स्वीकार कर लें। मुझे आशा है कि सम्मानित सदस्य इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)--

आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि यह जो 10 करोड़ रुपये बढ़ाने की चर्चा आयी तो क्या उसका यह कारण तो नहीं है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इस वजह से खर्चे भी बढ़ रहे हैं? असली समस्या महंगाई की है। उसको दूर करने के लिए क्या सरकार ने कोई योजना बनायी है? क्या कभी सरकार ने सोचा है कि उसको कम करने के लिये क्या कदम उठाए जाएं?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

कन्टीनजेंसी फण्ड का संबंध महंगाई बढ़ने से नहीं है। कन्टीजेंसी फण्ड तो हमेशा के लिए बढ़ गया 30 करोड़ रुपये। जो भी दूसरी सरकारें आएंगी उसका उपयोग उनके लिए भी होगा। महंगाई दूर करने के लिए प्रयत्न हो रहे हैं---केन्द्रीय स्तर पर भी और प्रादेशिक स्तर पर प्रयत्न हो रहे हैं।

श्री बलबीर सिंह---

क्या उत्तर प्रदेश सरकार का भी कोई सुझाव है? बहुत ज्यादा मंहगाई हो गयी है डेढ़ रुपये किलोग्राम भी आटा व अनाज नहीं मिलता हैं। चीनी का तो हाल बहुत ही बुरा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

कलकत्ता अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित हुए हैं वे अधिकांशतः मंहगाई दूर करने के लिये ही हैं।

श्री मोतीलाल देहलवी---

कलकत्ता अधिवेशन के बाद से ही डालडा के दाम 40 पैसे ज्यादा हो गये हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

हमारे सहयोगी को भी मंत्रिपरिषद् में काम करने का मौका मिला है। होलसेल फुड-ग्रेन ट्रेड को हाथ में लेने का कदम ही मंहगाई को दूर करने का एक कदम है।

श्री बलबीर सिंह---

उसको कब तक सरकार कार्यान्वित कर रही है?

श्री उपाध्यक्ष---

आप तो स्वयं मंत्रिपरषद् में रह चुके हैं। अब अवसर नहीं है, 2 बज गये हैं।

श्री रामगोपाल सण्ड--

मैंने नारायणदत्त तिवारी जी की बात को बड़े गौर से सुना। सम्मानित नेता विरोधी दल ने केवल औचित्य की बात उठायी कि 20 से 30 करोड़ क्यों रखना चाहते हैं और वे उसे किस-किस मद में खर्च करेंगे। आपने बताया कि 20 करोड़ को फर्टिलाइजर के लिए आवश्यकता है। इतनी बिजली के लिए है और इतनी इसलिये है। रुपये का दुरुपयोग होता है। हमारा सुझाव था कि बाढ़ और सूखे के सम्बन्ध में समिति बनायी जाए जो देखे कि रुपये का किस तरह से वितरण हो। 70 मदों की बात हुयी। उसका भी तिवारी जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसलिए मैं अपने संशोधन को वापस लेने में असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि क्या उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972 को सदन की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये जो अपना प्रतिवेदन 1 माह में दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री विश्वनाथ कपूर--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में कोरम नहीं है। सत्तारूढ़ दल के भी सदस्य नहीं हैं। उस तरफ के सदस्य भी इसे नहीं चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो हो गया। आप बिलम्ब से प्रश्न उठाते हैं। कोरम देख लिया जाए, उनकी आपत्ति हुयी है--वह तो देखेंगे ही।

श्री विश्वनाथ कपूर--

केवल 25 आदमी हाउस में हैं।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नारायणदत्त तिवारी--

ऐसी योजनाओं के लिये अगर वहां से धन आये और वह खर्च भी न हो सके इसलिये कि हमने बजट में उसके लिये प्राविधान नहीं किया था, तो वह तो ठीक नहीं होगा।

अब एकमद जो 20 करोड़ रुपये को है, जिसके लिये बहुत कहा गया है, वह किसानों को अच्छी रबी पैदा करने के लिये शार्ट टर्म फर्टिलाइजर लोन के लिये देने के लिये रखा गया था।

श्री जयराम वर्मा--

इसके लिये तो बजट में आपने खुद ही फर्टिलाइजर के लिये धन को कम कर दिया था। बल्कि मैंने इस पर सख्त एतराज भी किया था और कहा था कि रुपया कम क्यों किया जा रहा है।

*श्री नारायणदत्त तिवारी--

श्रीमन्, सम्मानित विरोधी दल के नेता जी ने जो कहा उसके बारे में मैं यह स्पष्ट कर दूं कि हमने क्यों नहीं किया था बल्कि एक प्रयास किया था कि रिजर्व बैंक से जो किसानों को फर्टिलाइजर प्लान्ट के लिये एक मास्टर प्लान बना था उसके लिये कि किसानों का शेयर कैपिटल बढ़े और कोआपरेटिव बैंक के माध्यम से उनको 140 करोड़ रुपये का शार्ट टर्म लोन मिल सके वह किया गया था। फर्टिलाइजर की व्यवस्था 20 करोड़ करना है, साढ़े 12 करोड़ रुपये नार्मल स्कीम में ट्यूबवेल्स के लिये बिजली देने के लिये रखा था। वह मंजूर हो गये। इसी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रकार की और भी मदें थीं, जिनका मैंने अपने बजट में उल्लेख किया था। इसी प्रकार बेकारी दूर करने के लिये योजनाओं के बारे में हमने धन प्राप्त करने की चेष्टा की और पहली बार केन्द्र ने हमें 9 करोड़ रुपये देना स्वीकार किया और हमने उसके लिये 5 योजनायें भी बनायीं। अब बजट में बिना प्राविधान के पैसा कहां से आवे और उसके लिये रुपया बजट में कम हो गया। अभी हाल ही में एक आश्वासन और मिला है और वह यह है कि ओबरा जैनरेशन योजना के लिये 3 करोड़ रुपये ऋण मिलेगा और 6 करोड़ रुपये शारदा सहायक योजना के लिये अतिरिक्त प्राविधान होगा। अब यह आमदनी हो जायगी तो उसके खर्च की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसीलिये जो नयी मदें आयी हैं वे अपरिहार्य हैं और कोई भी सरकार हो उसको कंटिजेंसी फंड की आवश्यकता पड़ती है। यह तो हमने 20 करोड़ और 10 करोड़ की बात रखी है, अगर सारी आवश्यकताओं के लिये हमें जितना धन मिल रहा है उसके लिये धन मांगें तो फिर सौ करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी और उसके लिये आकस्मिकता निधि फिर सौ करोड़ रुपयों की होनी चाहिये।

वित्त विभाग की बड़ी आलोचना की जाती है कि वित्त विभाग हमें पैसा नहीं देता, पैसा नहीं देता इसीलिये वित्त विभाग स्वयं ध्यान रखता है कि बजट से धन आवे और कंटिजेंसी फण्ड लेने की कम से कम नौबत आये।

अभी दिसम्बर में जो अनुपूरक बजट मंजूर हो गया है तो उसमें एक मद आप देखेंगे कि उसमें रुपया कंटिजेंसी फंड से निकाला गया है। अब इसमें कितना अन्तर है। कंटिजेंसी फंड से लगभग 12 करोड़ रुपया ही लिया है लेकिन अनूपूरक बजट जो आपने मंजूर किया था वह 60 करोड़ से ज्यादा का है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम कंटिजेंसी फंड से बहुत सतर्कतापूर्वक व्यय करते हैं और यह भी इसलिये रखा गया है कि योजनायें चालू ही न हों और जनता की आलोचना का पात्र बनें, यह भी न हों, इन दोनों का समन्वय किया गया है। इसलिये मैं संड जी से आग्रह करूंगा कि इसमें उनको कोई विरोध नहीं करना चाहिये।

मेरे कुछ सम्मानित मित्रों ने और विशेषकर पांडेय जी जो बोल रहे थे उन्होंने जैसा आजकल एक फैशन हो गया है गरीबी हटाओ नारे का मजाक बनाया गया।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)--

गरीबी नहीं हटा पा रहे हैं, गरीब को ही हटाये दे रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

गरीबी हटाओ के नारे का विरोध वही करते हैं जो गरीबी को हटने नहीं देना चाहते।

श्री रामगोपाल संड--

तो क्या गरीबी हट गयी?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

यह बात सही है कि गरीबी अभी खत्म नहीं हो पायी है लेकिन उस ओर हम बढ़ रहे हैं। लेकिन उसका भी मजाक उड़ाया गया। यह सही है कि हमने कहा था कि गरीबी हटायेंगे और हम उस ओर चल रहे हैं।

श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, कोरम पूरा है।

श्री उपाध्यक्ष--

आपको कहने की जरूरत नहीं है।

[श्री उपाध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2, 3, 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तेइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1950 की धारा 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 की धारा 4 में— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1950

(1) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"(5) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार दस करोड़ रुपये की और धनराशि राज्य की संहत निधि में से निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी।"

(2) पार्श्वशीर्षक में अंक तथा शब्द '10 करोड़ रुपये की एक और धनराशि' तथा शब्द 'का निकाला जाना' के बीच में अंक तथा शब्द '10 करोड़ रुपये की एक और धनराशि' रख दिये जायं।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21, 1972 का निरसन

3—(1) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात अथवा किया गया कोई कार्य, इस अधिनियम के अधीन की गई बात अथवा किया गया कार्य समझा जायगा, मानों यह अधिनियम सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त था।

श्री जयराम वर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 2 का उपखंड (2) निम्न प्रकार कर दिया जाय:—

पार्श्व शीर्षक में अंक तथा शब्द "4 करोड़ रुपये" और अंक तथा शब्द '10 कड़ोर रुपये' के बीच में शब्द 'तथा' निकाल दिया जाय तथा अंक और शब्द '10 करोड़ रुपये की एक और धनराशि "तथा शब्द" का निकाला जाना' के बीच में शब्द, अंक तथा शब्द' तथा 10 करोड़ रुपये की एक और धनराशि' रख दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसमें यह जो 'कड़ोर' है इसको 'करोड़' किये देता हूं।

श्री जयराम वर्मा--

ठीक है।

श्री रामगोपाल संड--

श्रीमन्, हम को यह मिला ही नहीं है, यह तो आफिस की भूल है। कार्य-सूची में यह नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

आज ही दिया है। अगर आप देते तो क्या वह नहीं लिया जाता? इसमें आपत्ति क्या है?

श्री रामगोपाल संड--

ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, जब आपने जिक्र कर दिया।

श्री जयराम वर्मा--

यह शाब्दिक संशोधन है। अगर आखरी पेज निकाल लिया जाय तो पांचवीं लाइन में शब्द "तथा" लिखा हुआ है। क्योंकि इसके बाद कुछ और जोड़ा जा रहा है इसलिये यहां पर इसकी जरूरत नहीं है और जो जोड़ा जा रहा है उसके पहले "तथा" शब्द होना चाहिये। अगर इसे नहीं रखते हैं तो जोड़ते कैसे हैं? यह असल में भाषा की गलती रह गयी है। मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं इससे भाषा का सुधार हो जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मान्यवर, मैं सम्मानित नेता का आभारी हूं कि उन्होंने विधेयक के सौंदर्य को और बढ़ा दिया। मुझे आशा है कि उनका ऐसा सहयोग भविष्य में हमें मिलता रहेगा। मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2 का उपखंड (2) निम्न प्रकार कर दिया जाय:--

"पार्श्व शीर्षक में अंक तथा शब्द '4 करोड़ रुपये' और अंक तथा शब्द '10 करोड़ रुपये' के बीच में शब्द 'तथा' निकाल दिया जाय तथा अंक और शब्द '10 करोड़ रुपये की एक और धनराशि' तथा शब्द 'का निकाला जाना' के बीच में शब्द, अंक तथा शब्द 'तथा 10 करोड़ रुपये की एक और धनराशि' रख दिये जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 2, खंड 3, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग मान जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972 जैसा कि वह संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

मैं इसका विरोध करता हूं और इसलिये विरोध करता हूं कि मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। सन् 70 तक केवल 10 करोड़ रुपया आकस्मिक निधि में था। 72 में 20 करोड़ हुआ और

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

अब 30 करोड़ कर रहे हैं यह कह कर कि दैवी आपदायें आती हैं। लगता ऐसा है कि सरकार खुद प्राकृतिक आपदायें पैदा कर देगी। एक बार बाढ़ आयी थी। उसमें लाखों रुपये की लूट खसोट के अलावा कुछ नहीं हुआ। आज सूखा आया है। किसानों को बीज वितरण का जो ढोंग रच रही हैं उसमें कितनी लूट खसोट मची है। इसका एक कारण यह है कि इस मद से जो धन लिया जाता है उसका आडिट नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आडिट नहीं होता लेकिन जो खर्चा होता होगा वह तो आडिट होता होगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

लोक लेखा समिति में मैंने यह उठाया था और यह जानकारी हुई थी कि जबतक सरकार स्पेशल आडिट का प्राविधान नहीं करेगी तब तक इसका आडिट होता नहीं है। इसलिये हम स्पष्टीकरण के रूप में चाहते थे कि क्या इसका आडिट होता है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस विधेयक में जो 10 करोड़ बढ़ाने का प्राविधान है इसमें आडिट की गुंजाइश क्या है? यह तो विषयान्तर है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

यह विषयान्तर नहीं है। उस धन का सदुपयोग तो होना चाहिये। जब सदुपयोग नहीं हो रहा है तो फिर आकस्मिक निधि में और 10 करोड़ की धनराशि क्यों दी जाय? और सदुपयोग करने के लिये सरकार की कोई योजना नहीं है और न कोई देख-रेख है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मुझे कुछ निवेदन नहीं करना है। मेरे मित्र बिल्कुल आश्वस्त होंगे इस कंटिजेंसी फंड का उपयोग जहां तक सम्भव होगा ऐसी योजनाओं पर किया जायगा जिनका वह भी स्वागत करेंगे। मुझे यही कहना है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972, जैसाकि संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972†

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बेनी सिंह)—

आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

इसमें कुछ कहना नहीं है, बड़ा मासूम सा हमारा यह संशोधन है। कोई वक्त लेने की बात नहीं है। अभी आपने अकस्मिक निधि वाला पास किया है। यह संशोधन भी आकस्मिक निधि से संबंधित है। म्युनिसिपैलिटीज का 5 साल का समय होता है। दो वर्ष तक और हम उसका समय बढ़ा सकते हैं। ऐसी स्थिति आती है कि 5 साल पूरे हो जाते हैं और 2 वर्ष भी पूरे हो जाते हैं और हम चुनाव कराने की स्थिति में नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में कोई प्राविजन नहीं है इन्तजाम का कि प्रबन्ध कौन करेगा। यह दिक्कत पड़ी। हम तो यह चाहते हैं कि

---

†18 दिसम्बर, 1972 की कार्यवाही में छपा है।

चुनाव समय से हो जायें, लेकिन पिछली बार आपने देखा कि चुनाव आयोग ने कह दिया कि डीलिटिशन लाजिमी है। पहले भी हम समय बढ़ाना नहीं चाहते थे, मगर मजबूरी सामने आ गयी। तो ऐसी मजबूरी के समय हम यह अधिकार चाहते थे कि हम उस काम चलाने के लिये एक ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दें और काम चलता रहे। यह मामूली सी बात है। इसे प्रवर समिति आदि में जाने की आवश्यकता नहीं है। आशा है आप इसे स्वीकार करेंगे।

*श्री रामगोपाल संड—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972 को सदन की एक प्रवर समिति को सौंपा जाय जिसे परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो तथा जो अपना प्रतिवेदन एक माह में दे।

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी को बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने कहा कि यह बड़ा ही मासूम विधेयक है। लेकिन मान्यवर, यह विधेयक प्रजातंत्र की हत्या करने वाला विधेयक है। इस ज्ञापन में इन्होंने लिखा है "जिस कार्यकाल अथवा बढ़ाया गया कार्य-काल समाप्त हो गया और नया बोर्ड संघठित न किया गया हो" इसमें इन्होंने यह नहीं लिखा कि चुनाव कराना सम्भव क्यों नहीं होगा। मैं पूछता हूं कि नगरपालिका में परिसीमन की क्या जरूरत है? यह विधेयक इस दृष्टि से लाया गया है कि इनके हाथ में एक यह अधिकार आ जाय और फिर यह सरकार जहां-जहां विरोधी पक्ष का बहुमत हो वहां वहां उन नगरपालिकाओं को भंग कर दिया जाय। जौनपुर की नगरपालिका को इसीलिये सरकार ने भंग कर दिया कि वहां 25 में से 22 सदस्य जनसंघ के थे।

एक सदस्य—

जौनपुर की नगरपालिका भंग नहीं है।

श्री रामगोपाल संड—

आपने तो भंग कर ही दिया था वह तो हाई कोर्ट से स्टे मिल गया है। मैं कहता हूं कि आप यह आश्वासन क्यों नहीं देते कि 6 माह के अन्दर ही चुनाव अवश्य करा दिया जायेगा। चुनाव के लिये 6 माह का समय बहुत होता है। आखिर चुने हुये लोगों को शासन करने का अधिकार आप क्यों नहीं देना चाहते हैं। नगरपालिकाओं का चुनाव किसी प्रकार भी परिसीमन से गवर्न नहीं होता है। सन् 1974 के चुनाव को दृष्टि में रख कर माननीय मंत्री जी यह विधेयक लाये हैं ताकि जहां चाहें वहां अपना ऐडमिनिस्ट्रेटर बिठा दें और इनकी इच्छानुसार वह कार्य करता रहे। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाय जहां इस पर पूणरूप से विचार हो सके और इसके सारे महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार हो सके।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया, उसके बारे में बताया कि यह बड़ा मासूम है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यह विधेयक तो कातिलाना तीर छोड़ रहा है। सन् 1916 में म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट पास हुआ और आज 1972 है तो अब 56 वर्ष बाद आपको इसकी मासूमियत मालूम हुई है। अबतक इनको इसकी मासूमियत पता नहीं चली कि इसका संशोधन कर दिया जाए। सेंसस की बात बिल्कुल निराधार है। यह सन् 1961 में हुआ था, तो उस समय इस विधेयक की जरूरत नहीं पड़ी, तो फिर जब 1971 में सेंसस हुआ तो इसका सहारा क्यों ले रही हैं। अब भी जितनी नगरपालिकाएं हैं जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया या हो रहा है, उसका आप समय बढ़ा दें इससे आप को किसने रोका था, यह नया शिगुफा छोड़ने की क्या आवश्यकता थी। पिछले सत्र में 22–23 तारीख को यह सवाल आया था कि जिनका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विश्वनाथ कपूर]

कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनका क्या कार्यकाल आप बढ़ायेंगे या नहीं ? तो मंत्री जी ने उसके उत्तर में कहा था जिनकी शिकायत है उसको नहीं बढ़ायेंगे और बाकी का बढ़ा देंगे। तो शिकायत तो इनको विरोधी दल वाली निकायो से ही होगी, इनको अपने दोस्तों वालों से होगी नहीं, क्योंकि वह तो सब अच्छा ही काम करती हैं।

इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं फैजाबाद नगरपालिका के एक इंडिपेंडेंट चेयरमैन हैं उनको मालूम हुआ कि उनकी नगरपालिका गायब हो जाएगी तो वह सत्तारूढ़ पार्टी के कई प्रभावशाली नेताओं के साथ एक डेलीगेशन लेकर लखनऊ दौड़े आए और मंत्री जी के पास ले गये। उन लोगों ने कहा यह तो हमारे साथ हैं, इनको बख्श दीजिए। तब जाकर उनकी जान बची, उनकी नगरपालिका बच पाई। तो इस तरह से नगरपालिकाएं जो प्रजातन्त्र की आधारशिला हैं उनको ये समाप्त करने जा रहे हैं। यह विधेयक इतना खराब है, फिर भी मन्त्री जी को इसमें मासूमियत नजर आती है, मैं तो कहूंगा यह जहर बुझा तीर है, जिसके काटे का कोई इलाज नहीं है। आप इसमें यह संशोधन कर दें कि जिनका कार्यकाल हम दो साल बढ़ा चुके हैं, उनमें अब हम नहीं बढ़ा सकते, उनके चुनाव अवश्य करा देंगे। तबतो आपकी बात समझ में आती। डिलिमिटेशन के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि वह अब तक क्यों नहीं हुआ, इसको हुए तो काफी समय बीत चुका है। और यदि नहीं हो पाया तो बिना उसके कर देते तो क्या हो जाता ? यह काला कानून है, प्रजातंत्र की हत्या करने वाला है—यह मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

*श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

मान्यवर, मैं श्री रामगोपाल संड द्वारा प्रस्तुत संशोधनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक में मंत्री जी ने यह कहा कि जिन नगरपालिकाओं का कार्यकाल समाप्त हो गया है और बढ़ाया हुआ समय भी समाप्तहो गया है और फिर भी चुनाव नहीं हो सके हैं उस बीच के काल में क्या हो। जैसा कपूर साहब ने कहा 1916 से यह काम हो रहा है, इतने लम्बे समय से यह परेशानी सामने नहीं आई, तो जब तक आगामी चुनाव न हो इसका कार्यकाल बढ़ता रहे और चुनाव के बाद अगले लोग चुनाव संभाल लें तो इसमें क्या दिक्कत थी। यही अब तक होता रहा है इसमें क्या नई चीज आ गई थी कि आपको यह विधेयक लाना पड़ा। आप एकदम से यह लाये और यह इतना बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं कि जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, वहां पर प्रशासक को नियुक्त कर दिया। तो अब इसकी आवश्यकता क्या पड़ी। यह हमारे मन में शंका पैदा करता है। हमें सन्देह है कि आप धीरे-धीरे सभी स्थानीय निकायों में प्रशासक नियुक्त करते जा रहे हैं और उन्हें अपने हाथ का खिलौना बनाते जा रहे हैं।

मंडी समितियों में भी आपने यही तो किया है। चूंकि 22 का कार्यकाल समाप्त होने को था, तो क्या हम शंका करें कि उनमें से अधिकांश विरोधी दलों के हाथ में थी इसलिए उनको भंग कर दिया। जो होता रहा है वही उचित है और वही आप को करना चाहिए कि जबतक उनके चुनाव न हो जाएं, तब तक उनका कार्यकाल आप बढ़ाते रहें। इसका कोई कारण नहीं है कि आप वैसा न करें। आप उन्हें लेकर क्यों जिलाधिकारियों और हाकिम परगना को देना चाहते हैं, इसलिए कि वे अधिकारी आपके इशारे पर कठपुतली बनकर कार्य करें। होना यह चाहिये था कि जिन नगरपालिकाओं का कार्यकाल समाप्त हो गया था उनका आप चुनाव तुरन्त करवा देते। लेकिन यह प्राविधान नहीं किया तीन महीने या छः महीने में चुनाव

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करवायेंगे। बहुत सी नगरपालिकाओं का चुनाव नहीं हुआ, जैसे मुरादाबाद, बहुत सी नगरपालिकाओं में प्रशासक नियुक्त हैं जैसे मेरठ। क्या कारण है कि आपने इन स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं करवाये और प्रशासक कार्य कर रहे हैं? आप प्रवर समिति में विधेयक को सुपुर्द करें जो इसकी परिधि भी बढ़ा सके। 1916 का ऐक्ट है। उसके बाद से आज तक जो-जो स्वायत्त शासन मन्त्री बने उन्होंने एक कमेटी बनायी। हर छः-सात महीने म स्वायत्त शासन मन्त्री बनते हैं। एक समिति बनती है, उसके बाद दूसरी समिति बनती है।

आवश्यकता इस बात की है कि 1916 के म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट में सुधार किये जायं, संशोधन किये जायं जिससे स्थानीय निकाय जन की सेवा का एक सफल माध्यम बन सकें। अभी संड जी ने जौनपुर की बात बतायी कि जौनपुर नगरपालिका के अन्दर क्या किया गया। मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। आज आपके पास यह अधिकार है कि जिस नगरपालिका को चाहें भंग करें, और जिसको चाहें न भंग करें। आप इसका उपयोग राजनीतिक कारणों से करते हैं। जो नगरपालिकाएं विरोधी दल के अधिकार में हैं उनको आप भंग करते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। रुहेलखण्ड डिवीजन के कमिश्नर जिनका देहान्त हो गया, श्री के० के० शर्मा, उन्होंने पत्रकारों के सम्मेलन में बताया कि मैंने रामपुर की नगरपालिका को भंग करने की संस्तुति की। मैंने कहा कि वहां अनियमितताएं हैं, गंदगी है, लेकिन यह सरकार भंग नहीं करती। सरकार को हमारी सिफारिश की कोई परवाह नहीं है। सरकार राजनीतिक कारणों से नगरपालिकाओं को भंग करती है। कौन नगरपालिका भंग हो और कौन नगरपालिका न भंग हो इसका निर्णय आप एक ट्रिब्यूनल को दे दीजिये। आप के पास जिलाधिकारी की शिकायत जाये, कमिश्नर की रिपोर्ट आये। आप ट्रिब्यूनल को सुपुर्द कर दीजिये जिसमें हाईकोर्ट का जज हो या वह जज हो जो रिटायर हो चुका है, और दो आदमी आप सरकार से मनोनीत कर दीजिये। अगर वह ट्रिब्यूनल यह निर्णय दे कि नगरपालिका भंग होनी चाहिये तो उसका निर्णय मान कर भंग कर दीजिये अगर भंग करने का निर्णय न दे तो न भंग कीजिये। यह शक्ति आप अपने पास न रखिये ट्रिब्यूनल को सुपुर्द कर दीजिये और उसका निर्णय अन्तिम हो।

आप राजनीतिक कारणों से भंग करते हैं उसका परिणाम होता है कि हाईकोर्ट से स्टे मिल जाता है। 1968 में कम्प्लेंट होती हैं, जब नया चेयरमैन आता है तो नगरपालिका भंग हो जाती है। बदायू का उदाहरण है। हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है। जब उस नगरपालिका में अनियमितताएं थीं, कलेक्टर ने रिपोर्ट की, जब जनता ने मंत्री के दरवाजे खटखटाये, तो नगरपालिका भंग नहीं की गयी, जब चेयरमैन के खिलाफ हजारों शिकायतें आयीं तो भंग नहीं की गयी। लेकिन जब अविश्वास का प्रस्ताव करके वह चेयरमैन हटा दिया गया तो भंग कर दी गयी। जब कमिश्नर लिखता है, राजनीतिक दल लिखते हैं, जनता लिखती है, तब आपने भंग नहीं किया, जब जनता ने अविश्वास का प्रस्ताव लाकर चेयरमैन को हटा दिया, एक नया बोर्ड आया आपने भंग कर दिया। इसलिए आप अपने दलीय स्वार्थों से प्रेरित हो कर भंग न करें। आप ट्रिब्यूनल के सुपुर्द कर दें।

एक सुझाव और दूंगा। आप मेम्बरों को भी हटाते हैं अगर उन्होंने अनियमितताएं की हैं। वह अधिकार भी ट्रायबुनल को दीजिये कौन सी नगरपालिका भंग की, किस सदस्य ने नियमों को भंग किया, पद का दुरुपयोग किया। इस विधेयक को आप प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें क्योंकि इसमें बहुत से प्राविधानों तथा संशोधनों की आवश्यकता है जिससे स्थानीय निकाय सक्षम हो सकें। साथ ही साथ हमारी यह भी मांग होगी कि यदि नगरपालिकाओं को भंग करके आपने प्रशासक नियुक्त किये हैं तो जल्दी से जल्दी 6 महीने के अन्दर इन स्थानीय निकायों का चुनाव कराइये। आपने देखा कि इस अध्यादेश का क्या परिणाम हुआ? एक तारीख को नगरपालिका का कार्यकाल समाप्त हो गया और आर्डिनेन्स के बाद 20, 22 दिन तक चेयरमैनों ने काम किया। आपने पहले से नहीं सोचा कि कार्यकाल समाप्त हो रहा है।

[श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य]

या तो कार्यकाल बढ़ा देते या 5, 6 दिन पहले कार्यकाल समाप्त होने के आर्डिनेन्स जारी कर देते। जौनपुर में ही केवल जिलाधीश ने 1 तारीख को अधिकार अपने हाथ में लिया और 15 नगरपालिकाओं में वही चेयरमैन तथा बोड काम करती रही और जब हाई कोर्ट ने समझाया कि कार्यकाल आपका समाप्त हो गया है, आपको रहने का अधिकार नहीं है तो वे हटे। इसके लिये कौन जिम्मेदार है? शासन ही जिम्मेदार है जिसनें पहले से नहीं सोचा कि कार्यकाल को बढ़ाया जाय।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं और इस विधेयक को शीघ्र ही पास किया जाय। उधर से जौनपुर नगरपालिका का नाम लिया गया इसलिये मुझे बोलने की जरूरत पड़ी। जिस समय प्रशासक ने जौनपुर नगरपालिका को अपने हाथ में लिया यह सही है उस समय जनसंघ के हाथ में वहां की नगर-पलिका थी। उस कार्यकाल में वहां 16 लाख रुपये नष्ट किये गये और यही नहीं जो कर्म-चारियों का फंड था उसमें से कर्ज ले कर नगरपालिका का दीवाला निकाला गया। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जौनपुर नगरपालिका की जांच सरकार कराये तो वहां पर बहुत अनिय-मिततायें मिलेंगी। जौनपुर नगरपालिका भंग नहीं की गयी थी। उसका कार्यकाल समाप्त हो गया था। किसी वजह से सरकार नगरपालिकाओं का चुनाव नहीं करा सकी इसलिये अन्तरिम काल के लिये वहां के जिलाधीश को चार्ज लेना पड़ा संविद सरकार जिस समय थी जौनपुर जिले में मुंगराबादशाहपुर नगरपालिका की कोई शिकायत नहीं थी लेकिन एक हफ्ते के अन्दर बिना कारण बताये उसे सुपरसीड कर दिया गया। जौनपुर में बहुत से स्कूलों में फर्जी अध्यापक रखे गये जिस समय कि वह जनसंघ के हाथ म थी। उसका फर्जी पेमेन्ट होता रहा। वहां कुछ मोहल्लों में नालियां, रोशनी आदि की व्यवस्था जातिभेद के आधार पर किया गया और कुछ जगह नहीं किया गया। बहुत सी शिकायत वहां रही हैं हैं कर्मचारियों का वेतन देने में.....

श्री राम गोपाल संड—

जौनपुर के लिये जब न्यायालय से निर्णय मिल गया लेकिन रामपुर के बारे में माननीय सदस्य नहीं बोलेंगे?

श्री माता प्रसाद—

जौनपुर नगरपालिका में जो नजूल की जमीन थी। जौनपुर में स्टेशन पर डोमों की बस्ती है उनके कच्चे मकान वहां पर बने हुये हैं। जनसंघ के कुछ ऊंचे लोगों ने उनकी जमीनों को अपने नाम कर लिया है। मैं सरकार से चाहता हूं कि इस मामले की जांच की जाय। 10 तारीख को जो बैठक वहां पर हुई थी उसमें सभी सदस्यों ने जितनी भी जमीन नजूल की थी उसे आपस में बांट लिया है। इसके साथ ही मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि यह विधेयक शीघ्र से शीघ्र पास किया जाय।

(श्री चन्द्रभान शर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आज ढाई घंटे की चर्चा भी है। यदि आप चार बजे उसे आरम्भ करेंगे तो साढ़े छः बजे जायेंगे....

*श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, इसमें बहुत सी बातें हैं जिन्हें कि मंत्री जी के नोटिस में लाना जरूरी है। सुझाव के आधार पर तो वे हमारी बात सुन ही लें।

मान्यवर, मैं इस संशोधन पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं जो कि माननीय संड जी न प्रस्तावित किया है। इसमें जो प्रवर समिति को इस विधेयक को सुपुर्द करने की बात कही गई है वह इसलिए है कि 1916 में जो ऐक्ट बना था उसमें अब तक बहुत सारी खामियां नजर आयी हैं। बगैर सोचे समझे और इक्सपर्टस् की राय लिये ऐसा कार्य किया जा रहा है। समिति के सुपुर्द कर दिया जायेगा तो वह इस पर गंभीरता से विचार कर सकेगी और तब कोई कानून यह बन सकेगा वरना बार-बार इसमें अमेंडमेंट लाने की आवश्यकता पड़ेगी। मिसाल के तौर पर 1953 में एक बोर्ड बना दिया गया था उसके अन्तर्गत यह कायदा था कि अध्यक्ष का चुनाव जनता करेगी और दो तिहाई मत से नो-कान्फीडेंस मोशन के जरिये उनको हटाया जा सकता है। इस तरह से वह बोर्ड फेल हो गया। उसके चलने की सम्भावना न रहे। इसलिये मंत्री जी हमारा सुझाव मान लें। उन्हें बहुत सी बातें इसके अन्तर्गत करनी हैं। आप इस बात को ध्यान में रखें कि जो म्युनिसिपैलिटीज समाप्त हो रही हैं उनके लिये ऐसी एजेन्सी होनी चाहिए जो कि आप को सही राय दे सके अन्यथा पार्टीबाजी और अन्य तरीकों से प्रेरित होकर वह बोर्ड का सत्यानाश कर देंगे। सरकार वहां पर डी0 एम0 और ए0 डी0 एम0 आदि को वहां पर ऐडमिनिस्ट्रेटर रख कर लुटाई करवा देती है। वे यहां से लखपति होकर जाते हैं। उसकी कोई जवाबदेही नहीं होती। उन का दिमाग उस वक्त बहुत खराब हो जाता है। वे शहर की तरक्की के सुझाव तक सुनने के लिये तैयार नहीं होती हैं।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यदि आप इसको पास करना चाहते हैं तो आज यह तय कर लीजिये कि सभी के बारे में आप एक सा निर्णय लें ऐसा न हो कि कुछ को तो आप टेक ओवर कर लें और कुछ को न करें। वरना आपकी नीयत पर शक रहेगा। जो आपकी मंजूरे नजर म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनको तो आप छोड़ दें और बाकी को टेक-ओवर कर लें। इसके दूसरे पहलुओं पर और सारी हालातों पर गौर करने के बाद ही इस विधेयक को पास किया जाय। अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आपके इतने डिफेक्टिव कानून हैं जिसके अन्तर्गत कि पूरे प्रदेश की म्युनिसिपैलिटीज में बड़ा गोल-माल होता है। जब बोर्ड की मीटिंग होती है और उसका एजेन्डा जाता है उसमें सदस्यों के हस्ताक्षर हो जाते हैं और उस मीटिंग में जो आइटम पास होते हैं वह प्रोसीडिंग्स बुक उस बोर्ड के अन्दर नहीं लिखी जाती बल्कि चेयरमैन उसे अपने घर में बैठ कर लिखवाता है और उसमें ऐसे-ऐसे इनजुरियस आइटम भरवाता है या लिखवाता है और उस पर अपना दस्तखत कर देता है जो कि वहां पेश ही नहीं होता, जिसका किसी को खयाल भी नहीं होता। इस तरह की जो वहां तमाम इनजस्टिस होती है उसकी रेमिडी के लिये आपके पास कोई तरीका नहीं है।

आपका वाइस प्रेसीडेंट अगर कोई आइटम उसमें भरवा देता है तो हाई कोर्ट में भी उसको मान लिया जाता है। सदस्यों की हाजिरी गैरहाजिरी भी घर में बैठ कर ही भरवा ली जाती है। आपके जमाने में उत्तर प्रदेश की म्युनिसिपैलिटियों में इतना अन्याय हो रहा है जिसकी वजह से प्रदेश की जनता बेचैन है। आपके ऊपर प्रेसर पड़ रहा है जिसकी वजह से आप इस विधेयक को जल्दी पास करना चाहते हैं। जैसे जौनपुर के लिये तो आपने जिक्र किया लेकिन रामपुर म्युनिसिपैलिटी के नाम पर आप अपनी आंख मींच लेते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को जल्दी में न पास किया जाय। माननीय मंत्री के यहां कागज निकालने में और फाइल निकालने में इतनी देर होती है कि लोग ऊब जाते हैं, उनको महीनों रहना पड़ता है और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रभान शर्मा]

बहुत सोच समझ कर आप उस पर आर्डर करते हैं, यह तो ठीक है। लेकिन इस कानून को आप इतनी जल्दी में क्यों पास करना चाहते हैं। मेरा जो सुझाव है उसको आप मान लें और इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें ताकि जो बुनियादी संशोधन जरूरी हैं उसमें किये जा सके।

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह एक मासूम विधेयक है। यह मासूम विधेयक नहीं है बल्कि इस विधेयक के जरिये आप उन निर्दोष म्युनिसिपैल्टियों पर छुरी चलाने जा रहे हैं जिन्होंने इस सरकार के कारनामों पर जूता मारा है। जौनपुर नगरपालिका के बारे में जो बात कही गयी, यह जो विधेयक है विशेष रूप से जौनपुर नगरपालिका को हड़प करने के लिये, अपने हाथ में लेने के लिये ही सरकार इसे लायी है। मैं तो सरकार पर चार्ज करता हूं, क्यों ? इसलिये कि जैसा अभी हमारे माता प्रसाद जी ने कहा कि जौनपुर नगरपालिका में बड़ा भ्रष्टाचार है, मैं तो चैलेंज करता हूं कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी नगरपालिकायें इस कांग्रेस सरकार के हाथ में हैं और जितनी नगरपालिकायें जनसंघ के हाथ में हैं, आइये, मैदान में खड़े हो जायं, जितने अच्छे ढंग से हमारी म्युनिसिपैलिटियां कार्य कर रही हैं उससे सौगुना खराब आपकी नगरपालिकायें कार्य कर रही हैं। जौनपुर नगरपालिका पहले आपके हाथ में थी और अब फिर जनसंघ चुनाव में जीत कर आया है। इसलिये कि वहां की जनता उससे खुश है। यह कहना कि वहां के लोग भ्रष्ट हैं, सही नहीं है। कहां के लोग भ्रष्ट नहीं हैं। मैं जानता हूं कि गोंडा नगरपालिका में किस तरह की तबाही मचा रखी है। वहां सेक्शन 35 लागू है। जो नगरपालिका फाइनेंस की दृष्टि से पिछड़ी होती है, जहां पर गड़बड़ी होती है उस नगरपालिका में सेक्शन 35 लागू होता है। और सरकार के माध्यम से फाइनेंस दिया जाता है। मैं उस नगरपालिका की हालत जानता हूं कि जब वह उनके हाथ में आया था तब उसके पास 2 लाख रुपये थे लेकिन आज उसके पास एक पैसा भी नहीं है। वहां भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ा हुआ है कि जहां एक भैंसा और नगरपालिकाओं में 200–250 रुपये में खरीदा जाता है वहां की नगरपालिका में 850 रुपये में एक-एक भैंसा खरीदा गया है।

इतना ही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर इनके कारनामे आप को सुनावें तो आपकी पार्टी पर लानत देनी चाहिये कि इस तरह जनता के नुमायन्दे बना कर भेजती है जो नगरपालिकाओं को भ्रष्ट करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पांच साल की अवधि होती है। इसके बाद चुनाव होना चाहिये, इसका प्राविधान है। इसके अलावा एक दूसरा प्रावीजन सेक्शन 32 में सुपरसीड करने का है कि जिन नगरपालिकाओं को आप जब चाहें तब सुपरसीड कर सकते हैं। ऐसी नगरपालिकायें बहुत सी हैं जिनमें पैसा खाने से लेकर नाना प्रकार की बुराइयां हैं, जैसे मेम्बरों को फायदा पहुंचाना, चेयरमैन के यहां बिना मीटर के कनेक्शन दे देना। नगरपालिका में जो पानी की मोटरगाड़ी है उसके नाम पर ढाई साल से वहां के चेयरमैन अपनी जीप में पेट्रोल भरवाते हैं। ऐसी हालत में हर म्युनिसिपैलिटी में है। आपके हाथ में हथियार था लेकिन आपने उसका प्रयोग नहीं किया। यह आपने हथियार अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं ? इसलिये जौनपुर में हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। जब आप विफल हो गये तो आपने कहा कि हम विधान सभा में जौनपुर से निबट लेंगे।

जैसा मंत्री जी ने कह दिया है कि यह एक बड़ा मासूम विधेयक है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपने अपने मंसूबों को छिपाया है और उन नगरपालिकाओं में जिनमें विरोधी दल के लोग बैठे हैं, जो जनता की सेवा कर रहे हैं, उनके गले पर आपने छुरी चलाई है। हम इसको चलने नहीं देना चाहते हैं। जितने दल बदलू थे उनको आपने अपनी ओर खींच लिया और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनके बल पर सरकार चला रहे हैं। अगर आप को मासूमियत का तजुर्बा है तो मैं आप से कहना चाहता हूं कि आप इस बिल की लाइन्स में जाइये। आपने दो ही म्युनिसिपैलिटीज का नाम क्यों लिया है। कौन-कौन ऐसी म्युनिसपैलिटीज हैं जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। उन सब को बताइये। जो खराब हैं उनको ले लिया जायेगा। इसमें आपका यह मंशा छिपा हुआ है। आपने अपने दिभाग के दिवालियेपन और सरकार की पक्षपातपूर्ण नीति है, उसके लिये इसको लाये हैं। सरकार के गाल पर जो हाई कोर्ट ने तमाचा लगाया है और इसी तरह से हमेशा लगाता रहेगा। इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप बुजुर्ग हैं और 40/50 साल से नेता रहे हैं तो जरा अपनी अक्ल खोल कर ठीक ढंग से काम कीजिये ताकि लोगों को कहने का मौका न मिले। मैं बिल का विरोध नहीं करना चाहता हूं लेकिन जब मैं देखता हूं कि आपके विचार गलत हैं तो मुझे करना पड़ता है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाये।

जहां सेक्शन 35 लागू है क्या आपने उनके बारे में कुछ सोचने का प्रयास किया है? नहीं सोचा है। प्रदेश की उन सभी नगरपालिकाओं के बारे में जिनमें गवर्नमेंट का पैसा पानी की तरह से बहाया गया है उनके बारे में आपने कुछ नहीं सोचा है। उन नगरपालिकाओं को आपको सबसे पहले लेना चाहिये था। जिन नगरपालिकाओं में घाटा था उनको पहले लेना चाहिये था। इसलिये आपने उनको नहीं लिया क्योंकि उनके चेयरमैन इंडीकेट के थे और 20 से 16 मेम्बर इंडीकेट के बैठ हुये हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में यह प्राविधान होना चाहिये कि जिन नगरपालिकाओं में सेक्शन 35 लागू है उनको पहले लिया जायेगा। दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि अगर आप का मोटिव अच्छा होता और यह मासूम होता तो इसमें यह भी बात रखी गई होती कि कार्य काल बाकी है और प्रशासक नियत किया जाता है तो 6 मास में चुनाव अवश्य करा दिया जायगा। अगर नियत साफ थी तो आप इस बात को भी इसमें ला दिये होते लेकिन इस चीज को आपने छिपा लिया ताकि आप को मौका मिले कि जो नगर-पालिका अपनी हों, वहां अपना प्रशासक बना रहे और वह अपने हाथ में रहे और विरोधी दलों के हाथ में जो म्युनिसिपैलिटी हों उन को अपने हाथ में ले लें। माननीय कल्याण सिंह ने जो संशोधन दिया है कि 6 मास के अन्दर चुनाव करा दिये जायं। अगर आप इस तरह का आश्वासन दें तो हम समझें कि आप की नीयत साफ है वर्ना हमें ऐसा लगता है कि आपका यह विधेयक मोटिवेटेड है। यह एक गन्दी विचारधारा के आधार पर पक्षपात करने के लिये लाया गया है। इसलिये मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री बेनी सिंह—

उपाध्यक्ष जी, जैसा मैंने कहा था फिर मैं उसी को दोहराता हूं कि यह जो विधेयक है, संशोधन विधेयक, यह बहुत मासूम है। उनको कुछ गलतफहमी हो रही है। सुनने वाले भी मेरी बात से मासूम हो जायं तो मेहरबानी होगी। यह कि इसमें छुरा चलता है या और कुछ चलता है यह सब कहना आसान है। वह कौन सी ऐसी चीज है कि जिसके 2 रुख नहीं होते? हर चीज के 2 रुख हो सकते हैं। यह कहना कि नीयत ऐसी है, इसका भी अपने ऊपर असर होता है, हमारी कोई इस प्रकार की नीयत नहीं है कि किसी प्रकार की राजनीति इसमें आये। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी नगरपालिका को गलत बातों के आधार पर जब्त नहीं किया जायगा, किसी के पीरियड को घटाना बढ़ाना इस सब के लिये कायदे कानून बने हैं।

शिकायतें आती हैं, उनकी जांच होती है, कमिश्नर के द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच होती है और उसके बाद ला डिपार्टमेंट में मामला जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे आपके देखने में बिल्कुल जायज होती हैं और वैसे देखने में ठीक लगती हैं लेकिन कानूनी दृष्टि से देखने के बाद विधि विभाग कहता है कि यह नहीं चल सकेगा और हाई कोर्ट में चैलेंज हो जायगा। इसमें यह खामी है वह खामी है, और केस चलने पर कठिनाई होगी। इसलिये कभी-कभी देरी भी होती है और बहुत सोच समझ कर सुपरसेशन किया जाता है। आप के पास

[श्री बेनी सिंह]

एक हथियार है, अगर गलती हम करते हैं तो केस हाई कोर्ट में जाते हैं और रिलीफ वहां से मिलती भी है। ऐसा न हो तो आप कह सकते थे कि उपचार नहीं है लेकिन जहां पर कानून में रिलीफ प्रोवाइडेड है वहां पर सरकार की नीयत पर हमला करना उचित नहीं है।

श्री विश्वनाथ कपूर——

मन्त्री जी ने कहा कि हाई कोर्ट में रिलीफ है लेकिन जब बोर्ड का टर्म ही नहीं रहेगा तो क्या हाई कोर्ट कहेगा कि हम टर्म दे देंगे ?

श्री बेनी सिंह——

यह तो मैंने उनके लिये कहा कि जो कहते हैं कि हम छुरा चला देंगे। जरा सा आप संदर्भ को देखें तो आप को मालूम होगा, यों ही उठ कर खड़े होकर कुछ कहना है तो आप कहेंगे और हम सुनेंगे।

यह बात सही है कि यह ऐक्ट सन् 16 का है और इसको बदलना चाहिये। हमने ही नहीं सभी सरकारों ने महसूस किया है, हमने तो बहुत ज्यादा महसूस किया है जब से कि हमने इस भार को ग्रहण किया है। मैं कहता हूं कि क्या बस एक ही इलाज है, क्या हमारा स्वायत्त शासन खत्म हो गया, बस हम सुपरसीड कर लें और प्रशासक बिठा कर चुनाव करा दें। इसी के लिये एक कमेटी है, जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था, उसे पहली गवर्नमेंट बिठा गई थी लेकिन उसकी 4–4, 6–6 मास तक कोई मीटिंग नहीं होती थी। अब उसको हमने 2 भागों में बांट दिया है, एक महापालिकाओं के लिये और दूसरी नगरपालिकाओं के लिये, दोनों अब बड़े जोर से कार्य कर रही हैं और महीने 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देने वाली हैं। बार-बार हमने उनसे कहा है, बार-बार उनको चिट्ठी लिखी है कि वे जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट दे दें ताकि जो वे रिपोर्ट द उस पर हम विचार करके अपने काल में संशोधन कर सकें जो 1916 से नहीं हुए हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि प्रवर समिति को अगर इसको भेज दें और वे अधिक समय ले लें तो काम होने वाला नहीं है। हमने एक बहुत बड़ी कमेटी बनायी है। क्या स्वायत्त शासन का रूप यही रहना चाहिये ? जब हम पावर का विकेन्द्रीकरण करते हैं तो फिर यह कैसे हो कि हम इन्हें सरकार के हाथ में ले लें। यह समिति 5–7 आदमियों की है। एक चेयरमैन श्री महाबीर प्रसाद जी हैं, एक हैदराबाद के और एक बम्बई के सज्जन हैं। उस पर भी हम विचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम खामोश बैठे हों। उन्हें भी कहा है कि वे अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द दें। जो चीज सामने आये उस पर देखा जाता है। समय इसका बढ़ाना नहीं है।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य——

क्या आप 16 नगरपालिकाओं का चुनाव करायेंगे ?

श्री बेनी सिंह——

आपका यह कहना कि इसमें डिलिमिटेशन का कोई हिस्सा नहीं। चूंकि सन् 1971 का सेन्सस आ रहा है, उसकी रिपोर्ट धीरे-धीरे आ रही है, पूरी रिपोर्ट नहीं आयी है, इसलिए आपके लिए लाजमी है कि आप उस समय तक चुनाव न करायें। मैं एक नहीं 4–6 चिट्ठियां लिख चुका हूं कि 27–28 जगहों का आप डिलिमिटेशन मंजूर करें।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)——

क्या इलेक्शन कमीशन ने सरकार को लिखा है कि हम डिलिमिटेशन करा देंगे ?

श्री बेनी सिंह—

अगर बिना डिलिमिटेशन के किया तो एनीबाडी कैन गो टू दि कोर्ट।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या आप अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद और बुलन्दशहर में जो कई सालों से सुपरसीडेड हैं, उनमें भी चुनाव करायेंगे ?

श्री बेनी सिंह—

उनमें भी चुनाव करायेगें। ये ही नगरपालिकायें हैं, इन्हीं में हम करने जा रहे थे। हम आपका अधिकार नहीं लेना चाहते हैं। हम सरकार में रहें या न रहें, आप रहें या न रहें। शासन करने का एक ढंग है। आज आप विरोध पक्ष में हैं, कल आप शासन में आ सकते हैं। यदि हमारी नगरपालिकायें फेल होती है तो परिवर्तन और परिवर्द्धन करना पड़ेगा। जो सोसाइटी स्टेगनेट हो जाती है, उसका ह्रास होता है। तो इसमें कोई किसी की नियत पर शक करने की बात नहीं है। हमने 5 में से 2 का समय बढ़ाया है। हम कह तो सकते हैं कि वहां पर फलां बैठे हैं और वहां पर फलां बैठे हैं। मिर्जापुर के एक चेयरमैन ने लिखा कि हमारी नगरपालिका का समय न बढ़ायें। मैंने कहा बहुत अच्छा। एक सज्जन ने कहा कि जौनपुर की म्युनिसिपैलिटी का हम किसी भी नगरपालिका से मुकाबला कर सकते हैं। कुछ कहते हैं कि जौनपुर के बराबर कहीं पर भी गड़बड़ी नहीं हो सकती है। तो हमें अपना विवेक इस्तेमाल करना पड़ता है। उसमें गल्ती भी हो सकती है। तो जहां पर विवेक इस्तेमाल हम करते हैं आप को यह कहने का हक है कि आपने बेईमानी की दूसरे कहेंगे कि आपने ईमानदारी की। तो जिस प्रकार से हमें म्युनिसिपैलिटी को सुपरसीड करने का टाइम बढ़ाने का विवेक है, उसी प्रकार से आप को भी हमें ईमानदार या बेईमान समझने का हक है। हम हजार सफाई दें पर आप मानने को तो तैयार हों ?

श्री हिम्मत सिंह—

जैसा माननीय कृष्ण स्वरूप जी ने कहा कि एक दो को न देकर . . .

श्री बेनी सिंह—

आप अपने को सीमित रखें। इन सारी चीजों पर समितियों की रिपोर्ट आयेंगी। वे क्या सुझाव देते हैं, उन पर हम विचार कर लेंगे। उस वक्त अच्छी तरह से बहस कर लें। इस वक्त हम कहीं कुछ नहीं कर पा रहे थे। इसलिये आर्डिनेंस किया। बड़ी महरबानी होगी। मैंने कहा कि यह मासूम है। मासूम समझकर इसे पास कर दीजिये।

श्री हिम्मत सिंह—

संशोधन वापिस लेते हैं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972 जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2, 3, 4, 1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

युनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

यू0 पी0 ऐक्ट संख्या 2, 1916 में नई धारा 10—कक का बढ़ाया जाना

2—यूनाइटेड प्राविंसेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 10—ए के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

नये बोर्ड का संघटन होने तक बोर्ड के प्रशासन के संबंध में अस्थायी उपबन्ध

"10—कक—यदि धारा 11 में उल्लिखित परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में बोर्ड कार्यकाल अथवा बढ़ाया गया कार्यकाल समाप्त हो गया है और नया बोर्ड संघटित नहीं किया गया है तो नये बोर्ड का सम्यक् संघटन होने तक—

(क) बोर्ड, उसके प्रेसीडेंट तथा समितियों की सभी शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य, राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्त अधिकारी (जिसे आगे प्रशासक कहा गया है) में निहित होंगे और उसके द्वारा उनका प्रयोग, पालन तथा निर्वहन किया जायगा, और विधि में प्रशासक को अवसर की अपेक्षानुसार बोर्ड, प्रेसीडेंट या समिति समझा जायगा;

(ख) प्रशासक को ऐसा वेतन तथा भत्ता जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निश्चित करे, म्युनिसिपल निधि से दिया जायगा;

(ग) राज्य सरकार, समय-समय पर, गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे आनुषंगिक या प्रासंगिक उपबन्ध, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का अनुकलन, परिवर्तन या परिष्कार करने के भी उपबन्ध हैं, किन्तु जो तत्व पर प्रभाव न डालें, जो उसे इस धारा के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो, कर सकती है।"

संक्रमणकालीन उपबन्ध

3—(1) यदि मूल अधिनिम की धारा 1 में उल्लिखित परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में, किसी बोर्ड का कार्य-काल या बढ़ाया गया कार्य-काल इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व समाप्त हो गया हो, और नया बोर्ड संघटित न किया गया हो तो मूल अधिनियम की धारा 10—कक के खण्ड (क), (ख) और (ग), जैसी कि इस अधिनियम की धारा 2 द्वारा बढ़ायी गयी है, में उल्लिखित परिणाम इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से प्रभावी होंगे।

(2) प्रत्येक ऐसी दशा में,

(क) जिसमें ऐसे म्युनिसिपल बोर्ड के, जिसका कार्य-काल समाप्त हो गया हो, प्रेसीडेंट तथा सदस्यों द्वारा, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व बोर्ड की किन्हीं शक्तियों का प्रयोग या कर्तव्यों का पालन किया जान

तात्पर्यित हो, तो ऐसा तात्पर्यित प्रयोग या पालन इस प्रकार वैध समझा जायगा मानो बोर्ड का कार्यकाल इस अधिनियम के प्रारम्भ होने तक बढ़ चुका है:

प्रतिबन्ध यह है कि मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, मूल अधिनियम की धारा 10—कक, जैसा कि इस अधिनियम की धारा 2 द्वारा बढ़ायी गयी है, में अभिदिष्ट प्रशासक ऐसी शक्तियों तथा कर्तव्यों के तात्पर्यित प्रयोग या पालन में किये गये किसी कार्य अथवा लिये गये किसी निर्णय का, जिसके अन्तर्गत, विशेषतया कोई निष्पादित संविदा अथवा बोर्ड के किसी सेवक की नियुक्ति या पदोन्नति या सेवोन्मुक्ति या उसे हटाये जाने या अन्य दण्ड दिये जाने का कोई आदेश भी है, पुनर्विलोकन कर सकता है ।

(ख) जिसमें जिला मैजिस्ट्रेट अथवा उसके द्वारा तदर्थ नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा बोर्ड की, जिसका कार्य-काल या बढ़ाया गया कार्य-काल इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व समाप्त हो गया हो, किन्हीं शक्तियों का प्रयोग या कर्त्तव्यों का पालन किया जाना तात्पर्यित हो, तो ऐसा तात्पर्यित प्रयोग या पालन इस प्रकार वैध समझा जायगा मानो जिला मैजिस्ट्रेट या उसके द्वारा तदर्थ नियुक्त अधिकारी, जैसी भी दशा हो, मूल अधिनियम की धारा 10—कक के खण्ड (क) के अधीन जैसी कि इस अधिनियम की धारा 2 द्वारा बढ़ायी गयी है, सम्यक् रूप प्रशासक नियुक्त किया गया हो, और वह ऐसे प्रशासक के रूप में तब तक कार्य करता रहेगा जब तक कि उक्त खण्ड के अधीन उसके स्थान पर कोई अधिकारी नियुक्त न कर दिया जाय ।

4—उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 22, 1972 का निरसन ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, खंड 3, तथा खंड 4, खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बेनी सिंह—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तरप्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972, जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत सात सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से सर्वश्री राम प्रसाद, सुरेन्द्र विक्रम सिंह, वंशीधर पांडेय, कल्पनाथ सिंह तथा विश्व नाथ कपूर द्वारा रायबरेली के तहसील डलमऊ के कृषि केन्द्र पर कृषि विभाग के सुपरवाइजर द्वारा कृषकों को गेहूं न देकर काले बाजार में बेचने सम्बन्धी सूचना को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है।

[श्री उपाध्यक्ष]

इसी तरह सर्व श्री सुरेन्द्र विक्रम, चन्द्र मोहन सिंह नेगी तथा राम विलास पांडेय द्वारा सिंथेटिक रबड़ फैक्टरी, बरेली के लाक आउट से दो हजार श्रमिकों के बेकार हो जाने विषयक सूचना को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है। सर्वश्री विश्वनाथ कपूर, बंशीधर पांडेय, तथा राम बिलास पांडेय की श्री निजामुद्दीन निवासी ग्राम बिजौरा, जिला सीतापुर की पुलिस द्वारा हवालात म पिटाई व मृत्यु सम्बन्धी सूचना को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है। शेष सूचनाओं को अस्वीकार किया गया है।

श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर)--

मैंने उपाध्यक्ष महोदय, एक सूचना नियम 51 के अन्तर्गत दी थी।

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न कर लें।

गोरखपुर के फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड में हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा सर्व श्री राम गोपाल संड, कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री हिम्मतसिंह तथा मोहन लाल कपूर का उक्त चर्चा के सन्दर्भ में नाम पुकारे जाने पर और सब के अनुपस्थित रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

कोई सदस्य इस चर्चा में भाग लेने वाले उपस्थित नहीं हैं। इसलिये मैं आगे चलता हूं।

भागीरथी नदी पर टिहरी के समीप डाम परियोजना के निर्माण स्वरूप विस्थापितों के पुनर्वास के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे प्रथम माननीय अध्यक्ष महोदय का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने तीस हजार विस्थापितों की दारुण कथा को इस माननीय सदन को सुनाने के लिये मुझे अवसर दिया है।

मान्यवर, आज 11 जनवरी को जब हम टेहरी की जनता की महान विपत्ति पर चर्चा कर रहे हैं तो यह 11 जनवरी हमारे इतिहास में बहुत ही अहमियत रखती है। यह एक ऐतिहासिक दिन है। 11 जनवरी, 1948 की बात है जब टेहरी के एक बहादुर नौजवान सकलानी को वहां की राजा शाही ने गोली मार दी थी जब कि वह टेहरी के दुर्ग पर कब्जा करन के लिये गया अन्ततः राजा की फौज ने हथियार डाल दिये और वहां की जनता ने दुर्ग पर तिरंगा झंडा लहराया उस दिन उम्मीद की थी कि टेहरी की जनता, जो कि सदियों से राजा शाही के शोषण की शिकार रही है, को राहत मिलेगी। वहां की जनता ने उम्मीद की थी कि राजा के शोषण खत्म होने और स्वराज्य कायम होने से आन वाले जमाने में तिरंगे झंडे के नीचे वे खुशहाल होंगे। लेकिन मान्यवर, 25 साल बीत गये और आज भी हिन्दुस्तान के अन्दर सबसे गरीब जिला टेहरी गढ़वाल है जहां कि एक व्यक्ति की औसत आमदनी 129 रुपया है। 25 वर्षों के बाद आज हम से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहा जा रहा है कि टेहरी के अन्दर एक बहुत विशाल बांध बनेगा। यह एशिया के अन्दर सबसे ऊंचा बांध होगा और दुनियां के अन्दर दूसरा बांध होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि यह कितना विशाल बांध होगा।

[इस समय 3 बजकर 7 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामसिंह पीठासीन हुये]

यह 845.10 फुट ऊंचा होगा। इसका कैचमेन्ट एरिया 7,519 वर्ग किलोमीटर होगा, जलमग्न एरिया 22 किलोमीटर होगा और लागत 200 करोड़ रुपया होगी। जो सिंचाई क्षमता है वह यह कि इससे 6.68 लाख एकड़ जमीन सिंचित होगी। लेकिन मान्यवर यह टेहरी की धरती नहीं होगी। जो सिंचित धरती होगी वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की होगी। जो बिजली की कास्ट आफ जेनरेशन अनुमानित है वह 4.82 पैसा है। जो प्रभावित गांव हैं उनमें 92 गांव वे हैं जो डैम के लिये होंगे लेकिन 16 गांव और हैं जो डैम के लिये प्रभावित नहीं होंगे बल्कि डैम बनाने के लिये अफसरों के रहने के बंगले चाहिये और मजदूरों के लिये कालोनी चाहिये। जो प्रभावित जनसंख्या है वह सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 22 हजार बतायी जाती है लेकिन जब हमने मौके पर वैरीफिकेशन किया, गांव-गांव में जांच की, तो प्रभावित होने वाली जनसंख्या 35 हजार से कम नहीं होगी। ऐसा लगता है कि सरकार ने जो आंकड़े दिये हैं वह सन् 61 की जनगणना के आधार पर दिये हैं।

मान्यवर, एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि टेहरी के अन्दर डैम बने इसके हम हरगिज विरोधी नहीं हैं। हमारे देश के विकास के लिये हमारे प्रदेश के विकास के लिये टेहरी के अन्दर डैम बने, इसके लिये हम कुर्बानी देने के लिये तैयार हैं। 35 हजार जनता कुर्बानी देने के लिये तैयार है। हम अपना घर-बार छोड़ने के लिये तैयार हैं। वह तमाम धरती, जिसको आज नहीं बल्कि पीढ़ियों दर पीढ़ी काट-काट कर, खून-पसीना बहाकर इस काबिल बनाया कि उस पर गेहूं उग सके, चावल पैदा हो सके, हम उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं। हमारी संस्कृति डूब जायगी। टेहरी की ऐतिहासिक नगरी, जिसने बड़े-बड़े मोड़ देखे हैं, डूब जायगी। इस सब कुछ के लिए हम तैयार हैं। मेरा सौभाग्य है कि माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं।

मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ठीक है 6 लाख एकड़ धरती उत्तर प्रदेश की सिंचित करेंगे, यह भी ठीक है कि जो बिजली बनेगी वह उत्तर प्रदेश की 1/7 मांग को पूरा करेगी और उससे बहुत विकास होगा। डैम बन जावेगा और हम बरबाद होंगे लेकिन हम पर्वत वासियों को इससे क्या मिलेगा, टेहरी की जनता को क्या मिलेगा, उस जनता को जो बरबाद होने जा रही है, उसको क्या मिलेगा? उसकी आमदनी 129 से बढ़कर 130 रु0 लाने में इस डैम का क्या योगदान होगा? गंगा और जमुना पहाड़ से आती हैं और हमारे यहां तबाही लाती है। हमारी जमीन को काट देती हैं और उत्तर प्रदेश के मैदानों को आबाद करती है। हिन्दुस्तान के लिये उससे नई सभ्यता आती है लेकिन यह पहाड़ के रहने वालों को आंसू दे रही है और उनको बरबाद करती है। आप को शायद मालूम नहीं होगा कि पहाड़ की बहू-बेटियां गरीबी से तंग आकर इसी गंगा और जमुना में आत्महत्या कर लेती हैं। इन नदियों ने उत्तर प्रदेश को खुशहाल बनाया है। मुझे गर्व है कि आज यह गंगा और जमुना उत्तर प्रदेश को नया विकास देने जा रही है लेकिन मैं पूछता हूं कि हमारा क्या होगा, पहाड़ पर रहने वालों का क्या होगा?

गंगा और जमुना होते हुये भी पहाड़ की चोटी पर पानी नहीं मिलता है। टेहरी गंगा और भिलंगना दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है लेकिन पीने के लिये पानी भी नहीं मिलता है। गगा का पानी वहां सिंचाई के काम भी नहीं आता है। जब टेहरी का विलीनीकरण हुआ था तो वहां पं0 गोविन्द वल्लभ पन्त गये थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आज से यहां का दुःख दर्द उत्तर प्रदेश का दुःख दर्द होगा। तो उस आश्वासन का क्या हुआ? आज 25 साल उस वायदे को किये हो गये लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या वह पूरा हुआ है? पहाड़ के जो

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

यहां मंत्री हैं उनको भी वहां की जनता के दुःख दर्द से हमदर्दी नहीं है। वहां 35,000 जनता बेघरबार हो जायेगी। हम लोग बरबाद हो जावेंगे। जो बिजली बनेगी क्या आप उसके लिये गारण्टी देंगे कि वह बिरला और कनौडिया को नहीं दे दी जावेगी ? आप उस बिजली को जो 4 से अधिक पैसे में बनेगी इन लोगों को 2 पैसे में नहीं देंगें इसकी क्या गारण्टी है ?

मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप पहाड़ की जनता को यह आश्वासन देंगे कि जो बिजली बनेगी वह पर्वतीय क्षेत्र में रहने वालों की गरीबी दूर करने के लिये लागत दर पर दी जावेगी। अगर आप इस गारण्टी को देने को तैयार है तो वहां वालों को इसके बनने में हर्ष होगा क्योंकि उनका विकास होगा, वहां प्रकाश पहुंचेगा। अगर आप यह आश्वासन नहीं दे सकते है तो क्या परिणाम होगा ? इससे तो यही नतीजा निकलता है कि आप भी उसी मनोवृत्ति के शिकार है, जिसके शिकार बड़े-बड़े उपनिवेशवादी होते है। क्या है आपका सिद्धान्त ? पिछड़े क्षेत्र के साधनों का उपयोग वहां के विकास के लिये न करके, विकसित के लिये करें ? अगर उस बिजली को टेहरी की जनता को, उनके विकास के लिये लागत दर पर देने के लिये तैयार नहीं है और उस बिजली को मैदानों में लाकर बिड़ला और कनौडिया जी को दे देंगे तो क्या यह आप की सही नीति है ? हमारे ऊपर दूसरों को विकसित करना चाहते हैं आप ?

मान्यवर, जब यह योजना बनी थी और जब यह कहा गया था कि क्या होगा इन 35,000 विस्थापितों का, तो मुझे अच्छी तरह याद है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने पर्वतीय विकास परिषद् के लिये यह स्पष्ट घोषणा की थी कि जब तक टेहरी के एक-एक विस्थापितों को पुनर्वासित नहीं कर दिया जायेगा, इस योजना पर काम नहीं होगा। माननीय सिंचाई मंत्री, श्री राम लखन जी थे, टेहरी के अन्दर डा० केवलराय जी मौजूद थे, और मैं भी मौजूद था, बड़ौनी जी भी थे। मुख्य मंत्री जी ने यह स्पष्ट घोषणा की थी कि जब तक पुनर्वास की समस्या हल नहीं होगी, एक-एक विस्थापित नहीं बसा लिया जायेगा, योजना का निर्माण-कार्य नहीं प्रारम्भ होगा। मैं इस सम्बन्ध में नारायणदत्त तिवारी जी के पास गया, किस-किस के पास नहीं गया ? कौन सा मंत्री है जिसके दरवाजों को नहीं खटखटाया। सबने कहा कि पहले पुनर्वास करेंगे फिर निर्माण-कार्य करेंगे। लेकिन आज हकीकत क्या है ? अब तक पुनर्वास की कोई योजना नहीं, नीति संबंधी कोई घोषणा नहीं। एक्वीजीशन की कार्यवाही शुरू हो गयी है। निर्माण-कार्य शुरू हो रहा है। ऊपर सड़कें बन रही हैं और नीचे हमारी बहनें अपनी गाय-बकरियां चराती हैं। ऊपर से मलवा गिरता है, और उनके जान का खतरा पैदा हो गया है...एक गाय मर गयी है, दबकर।

श्री अधिष्ठाता—

आप 20 मिनट बोल चुके हैं। 2 घंटे की चर्चा है। और भी माननीय सदस्य बोलेंगे। आप कितनी देर और बोलना चाहेंगे ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, 15 मिनट और बोलना चाहूंगा। समस्या समझाना है।

श्री अधिष्ठाता—

आप 5 मिनट और बोल लें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, एक सभा हुई थी देहरादून के अन्दर, जिसमें सिंचाई मंत्री जी मौजूद थे, राजस्व मंत्री जी मौजूद थे, उद्योग मंत्री जी मौजूद थे, वित्त मंत्री जी मौजूद थे और अनेकों सेक्रेटरी

मौजूद थे। कहा गया कि 6,000 एकड़ जमीन देहरादून की तराई में देदें। जून में मीटिंग हुई। दिसम्बर तक कुछ नहीं हुआ और आज हमसे कहा जाता है कि 6,000 एकड़ जमीन में कुल 3,000 एकड़ जमीन काबिल काश्त है और बाकी नहीं। हमारी मांग है कि आप हमको उतनी जमीन दीजिये जितनी लाभकर जोत हो। हम पहाड़ के अन्दर रहते हैं। बच्चे बूढ़े घरों में काम करते है, जवान फौज में हैं या बाहर नौकरी करते हैं। पहाड़ों में आज भी सीधे-साधे लोग हैं। मकानों में ताले नहीं लगते। वे देहरादून में आयेंगे। बीबी-बच्चे नहीं छोड़ सकते उनके विषय में आप को सोचना पड़ेगा। आप पिछड़े लोगों की और समाजवाद की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। इतनी बड़ी योजना बना रहे हैं लेकिन हमारे लिये आर्थिक प्रबन्ध नहीं करेंगे तो हम क्यों कुरबानी करें ?

दूसरी बात, श्रीमन्, मुआवजे की है। वह भी अभी सरकार तय नहीं कर पायी है। जो लोग वहां के उजाड़े जायेंगे, उनको मुआवजा दें। कम से कम इतना मुआवजा दें कि यदि खेती न करें तो दूसरा व्यवसाय कर सकें। इतना तो मुआवजे का सिद्धान्त रखें।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि स्थानीय जनता को पहले रोजगार मिलेगा। मनेरी भाली की मिसाल आपके सामने है। पत्थर तोड़ने के लिए, रोड़ी तोड़ने के लिये आप कम्पनी ला रहे हैं उड़ीसा से। हमारा सबसे पिछड़ा इलाका है। निर्माण के कार्यों में आप टेहरी की जनता को लगाइये। वहां पर भूतपूर्व सैनिक हैं। जिन्होंने दूसरी बड़ी लड़ाई में भाग लिया था उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। आप बड़े-बड़े ठेकेदारों को ठेके दे रहे हैं। आपने ठेके का काम दिया कि हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी को। बाल चन्द हीरा चन्द के पास दोनों ही काम हैं--कंस्ट्रक्शन का भी और ट्रासपोर्ट का भी। टेहरी की जनता उखाड़ी जा रही है। वहां पर एक मात्र व्यापार ट्रासपोर्ट का ही था।

नयी टेहरी बसानेकी योजना है। किस ढंग से बसायी जा रही है। अफसरों की कालोनी बसायी जा रही है। जनता को 5 मील घूम कर जाना होगा। जैसे अंग्रेजों के जमाने में अफसर अलग रहते थे वैसे ही आज के अफसर जनता से दूर रहना चाहते हैं।

अन्त में एक निवेदन और करना चाहूंगा। यकीन रखिये यह योजना सफल नहीं हो सकेगी। नौकरशाही इस योजना को सफल नहीं कर सकेगी। राजस्व मंत्री जी व मुख्य मंत्री जी यहां पर मौजूद है। मैं उनको मिसाल देता हूं मनेरी भाली की। अगर आप इस बान्ध के निर्माण के संबंध में, बाढ़ से होने वाली समस्याओं के हल के संबंध में और विस्थापितों के पुनर्वास के संबंध में जनता के नुमाइन्दों को साथ में नहीं लेंगे तो यकीन रखिये आपकी योजना सफल नहीं होगी। आपकी नौकरशाही इस योजना को खा जायगी। मेरा आपसे निवेदन है कि आप भागीरथी घाटी विकास अधिकरण स्टेटुटरी बाडी के नाम से बनायें जो पुनर्वास की व्यवस्था को, नयी टेहरी बसाने की व्यवस्था को और निर्माण के कार्यों की व्यवस्था को देखें। उसमें जनता के प्रतिनिधि हों। अगर आप ऐसा करेंगे तो जनता को अहसास होगा कि आप कुछ कर रहे हैं। टेहरी के अन्दर निर्माण करने वाला सिंचाई विभाग और मुआवजा देने वाला राजस्व विभाग है। कुछ पता नहीं आज इस डिबेट का जवाब कौन देंगे--राजस्व मंत्री या सिंचाई मंत्री ? चीफ इन्जीनियर रहते हैं देहरादून के अन्दर और टेहरी डेम के प्रोजेक्ट आफिसर रहते हैं लखनऊ में। किस के पास अपनी गाथा कहें और किस के पास अपनी समस्यायें ले जायें ? अधिक समय नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे हमदर्दी के साथ इन 35 हजार लोगों की समस्या को देखें जो बेघरबार हो जायेंगे और दर-दर की ठोकरें खायेंगे। हम कुरबानी देने के लिये तैयार हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप आज इस बात का आश्वासन दें कि वहां के विस्थापित पुनर्वासित होंगे और वे बेघरबार नहीं होंगे और इस डैम के अन्दर जो बिजली बनेगी वह बिजली लागत दर पर पर्वतीय क्षेत्र के विकास कार्यों के लिये दी जायगी। धन्यवाद।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

(श्री इन्द्रमणि के पुकारे जाने पर ।)

पहले तो नियम 52 के अन्दर मंत्रीजी उत्तर देंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

यह तो आवश्यक नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

नियम की स्थिति देख लें ।

श्री अधिष्ठाता--

मेरे विचार में यह आवश्यक नहीं है कि मंत्री जी अभी उत्तर दें । व किसी वक्त भी कोई बात कहना चाहगे तो कह देंगे ।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

अधिष्ठाता महोदय, आज टेहरी में जो बान्ध बन रहा है उसके विस्थापितों पर चर्चा के लिये अवसर प्रदान करने के लिये आपके आभारी हैं। अच्छा तो यही था कि मंत्री जी कह दते और फिर हमें उन चीजों को दुबारा बोलने की आवश्यकता न होती। श्रीमन्, नेगीजी ने 35,000 लोगों की बात कही लकिन मेरा अपना ख्याल यह है कि टेहरी में बांध बनने के बाद टहरी नाम की कोई चीज नहीं रह जायेगी। टेहरी रंगना और भागीरथी के संगम पर बसा हुआ है। और टेहरी जिले की जो घाटी की जमीन है वह सब इस बांध के बनने से डूब जायगी। टेहरी जिले के निवासियों ने कभी यह नहीं चाहा कि यह बांध वहां पर न बने अगर उससे देश का हित होता हो। मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि एक दफा टेहरी जरूर जायं और हमारा निमंत्रण स्वीकार करें ताकि यह देख सकें कि यह टेहरी नगर कितना सुन्दर था, टेहरी की घाटी जो बांध की वजह से डूब रही है वह जमीन कितनी सुन्दर है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस जमीन की ईल्ड समस्त उत्तर प्रदेश में धान और गेहूं में सबसे अधिक है। इस प्रकार हमारी सबसे अच्छी भूमि, हमारा सबसे अच्छा संस्कृति का शहर डूब रहा है लेकिन फिर भी जब प्रान्त के हित की बात थी तो हमने इसका विरोध नहीं किया। लेकिन इसके लये जितनी ग्राम सभाएं डूब रही है करीब 70-72 इनकी बैठक बुलाई गयी और उन्होंने एक मांग-पत्र तैयार किया है जिसे हमने आपके अधिकारियों को भी दिया। इसमें उन्होंने 12 मांगें की हैं जो कि बिलकुल सही हैं--

".....तदुपरान्त समिति ने अपनी साधारण सभा की बैठक में निश्चय किया कि सरकार के पास बांध प्रभावित जनता की मांगें प्रस्तुत की जायं जिसको जिलाधीश द्वारा बुलाई गयी 29-10-72 की बैठक में अन्तिम रूप सर्वसम्मति से दिया गया (यह बैठक 8-10-72 को हुई थी ।)

1--टिहरी बांध प्रभावित क्षेत्र के नागरिकों को विस्थापित घोषित किया जाय और उनको वे सभी सुविधायें दी जायं जो भारतीय संविधान में विस्थापितों को दी जाती हैं ।

2--टिहरी बांध के लिये भूमि तथा भवन का अधिग्रहण का कार्य करने से पूर्व बांध प्रभावित क्षेत्र की संपूर्ण भूमि का पेड़, पौधा, डिगी, नल, मकान बिजली आदि का सर्वेक्षण प्रथम किया जाय और मौके पर ही जो लोग के आपसी वाद-विवाद हों व एक न्याय अधिकारी द्वारा निबटायें जायं, उसके बाद बन्दोबस्त सर्वेक्षण में पाई जाने वाली समस्त अचल संपत्ति की एक प्रति भूमिधर को दी जाय ।

3--बांध के लिये भूमि तथा भवन अधिग्रहण का कार्य तब तक न किया जाय जब तक कि पुनर्वास की समुचित व्यवस्था आधुनिक ढंग से, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात संचार की नहीं की जाती है । साथ ही अधिग्रहण का कार्य खंडों में न किया जाय ।

4--पुनर्वास की व्यवस्था में यह भी ध्यान रखा जाय कि जिस तरह से .....

श्री अधिष्ठाता--

माननीय बड़ौनी जी, यह मांग पत्र तो माननीय मंत्री जी के पास होगा ही। आप इसे आगे न पढ़, आप भाषण कर लें।

श्री इन्द्रमणि--

तो मैंने पहले ही इजाजत चाही थी कि ये जो मांगे हैं 12 हैं जो बहुत जरूरी हैं उनको देख लिया जाय। तो जब हमन मांग-पत्र तैयार कर दिया तो हमन आपक जिलाधीश तथा वहां पर जो अधिकारी हैं बांध संबंधी उन लोगों को हमन कहा कि यह हमारा मांग पत्र है, शासन हमको बता दे कि वह क्या कर रहा है ताकि जो इस समय रह जायंगी वह मुख्यमंत्री जी के सामन रखें। लकिन इसक बाद जिला मैजिस्ट्रट न एक बैठक बुलाई और कहा कि विस्थापितों को पहल बसाया जायगा तब जाकर हम काम आरम्भ करेंगे। लेकिन बड़े दुख की बात है। मैंने उनसे कहा था कि सरकार क्या कर रही है, उसकी एक प्रतिलिपि आप छपाकर हमको बंटवा दें कि क्या करने जा रह हैं। कम से कम हमको मालूम तो हो जाय कि सरकार इन गांवों क लोगों क हित में कुछ कर भी रही है? इन विस्थापितों को कैसे बसा रही है? लेकिन सरकार न इस प्रकार की कोई भी बात नहीं की।

इसके बाद वहां पर एक सड़क बनानी शुरू कर दी। उसके लिये लोगों ने अपने एतराज पशकिय, यहां पर आये। तो कुछ रोज उसका बनाना बन्द कर दिया लकिन फिर उसको प्रारम्भ कर दिया। पहले सरकार कहती थी कि दहरादून और ऋषिकेश के बीच में 6 हजार एकड़ भूमि वहां के लोगों के लिय मिल जायगी। फिर कहत हैं कि केवल 3 हजार एकड़ भूमि मिलेगी। तो डैम तो बन लेकिन अगर सरकार टेहरी के लोगों को बिल्कुल बरबाद करके उस बांध को बनाना चाहती है तो टेहरी क लोग भी बरबाद नहीं हो पायेंगे। अतः मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि सरकार उन लोगों के लिये क्या करन जा रही है कम से कम इसका कोई पैम्फलेट प्रकाशित करे ताकि लोगों को मालूम हो सके कि सरकार उनको किस तरह स बसान जा रही है। साथ ही एक बड़े अचम्भे की बात है कि डैम तो बनगा टेहरी में लेकिन उसके प्रशासक लखनऊ में रहेंगे। अगर कोई कठिनाई लोगों को मालूम होती है तो प्रशासक साहब एक रोज वहां चले गये, अपनी बात कह दी और कह कर चले आये। आपके सब से बड़े इंजीनियर का आफिस देहरादून में है। क्यों न वह टेहरी में हो जाय? यहां हमारे राज्य मंत्री जी नहीं है, उन्होंने टेहरी में कहा था कि टेहरी के लोगों को सब से पहल नौकरी मिलेगी। लेकिन जब कार्यालय देहरादून में है तो टेहरी के लोगों को नौकरी मिलने का सवाल ही नहीं आता। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुये मेरा आपसे निवेदन है कि कुछ ऐसी कठिनाइयां पैदा कर दी गयी है जो बड़ी आसानी से हल हो सकती हैं और कुछ ऐसी चीजें कि जोकि आप अगर जायेंगे और देखेंगे तो अपने आप हल हो जायगी।

दो, तीन और बातें बता देना चाहता हूं। इस बांध के लिये, जैसा मेरे साथी ने कहा एक स्टैट्यूटरी बाडी इस ढंग की बना देनी चाहिये जिसमें जनता और सरकार, दोनों के लोग हों और छोटे-मोटे मसलों को वहीं पर हल कर दिया जाय। साथ ही जो आपके इंजीनियस हैं, मैं यह नहीं कहता कि उनकी राय सही है या गलत है लेकिन जो मेरी व्यक्तिगत अनुभव है उससे मैंने यह पाया है कि इंजीनियरों की राय बिल्कुल गलत है। हमारे आधुनिक इंजीनियरों ने जो पुरानी सड़क थी, जो गुलाब कोठी, पीपल कोठी से जोशीमठ जाती थी उसको नीचे ले गये और फिर जोशीमठ में चढ़ाया। जब यह कहा गया कि यह सड़क बह जायगी तो इंजीनियरों ने कहा कि यह सड़क कभी नहीं बहेगी। लेकिन बैलाकूची में जो बाढ़ आयी तो उस सड़क का कहीं पता नहीं चला। इसी तरह जब इंजीनियर यह कहते हैं कि 100 साल में यह बांध भरेगा तो मेरा ख्याल है कि अगर बेलाकूची की तरह बाढ़

[श्री इन्द्रमणि]

आ जाय तो एक ही दिन में यह भर जायगा। हरिद्वार से जो नहर आती है उसमें जो रेत जमा हो गयी थी उसको निकालने में 4 करोड़ रुपया खर्च हुआ था।

तो यह कहना कि 100 साल में यह बांध भरेगा यह मेरी समझ में नहीं आता। छितौनी बांध पर 7 करोड़ रुपए खर्च हुये थे बनाने में और 14 करोड़ उसकी मरम्मत पर खर्च हो चुके हैं और जैसे ही बरसात शुरू हुई जुलाई में तो छितौनी बांध यहां से टूट गया और नानक सागर बांध वहां से टूट गया। इसलिए अगर आपके पास सही इंजीनियर्स नहीं हैं तो इसको बनाने की बात न कीजिये। यह न हो कि बंगाल तक सब डूब जाय। इससे उत्तर प्रदेश जायगा, बिहार जायगा और बंगाल जायगा। इसलिये आप अपने इंजीनियरों को ठीक से देख लीजिये कि बांध बनाने की इनके अन्दर क्षमता है या नहीं। इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब तक बांध बनाने का सवाल है, जैसा मेरे साथी ने कहा, वह अवश्य बनाया जाय, मगर हिमालय के इस भू-भाग पर भूकम्प आते हैं। इसलिये यह देख लिया जाय कि कहीं भूकम्प के कारण इस बांध में कभी कोई खराबी तो नहीं आयेगी। यह भी विचारने की बात है कि क्या देश की सुरक्षा की दृष्टि से बांध का बनाया जाना आवश्यक है या नहीं? क्या उससे उत्तर का भला हो सकता है या नहीं? कहीं एसा न हो जाय कि बांध बनने के कारण टिहरी-गढ़वाल के सारे लोगों का जन-जीवन ही हमेशा के लिये नष्ट हो जाय।

एक चीज मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप टिहरी जिले के लोगों को भला चाहते हैं तो वह तभी होगा जब आप हमारी उचित मांगों को मानेंगे। वहां के लोगों की प्रमुख मांग यह है कि उनको जमीन के बदले जमीन दी जाय और मकान के बदले मकान दिया जाय। आप तो समाजवादी हैं, 18–20 एकड़ की आपने सीलिंग रखी है, पर हम तो आपसे 5 एकड़ जमीन ही मांग रहे हैं।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। 3 हजार फीट पर जो हमारे खेत हैं वे बहुत उपजाऊ हैं और सिंचाई योग्य हैं। 4 हजार फीट पर गांव हैं और 6 हजार फीट पर हमारे बगीचे हैं। अब तीन हजार फीट वाली जमीन जो सबसे अच्छी है वह तो आप ले लेंगे और उसके बदले में देने के लिये 4–5 हजार फीट पर की जमीन रह जायेगी। इसलिये जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनकी आप सारी जमीन ले लीजिये, वहां पर आप जंगल लगा दीजिये, और उसके बदले में दूसरी जगह उनको जमीन के बदले जमीन और मकान के बदले मकान दीजिये।

(दूसरा नाम पुकारे जाने पर)

श्री गोविन्दसिंह नेगी—

मान्यवर, आप प्रक्रिया नियमावली का नियम 54 देखने की कृपा करें। इसके अनुसार पहले मंत्री जी का संक्षिप्त वक्तव्य हो जाय, फिर जिसे जो कहना होगा वह कहेगा।

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी पहले कुछ कहना चाहेंगे या अंत में?

*राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

माननीय सदस्यों की इच्छा है तो मैं पहले कुछ प्रकाश डाल देना चाहता हूं। इसमें मान्यवर, कोई संदेह नहीं कि यह एक बहुत बड़ी योजना बनायी जा रही है। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि इससे देश और प्रदेश का बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। इसमें भी संदेह नहीं कि इस योजना के बनने से वहां के आस-पास के लोगों को काफी तकलीफ होने वाली है। तकलीफ इस माने में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि उनको अपने घरों का छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा, सबको अपने अपने घरों का मोह होता है। उसकी परम्परायें होती हैं, उनके अपने एसोशियन्स होते हैं और उनका पुराना वहां का इतिहास होता है और उन सबसे उनका बड़ा प्रेम, मोहब्बत और लगन होती है। उनका महत्व भी होता है और वह आवश्यक भी होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब हम इस काम को करेंगे तो उनको वहां से हटना पड़ेगा। मैं इस बात की यथासम्भव कोशिश करूंगा कि उनको जो नुकसान होने वाला है वह न हो, जो तकलीफ होने वाली है वह कम से कम हो। लेकिन हम पूरा प्रयास करते हुये भी शायद उस सीमा तक सफल न हो सकें जितने की अपेक्षा की गई है। मैं दो-तीन बात आरम्भ में निवेदन कर देना चाहता हूं।

पहली बात, मानीय सदस्यों ने इस बात का आश्वासन चाहा कि अभी मुख्य मंत्री जी ने भी वही कहा और पहले भी कहा था, उनको बसाने पर पहले ध्यान दिया जाए, उस संबंध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि निश्चयपूर्वक जब तक विस्थापितों को जमीन देने का प्राविधान नहीं कर देंगे तब तक उनको उनके घरों से नहीं हटायेंगे।

दूसरी बात यह है कि जितनी उनकी खेती योग्य जमीन ली जाएगी, हम कोशिश इस बात की करेंगे कि कम से कम उतनी जमीन दूसरी जगह उन्हें अवश्य दें। जमीन के बदले जमीन ही दी जायगी। मकान आदि जो दूसरी सम्पत्ति है, उसका भी मूल्यांकन बाजार भाव से करके उनको देने का इरादा है। यह हमारा प्रस्ताव है, हमारे मन में है और यही हम करना चाहते हैं——

श्री गोविन्द सिंह नेगी——

पहाड़ पर बाजार भाव क्या होगा, उसका आपको अंदाजा नहीं है।

श्री उदित नारायण शर्मा——

वह भी ठीक ही होगा। हम इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं कि वहां से हटाकर उनको नजदीक से नजदीक के स्थान पर ले जाना चाहते हैं। देहरादून में जंगलों को हमने ले लिया है, उनकी सफाई की जा रही है। यह भी बात निवेदन करना चाहता हूं कि जो भूमि ली जा रही है उसके बारे में विशेष ध्यान रखा गया है कि वह उससे कम उपजाऊ न हो। यह करीब-करीब समतल जमीन होगी।

श्री इन्द्रमणि——

इस डैम को बनने से जो जमीन डूब रही है वह तो चौरस ही है, आप स्वयं देख लें।

श्री उदित नारायण शर्मा——

मैं उनकी बात मानने को तैयार हूं—वह चौरस होगी। मैं भी आपको चौरस जमीन दे रहा हूं। वह हो सकता है चौरस हो और नहीं भी हो सकती है, लेकिन हम उनको चौरस ही दे रहे हैं। हमने इस बात की कोशिश की है कि हम आपको उपजाऊ जमीन की जगह उपजाऊ जमीन दें। आपको मालूम ही है कि जहां जंगलात होते हैं, वहां की जमीन बहुत ही उपजाऊ होती है। हम उन जंगलों को कटवा कर, फिर पटवा कर बिलकुल खेती के योग्य बनाकर उनको वितरित करेंगे और प्रत्येक उस व्यक्ति को जिसकी जमीन इस बांध में डूबने जा रही है। हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि जो गांव वहां से उठें, उन्हें यथासम्भव एक ही जगह पर बसाया जाए।

चौथी बात यह निवेदन करना चाहता हूं, यह भी हम आपको अश्वासान देना चाहते हैं कि इस काम के ऊपर जो मजदूर लगेंगे वह सबसे पहले टेहरी इलाके के ही होंगे उनको प्राथमिकता दी जायगी। वहां पर यदि मजदूर उपलब्ध नहीं होंगे, तभी बाहर से आयेंगे। यह इतनी बड़ी योजना है कि इसमें हो सकता है कि इतने अधिक मजदूरों की एक साथ आवश्यकता पड़ जाय,

[श्री उदित नारायण शर्मा]

जितनी गति से और जितना काम वहां के मजदूरों को करना चाहिये न कर सकें, तो और यह आवश्यकता महसूस हुई है कि उसको सप्लीमेन्ट किया जाय बाहर के लेबर से भी। लेकिन माननीय सदस्यों का कहना बिलकुल सही है, कि इस बात का निर्णय पहले हो चुका है, मैंने माननीय सदस्यों को जो बयान मिला है उसमें कहा है कि यह शासन का निर्णय है कि उस इलाके के मजदूर काम पर लगाये जायेंगे, अधिक से अधिक ताकि यथासम्भव उन्हीं को मजदूरी उपलब्ध करायी जा सके ।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)--

पहाड़ से लोग मैदान में आते हैं मजदूरी करने के लिए मैदान से पहाड़ में वैसे नहीं जाते हैं।

श्री उदितनारायण शर्मा--

अभी यह बात कही गयी कि दूसरी जगह से बुलाकर मजदूर यहां पर लगाये जायगे। उसी का उत्तर मैं दे रहा था। अन्यथा आपकी बात सही है तो बिलकुल ठीक है। मुझे क्या कहना है। मैं इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि हम लोग आपकी सेवा में हाजिर हैं, अगर अपने साथ ले जाना चाहें।

श्री अधिष्ठाता---

(श्री गोविन्द सिंह नेगी के खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास करने पर) माननीय नेगी जी आपको बाद में अवसर मिलेगा।

श्री उदित नारायण शर्मा--

अभी माननीय मुख्य मंत्री जी फरमा रहे थे कि मैं जाऊंगा। मैं जाकर देखूंगा। इस बात में कोताही नहीं होगी। इसकी शिकायत नहीं मिल पायेगी कि उसमें किसी ने उपेक्षा की और जिस तरह से ध्यान देना चाहिये, नहीं दिया। यह आपका सौजन्य है कि आप कर्तव्यों के प्रति जागरूक हैं, आप सहयोग देने के लिये तैयार हैं और आप इस बात को मानते हैं कि भले ही कुछ उस इलाके में रहने वालों को कष्ट हो लेकिन इससे जो बड़ा लाभ जनसाधारण को होने वाला है उसकी उपयोगिता है, आवश्यकता है। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिये शासन की ओर से अधिक से अधिक कोशिश इस बात की होगी कि वहां से जो लोग हट रहे हैं उनके साथ अधिक से अधिक न्याय किया जाय ।

*श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)--

अधिष्ठाता महोदय, इस बात की बहुत खुशी है कि यह टेहरी योजना जैसी सरकार ने बतायी है छः सौ मेगावाट बिजली हमारे प्रदेश को मिल सकेगी और उससे तरह-तरह से तरक्की हो सकती है। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। इसलिये हम इस योजना का स्वागत करते हैं। अभी हमारे पहाड़ के साथियों, श्री नेगी और बड़ौनी जी ने जो जज्बात जाहिर किये हैं उन पर मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। वह देशभक्ति के हैं। उन्होंने कहा है कि हम बलिदान देने के लिये तैयार हैं प्रदेश की तरक्की के लिये। लेकिन मान्यवर, यह देखने की बात है इस सब भावना के बावजूद यह जानते हुये भी हमारे प्रदेश की इससे तरक्की हो सकती है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य आपस में जोर-जोर से बात न करें। शान्त रहें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बलवीर सिंह--

फिर हमने अखबारों में पढ़ा है, सदन में भी बताया गया, दूसरी तरफ आन्दोलन की तैयारियां हैं। मर्द ही नहीं, स्त्रियां और बच्चे भी आन्दोलन करने को तैयार हैं और वह आन्दोलन जारी है। जुलूस निकलते ह। जलसे हो रहे हैं। सब तरह की तैयारी है। आखिर ऐसा क्यों है ? यह एक चिन्ता का विषय है। इसका कोई कारण जरूर है। मुझे दुख हुआ मैंने पढ़ा था, मुझे एक परचा मिला था उसमें यहां तक लिखा है कि सरकार की इस प्रकार की नीति चल रही है जिससे उस प्रदेश के हिस्से में यह भावना बनती जा रही है, हम इस नतीजे पर पहुचे हैं कि आजादी के बाद हमारे देश में एक नये ढंग का उपनिबेश का जन्म हुआ है। यह हमारे प्रदेश के कई हिस्सों म हो रहा है। इस सरकार की गलत नीति के कारण पश्चिम में भी इस तरह की भावना है। हम बार-बार कहते आये कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये कुछ सुविधायें मिलें।

श्री अधिष्टाता--

विषय को जरा आप देख लें जो इस प्रकार है "भागीरथी नदी पर टिहरी के समीम डाम परियोजना क निर्माण से 22,000 विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या के विषय में।"

श्री बलवीर सिंह--

उसी पर बोल रहा हूं। वहां पर आन्दोलन होने के कुछ कारण हैं। अगर जनता में यह भावना फैलती हो कि उस हिस्से में तथा प्रदेश के दूसरे हिस्सों में एक ऐसी सरकार राज्य कर रही है जो कालोनिज्भ कायम करना चाहती है। नेगी जी ने भी कहा कि इस तरह का राज्य चल रहा है जिससे यह लगता है कि पिछड़े हुए इलाके के लोगों का सत्ता में काम करने वाले लोग शोषण करना चाहत हैं। यही मेरे कहने का मंशा है। प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी अगर यह भावना पदा हो रही है तो यह दुख की बात है। इसलिये वह इस पर आमादा हुये हैं। नेगी जी ने कहा कि बिजली बनती है तो क्या सरकार आश्वासन देगी कि उस बिजली को प्रदेश के ही फायदे म इस्तेमाल किया जाय। गरीब किसान तथा मजदूर के फायदे के लिये ही उसे इस्तेमाल किया जायगा न कि बिरला, टाटा, हिन्डालको आदि को बिजली देने में। वित्त मंत्री जी ने अपने एक भाषण में यह आश्वासन दिया था 12 तारीख के बाद जब कि बिजली पर बहस चली थी कि हिन्डालको को बिजली नहीं दी जायेगी।

श्री अधिष्ठाता--

आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री बलवीर सिंह--

विषयान्तर नहीं हो रहा हूं मालूम होता है आप मुझे बोलने नहीं देना चाहते। आप सरकार की नीति को असेल नहीं होने देना चाहते।

श्री अधिष्ठाता--

ऐसी बात नहीं है। आप विषय से संबंधित बातें कहें।

श्री बलवीर सिंह--

मैं अच्छी तरह जानता हूं कि विषय क्या है ? बिजली का विषय है। बिजली का निर्माण होगा। जो बिजली बनेगी वह गरीबी को न देकर बिरला को दी जायगी। क्या आप बिरला की एडवोकेसी करना चाहते हैं ? आप वहां की बिजली को रोकना चाहते हैं और मुख्य मंत्री के इशारे पर.....

श्री अधिष्ठाता--

आप आक्षेप नहीं कर सकते। मैंने इस कुर्सी पर किसी के इशारे को नहीं देखा और न इशारा किया गया है।

श्री बलवीर सिंह—

मैं वापस लेता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

आपने नीयत पर हमला किया। मैंने विषय आपके सामने पढ़कर सुनाया लेकिन आप हिन्डालको को बिजली देने पर चले गये। विषय से संबंधित आप बात कहेंगे।

श्री बलवीर सिंह—

आप गाइड लाइन्स दे दीजिये किस तरह का भाषण मैं दे सकता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

मुझ पर आपने आक्षेप किया कि मैंने मुख्य मंत्री के इशारे पर आपको टोका है.....

श्री बलवीर सिंह—

नहीं टोका है तो वापस लेता हूं।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

यह तो उनकी आदत में शामिल है।

श्री बलवीर सिंह—

आपकी आदत सारा प्रदेश जानता है।

श्री अधिष्ठाता—

आपने जो आक्षेप किया है उसे आप वापस ले रहे हैं ?

श्री बलवीर सिंह—

आपकी मंशा नहीं थी तो वापस लेता हूं। लेकिन टोकने से पहले आप यह समझ लें कि मेरी क्या मंशा है। मेरा मतलब यह था कि यह जो योजना है जिसके कारण लोग आन्दोलन करने जा रहे हैं उस योजना के अन्तर्गत बिजली बनाई जायगी। अगर बनाई जायगी तो फिर वह किस को दी जायगी ? सरकार इसका आश्वासन दे कि वह हिन्डालको, बिरला आदि को न दे कर गरीब किसान को देगी। बिजली मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि हिन्डालको को बिजली नहीं दी जायगी लेकिन दो चार दिन बाद अखबार में पढ़ा तो उन्होंने कहा एक मुआहिदा हो गया है कि इतने मेगावाट बिजली वह हिन्डालको को देंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार ने कोई लाइसन्स द दिया है कि इतनी बिजली दी जाय जिसके कारण बिरला साहब को, हिन्डालको को वह बिजली देंगे।

मेरे कहने की मंशा यह है कि सरकार अपने आश्वासनों और बयानों से बदलती क्यों रहती है। इससे लोगों के मन म आशंका पैदा हो गई है। यहां के गरीब लोग उजाड़ दिये जायेंगे और उसका लाभ बड़े-बड़े लोगों को दिया जायगा। सस्ती दर पर बिजली उन्हें दी जायेगी, साधारण जनता को नुकसान होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसके बारे में सरकार पहले आश्वासन दे कि इस योजना द्वारा उत्पादित बिजली इस तरह से इस्तेमाल नहीं की जायेगी। इसीलिये वहां के लोगों मे रोष पैदा हो गया है और वे आन्दोलन कर रहे ह। 40 हजार लोग वहां स हटाय जायेंगे.....

(श्री लोकपति के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

क्या आप कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं ?

श्री लोकपति (जिला मिर्जापुर)--

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

जी नहीं।

श्री बलवीर सिंह--

40 हजार लोग वहां से उजड़ेंगे बरबाद होंगे यानी 8 हजार फैमिलीज वे होंगी। इसीलिय वे आज परेशान हैं कि कहां जायें। मुझे इस बात को देखते हुये खुशी हुई थी जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस वक्त यहां पर मौजूद थे और यह आश्वासन दिया गया था कि किसी भी व्यक्ति को समुचित मुआवजा दिये बिना नहीं हटाया जायगा। मैं इस बात को मानता हूं।

मान्यवर, दूसरा सवाल मुआवजे का है। अभी यह बात कही गई कि मुआवजा उनको दिया जायगा ठीक-ठीक दिया जायेगा और अच्छे ढंग से दिया जायेगा। यह आश्वासन दिया गया है। इस आश्वासन से उन्हें सन्तुष्ट होना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई और चारा भी गरीबों के पास और क्या है। लेकिन इसके संबंध में मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि अभी गांव के गरीबों की सीलिंग हुई थी उसमें उन्हें केवल साढ़े सात प्रतिशत तक ही मिला और शहरी सम्पत्ति वालों को, जैसा कि आपका विधेयक पेश हुआ है उसमें 75 प्रतिशत तक दिया जायेगा। इसी तरह से टिहरी वालों को भी साढ़े सात प्रतिशत से अधिक मिलने वाला नहीं है। इसलिये सरकार को मुआवजे की नीति को भी ठीक करना चाहिये। इसी से वे लोग परेशान हैं कि उनको क्या मुआवजा मिलेगा, कितना मिलेगा। इसलिये सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिये कि हम उन्हें इतना देने जा रहे हैं और पैमाना यह होगा। अगर यह बातें होती हैं तो जैसा कि मैंने शुरू में निवेदन किया कि हमें इसके बनने से बहुत खुशी है। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन जहां तक मैंने से समझने की कोशिश की उसमें यह चीजें पायी हैं जो मैंने आपसे निवेदन किया है। सरकार उनको स्पष्ट कर दे तो बहुत खुशी होगी।

*श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, मैं शासन को सर्वप्रथम इस बात के लिये बधाई दूंगा कि उसने आज के भीषण बिजली के संकट में प्रदेश के अन्दर एक ऐसी योजना बनवाई। लेकिन आशंका मुझे इस संबंध में यह है कि वहां पर जो बिजली तैयार होगी अभी से तैयार नहीं हो रही है, उसकी लागत सरकार के प्राक्कलन के अनुसार 4.82 पैसा प्रति यूनिट आयेगी। किन्तु यदि उसके पहले ही बड़े-बड़े कांट्रैक्टर्स जैसे बालचन्द हीराचन्द को बड़े-बड़े कारखाने खोलने के लिये 10-20 साल का कांट्रैक्ट हो जाय तो यह बड़े दुख की बात होगी। तो सबसे पहले मैं सरकार से इस बात का आश्वासन चाहूंगा जो 35 हजार लोग वहां से उजाड़े जायेंगे और हरिद्वार और देहरादून में बसाये जायेंगे, उनको उचित मुआवजा मिल जाय। मान्यवर, टेहरी हमारे प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला है वहां पर प्रति व्यक्ति औसत आय 132 रुपये है। जब कि अन्य जिलों में बहुत अधिक है। टेहरी के 35 हजार लोग उजाड़े जायेंगे। ये 5 लाख वाले जिले की आबादी के क्रीम हैं, सबसे अच्छे पढ़े-लिखे लोग हैं, सबसे अच्छी जमीन है। उनके लिये आप वहां पहले स्कूल/ विद्यालय बनवावें, प्राथमिक चिकित्सालय बनवायें, केवल कोरा आश्वासन दे ने से और जंगल कटवा कर जमीन दे देने से काम नहीं चलेगा। जैसे चंडीगढ़ में हुआ था कि वहां लोगों को बसानेसे पहले उनके बच्चों को पढ़नेके लिये स्कूल बने, अस्पताल बने, खेलों के लिये उद्यान बने उसी तरह से सारी चीजें यहां भी होनी चाहिये। मंत्री जी ने कहा कि 35 हजार लोग जो उजाड़े जायेंगे उनको बसाने का प्रबन्ध किया जायेगा। लेकिन वे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम गोपाल संड]

35 हजार जो बेघरबार के हो जायेंगे, उनके बच्चों के लिये पहले हाई स्कूल, मिडिल स्कूल व अन्य विद्यालय बनवाइये, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र बनवाइये और इसके लिये पहले से सारी योजना बनाने पड़ेगी उसके बाद ही आप इस चीज को चालू कर सकेंगे।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और अपने ज्ञान के लिये जानना चाहता हूं कि कहीं ऐसा न हो कि वहां उड़ीसा के लोग लाये जायं। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि वहां पहाड़ी लोग लगाये जायेंगे। मेरा कहना है कि काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारा देश एक है इसलिये वैसी बात नहीं कहनी चाहिये लेकिन बालचन्द-हीरा चन्द जो बहुत बड़े कांट्रैक्टर हैं उड़ीसा के वे वहीं से लोगों को लायेंगे तो मैं जानना चाहता हूं कि कितने स्थानीय लोगों को वहां काम पर लगाया गया है? मैं चाहता था कि माननीय मंत्री जी इस चीज को सदन के सामने रखते लेकिन यह आंकड़ा उन्होंने सदन के सामने नहीं रखा। बालचन्द हीराचन्द जो एक बहुत बड़े कांट्रैक्टर हैं उनको उड़ीसा के मजदूरों से कोई प्रेम नहीं है बल्कि उनका शोषण करने के लिये ही वहां से लाये हैं या लायेंगे क्योंकि उड़ीसा भी हमारे देश का एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है। सरकार को चाहिये कि वह स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक काम दे।

जैसा कि मैंने कहा कि उद्योग मंत्री भी मुख्य मंत्री जी ही हैं यद्यपि उन्होंने इसे एक राज्य मंत्री को देखा है, उनको उजाड़ने के पहले किस उद्योग में लगाने का आपने प्लान बना रखा है। कहीं ऐसा न हो जाय कि 35 हजार लोगों को बसाने की योजना उसी तरह की हो जाय जैसा कि 25 वर्षों से आपकी अन्य योजनायें बनती बिगड़ती रही हैं। मिर्जापुर में जब रिहन्द बांध बना था तो वहां के लिये भी एक योजना बनी थी लेकिन स्थानीय लोग जो वहां के कोल-भील आदि हैं। वे जंगलों में मारे मारे फिरते हैं। वहां के लोग तेंदू की पत्तियों से बीड़ियां बना-बना कर अपनी गुजर-बसर करते हैं। तमाम सारे इंजीनियर्स, अभियन्ता व क्लर्कस आदि बाबू मिर्जापुर में बाहर से लाकर पहुंचा दिये गये।

इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुये यह अवश्यक है कि पहले वहां स्कूल/विद्यालय, प्राथमिक चिकित्सालय आदि खोले जाय, छोटे-छोटे कुटीर उद्योग धंधे की योजना बने और उनके लिये इतना धन सैंक्शन हो कि उनके लिये मकान बनाये जा सकें। यह तो हो नहीं सकता कि सौ दो सौ रुपये दे कर देहरादून और ऋषिकेश के बीच में जंगल काट कर मकान बन सकेगा। इतने रुपये में तो एक कमरा भी नहीं बन सकेगा। तो आप स्पष्ट आश्वासन दें कि 35 हजार नागरिकों को आप एक अच्छे नागरिक बना सकेंगे। क्योंकि मुझे डर है कि एक नगर से उजाड़ कर उनको केवल जमीन ही मिल सकेगी। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी मेरी सारी शंकाओं का समाधान करेंगे, साथ ही मैं यह भी चाहूंगा कि देहरादून और हरिद्वार के पास बसाने के लिये जो योजना बनेगी उसे ठीक ढंग से कार्यान्वित करेंगे।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इसलिये इस पर बोल रहा हूं कि हमारे क्षेत्र में रिहन्द बांध बना हुआ है। यहां तो 35 हजार लोगों की बात हो रही है लेकिन हमारे यहां रिहन्द बांध में . . .

श्री अधिष्ठाता—

यहां रिहन्द बांध के बारे में बात नहीं हो रही है। आप टेहरी के सम्बन्ध में ही बोलें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

इससे रिहन्द में क्या हुआ है वह भी हमको मालूम हो जायेगा।

श्री राम प्यारे—

मेरा निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में भी इस तरह का काम हुआ है और इसलिये आपके माध्यम से मैं वहां के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। मान्यवर, 45 हजार लोग उजड़े।

यह सही है कि बांध बनने से पहले ऐसा होना चाहिये कि कम से कम जो लोग जिस हालत में हैं वही हालत उनको दूसरी जगह मिले। हमारे यहां रिहन्द बांध पर ऐसा नहीं हुआ है, सरकार बराबर आश्वासन देती रही कि जमीन दे देंगे, घर बनवा देंगे, स्कूल और अस्पताल की सुविधा दे दी जायेगी लेकिन बांध बनने के बाद कुछ नहीं हुआ। यह बड़ा कठिन काम है और जैसा कहते हैं वैसा नहीं होता है।

श्री रामगोपाल सण्ड---

क्या अस्पताल और स्कूल के बिना उनको उजाड़ा जाये ?

श्री राम प्यारे---

मैं कह रहा था कि योजना रहती है और जब रिहन्द से लोग उजाड़े जाने लगे तो बड़ी मुश्किल हुई और पी0ए0सी0 लगानी पड़ी।

श्री अधिष्ठाता---

रिहन्द बांध पर क्या हुआ ? यह विषय संबंधित नहीं है। टेहरी बांध की चर्चा करें।

श्री राम प्यारे---

मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं और वही हालत न हो जैसा कि हमारे यहां रिहन्द पर हुआ है। एक चीज यह है कि जो भूमिहीन हैं उनके पास जमीन नहीं है। रिहन्द में दो एकड़ जमीन फी परिवार दी गई है, चाहे पहले उनके पास जमीन रही हो या न रही हो। इसी तरह से यहां भी जो छोटे-छोटे काश्तकार हैं उनके जीवनोपार्जन के लिये फी आदमी दो एकड़ जमीन दी जाये, चाहे कोई भूमिहीन हो या अल्प भूमि वाला हो और अन्य जमीन वालों को जमीन दी जाये। वहां पर एप्रोच रोड जरूर होनी चाहिये। क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों को ट्रक के द्वारा रास्ते में लोगों को डाल दिया है। मैं चाहता हूं कि पहले पूर्णरूप से व्यवस्था हो जानी चाहिये कि लोगों को कोई तकलीफ न हो। उनको मुआवजा बाजार भाव पर दिया जाना चाहिये। 1960 के हिसाब से मुआवजा दिया जायगा तो बड़ी मुश्किल होगी। रिन्हद में ऐसा ही हुआ है। लेकिन बाद में सरकार ने व्यवस्था कर दी कि उनकी जमीन बराबर करा दी और मेड़ बंदी फ्री करा दी गई। मैं चाहता हूं कि बांध बनने से पहले सारी व्यवस्था हो जानी चाहिये।

*श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में आश्वासन दिया है कि जमीन के बदले जमीन, मकान के बदले मकान और बाजार भाव पर मुआवजा दिया जायेगा। लेकिन दर असल शंका यह है और पुराने अनुभव से जैसा कि रिहन्द में हुआ और हमारे यहां पौड़ी-गढ़वाल में कालागढ़ बांध बना उसका अनुभव हमें मजबूर कर रहा है कहने के लिये कि सरकार के कमिटमेंट्स बांध बनने से पहले पूरे हो जाने चाहिये क्योंकि अक्सर यह होता है कि जब तक बांध के काम में रुकावट रहती है और जब तक जनता उसे रोक सकती है तब तक तो जनता की मांगें मानी जाती हैं। लेकिन जब बांध के निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है तो उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि उन लोगों को बसाने का इंतजाम जरूर कर दिया जाये जिन लोगों के घर डूब रहे हैं, उनके परिवारों को विश्वास में लिया जाये।

दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि जैसा कि हमारे भाई मलिखान सिंह जी ने कहा कि पहाड़ पर काम करने के लिये मैदान के लोग नहीं जाते हैं ऐसा नहीं है क्योंकि कालागढ़ में जो बांध

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी]

बन रहा है उसमें हिन्दुस्तान के सारे स्थानों से लोग काम कर रहे हैं। तमाम जगह के लोग काम कर रहे हैं। वहां हिन्दुस्तान का एक मिनियेचर बना हुआ है। गढ़वाल के लोग भी वहां काम कर रहे है।

सरकार के सामने कई सवाल उठाये गये जैसे कि अब कालागढ़ डैम का निर्माण कार्य समाप्त होने वाला है, वहां के मजदूरों को आप कहां खपायेंगे ? मेरा नम्र निवेदन है कि वह लोग जो काम कर रहे हैं वहां और काम की जानकारी रखते हैं उनको अवश्य ही वहां काम दिया जाय और इसके अतिरिक्त जो वहां के करीब के टेहरी के रहने वाले लोग हैं उनको प्राथमिकता के साथ काम इस डैम क निर्माण म दिया जाय।

तीसरी बात यह है कि यह एक स्वाभाविक इच्छा मनुष्य की और वहां के लोकल व्यक्तियों की हो सकती है कि हमारे यहां अगर बांध बन रहा है तो उससे हमें भी कोई लाभ होने वाला है या नहीं। वह सोचते हैं कि हमारी जमीन जा रही है, हमारा शोषण ही हो रहा है या इस बांध से हमें भी कोई लाभ होगा। कालागढ़ डैम से गढ़वाल के किसी भाग को बिजली, सिंचाई के लिये पानी मिलने वाला नहीं है और यहां तक हुआ कि कालागढ़ डैम बना तो बिजनौर-धामपुर से लेकर कालागढ़ तक की सड़क तो प्रोजेक्ट में बन गई लेकिन गढ़वाल में जहां बांध बन रहा है वहां सड़क की, सिंचाई के लिये पानी की या बिजली की कोई सुविधा नहीं दी गई। आज भी वहां के लोग सशंकित हैं और वहां हैं लोगों मे यह स्वाभाकि भावना उठ रही है कि हमारे यहां बांध बनेगा तो उसका कोई लाभ हमें भी मिलेगा या नहीं। जो आज कुरबानी, बलिदान कर रहे हैं जो घर तोड़ने पर मजबूर हो रह हैं उनको भी उसका कोई फल भोगने को मिलेगा या नहीं यह सवाल आज वहां के लोगों में उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बांध की योजना के साथ ही वहां के लिये कोई योजना उद्योग को बनायें या किसी तरह की भी कोई चीज ऐसी बनाये जिससे वहां के लोगों को भी उस बनी हुई बिजली का उपयोग करने को मिले यह भाई वहां छोटे उद्योग धन्धों की कोई योजना बनाकर कर सकते हैं। उनके विकास के लिये उस बिजली के उपयोग का कोई तरीका आप जरूर निकालें।

(इस समय 4 बजकर 14 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मैं यह जरूर कहूंगा कि इस डैम के बनने की हम सब को खुशी है, प्रसन्नता है, वह वहां बनना चाहिये लेकिन एक भावना जो वहां लोगों में घर कर रही है कि उससे हमें कोई किसी तरह का लाभ नहीं होने वाला है, उसको आप को दूर करना चाहिये। इसके लिये आप उनको आश्वासन दें कि लाभ का हिस्सा उनको भी मिलेगा, बिजली के रूप में और सिंचाई के रूप में आप उनकी सहायता पहले करे।

वहां लोकल मजदूरों को अधिक से अधिक काम देकर आप उनकी सहायता कर सकते हैं, वहां पर अनएम्पलायमेंट बहुत है, कालागढ़ डम में जो मजदूर काम कर रहे है उनको भी आप वहां जरूर लगायें क्योंकि वह एक तरह से वहां के डैम के काम का टेक्निकल ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं बाहर से लेबर मंगाने की आवश्यकता नहीं है।

इसके अलावा एक अहम प्रश्न मै यह भी रखूंगा कि बांध के निर्माण में ठेकेदारों से आप टनेल निर्माण का काम करायेंगे जैसे शाह कम्पनी है या और अन्य कम्पनियां है जिन से आप काम कराना चाहते है लेकिन आप को शायद मालूम होगा कि कलागढ़ में जो कार्य डिपार्टमेंटली कराया गया है और जो कार्य वहां के मजदूरों ने किया उसकी मुख्य मंत्री जी से प्रशंसा भी की है और उनको उसके लिये प्रोत्साहन बोनस भी दिया है। उन्होंने टार्गेट से पहले ही अपने काम को पूरा किया जिससे प्रसन्न होकर मंत्री जी ने उनको इनसेन्टिव बोनस दिया है साल भर का। मै चाहता हूं कि उन इंजीनियरों और मजदूरों में विभागीय तरीके से अच्छा काम करने की भावना को प्रोत्साहन दिया जाय और उनमें यह भावना भरी जाय कि आप अधिक काम करेंगे तो यह इनाम दिया जायगा।

जो कालागढ़ डैम का काम पिछले दिनों में पिछड़ रहा था वह इस प्रोत्साहन के बाद आगे बढ़ा है और उसमें प्रगति हुई है। मैं चाहता हूं कि आप इस टेहरी डैम को भी उसी भावना को प्रोत्साहित करके डिपार्टमेंटली बनाने का प्रयत्न करें। अगर आप ठेकेदारों को ठेका दे देंगे तो आप बाद में उनको मजबूर न कर सकेंगे कि वह लोकल मजदूरों को भरती करें, उनका अपना स्टाफ और टेक्निकल लोग होगें उनको दिक्कत होगी और वह कहेंगे कि हम अपने लोगों को कैसे छोड़ दें। इसलिये यह आवश्यक है कि पहले से आप यह तय कर लें कि हम डिपार्टमेंटली काम करायेंगे। आपके पास इंजीनियर और लेबर मौजूद हैं और आप डिपार्डमेंटली इस बड़े काम को कर सकते हैं। इस तरह से लोकल लोगों को अपने यहां के टेक्निकल लोगों को काम मिल सकेगा।

श्री मेहरबान सिंह (जिला गढ़वाल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टिहरी के समीप डाम परियोजना के संबंध में बहुत सी बातें माननीय सदस्यों ने रखी हैं मैं भी 2–3 बाते सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। जैसा कि एक सूचना परिपत्र द्वारा बांटी गयी है, करीब 35 हजार आदमी टिहरी से बाहर जायेंगे यह बहुत आवश्यक है कि उनके लिये टाउन प्लानिंग द्वारा प्लान करके एक शहर बसाया जाय।

पहले टाउन (Town) प्लानिंग का कार्य किया जाय फिर चकबन्दी करके जितनी भी जमीन उन्हें देनी हो, दे दी जाय, जैसा कि बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में, किया गया है, जब मैं वहां पर सेटिलमेंट में था। वहां पर भाखरा डैम के बनने के कारण बहुत से अच्छे-अच्छे आदमियों के मकान डूबें, उनको उसके लिये मुआविजा मिला। उसी प्रकार से यहां के निवासियों को भी मिलना चाहिये। यह बात 10–12 साल पहले की है। उस समय रेट अवश्य ही कुछ कम रहा होगा, लेकिन उन्हें जो टेहरी से बांधों के कारण दूसरे जगह बसाये जायेंगे आज का रेट देकर उचित मुआवजा देना चाहिये। अगर उन्हें मुआवविजा नहीं देते हैं तो बाकायदा टाउन प्लानिंग करके, वहां पर अस्पताल बनाकर, स्कूल्स बनवाकर, टिहरी में एक कालेज भी है, बनवाकर बसाने का काम किया जाय। यदि ऐसा न किया गया तो बसाना न बसाना बराबर होगा और वे लोग दुखी रहेंगे।

एक बात और मुझे यह कहनी है कि टेहरी से 15–20 लाख रुपये का रेजिन तैयार होता है, क्लक्टर बगगंज बरेली को दिया जाता है। जिस समय मैं वहां पर था, उस समय इतनी तादाद में जाता था, क्लटरबगगंज की फैक्ट्री एक लिमिटेड कन्सर्न है। इस पर इन्कमटैक्स भी पड़ता है, जो हमारी सरकार को न मिलकर केन्द्रीय सरकार को चला जाता है। मेरी प्रार्थना है कि यहां पर एक उद्योग इस प्रकार का खोला जाय कि जो वहां के लैंडलैस क्लास हैं उनको कुछ लाभ हो सके। इस कन्सर्न को भी एक लिमिटेड कम्पनी का रूप दे दिया जाय ताकि जो मुनाफा हो वह उनको मिल सके। कोआपरेटिव सेक्टर में बनाने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि उसमें 9 या 10 परसेन्ट से ज्यादा डिविडेन्ड नहीं मिलता है। इसके लिमिटेड कन्सर्न हो जाने से लैंडलैस लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।

*श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी सभी माननीय सदस्यों की ओर से टिहरी डाम के संबंध में कई विषयों पर प्रकाश डाला गया है। मुझे तो वहां की एक ही मुख्य समस्या पर कुछ बातें कहनी है। टिहरी डाम के बन जाने के बाद जब लोगों को वहां से विस्थापित किया जायगा, जहां उनको बसाया जा रहा है, वहां बस जायेंगे, उसके सन्दर्भ में जो माननीय मंत्री जी ने स्पष्टीकरण दिया कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवानन्द नौटियाल]

जिनके मकान थे, उनको मकान दिये जायेंगे और जिनकी जमीनें थीं, उनको जमीनें दी जायेंगीं। तो इस तरह की सुविधायें तो दे दी जायेंगीं परन्तु जो सुविधायें पर्वतीय क्षेत्र में वे लोग प्राप्त कर रहें हैं, उनके लिये सरकार ने क्या प्राविधान किया है एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

मान्यवर, आज भी जिन सीढ़ीनुमा खेतों की ओर ध्यान जाता है, एक सीढ़ीनुमा दीवार सी होती है, उसका कोई मूल्य नहीं होता लेकिन पर्वतीय जीवन में उन मेड़ों का भी बड़ा महत्व होता है। वहां के लोग गुजारे के लिये सब्जी इत्यादि बोने के लिये अपनी सीढ़ीनुमा जितनी चीजें होती हैं उनका उपयोग करते हैं। जो मैं समझता हूं मैदानी क्षेत्र में नहीं मिल पायेंगीं। अपने जानवरों को चुगाने के लिये सरकार की ओर से आज भी वन विभाग की ओर से चरागाह दिये जाते हैं, यह बहुत से गांवों में उपलब्ध हैं क्योंकि बहुत सी भूमि चरागाह के लिये उपलब्ध है। यह एक ऐसा प्रश्न है कि जब उन लोगों को निवासित किया जायगा तो उसकी व्यवस्था सरकार के पास क्या है। इसके अलावा एक आर्थिक पक्ष का भी प्रश्न है। जो सोचने के लिये बात जरूर हास्यास्पद लगेगी परन्तु उसका अपने आप में बड़ा महत्व है। गंगा, भागीरथी, अलखनंदा, आदि नदियों का वहां के लोगों पर बड़ा प्रभाव है उस पर समस्त भारतवर्ष के जनसमुदाय की आस्था आज तक बनी हुई है। 10 लाख से लेकर 15 लाख तक व्यक्ति प्रति वर्ष गंगा जी का पानी लेकर समस्त भारतवर्ष में जाता है।

यहां पर हमारे कई माननीय सदस्य इस बात को शायद यह समझें कि यह ऐसी बात नहीं है परन्तु मान्यवर, भारतवर्ष के हर एक कोने में गंगा जी का पानी लेकर यहां का व्यक्ति जाता है। यदि ऐसी स्थिति सामने आ जायेगी तो वहां के रहने वालों की रोजी रोटी का जो साधन है वह भी खत्म हो जायेगा। उसक बाद कौन सी ऐसी गारन्टी या सुविधा है या कौन सा ऐसा कार्य है वहां से विस्थापित होने के तुरन्त बाद ही वहां के लोगों के लिये रोजी रोटी का साधन उपलब्ध कर दिया जायगा। यदि इस प्रकार की व्यवस्था नहीं रहेगी तो जैसी कि भावना उत्पन्न की जा रही है, न सड़कें बन पायेंगी, न अनुकूल भूमि दी जायेगी न अन्य प्रकार की सुविधा दी जायगी। थोड़ी सी भूमि यदि उसके लिये रुपये पैसे के अनुपात में न दे दी जाय जिस प्रकार का कि अनुपात निर्धारित किया जा रहा है उसके द्वारा किसी भी तरह से किसी भी तरह की सुविधा से वहां के लोगों को नहीं बसाया जा सकता है। यह कुछ ऐसा प्रश्न है। अन्य प्रश्नों पर भी सभी सदस्यों ने प्रकाश डाला है। मैं यह समझता हूं कि यह भी एक ऐसा प्रश्न है जिसम रोजी रोटी का साधान मुख्य है। इसके लिये कौन से साधन या व्यवस्थायें हैं जो सरकार की ओर से वहां के लोगों को दे देने के लिये कार्यक्रम बनाये गये हैं।

मान्यवर, एक बात मुझे और कहनी है। वह है एम्प्लाएमेंट के बारे में। यह कहा गया कि बाहर के लोग आते हैं। यह ठीक है कि बाहर के लोगों को आना ही चाहिये क्योंकि टिहरी बांध समस्त भारतवर्ष की दृष्टि से लगाया गया है। यहां पर समस्त भारतवर्ष के लोगों को रोजी रोटी मिले। इसमें ऐतराज नहीं है। परन्तु इसमें बिल्कुल ऐतराज है कि गढ़वाल के लोग, टिहरी गढ़वाल के लोग रोजी रोटी के लिये बाहर भटकें। उनको कालागढ़ और टिहरी डाम में तेलंगाना से काम करने के लिये लोग आये हैं। आज भी कालागढ़ में देखें अधिकांश लोग बाहर के हैं और टिहरी गढ़वाल देहरादून और लैन्सडाउन के एम्प्लायमेंट आफिसेज से लोगों को बुलाया नहीं जाता है। भूल से बुलाया भी जाता है तो रक्खा नहीं जाता है। यह ऐसा प्रश्न है जिस पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिये। इन विषयों पर यदि ध्यान दिया जाय तो इस डैम पर अविलंब कार्य आरम्भ कर दिया जाय ताकि हमारे देश की जो आंखें इस ओर लगी हुई हैं वह धीरे-धीरे नहीं अविलंब इस कार्य को पूर्ण करने में हमारा देश आगे बढ़े और प्रगति हो।

*श्री सुरेन्द्र बिक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

आदरणीय उपाध्यक्ष, जी किसी भी आगे बढ़ने वाले देश के लिये आवश्यक है कि वह बांधों का निर्माण करे बिजली के साधनों में और सिंचाई के साधनों में वृद्धि करे। अगर बढ़ती हुई जनसंख्या वाले देश में आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा देश पहले ही पिछड़ा हुआ है, और भी अधिक पिछड़ जायेगा। जब 132 देशों की गणना की गई थी तो हमारा देश 102 नम्बर पर था। इसका मतलब है कि 30 देश ही हमसे अधिक पिछड़े हुए हैं जो कि अफ्रीकन कंट्रीज हैं। इसलिये हमारे यहां आवश्यक है कि यहां बिजली के साधन बढ़ें, सिंचाई के साधन बढ़ें। लेकिन इसके साथ-साथ यह भी चाहता हूं कि जो व्यक्ति इस डैम के बनने से प्रभावित हों उनके लिये आवास की और दूसरी चीजों की समुचित व्यवस्था कर दी जाय।

दूसरी चीज यह है कि बांध निर्माण करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाय कि उसका उचित ले आउट हो। इसके लिये चाहे फारेन इजीनियर्स की राय लेनी पड़े या मिलिट्री के इजीनियर्स को बुलाना पड़े। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि जब छितौनी बांध बना था तो यह सोचा था कि उससे सिंचाई होगी। लेकिन हम यहां देखते हैं कि हर वर्ष चर्चा होती है कि उसमें ब्रीच हो गया और उसमें हजारों एकड़ जमीन बरबाद हो गयी। इसलिये टिहरी बांध बनाते वक्त उसका ऐसा ले आउट किया जाय कि उसमें कोई ब्रीच का खतरा न हो।

जहां तक विस्थापितों का सवाल है तो मंत्री जी ने कहा है कि उनके लिये आवास की व्यवस्था करेंगे और भूमि भी देंगे। लेकिन मंत्री जी यह भी प्राविधान करदें कि जो लोग प्रभावित होंगे अगर उनके बच्चे काम करने वाले हैं और क्वालीफाइड हैं तो वहां नौकरी में उनको प्राथमिकता दी जाय। यह इसलिये भी उचित होगा कि वह वहां की आबोहवा से वाकिफ हैं। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री कृष्ण सिंह (जिला उत्तर काशी)--

श्रीमन्, मुझे तो आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कुछ निवेदन करना है। वहां स्थिति गंभीर होती जा रही है। वहां नाजुक स्थिति हो गयी है बड़ा दुख होता है कि पी0ए0सी0 के जवान जहां हमारे सुमन जी की मूर्ति के चारों ओर बैठे हुए हैं। मैंने सुना है कि वहां लैन्ड एक्वीजिशन की प्रोसीडिंग्स चल रही है। वहां के लोगों को पता नहीं है जिनके गांव डूबेंगे उनको नहीं मालूम है कि उन्हें कहां बसना है और उनकी जमीन व मकानों का मावजा किस रेट से मिलना है। इससे वहां स्थिति गंभीर हो गई है। आप उनको नोटिस देते हैं जिसमें यह लिखा हुआ है कि वह जमीन को छोड़ें, आप उनकी जमीन मकान एक्वायर करना चाहते हैं लेकिन यह अभी नहीं मालूम कि उनको कब्जा अभी देना है या मावजा लेने के बाद देना है। लैन्ड एक्वीजिशन एक्ट की एक दफा ऐसी है कि जिससे कब्जा तुरन्त देना अनिवार्य है। मुआवजा बाद में मिलेगा। यह स्थिति उचित नहीं है।

यह स्थिति पैदा होने से लोग सत्याग्रह करने जा रहे हैं और इतने ज्यादा लोग जेल जाने के लिये तैयार हो जायेंगे कि आपको काफी खर्चा उन पर करना पड़ेगा। ऐसा भी न हो कि एक नयी जेल आपको वहां बनानी पड़े क्योंकि वहां की जेल इतने सत्याग्रहियों को नहीं रख सकेगी उन लोगों को यह नहीं मालूम है कि आप उन्हें विस्थापित होने के बाद क्या देंगे। आज उन्हें वहां स्वयं जंगलों से सुविधायें मिल रहीं हैं। वे पत्थर मकान बनाने के लिय बहुत कम रेट पर उन जंगलों से ला सकते हैं। इमारती लकड़ी उनको मिलती है। पांच साल में तीन नाली जमीन वह बढ़ा सकते हैं। रिजर्व फारेस्ट में भी उन्हें वहां सुविधायें मिलती हैं। ये सारी सुविधायें तो उनकी समाप्त होंगी। इसके साथ ही एक दुख और उनको होगा कि जिस प्रकृति

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्ण सिंह]

की गोद में वह रह रहे हैं उनकी आत्मा उस प्रकृति से मिली हुई है वह प्रकृति उनसे अलग हो जायेंगी उस भूमि में उनके बुजुर्गों का संघर्ष रहा है, उनके सुख दुख का कहानी छिपी हुई है, उस जमीन को छोड़ने में उन्हें जो दुख हो रहा है उसका मावजा आप नहीं दे सकते हैं। फिर भी उचित मावजा देकर आप उनके इस दुख को कम कर सकते हैं ।

श्रीमन् आपके माध्यम से मैं मुख्य मंत्री जी कहना चाहता हूं कि मनौरी माली स्कीम उत्तर काशी में चल रही है। वहां एक ग्राम सभा की भूमि जो उत्तर काशी से मिली हुई है उसमें से 15 एकड़ सिंचित जमीन पहले ली गई थी और कहा गया था कि इससे अधिक भूमि नहीं ली जावेगी लेकिन फिर आज 8 एकड़ जमीन और वहां ली जा रही है। मैंने यह प्रश्न असेम्बली में भी पूछा था कि तिलोथ ग्राम की इतनी जमीन लेने के बाद कितनी जमीन गांव वालों के लिये रह गई है। उत्तर मे कहा गया था कि 40एकड़ भूमि रह गई है। वह जो सारी ढ़ालदार झाड़ीदार भूमि है। मुआवजे के बारे में कहा जाता है कि वही रेट मिलेगा जो माल विभाग तय करेगा। इस रेट से वहां गांव वालों को राहत नहीं मिलेगी तसल्ली नहीं हो सकती है। उनकी असली खाने कमाने की भूमि चली जायेगी तो आपको ऐसे रेट से मावजा देना चाहिये जिससे वे जीवन यापन कर सकें।

श्रीमन्, मैं अभी टेहरी गया तो मालूम हुआ कि जो कार्य वहां होने जा रहा है उससे वहां के रहने वालों को क्या फायदा होगा। उनको यह पता नहीं है कि वहां जो बिजली पैदा होगी उससे उनको क्या लाभ होगा उनको वह किस रेट से मिलेगी उनको इसका कैसे पता हो सकता है जबकि वहां जो काम हो ही रहा है उसमें वहां का आदमी नहीं लिया जा रहा है। वहां का टेक्निकल आदमी भी नहीं लिया जा रहा है। यह खबर थी कि वहां आई 0 टी 0 आई 0 खुलेगा और वहां के लोगों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। बाद में उन लोगों को नौकरी में लिया जायेगा। लेकिन अभी तो उस संस्था की स्थापना भी वहां नहीं हुई है प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई उत्तर काशी के लोगों को भी यही तजुर्बा मनौरी माली स्कीम्स में है वहां कोई रोजगार वहां के लोगों को नहीं मिल रहा है। बाहर से लोगों को बुलाकर काम पर रक्खा जा रहा है। नैपाल के लोग काम पर रक्खे जा रहे हैं। स्थानीय ऐम्प्लायमेंट इक्सचेंज सेवाओं के लिये नाम मांगे जाते हैं नाम भेजे भी जाते हैं लेकिन स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है जो जिले के बाहर के रहने वाले हैं वे उत्तर काशी का अपना पता देकर लिये जाते हैं। आपके माध्यम से मुझे मुख्य मंत्री जी से नम्र निवेदन करना है कि इन सभी बातों का ख्याल करके उनको मावजा ऐसा दिया जाय जिससे वह अपना जीवनयापन भविष्य में कर सकें। और उनमें असंतोष न रहे।

*श्री हीरा सिंह बोरा (जिला पिथौरागढ़)—

टेहरी बांध के सम्बन्ध में सारी बातें वक्ताओं ने कह दी हैं, मुझे एक ही निवेदन करना है और वह यह कि वहां के जो लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि वह देश की उन्नति के लिये त्याग करने के लिये तैयार नहीं हैं। टेहरी के लोग बड़े बहादुर हैं और वह देश की उन्नति के लिये त्याग करने को तैयार हैं लेकिन इस प्रगति में वहां के लोगों का भी हाथ हो। उनका भी इस तरक्की में हिस्सा है, यह वह जरूर चाहते हैं। आज सब से बड़ी बात यह है कि विश्वास का संकट वहां पैदा हो रहा है। लोगों को यह विश्वास नहीं है कि जब वह हटाये जायेंगे, उनके मकान लिये जायेंगे, उसके बाद सरकार उनको पुनर्वासित करेगी या नहीं। सरकार की ओर से आश्वासन दिया जाता है लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता है और विश्वास न होने के कुछ कारण भी हैं।

मान्यवर, मैं आप के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पिथौरागढ़ में मिलेट्री कन्टोनमेंट बनाने के लिये कई गांवों की जमीन ली गयी। उनसे भी, जिस तरह की टेहरी के लोगों से कहा जाता है, यही कहा गया कि लोग मिलेट्री कन्टोनमेंट के लिये भूमि दें और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप लोगों को पुनर्वासित किया जायेगा लेकिन, श्रीमन्, मैं आप के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज 6 वर्ष हो गये हैं, पिथौरागढ़ में मेलेट्री कन्टोनमेंट के लिये जो जमीन दी, उन लोगों के पुनर्वासित करने का मामला खटाई में पड़ा है। उन्हें तराई भाभर में जमीन नहीं दी। यही कारण है कि लोगों का कहना है कि जिस प्रकार पिथौरागढ़ के लोगों से वायदा जमीन देने का किया था लेकिन सरकार ने उस वायदे को पूरा नहीं किया, यही व्यवहार उनके साथ भी होगा। मेरी उनसे इस संबंध में बात हुयी थी। इसलिये यह जो विश्वास का संकट हो रहा है, उसको ठोस कदम उठा कर पूरा करें।

दूसरा निवेदन, श्रीमन्, आपके माध्यम से, मुख्य मंत्री जी से यह भी करना चाहता हूं कि टेहरी की जमीन ली जा रही है। वहां के मकान तोड़ाये जा रहे हैं, लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। वे लोग देश की उन्नति के लिये सब कुछ करने को तैयार हैं लेकिन क्या बिजली जो टेहरी डैम से उत्पन्न होगी उसको टेहरी के उद्योग-धंधों के विकास के लिये भी इस्तेमाल किया जायेगा या नहीं? ऐसा आश्वासन मुख्य मन्त्री जी सदन में देने की कृपा करें कि जो बिजली टेहरी डैम से उत्पन्न होगी, उसका पर्वतीय क्षेत्र की जनता की आर्थिक उन्नति के लिये उपयोग किया जायेगा। तभी इस डैम के बनने से उनमें आशा का संचार होगा।

मैं पुनः मंत्री जी से यह अनुरोध करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं कि टेहरी में जो विश्वास का संकट पैदा हो रहा है, उसको ठोस कार्य कर दूर करने की कोशिश करें।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तमाम उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस वाद विवाद में हिस्सा लिया और टेहरी की जनता के प्रति अपनी हमदर्दी दिखाई। मैं राजस्व मंत्री का आभारी हूं, जिन्होंने 2/4 आंसू टेहरी जनता के लिये बहाने की कोशिश की। मान्यवर, बहुत दुख हुआ, जब माननीय राजस्व मंत्री जी की तकरीर सुना। ऐसा लगता है कि माननीय राजस्व मंत्री जी हम टेहरी के जनता के सामने टुकड़े कुछ फेंकना चाहते हों। जमीन के बदले जमीन दे देंगे, वे कहते हैं। वह तो देंगे ही। बुनियादी सवाल यह है कि जो टेहरी की जनता कुरबानी देने के लिये तैयार है, तो क्या सरकार यह आश्वासन देने के लिये तैयार है कि नहीं कि इस बांध से जो बिजली पैदा होगी, वह वहां के विकास के लिये इस्तेमाल की जायेगी। इसके बारे में कोई आश्वासन नहीं है। अब तक जो शोषण बाहर की जनता उन लोगों का करती चली आ रही है, आज भी उसी शोषण को जारी रखना चाहते हैं। आप उनके प्रति खामोश हैं। जमीन के बदले जमीन देंगे। वह तो वहां की जमीन के ऊपर सोशियल राइट है हमको कोई दान के टुकड़े नहीं दे रहे हैं हमको वहां की जनता ने कुर्बानी की थी। राजा की गोलियों का मुकाबिला किया था, तब मिली थी जमीन। हम अपने मवेशियों को कहां ले जांय। मकान के लिये जमीन कहां मिलेगी। लद्दाख में हमारे जवान देश की रक्षा के लिये तैनात हैं। जब देहरादून की तराई हम को भेजेंगे तो श्रीमन्, हम अपनी भोली-भाली माताओं बहनों को छोड़ कर कैसे देश की रक्षा करेंगे। मजबूर हो कर परिवार को रखना पड़ेगा। आप समाजवाद की बात करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सिंचाई देने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के 1/ / बिजली की मांग को पूरा करने की बात करते हैं, तो क्या कारण है कि आज इतना भी नहीं करते कि जो सरकार खुद जानती है, उस आर्थिक जोत के हिसाब से प्रत्येक परिवार को जमीन दे दें।

आपके पास वैज्ञानिक मौजूद हैं, क्या आप पहाड़ों के जंगलों को काटना चाहते हैं? देहरादून की बाढ़ और अलकनन्दा की बाढ़ से सबक नहीं लिया? इतनी बड़ी झील बनेगी, पहाड़ों की जमीन कटेगी तो क्या उससे स्वायल इरोजन नहीं होगा? आप बाजार भाव की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

बात करते हैं। गोपेश्वर और उत्तरकाशी में जमीन ली तो बाजार भाव देखा? पहाड़ों पर बाजार भाव पर जमीन आर्थिक जोत के हिसाब से नहीं दे सकते। कम से कम इतना पैसा दें कि वे दूसरा व्यवसाय कर सकें। उस बाजार भाव को हम भी जानते हैं जो राजस्व मन्त्री का विभाग और उनके कानून जिस ढंग से उसका अर्थ लगाते हैं। हमारे अन्दर हिम्मत नहीं है कि हम कचहरियों और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटायें। मंत्री जी कहते हैं कि किसी को उखाड़ा नहीं जायगा, बेदखल नहीं किया जायगा जबतक कि पुनर्वास की व्यवस्था नहीं होती।

आज भी आप की सड़कें बन रही हैं। जमीन के नीचे, मकान के ऊपर, चरागाहों के ऊपर और आप कहते है कि निर्माण कार्य नहीं करेंगे। स्थानीय लोगों की मजदूरी के बारे में यह पहली बार नहीं है जबकि राजस्व मंत्री जी का वक्तव्य हो रहा है। लगातार हर मंत्री जो टेहरी में जाते हैं और मुख्य मंत्री बराबर कह चुके हैं कि स्थानीय जनता को रोजगार मिलेगा लेकिन हुआ क्या है? आपके बड़े बड़े हुक्मरान जो बन रहे हैं, चपरासी तक भी, आप तक भी, अपनेसाथ ले जाते हैं मैदानी इलाके में वह कहां के लोग हैं? टेहरी की कोई योजना नहीं बन रही है वहां कोई एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज का दफ्तर नहीं है। आप देहरादून से मांग करते हैं, नरेन्द्रनगर से मांग नहीं करते। माननीय सदस्य किशन सिंह ने उत्तरकाशी योजना के बारे में कहा। मैं माननीय सदन से कहना चाहूंगा कि एक कमेटी बनाइये कि कम से कम जो हालत है उनको देखे। और अन्त में मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसका उत्तर दें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो एक मेहरबानी हम पर कर दीजिये कि टेहरी के अन्दर एक बहुत बड़ा जेलखाना बना दीजिये।

आजकल हमारी बदकिस्मती यह है कि जब वह आन्दोलन करते हैं तो भेजा जाता है मेरठ और मुजफ्फरनगर की जेलों में। सत्याग्रह आन्दोलन होगा, मैं साफ कह देना चाहता हूं। वहां की जनता आप से भीख नहीं मांगती, तन का कपड़ा नहीं मांगती, लेकिन वह दर दर की ठोकर खाने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग बहुत सीधे-साधे लोग हैं, शान्तिप्रिय हैं, लेकिन उस टेहरी को न भूलिये, सन् 1930 की क्रान्ति को न भूलिये और 1948 में किस प्रकार राजा का तख्ता पलट दिया था, यह न भूल जाइये। जब हमारे ऊपर जुल्म-ज्यादती होती है तो हम उस को सहन नहीं करते। मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि मैं यह अपनी बात नहीं कह रहा हूं। ठाकुर साहब उनके दल के लोग हैं और भी दलों के लोग मौजूद हैं। टेहरी के बारे में रिपोर्ट में मौजूद हैं। कृपा करके इस समस्या को शन्तिपूर्वक हल कराइये और पर्वतीय जनता को यह अहसास मत होने दीजिये कि आगे जाकर भी ऐसा ही संशोधन होगा और कोई विकास का कदम नहीं उठायेंगे।

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, हमारे माननीय मित्र नेगी जी ने मुझ से बहुत आग्रह किया, और उचित किया, उनकी कृपा थी—कि इस बहस में मैं यहां बैठा रहूं और कुछ कहूं। शायद उनका मंशा यह रहा होगा कि जो उनकी बड़ी "जबरदस्त" और गरम तकरीर है उसको जरा मैं सुनूं। इसलिये दो घंटे से मान्यवर, यहां बैठा हुआ हूं—और "अन्याय" और "अत्याचार" और "बर्दाश्त नहीं होगा" और "अत्याग्रह होगा" और "जेल बनाओ" और "लाठी चलाओ" और "सत्यानाश करो पर्वत का" और "सब कुछ चौपट कर दो"—यह सब आपने भाषण कर दिया। मेरी समझ में नहीं आया कि इसके माने क्या हैं।

(व्यवधान)

यह "प्रेम" नहीं है, यह "बधवा निचोड़" प्यार है। बाघ जब प्यार करता है तो पहले खून चूस लेता है तब प्रेम करता है।

मान्यवर बड़ी गरम स्पीच दी। ठीक है, उस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। कुछ जब तक गरम-गरम न बोलेंगे, चुनाव आ रहा है, काम कैसे चलेगा मान्यवर?

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

चुनाव में आप के सहयोगी बनेंगे इसलिये भी उस दम्भ में बोलते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

हम तो आशा लगाये हैं आप से भी। सहयोग की कामना तो सभी से करते हैं और आप लोगों का सहयोग न मिले तो काम कैसे चले। तो भाषण तो, मान्यवर, सुन लिया। मेरे माननीय मित्र बलवीर सिंह जी बोल कर चले गये। आप नहीं थे, मैं उधर देख भी नहीं रहा था और आक्षेप उन्होंने कर दिया अधिष्ठाता जी पर कि मुख्य मंत्री जी के इशारे पर। अब इशारेबाजी मैंने जिन्दगी में कभी नहीं की और आप ने यह कह दिया। कुछ न कुछ उनको कह देना चाहिये आक्षेप कर देना चाहिये। प्रसंग उन्होंने यह उठा दिया कि सरकार की गलत नीति के कारण सारे प्रदेश में असन्तोष इस तरह से फैल रहा है कि पृथकता और बंटवारे की भावना उत्पन्न हो रही है। मैं जानता हूं वह नीति और उसकी तरफ उन्होंने संकेत कर दिया कि पश्चिम के जिलों की बड़ी भारी दुर्दशा है। अब यह टेहरी का बांध जब बनेगा और गंगा जी का पानी उसमें रोका जायगा तो इससे अत्याधिक लाभ पश्चिम के इलाकों को ही होने वाला है। गंगा जी की नहर करीब 25-30 लाख एकड़ भूमि सींचती है। उसी में यह पानी जायगा। पश्चिम में वह इलाके जहां आज पानी नहीं है वह भी गंगा जी का पानी पायेंगे, लोअर गंगा कैनाल का पानी आप के यहां भी और पश्चिम के इलाके में भी वह पानी जायेगा।

उन्होंने कहा कि जो बिजली वहां बनेगी वह गरीबों को दी जायगी या टाटा, बिड़ला को दी जायगी। टाटा, बिड़ला को कोई खाने के लिये तो बिजली दी नहीं जाती। कृषि की भी उत्पत्ति बढ़ानी है और प्रदेश का औद्योगीकरण भी करना है। अधिक से अधिक उद्योग लगें, बड़े से बड़े उद्योग लगें और छोटे से छोटे उद्योग लगें। और जब लगेंगे तो उनके लिये भी बिजली की आवश्यकता होगी। और जब ट्यूबवैल लगेंगे, लिफ्ट केनाल चलेंगी तो उनके लिये भी बिजली की जरूरत होगी। फर्टिलाइजर का कारखाना लगेगा, जो किसानों को खाद बांटेगा, तो उसे भी बिजली चाहिये। उद्योग लगान के बहुत से तरीके भी हैं। पूंजी भी लगती है और भारत सरकार लाइसेन्स भी देती है। जिस उद्योग धन्धे को उत्तर प्रदेश में लगाने की इजाजत दोगे और लाइसेन्स वगैरह दोगे उसे अगर बिजली नहीं दोगे तो वह उद्योग धंधा चलेगा नहीं। कृषि का उत्पादन बढ़े इसके लिये प्राथमिकता है क्योंकि फर्टिलाइजर से पेट नहीं भरेगा। पेट तो गेहूं से भरेगा। पहले गेहूं की पैदावार हो तब और चीजों को बिजली दी जाय। यह इस सरकार की नीति है। आज भी आप देखें, अधिक से अधिक बिजली देने की कोशिश की जा रही है।

आज तो भगवान की कृपा से पानी बरस गया और हमारे भाई कल्पनाथ सिंह जी को इतनी सर्दी लगी कि मथा ढक लिया है। तो बिजली वगैरह दी जाती रही है। गरीब किसानों को भी दी जायेगी और 18 एकड़ वालों को भी दी जायगी। अब 18 एकड़ से ज्यादा तो किसी के पास रहेगी नहीं। और जो उद्योग-धंधे चलायेंगे उनको भी बिजली दी जायगी। अगर कोई उद्योग-धंधा लगाने के लिये यहां की सरकार हो चाहे केन्द्र की सरकार हो, इजाजत देगी तो चाहे टाटा हों, चाहे बिड़ला हों, चाहे हम हों, चाहे कोई हो, बिजली दी जायगी। यह निश्चित है कि जो बिजली हम दें वह प्रथमतः खेतीबारी के लिये दें। फिर उसके बाद दूसरे कामों के लिये दें। उद्योग धंधे भी प्रदेश में लगाना है और कृषि की उन्नति भी करनी है। घाटे पर भी बिजली देने का प्रश्न नहीं है। कम से कम खर्चा निकलता रहे और कुछ लाभ भी हो तो अच्छा है। इससे 600 मेगावाट बिजली पैदा होगी। अब इससे उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं होगा तो किसका होगा ?

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

माननीय बड़ौनी जी ने डरवा दिया कि अगर बांध टूट गया तो टिहरी गढ़वाल पूरा नष्ट हो जायेगा। पुराने शास्त्रों में लिखा है कि अशुभ बात कभी मुंह से नहीं निकालना चाहिये, पता नहीं कब मुंह पर सरस्वती बैठी रहे। इसलिये मैं कहता हूं कि आप शुभ सोचिये। आपने यह भी कहा कि भूकम्प आता है। यह उनका दृष्टिकोण है।

श्री इन्द्रमणि—

यह वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

ठीक है, हो सकता है, पर अभी आप कह रहे थे कि आपके इन्जीनियर गलती कर रहे हैं, इस पर आप को विश्वास हो गया। खैर, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप को शुभ सोच कर ही चलना चाहिये। भगवान से मनाइये कि कभी ऐसा न हो।

यह मान्यवर, 300 करोड़ की योजना है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो पहाड़ के तथा आसपास के लोग हैं उनको काम मिले। मगर दूर के आदमी भी कभी कभी लाने पड़ जाते हैं। अब कालागढ़ में केरल से भी लोग आये। 50–60 रुपये माहवार पर मजदूरी का काम करने आये, आज वे 7–800 रुपये पा रहे हैं। बड़ी बड़ी मशीनें चलाते चलाते काफी कुछ सीखा है उन्होंने। तो जो ऐसे सीखे हुये लोग हैं उनको तो काम में लगाना ही पड़ेगा। केवल नये आदमियों से ही काम लेना सम्भव नहीं हो सकेगा। हां, यह अवश्य है कि प्राथमिकता वहां के निवासियों को देना चाहिये। और जगह जो फैक्टरीज लगीं वहां यह शिकायत रही कि स्थानीय लोगों को कम रखा गया, बाहर के लोग अधिक तादाद में आ गये। मजदूरी का काम ऐसा है जो स्थानीय लोगों को देना चाहिये। इस चीज पर अब दृढ़ता से विचार किया जायेगा। और जगह यह नहीं हो पाया, यह ठीक है। गोरखपुर में आज तक लोग चित्कार कर रहे हैं कि वहां की फैक्टरी में वहां के लोगों को नहीं रखा गया। यहां एसा नहीं होगा। हैवीइलैक्ट्रीकल कारखानों में भी बाहर के लोग बहुत से रखे गये।

बरेली की सिन्थेटिक फैक्टरी में भी यही शिकायत आयी। तो हम इस पर विचार करेंगे। चाहे सिंचाई मंत्री के हाथ में हो, चाहे किसी मन्त्री के हाथ में हो, इसे देखा जायगा। तो दृढ़ता के साथ इस बात को देखना चाहिये। अभी तो मैंने सुना है बहुत थोड़े मजदूर रखे गये हैं, केवल ऐम्प्लामेंन्ट एक्सचेंज से 35 आदमी रखे गये हैं लोकल हैं। अभी तो शुरूवात नहीं हुई है। दूसरी बात बड़ी भारी आपने कही कि प्रोडेक्ट अथारिटी वहां बननी चाहिये। पूरा एरिया वह अनडेवलप्ड है, उनका सब हमले लेगें, तो कुछ न कुछ सुविधा तो उनको देनी ही चाहिये। इस विकास कार्य में जहां जहां टेहरी का पानी जाएगा, उस सारे एरिया को तो लेना ही चाहिए। 3 अरब के करीब रुपया उसमें लगेगा। सारा एरिया जिसको वह कवर करता है, उसका सर्वोन्मुखी विकास होना चाहिए और इस दृष्टि से प्रोजेक्ट डेवलपमेंट अथारिटी बननी चाहिए, प्लानिंग कमीशन ने भी इस बात का सुझाव दिया है और राभगंगा जैसी जहां जहां इस प्रकार की बड़ी बड़ी योजनायें चाल की गई हैं इस बाडी का गठन हुआ है, टेहरी में भी अवश्य बननी चाहिए। उसमें अर्थशास्त्री रहें, इंजीनियर्स रहें, एजूकेशनलिस्ट रहें और इंडस्ट्रिलस्ट्स रहें पानी और खेती वाले भी रहें। साथ ही साथ जो टिहरी के लोग निर्वासित हो रहे हैं उनका कसे योगक्षेम देखा जाए वह भी कार्य उस डेवलपमेंट अथारिटी के अधीन रहे अस्पताल हैं, स्कूल्स हैं, रोड्स हैं आदि इन सब के बार में जो चीजें हैं उनको यह अथारिटी देखे। यह बनना जरूरी है। अभी तो काम शुरू हुआ है, उसके पहले ही सरकार इस विषय पर विचार करे। उसम पर्वतीय विकास मंत्री और विद्युत् मंत्री भी रहें, नेगी जी, बोहारा जी और बडोनी जी भी सब लोग हो जाएं। वे सब अपन अपने सुझाव दें। इस तरह की एक डेवलपमेंट अथारिटी बना दी जाए, बहुत अच्छी बात है।

दूसरी बात मुआवजे की कह रहे थे। जब राजस्व मंत्री ने कहा कि बाजार भाव से देंगे तो इसके माने एक ही हैं। सब जानते हैं कि कि बाजार भाव क्या है। वहां पर कहां बाजार लगा हुआ है। लखनऊ के हजरतगंज में जो भाव होगा उसका हजारवां भाग भी वहां नहीं होगा। दिल्ली में 10–10, 12–12– लाख रुपया प्रति एकड़ जमीन का भाव है बाजार भाव कहने का मतलब यह है कि जो पुराना देने का तरीका रहा है कि एक एकड़ का लगान एक रुपया तो उससका बीस गुना 20 रुपया दे दिया, वह अब नहीं रहेगा। उसका अर्थ है भरपूर मुआवजा दिया जाए, अच्छा मुआवजा दिया जाए। जिससे उसको कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। 300 करोड़ रुपया जब हम खर्च कर के योजना बना रहे हैं तो किसानों को बसाने में 4–5 लाख ज्यादा अगर खर्च हो गया तो कौन दुःख की बात है। जब हम घर नहीं बनाकर दे रहे हैं तो इतना तो करना ही है।

जब वहां के लोग उजड़ रहे हैं और इसलिये उजड़ रहे हैं कि वहां के पानी और बिजली से प्रदेश और देश का उत्थान हो, तो जिनका त्याग होता है उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। यह जरूर सोच लेने की बात है। बाजार भाव से यही अर्थ है कि एक समुचित, उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे वे अन्यत्र बस सकें। जमीन की बात है, पैन्यूली जी ने कहा कि 2–2 एकड़ वहां पर दिया, तो वहां तो सब झबेरी ही है। उनके यहां जंगल विभाग ने 6 हजार दिया है। अगर फी आदमी पांच एकड़ दें तो इसके मानी होंगे 25–30 हजार एकड़। उन्हें ले आ कर बुन्देलखंड में बसा नहीं सकत। जमीन के एवज में जमीन तो दें लेकिन बड़ौनी जी कह रई थे कि खासी लम्बी चौड़ी जमीन दीजिये। अब लम्बी चौड़ी जमीन कहां तक दे सकते हैं। अगर पांच एकड़ जमीन देंगे तो 20–30–40 हजार एकड़ जमीन चाहिए। सारा पर्वत का जंगल कट जायगा। पांच हजार परिवार हैं। प्रत्येक परिवार को पांच एकड़ दे तो 25 हजार एकड़ यह हो गया। लेकिन जितनी भूमि उनकी ली जाती है मैं समझता हूं कि यह देखना चाहिये चाहे मैदान की जमीन लें या पहाड़ की जमीन लें कि जितनी जमीन लेते हैं उतनी दें। उससे अधिक मिल सकती हो तो दें।

चौथी बात, मैं समझता हूं, यह आश्वासन जरूरी है, अगर सिंचाई मन्त्री जी हमको यह न कहे कि आप जरूरत से ज्यादा कह गये यह बात जरूरी है, हम यह निश्चय कर लें हमारा प्रोजक्ट आफिसर वहां रहे, जो जमीन है वह काटकूट कर ठीक कर दी जाय, उस जमीन का अलाटमेंट उन लोगों के लिए हो जाय जिन लोगों का घर, मकान डूब रहा है। उसमें से वह चले जायं, उनका कब्जा उस पर करवा दिया जाय। जब तक यह प्रक्रिया पूरी न हो जाय तब तक घरों से उन को निकाला न जाय। यह काम शीघ्रता से होना चाहिए ताकि आप की योजना में कार्यान्वियन में विलम्ब न होने पाये। आज भी जो काम हो रहा है, लोगों ने कहा बड़ा पत्थर गिर रहा है' पूछता हूं तो कहते हैं कि सड़क का कुछ काम शुरू हुआ था। कुछ अधिक काम हुआ नहीं। अच्छा है, काम शुरू होते-होते कुछ विलम्ब लगेगा तब तक इस बीच में वहां की जमीन वगैरह का अलाटमेंट जिनको करना है उनको इतमीनान हो जायगा कि हम को भूमि मिल गई और जो भी छोड़ना चाहेगा, वह हटेंगे और जमीन पर कब्जा करेंगे और अपना इंतजाम करेंगे।

पुनर्वास का काम शुरू कर देना चाहिये। प्रोजेक्शन आफिसर का वहां न होना, और देहरादून में कोई आफिस होना, इसमें बड़ी भारी प्रैक्टिकल डिफीकल्टी है। किसी आदमी को एक काम के लिए जरूरत पड़े तो वह लखनऊ आये प्राजेक्ट आफिसर से मिलने। या सिंचाई विभाग के सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर के पास जाना हो तो देहरादून दौड़ा जाय। तो वहां के दफ्तर जो हैं वह कायम हो जाने चाहिये। प्रोजेक्ट आफिसर का भी और भी जो अधिकारी हैं ताकि कुछ लोगों को मिलना जुलना हो तो मिल लें।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

मेरा सुझाव है कि एक बार हम मीटिंग कर लें, दो पहाड़ से सम्बन्धित हैं वह भी आ जांय, हमारे अधिकारी भी हों, हमारे सम्मानित मंत्रीगण भी हों, जिनका इस विभाग से ताल्लुक है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि डिमांड भी सामने रख लें। देखें कहां तक मानी जा सकती है। जिन लोगों को हटा रहे हैं वह हमारे शत्रु नहीं हैं। बड़ा भारी नैतिक उत्तरदायित्व है।

श्री इन्द्रमणि--

मैंने दो महीने पहले डिमांड कर दिया था। दो महीने तक कोई उत्तर नहीं मिला। इसलिए एक डेट तय कर दीजिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

उत्तर नहीं मिला तो मुझे खेद है। उत्तर आपको मिलना चाहिये था। उत्तर मिलेगा। पर ऐसी बात भी कोई नहीं हो गयी है जो बिगड़ गया हो। हम भी व्यस्त रहते हैं। आप भी व्यस्त रहते हैं। किसी वक्त उसकी एक मीटिंग कर ली जाय। पर्वतीय विकास मंत्री या सिंचाई मंत्री या बिजली मंत्री जो बुला लें जिसमें अधिकारी भी हों, सम्बन्धित मंत्रिगण भी हों।

श्री गोविन्दसिंह नेगी--

जब तक आप उसमें पहल नहीं करेंगे यह मीटिंग नहीं होगी।

श्री इन्द्रमणि--

यह लोग आते नहीं हैं। एक मंत्री प्रदर्शन में कह गये कि सब बात कर देंगे। वह हाउस में भी नहीं आये।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

आज जब मैं बैठा हूं तो यहां किसी मंत्री के बैठे रहने की जरूरत नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

हाथी के पैर में सब का पैर है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

नाटक मत कीजिये। हमारे मंत्रिगण आप का इतना सम्मान करते हैं कि मैं यहां बैठा हूं तो सब आ गये हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस विषय पर जल्दी एक मीटिंग करके जो निर्णय हम लें उसकी पुस्तिका छप कर बांट दी जाय और उस पर कार्यान्वयन शुरू हो जाय। यह बात सही है कि पुराने समय में योजनायें चलीं। वे पूरी भी हुईं, लेकिन लोग उजड़े काम हो जाने के बाद उनको किसी ने नहीं पूछा। रिहन्द की बात कही गयी। कुछ लोग ऐसे अवश्य हैं जो मिलते हैं और कहते हैं कि उनको अब तक स्थान नहीं मिला। रिहन्द को बने 10, 12 वर्ष हो गये लेकिन समस्या हल नहीं हुई। मैं यह ठीक समझता हूं कि जो छोटी तथा बड़ी योजनायें लेकर हम चलते हैं जो लोगों को सुविधायें हम को देना चाहिये नैतिक व कानूनी दृष्टि से वे पहले से उसको दे दी जायं वर्ना प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है और वहां के लोगों को शिकायत बनी रहती है और बाद में उनकी उपेक्षा हो जाती है।

बनारस में बड़ी भारी फैक्ट्री डीजल इंजन की बनी, राजेन्द्र बाबू उसका उद्घाटन करने गये 1954-55 में। उस गांव के बहुत से लोग उजाड़े गये थे और कहा गया था कि उनको नौकरी दीजायगी लेकिन वे आते हैं और कहते हैं कि कोई नौकरी नहीं मली। यह व्यवस्था पहले से कर देनी चाहिये। बिजली टेहरी में बनाई जायगी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि टेहरी को प्राथमिकता मिलेगी। वहां बिना बिजली के उद्योगीकरण नहीं हो सकता। 600 मेगावाट बिजली वहां बनगी। बिजली आप को मिलगी। उद्योग धंधों तथा खेतों को बिजली मिलगी। साथ-साथ पर्वत के रहने वाले जो लोग हैं उनको हीटर के लिये बिजली मिलेगी।

गांव जो बसे हैं उनको बिजली मिलेगी। टेहरी के आस पास जिनको उखाड़ कर बिजली बनेगी उनको बिजली की सुविधा होगी। ऐसा कोई इरादा नहीं है कि टेहरी बांध बनते ही लोगों को उखाड़ कर हम भाग जायेंगे। 40, 50 हजार आदमी जो हटेंगे उनको सुविधा दी जायगी। तीन सौ करोड़ की योजना जो चला रहे हैं उसमें एक अथवा दो करोड़ रुपये की आवश्यकता उस एरिया को डेवलप करने के लिये अथवा बसाने के लिये जरूरत होगी तो हम नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं होगी। उसकी व्यवस्था कर दी जायगी और शीघ्र हम मीटिंग बुला लेंगे, बातचीत हो जायगी। लिहाजा सत्याग्रह मत कराइये।

यह उत्तर प्रदेश के कल्याण की योजना है। मैं समझता हूं कि हम लोग बनारस के रहने वाले हैं उन्हें तो नुक्सान ही होगा। उन्हें जो मरने के बाद तर्पण के लिये गंगा जी के पानी की आवश्यकता होती है वह भी नहीं मिल पायेगी, पानी कम हो जायेगा। लाभ तो आप ही लोगों का होने वाला है। गंगा, यमुना, घाघरा और सरयू आदि नदियों का पानी पहाड़ों से ही आता है। हिमालय में शंकर जी का निवास है---कैलाश में। यदि हिमालय न होता तो जैसा कि हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा यह प्रदेश रेगिस्तान होता। दक्षिणी पश्चिमी हवायें जो चलती हैं वे हिमालय से टकराती हैं और फलस्वरूप हमारा प्रदेश पानी से सरसब्ज हो जाता है। कालीदास जी ने भी इस हिमगिरी की महिमा का वर्णन किया है और कहा है---

अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराजः
पूर्वापरो तोय निधी वगाह्य, स्थितः प्रथिव्या इव मानदंडः।।

इस हिमगिरि को हम ऋषियों और देवताओं की भूमि समझते हैं। उसके प्रसाद से उत्तर प्रदेश पलता है। यह सब उसी की महिमा है। उसमें हिमाच्छादित ऋंखलायें जो हैं उसी में सर्व प्रथम सूर्य का प्रकाश पड़ता है आपकी जितनी सेवा भी हम से बन पड़ेगी हम करेंगे। आप हमें अपने सुझाव दे दें। हमें किसी को परेशान करने या तकलीफ का कोई इरादा नहीं है। हमारा यह इरादा नहीं है कि यहां बसे लोगों को उखाड़कर कहीं दूसरी जगह वैसे ही डाल दें। हमारा विभाग और हम सभी लोग मिल कर वहां की व्यवस्था को देखेंगे। हमें इसमें आप का सहयोग चाहिए जिससे बांध का काम भी हो जाय और प्रदेश का कल्याण भी हो। अब मैं समझता हूं कि नेगी जी को अधिक कहने की आवश्यकता नहीं होगी।

गोरखपुर के फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड में हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा (क्रमागत)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन्, एक आइटम रह गया है, उसके लिये इजाजत चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

आप उपस्थित नहीं थे। लेकिन यह परिपाटी नहीं बननी चाहिये।

श्री कल्पनाथ सिंह---

परिपाटी नहीं बनेगी।

श्री उपाध्यक्ष---

आप शुरू कर दें। क्योंकि एक बार पहले भी मैंने बाद में किसी विषय पर मौका दिया था। आप को भी मौका देता हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, गोरखपुर फर्टिलाइजर कारखाने में हड़ताल के फलस्वरूप जो लाठी-डंडा आदि हुआ था उसकी एक-मात्र जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही है।

श्री उपाध्यक्ष—

सम्बन्धित मंत्री उपस्थित हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि मेरी मौजूदगी में किसी मंत्री के यहां पर रहने की जरूरत नहीं है।

*श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी मेरी बात की ओर भी ध्यान दें। गोरखपुर खाद कारखाने के मजदूरों की पुलिस ने जितनी पिटाई की है वह बेमिसाल पिटाई है। अगर मुख्य मन्त्री जी उसके बाद भी सन्तुष्ट न हों पुलिस से कोई कोर कसर रह गयी हो तो आगे भगवान जाने कि उसका अन्तिम पटाक्षेप कहां होगा। लेकिन इसकी सारी जिम्मेदारी इस प्रदेश की सरकार की है। सरकार द्वारा मजदूरों के लिये जो कायदे कानून बने हुए हैं उनके अन्तर्गत उन दोनों में समझौता कराने का प्रयास सरकार को करना चाहिये था लेकिन हठवादिता की एक मिसाल है कि जब मजदूरों ने यह कहा कि हम प्रबन्धक से स्वयं बात करना चाहते हैं और असली वार्ता के माध्यम से इसको तय करना चाहते हैं तो उस बात को इन्कार कर दिया गया। इसके लिये तर्क यह दिया गया कि जो रिकाग्नाइज्ड यूनियन्स हैं केवल उन्हीं से बात कर सकते हैं और दूसरे लोगों से बात नहीं करेंगे। जो रिकाग्नाइज्ड यूनियन्स थीं, सारे ट्रेड यूनियन्स को मिला कर एक संघर्ष समिति बनायी गयी और यह फैसला किया गया कि सब ट्रेड यूनियन्स के लोग मिल कर प्रबन्धक से बात करें उनसे बात न करके हड़ताल की स्थिति पैदा करायी गयी और जब हड़ताल का नोटिस दे दिया गया तो बजाय इसके कि इस सम्बन्ध में कोई बात की जाती, प्रदेश की सरकार ने अपने आप प्रबन्धक से बात करके इस मामले को ऐडमिनिस्ट्रटर को भेज दिया और मजदूरों के मामले को भी ऐडमिनिस्ट्रेटर को भेज दिया—सुओ मोटो। और एक बार नहीं, उस मामले को दो दो बार भेजा बावजूद इसके कि किसी ने इस सिलसिले में प्रार्थना नहीं की। इसके बाद भी अगर मामला भेजा था तो बजाय इसके कि उसे ट्रिब्यूनल में भेजते, पहले समझौते की मशीनरी के माध्यम से समझौता कराने का प्रयास करना चाहिये था लेकिन हड़ताल हुई। जब सारे मजदूर विरोधी नीति के बावजूद हड़ताल हुई और वह चली तथा जब इनकी नीति हड़ताल को फेल कराने में नाकामयाब रही तब मजदूरों के घरों में घुस घुस कर हमारे पी० ए० सी० और पुलिस के जवानों ने उनको मारा पीटा और कुछ लोगों को जेलों में भी बन्द किया। इतना ही नहीं, डकैती के फर्जी मुकदमे बना कर लोगों को जेलों में डाला गया है। जसा कि हमारे मुख्य मन्त्री जी से और दूसरे लोगों ने भी चर्चा की—गोरखपुर खाद कारखाने में जो पूर्वी जिले के रहने वाले थे खास कर उन को छांट छांट कर नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। एक तो भर्ती ही उत्तर प्रदेश के बहुत कम लोग किये गये थे लेकिन जो भर्ती किये गये थे उनको भी किसी न किसी प्रकार से हटा दिया गया। इस तरह से गोरखपुर खाद कारखाने में रहने वालों और वहां की जानकारी रखने वालों के मन में यह असर पड़ रहा है कि वह केवल उत्तर प्रदेश के रहने वालों के लिये ही स्थान बना हुआ है और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों का अड्डा बना हुआ है।

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इतना ही नहीं, अगर आगे चले जायें तो लोग वहां यही कहते हैं कि यह पंजाबियों का गढ़ बना हुआ है। और इसकी सारी जिम्मेदारी इस मौजूदा सरकार की। इसके बावजूद इनके कानों पर जूं नहीं रेंगी और आज वहां सारे के सारे मजदूर सैकड़ों की संख्या में बेकार पड़े हुए हैं। पुलिस अब भी वहां कुछ लोगों की तलाश कर रही है ताकि उनको गिरफ्तार करके जेल में भेज सके। संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने मुझे बतलाया है कि आज भी कुछ लोगों की तलाश पुलिस द्वारा जारी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर वहां के मजदूरों ने कौन सा गुनाह कर दिया है जिसकी वजह से वहां के मजदूर जब प्रबन्धक से स्वयं बात करना चाहते हैं और उनसे स्वयं अपनी मांगें हल करवाना चाहते हैं तो बिलकुल उसके उल्टा पुलिस द्वारा उनके ऊपर लाठी और डंडे का इस्तेमाल किया जाता है। घरों में घुस-घुस कर औरतों को पीटा गया और उनको घरों से बाहर निकाल दिया गया। क्वार्टर खाली करने के लिये कहा गया ये सारे कुकर्म जो हो रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि जैसे वहां मार्शल-ला लागू हो गया हो और वहां किसी को रहने का हक नहीं हो। वहां कोई जनतंत्र पद्धति का शासन नहीं मालूम पड़ता था। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि मंत्री जी जो पिछले कृत्य रहे हैं उन पर पश्चाताप करें। जो लोग नौकरियों से निकाले गये हैं उनको बहाल करें। जो उनकी मांगे रही हैं उन पर विचार करके सदन में घोषणा की जाय कि कौन-कौन सी उनकी मांगें स्वीकार कर ली गई हैं।

*श्रम राज्य मन्त्री (श्री गणेशदत्त बाजपेयी)—

मान्यवर, 11 प्वाइंट्स की टिप्पणी है। मैं प्वाइंट वाइज उनका जवाब दिये देता हूं इससे बहुत सी बातें साफ हो जायेंगी। एक यह है कि गोरखपुर के लोगों को वहां नौकरियों पर लगाया जाये।

श्री कल्पनाथ सिंह—

जी नहीं। उनको निकाला गया है।

श्री गणेशदत्त वाजपेयी—

आप कृपा करके मेरी बात सुन लें। पहली बात यह है कि हड़ताल की तारीख से पूर्व मजदूरों की यूनियन से बातचीत करके कि हड़ताल क्यों नहीं टाली गई। 19 सितम्बर से हड़ताल शुरू हुई। इससे 5 दिन पहले यानी 14 दिसम्बर को मालिकों ने कोड आफ डिसिप्लिन और कोड आफ कंडप्ट के अन्तर्गत रिकगनाइज्ड यूनियन से आई०एन०टी०यू०सी० से समझौता करने की बात कही। लेकिन आई0एन0टी०यू०सी० ने उनसे समझौते की बात करने से इंकार कर दिया और कहा कि संघर्ष समिति से बात करें, जैसा कि कल्पनाथ सिंह जी कह रहे थे, लेकिन वह कोई पंजीकृत संस्था नहीं है, उसके साथ हुआ एग्रीमेंट सही नहीं हो सकता है। इसलिये ऐसी अनरिकगनाइज्ड बाडी से समझौते की बात करने को छोड़कर रिकगनाइज्ड यूनियन से बात करने के लिये मालिकों ने कहा। मालिक कायदे के अन्दर चले और रिकगनाइज्ड संस्था आई० एन० टी० यू० सी० ने बात करने से इन्कार कर दिया तो उन्होंने भी संघर्ष समिति से समझौते की बात करने से इंकार कर दिया।

जहां तक उत्तरप्रदेश के श्रम विभाग का सम्बन्ध है, हड़ताल से तीन हफ्ते पहले ही उनकी मांगों को भेज चुका है। हड़ताल शुरू होने और हड़ताल के अन्त तक प्रयास किया गया किसी न किसी तरह से समझौता हो जाये। लेकिन हम तो समझौता कराने वाले हैं, हम तो मनाते हैं, जैसे राधा जी को कृष्ण जी मनाया करते थे, उसी तरह से हम लोग श्रमिकों को मनाया करते हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गणेशदत्त बाजपयी]

और मालिकों को भी मनाते हैं। लेकिन मालिक लोग दृढ़ नियमों की तर्क पर थे इसलिये वे नहीं माने। हड़ताल शुरू होने से तीन हफ्ते पहले सारे मुकदमे अदालत को भेज चुके हैं। अब कोई सम्भव तरीका हमारे पास नहीं बचा है जिससे कोई लांछन प्रदेशीय सरकार पर आ सके।

दूसरी बात यह है कि हड़ताल तोड़ने के लिये पुलिस का प्रयोग किया गया? वह क्यों किया गया? पुलिस का प्रयोग हड़ताल तोड़ने के लिये कतई नहीं हुआ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी के इस वाक्य को चैलेंज करता हूं। पुलिस के बल पर ही हड़ताल तोड़ी गई है। मैं मांग करता हूं कि उनके वक्तव्य पर सदन के माननीय सदस्यों को एक कमेटी बनाकर जांच कराई जाये।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

अवश्य कराई जाये। मुझे क्या एतराज हो सकता है। लेकिन मेरा भाषण सुन लीजिये।

वह हड़ताल 34 दिन चली, वह 19 सितम्बर से शुरू हुई और करीब-करीब एक मास तक जो वहां धारा 144 धारा लगाई गई थी वह केवल असलाह न ले जाने पर ही थी और किसी तरह की पुलिस ने दखलअन्दाजी नहीं की। फिर 10 तारीख को हड़ताली मजदूरों की तरफ से उपद्रव हुआ और फिर 18 तारीख को 5 आदमियों के साथ मिलकर चलने पर भी तक रोक लगाई गई। इसके बाद वहां पथराव हुआ और 6 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, उसी में यह हो सकता है कि किसी मजदूर के घर में वह लोग गये हों लेकिन औरतों की बात और लाठी चार्ज का किसी तरह की सूचना शासन को नहीं है। जो आप अब उचित समझें करें।

अब एक यह है कि कर्मचारियों पर मुकदमा चलाये गये और वे 395 दफा तक के ही क्यों? मेरा आपसे निवेदन यही है कि जिन 13 व्यक्तियों पर 395 दफा के चले उन पर आरोप था कि उन्होंने सेन्ट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के असलाह की ट्रक को लूटने की कोशिश की।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मजदूर नेता और मजदूर लोग लूट रहे थे यह आप फिर से मंत्री जी की जबान से सुन लीजिये।

(व्यवधान)

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

चूंकि यह सारा मामला सबजूडिस है. . . सभी मजदूर नेता सत्यमेव जयति वाले ही हुआ करते हैं ऐसी बात तो नहीं है।

श्री बंशीधर पाण्डेय (जिला वाराणसी)—

और लेबर लीडर जब मंत्री हो जाते हैं तो वह सत्यमेव जयति न रहकर, महानृतं हो जाते हैं।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

आप संभवतः मंत्री होकर महानृतं हो गये होंगे। तो मैं कह रहा था कि मामला अब सब-जुडिस है इसलिये उसकी ज्यादा तफसील में नहीं जाया जा सकता। अब कि यह सेन्ट्रल सिक्योरिटी फोर्स क्यों और कब आया। यह सन् 68 का ऐक्ट है और हड़ताल के आरम्भ होने के करीब 9 मास पहले प्रदेशीय सरकार से उन्होंने पूछा था तो हमने उस पर कहा था कि हमें कोई ऐतराज नहीं है इस फोर्स के आने पर, न उस वक्त कोई मांग थी और न हड़ताल थी और न कोई बात थी। 7–8 सितम्बर की रात के बीच में सेन्ट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स ने इस कारखाने

में प्रवेश किया। अब यह कि मजदूरों को बरखास्त क्यों किया गया? वहां पर गैर कानूनी हड़ताल हो रही थी और उसमें करीब 2 करोड़ रुपये के फर्टीलाइजर का लास हुआ है और आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि उससे खेती की उपज का कितना नुकसान हुआ होगा। समझौता आप करते नहीं, मुकदमें अदालत में हैं, आप कभी तारीख पर जाते नहीं, कनसिलियेशन की दरख्वास्त लगाते नहीं तो आप ही बताइये कि क्या किया जाय? अब सरकार के पास या अधिकारियों के पास क्या चारा है कि सारे मामले अदालत में भेज दें, जहां तक मनुष्य की अक्ल जाती है और कोई फिर रास्ता नहीं रह जाता।

एक सदस्य—

आपकी अक्ल मंत्री जी हैं, मनुष्य की है या एक लेबर लीडर की है?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

अब 22 आदमी जो बरखास्त हुए उनमें से 11 खेद प्रकट कर चुके हैं और उनको प्रदेश शासन की सलाह पर वापस काम पर ले लिया गया है। बाकी जो 11 हैं . . .

श्री कल्पनाथ सिंह—

सारी जड़ यह शासन ही है अगर इनके इशारे पर कोई खेद प्रकाश कर दें तो यह उसे रख लेंगे।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

वह 2 करोड़ रुपये के खाद की हानि प्रदेश की कर चुके हैं . .

श्री कल्पनाथ सिंह—

सब सरकार की गड़बड़ी से ही हुआ है।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

आप सुन लें। 11 श्रमिक जो अब भी बरखास्त हैं तो उन्होंने अब भी यह दरख्वास्त श्रम विभाग को नहीं दी है कि उनके मामले पर समझौता कराया जाय। उन ग्यारह आदमियों में से जिन्होंने श्रम विभाग से इच्छा प्रकट नहीं की है, आठ पर मुकदमा अदालतों में चल रहा है। आपने प्रश्न किया कि फर्टीलाइजर में 10 मील के एरिया में 144 लगाया गया, ऐसा क्यों? तो फर्टीलाइजर फैक्ट्री जहां स्थित है आस-पास के गांव जहां से श्रमिक आते हैं केवल उस एरिया में लगाया गया है शांति के लिये। फिर कहा गया कि लाठी चार्ज क्यों किया गया? लाठी चार्ज तो किया ही नहीं गया। तो क्यों का उत्तर क्यों दें। संघर्ष समिति आई० एन० टी० यू० सी० के विषय में बात ऐसी है कि इसका उत्तर पहले प्रश्न के उत्तर में दे चुके हैं। इसके एग्रीमेंट का पंजीकरण नहीं हो सकता है। लिहाजा उसमें कोई लाभ नहीं है। इसके अलावा भारत सरकार ने कोई आदेश नहीं दिया। अगले प्रश्न के बारे में यह कहना है कि न पूछा गया और न जबाव दिया गया। यह भी पूरा भ्रम है। इस तरह से ग्यारह प्रश्नों की टिप्पणी हो गई।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, 34 दिनों तक हड़ताल चलती रही। उसके अध्यक्ष से किसी अधिकारी न बात करने की कृपा नहीं की। दो करोड़ का लास कर्मचारियों की जिद से हुआ। उनसे बात क्यों नहीं की गई। दो करोड़ का नुकसान हुआ तो कौन जिम्मेदार है। इसके अलावा, फर्टीलाइजर का उत्पादन देवरिया और गोरखपुर को नहीं मिलता है।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

मेरा निवेदन है कि नियम 49 के अन्तर्गत माननीय सदस्य क्लैरिफिकेशन पूछ तो अच्छा हो।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी--

मजदूर नेताओं नें हड़ताल मांग लेकर की तो क्यों नहीं उनसे बात की गई ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी---

हम फर्टीलाइजर के एम्प्लायर्स के प्रतिनिधि नहीं हैं। वे मालिकान हैं श्रमिक दूसरी तरफ हैं। हमारा काम समझौता कराना है। उनकी तरफ से जवाबदेही हो गई।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)---

मान्यवर जब वे लेबर लीडर थे तो कृष्ण का काम करते थे। जब मंत्री हो गये तो राधा का काम कर रहे हैं। मजदूरों के ऊपर जो डकैती का अन्य प्रकार के मुकदमें चल रहे हैं तो क्या मंत्री जी राधा बन करके उन मुकदमों को वापिस कराने की कोशिश करेंगे ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी---

कृष्ण बनते हैं, संराधन करते हैं राधाओं को मनाते हैं।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी---

मान्यवर, जो मालिकान हैं कारपोरेशन के अगर वे ऐसा काम करते हैं जिससे मजदूरों को क्षति होती है, उत्पादन की क्षति हो, तो पहले क्यों नहीं उत्तर प्रदेश शासन उस मामले में पड़ा?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी---

मान्यवर, मैं उत्तर दे चुका हूं। सुना नहीं होगा। हड़ताल शुरू होने के इक्कीस दिन पहले नौ प्रमुख मांगों के संबंध में मुकदमें मजदूर अदालतों में भेज दिये गये थे।

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्रीमन्, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। इन्होंने तो मजदूरों का मामला अदालत में भज दिया और उसके बाद दूसरी जगह इनको दिखाई पड़ती है कि स्वर्ग में भेज दें। यह स्वर्ग में भेजें या न भेजें लेकिन इनकी सरकार स्वर्ग में पहुंचने वाली है यह मैं जानता हूं। एक बात जरूर है कि मजदूरों का मामला अदालत में भेजने से पूर्व कौन सी प्रक्रिया पूर्ण कर चुके थे और ऐसे कौन से कारण थे जिससे समझौता नहीं हो सका ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी---

मैं फिर दुहरा रहा हूं। जब मालिक इस बात पर दृढ़ हैं और कोई कानूनी साधन नहीं है क्योंकि उनकी बात ठीक है कि हम रजिस्टर्ड यूनियन से ही समझौता करेंगे चाहे कुछ हो जाय और जो अनरजिस्टर्ड बाडी है उससे समझौता इसलिये नहीं करेंगे कि उस समझौते का पंजीकरण कहीं नहीं हो सकता है और न ही उसकी कहीं बाध्यता है। भारत सरकार की संस्थान है और वह कोड आफ डिसीप्लिन को मान चुके हैं। मान्यता प्राप्त यूनियन से ही समझौता होता है न कि संघर्ष समिति से।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मंत्री जी के उत्तर से संबंधित एक सवाल और। उन्होंने कहा कि मालिकों की जिद थी और मैं समझता हूं यह जिद सरकार की शह पर थी। जब रिकगनाइज्ड यूनियन ने यह कहा कि हमने संघर्ष समिति बना रखी है तो रिकगनाइज्ड यूनियन के कहने के बावजूद भी संघर्ष समिति से बात न करने का क्या कारण था ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो उन्होंने बतला दिया ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

रिकगनाइज्ड यूनियन ने संघर्ष समिति बनाई और उससे बात करन के लिये कहा । उससे बात न करने का क्या कारण था ? यह बतलायें ।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

रिकगनाइज्ड यूनियन ने कहा कि संघर्ष समिति से बात करिये । मालिकान ने कहा कि हम इनसे बात नही करेंगे क्योंकि यह कोड आफ डिसिप्लिन के खिलाफ पड़ता है । जैसा कि अभी ट्रेड यूनियन ऐक्ट है तो जब संघर्ष समिति बनावेंगे और रजिस्टर्ड कर लेंगे तब बात करेंगे ।

श्री बंशीधर पांडेय--

यह तो मंत्री जी गलत बात कर गये । वह ला डिपार्टमेंट से पूछ लें । किसी मान्यता प्राप्त यूनियन की सब कमेटी होगी, जैसे केबिनट की सब कमेटी होती है, तो वह रिप्रीजेन्ट करती है उस मान्यता प्राप्त यूनियन की सारी बातों को । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने अपने बयान में कहा है कि 4-5 मजदूरों पर 395 में असलाह लूटने का प्रयत्न करने का आरोप है । आपकी नीति के अनुसार मालिक को दबाना चाहिये । मजदूरों की रक्षा के लिये लेबर डिपार्टमेंट है । अगर कोई इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बोलता तो मैं समझ सकता था । मजदूरों के ऊपर जो भी कार्यवाही हुई और उनको निकाला गया तो उनकी वापस लेने की व्यवस्था करेंगे और इस बात की जांच करेंगे कि मजदूरों को 395 में फसाया गया । आप उसको जानते हैं कि क्या बात थी । दोनों कार्यक्रम करें लेकिन उसके पहले मजदूरों के केसेज वापस करें ।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

22 में से 11 ने जैसा कि मैंने कहा जिन्होंने खेद प्रकाश किया वह ले लिये गये लेकिन बाकी जो डिसमिस्ड हैं, वह दरख्वास्त तो लगायें कि हम निकाल दिये गये हैं । हमको वापस रक्खा जाय लेकिन यह तो जबरदस्ती की बात है कि वह कान्सालियेशन में भी नहीं आते हैं ।

श्री मलिखान सिंह--

जिनके ऊपर डकैती के मुकदमें चल रहे हैं वह यह कैसे करें ।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

एक तो यह बात हुई कि करीब 11 दरखास्त हैं । करीब 150 या 170 दफा 144 तोड़ने में पकड़े गये थे । वह तो करीब-करीब सभी वापस हो गये हैं । अब जो दूसरे मामले हैं उनके बारे में कुछ कहना संभव नहीं है क्योंकि वह मामले अदालत में हैं ।

श्री मलिखान सिंह--

केसेज को वापस लिया जा सकता है और उसके बाद विचार किया जा सकता है ।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)--

जिन मांगों को श्रम अदालतों में भेजा गया है उसमें किन-किन लोगों को पार्टी बनाया गया है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

जितने-भी मामले श्रम अदालत में जाते हैं, उसमें दो पार्टी होती हैं, मालिक बनाम मजदूर ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं। कल 11 बजे बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 44 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
11 जनवरी, 1973 ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

[देखिये नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 244 पर]

क्रम-संख्या	उन विद्यालयों का नाम तथा पता जहां पर वैधानिक प्रधानाचार्य/प्रधाना अध्यापक नहीं हैं	वर्ष जब से विद्यालय में वैधानिक प्रधानाचार्य नहीं हैं
1	मुमिहर इन्टर कालेज, सिकरीगंज, गोरखपुर	जुलाई 1971 से
2	महाजन इन्टर कालेज, चौरीचौरा, गोरखपुर	जुलाई, 1970 से
3	एम0 पी0 इन्टर कालेज, गोरखपुर	24-9-71 से
4	मुरारी इन्टर कालेज, सहजनवां, गोरखपुर	1-7-1972 से
5	गान्धी इन्टर कालेज, हरपुर शुदहर, गोरखपुर	,, ,,
6	दिग्विजय नाथ उ0 मा0 वि0, चौक, गोरखपुर	1-7-1971 से
7	वीर शिवाजी उ0 मा0 वि0, खरहरी, गोरखपुर	,, ,,
8	महात्मा बुद्ध उ0 मा0 वि0, अड्डा बाजार, गोरखपुर	,, ,,
9	रामजग उ0 मा0 वि0, ऊंचागांव, गोरखपुर	,, ,,
10	नेहरू उ0 मा0 वि0, तेलौरा, गोरखपुर	,, ,,
11	लाल बहादुर शास्त्री उ0 मा0 वि0, मथुरा नगर, गोरखपुर (आनंदनगर)	,, ,,
12	विश्वम्भर नाथ उ0 मा0 वि0, रतनपुर, गोरखपुर	,, ,,
13	उ0 मा0 वि0, बसन्तपुर, गोरखपुर	,, ,,
14	जनता उ0 मा0 वि0, भिठौरा बाजार, गोरखपुर	,, ,,
15	उ0 मा0 वि0, मीठावेल, गोरखपुर	,, ,,
16	नारायण उ0 मा0 वि0, रामपुर पाण्डेय, गोरखपुर	,, ,,
17	उ0 मा0 वि0 घानी बाजार, गोरखपुर	,, ,,
18	पं0 जवाहरलाल नेहरू उ0 मा0 वि0, नगवा प्रेस पक्का बाजार, गोरखपुर।	,, ,,
19	उ0 मा0 वि0, मांल्हनपार, गोरखपुर	,, ,,

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 144 पर)

मांगों की सूची

1--राज्य बेसिक परिषद् एवं बेसिक शिक्षा समितियों में प्राथमिक शिक्षकों को प्रतिनिधित्व देना।

2--बेसिक शिक्षा अधिनियम, सन् 1972 की धारा 16 (न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक) को निरस्त किया जाना।

3--वेतन आयोग की संस्तुति के विलम्ब की स्थिति में अग्रिम अन्तरिम सहायता प्रदान करना।

4--प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु अध्यापक संयुक्त परिषद् का गठन।

5--अधिकारियों द्वारा उत्तरकाशी के प्राथमिक शिक्षकों के उत्पीड़न की समाप्ति।

6--शिक्षकों के स्थायीकरण एवं भविष्य निधि की कटौती का तत्काल कार्यान्वयन।

7--पिथौरागढ़, चमोली एवं टेहरी गढ़वाल में राजकीय एवं परिषदीय विद्यालयों की व्यवस्था में भेद भाव की समाप्ति।

8--स्थानीय निकायों के शिक्षकों के महंगाई भत्ते में कटौती सम्बन्धी शब्दावली का निरस्तीकरण।

9--1964 से पूर्व सेवा निवृत्त प्राथमिक शिक्षकों की पेन्शन की व्यवस्था।

विधान सभा सचिवालय उत्तराखण्ड

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 146 पर)

प्राचार्य के0 जी0 के0 महाविद्यालय, मुरादाबाद के विरुद्ध अक्तूबर, 1971 के पैनल इन्सपेक्शन में लगाये गये मुख्य आरोप :—

1—उपर्युक्त महाविद्यालय के प्रोफेसर श्री एच0 एस0 शर्मा को लेक्चरर के पद पर प्रत्यावर्तित कर प्राचार्य ने स्वयं को अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर पद पर नियुक्त दिखाया जो कि विश्वविद्यालय तथा शासन के आदेशों के विरुद्ध था क्योंकि श्री शर्मा की नियुक्ति आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा अनुमोदित थी और उनका वेतन निर्धारण शासन के आदेशों के अनुसार था।

2—प्राचार्य ने अवैधानिक रूप से अध्यापकों की नियुक्ति की तथा उनकी सेवायें समाप्त की।

3—प्राचार्य ने अवैधानिक रूप से विद्यालय के एक अध्यापक श्री महेन्द्र प्रताप का वेतन रोक दिया।

4—प्राचार्य ने मेन्टीनेन्स फण्ड को अवैधानिक रूप से कार्यान्वित (औपरेट) किया। कैस बुक भी निर्धारित फार्म में नहीं बनायी।

5—प्राचार्य ने अपने हाथ में विद्यालय के धन को अनियमित रूप से रखा और उसे नियमानुसार बैंक में जमा नहीं किया। उन्होंने इस धन को अवैधानिक रूप से व्यय भी किया।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 57 का उत्तर पीछे पृष्ठ 157 पर)

प्रदेश के सर्वाधिक प्रसार वाले प्रथम दस हिन्दी साप्ताहिक पत्रों को विगत तीन वर्षों में निर्गत विज्ञापनों की धनराशि (अनुमानित)

पत्र का नाम	सशुल्क प्रसार संख्या			निर्गत विज्ञापनों की धनराशि		
	1970	1971	1972	1970–71	1971–72	1972 (31–10–72 तक)
1—सरहदी, लखनऊ	1,000	1,838	14,663	4,094–75	11,986–90	3,896–70
2—पर्वतीय, नैनीताल	12,554	11,803	11,803	7,983–82	7,535–00	9,340–50
3—देहात, मुजफ्फरनगर	8,518	5,236	9,040	568–55	938–70	1,534–08
4—नया संसार, मु० नगर	—	9,030	9,030	445–39	2,758–80	1,580–00
5—बलिया समाचार, बलिया	2,400	7,597	7,597	724–90	1,198–00	1,029–86
6—युगान्तर, बलिया	—	5,954	6,350	431–16	1,693–50	1,065–30
7—कुटब, बलिया	5,024	6,225	6,225	1,134–90	2,077–80	1,420–20
8—हिमालय, मुरादाबाद	5,000	5,645	5,645	2,830–29	2,708–70	624–00
9—पूर्वी सन्देश, गोरखपुर	5,000	5,582	5,582	15,756–15	14,342–60	6,674–00
10—कीर्ति, सहारनपुर	—	4,592	4,592	252–45	814–00	652–00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 61 का उत्तर पीछे पृष्ठ 158 पर)

तालिका

राज्य शासन के अधीन आई० ए० एस० के सुपर टाईम स्केल में वेतन पाने वाले अधिकारियों की सन् 1960 से वर्षानुवर्ष संख्या :—

सन्	संख्या
1960	18
1961	17
1962	22
1963	22
1964	25
1965	27
1966	32
1967	30
1968	31
1969	40
1970	
1971	53
1972 (1-11-72)	60

विधान सभा प्रदेश मध्य

नत्थी 'च'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 76 का उत्तर पीछे पृष्ठ 162 पर)

विद्यार्थियों की मांगें निम्न प्रकार थीं:–

(क) (1) क्रीड़ा, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी व वनस्पति शास्त्र में प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाय।

(2) प्राध्यापकों के पास अत्यधिक पुस्तकें होना, स्नातकोत्तर छात्रों को पुस्तकालय कार्ड देना, पुस्तकालय का समय बढ़ाना, पत्र-पत्रिकाओं की व्यवस्था।

(3) क्रीड़ा का समुचित व्यवस्था नहीं। टीमें बाहर नहीं भेजी जातीं।

(4) शुल्क मुक्ति।

(5) प्राधानाचार्य द्वारा झूठे आश्वासन तथा दुर्व्यवहार।

(6) छात्र संघ व परिषद् के पदाधिकारियों को आवश्यक बैठकों में उपस्थिति नहीं दी जाती।

(7) वृहद कक्ष का निर्माण जल्द कराया जाय।

(8) कैन्टीन की व्यवस्था की जाय।

(9) विविध मांगें---प्रवेश, कक्षा में बैठने की असुविधा, पानी पीने, शौचालय की व्यवस्था, नौकरी करने वालों के लिये पढ़ने की व्यवस्था, एम0 ए0 तथा एम0 एस-सी0 में अन्य विषय खोलना, बी0 एड0, बी0 काम0 कक्षायें चालू करना, क्रीड़ा मैदान का कटाव भरना, रेलवे कन्सेशन, छात्रों के लिये पृथक छात्रावास, यातायात, डाकखाने की सुविधा, भ्रष्ट तथा अकर्मण्य अधिकारी को हटाना।

(10) कुमायूं विश्वविद्यालय शीघ्र खुले, मेडिकल फैक्ल्टी, पिथौरागढ़ में खुले।

(ख) विद्यार्थियों ने बाद में उपरोक्त सभी मांगें छोड़ दीं और उनकी मुख्य मांग प्रधानाचार्य डा0 गिगरसा व डा0 के0 पी0 सिंह (वनस्पति शास्त्र) और डा0 भारत भूषण गुप्ता (राजनीति शास्त्र) के विभागाध्यक्षों के स्थानान्तरण की बन गई।

उपरोक्त तीनों अधिकारियों के स्थानान्तरण के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं।

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 164 पर)

जिला कानपुर के थाना सजेती क्षेत्र में जुलाई से दिसम्बर, 1971 तक पड़ी डकैती के सम्बन्ध में सूचना

डकैती पड़ने की तारीख तथा स्थान	क्षति का विवरण
1—दिनांक 17/18-7-71 की रात ग्राम पुसूपुर मजरा कोरियां।	जेवरात तथा नकद कीमती कुल 1,166 रु0
2—दिनांक 27/28-9-71 की रात ग्राम बदले समनापुर।	जेवर तथा एक घड़ी कीमती कुल 80 रु0

उक्त दो घटनाओं के अतिरिक्त दिनांक 13/14-10-71 की रात ग्राम डुहरू में हुई एक घटना से संबंधित अभियोग को बाद में धारा 396 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित किया गया। इस घटना में जेवरात तथा अन्य सामान कीमती कुल 300 रु0 लूटा गया।

ग्राम बदले समनापुर में पड़ी डकैती के सिलसिले में श्री भैया लाल को दिनांक 22-10-71 को गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी का आधार लूटे गये माल में से उनके पास से कुछ जेवरों की बरामदगी थी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 167)

तालिका 'क'

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों/आश्रितों को आर्थिक सहायता की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1971–72 में इलाहाबाद नगर तथा जनपद के उन छात्र/छात्राओं की तालिका जिनके आवेदन-पत्र अस्वीकृत किए गये :—

क्र0सं0	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम	सम्बन्धित छात्र/छात्रा का नाम	कक्षा	अस्वीकृति का कारण
	सर्वश्री	सर्वश्री		
1	जयकरन सिंह	रतन सिंह	9	आवेदकों के बाबा स्वतंत्रता सेग्राम सेनानी हैं किन्तु पिता जीवित हैं अतः अर्ह नहीं है।
2	शिव शंकर शर्मा	मनोज कुमार शर्मा	9	,,
3	बृज मोहन मिश्र	रमेश भूषण मिश्र	9	,,
4	यदुनाथ सिंह	अशोक कुमार सिंह	9	संबंधित छात्रों के प्रार्थना-पत्र अपूर्ण हैं।
5	राममूर्ति दुबे	शेष मणि दुबे	9	,,
6	विनोद	विनोद कुमार	9	,,
7	उदित नारायण मिश्र	रमेश कुमार मिश्र	9	छात्रवृत्ति 58.8 प्रतिशत तक तथा इससे कम 43.44 प्रतिशत तक पुस्तकीय सहायता स्वीकृत। छात्र का प्राप्तांक 43.3 प्रतिशत।
8	लक्ष्मी नारायण द्विवेदी	काली शंकर द्विवेदी	10	छात्रवृत्ति 53.8 प्रतिशत तक इससे कम 44.5 प्रतिशत तक पुस्तकीय सहायता स्वीकृत छात्र का प्राप्तांक 38.8 प्रतिशत।
9	रामदेव सिंह	सालिक राम सिंह	11	छात्रवृत्ति का 45 प्रतिशत तक इससे कम 44.2 प्रतिशत तक पुस्तकीय सहायता स्वीकृत छात्र का प्राप्तांक 40.8 प्रतिशत
10	स्वामी गोपाल जी कपूर।	महेश कपूर	11	छात्र के भाई को एम0 ए0 प्रथम वर्ष के लिए पुस्तकीय सहायता प्राप्त हुई थी।

क्र0सं0	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम	सम्बन्धित छात्र/छात्रा का नाम	कक्षा	अस्वीकृति का कारण
11	जगदम्बा प्रसाद	सुशील कुमार	11	छात्र के भाई को कक्षा 12 में छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई थी ।
12	एच0पी0 सक्सेना	विजय कुमार सक्सेना	11	छात्र के पिता (स्वतंत्रता सेनानी) का कारावास 6 मास से कम है अतः अर्ह नहीं ।
13	इन्द्र किशोर गौड़	जितेन्द्र किशोर गौड़	11	छात्र के चाचा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं अतः अर्ह नहीं हैं ।
14	अजय कुमार बसु	अमिताभ कुमार बसु	12	छात्र का प्रार्थना-पत्र अपूर्ण ।
15	शम्भूनाथ दुबे	त्रिपुरारी नाथ दुबे	12	छात्रवृत्ति 46.2 प्रतिशत
16	रंग बहादुर सिंह	रमा शंकर सिंह	12	तथा इससे कम 43.8
17	भगवत प्रसाद	रामचन्द्र पटेली	12	तक पुस्तकीय सहायता स्वीकृत इनके प्राप्तांक क्रमशः 42, 36.1 प्रतिशत तथा 33.8 प्रतिशत हैं ।
18	निधि नारायण पाण्डेय	अजय कुमार पाण्डेय	12	छात्र के भाई को बी0ए0 द्वितीय वर्ष में पुस्तकीय सहायता स्वीकृत हुई थी ।
19	मंगला प्रसाद तिवारी	कु0 लता कुमारी	9	छात्रवृत्ति हेतु रिक्तियां नहीं थीं ।
20	बांके लाल वर्मा	कु0 ऊषा किरन वर्मा	10	,,
21	महावीर प्रसाद अग्रवाल	कु0 रत्ना अग्रवाल	11	,,

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 167 पर)

इलाहाबाद जनपद के थाना फूलपुर, सराय ममरेज तथा हंडिया में दिनांक 1-5-1971 से 18-10-1972 तक हुई डकैती, हत्या, राहजनों व बलवा की घटनाओं का विवरण

(13-12-1972 तक प्राप्त सूचना के अनुसार)

थाने का नाम	अपराध	दर्ज कराये गये मामलों की संख्या	मामलों की संख्या जिनमें आरोप-पत्र अदालत भेजा गया	अब तक सजायाब अभियुक्तों की संख्या
फूलपुर	डकैती	10	6	—
	हत्या	1	1	—
	राहजनी	14	2	—
	बलवा	20	10	—
सराय ममरेज	डकैती	4	2	—
	हत्या	2	—	—
	राहजनी	5	3	—
	बलवा	13	10	—
हंडिया	डकैती	16	7	—
	हत्या	7	5	3
	राहजनी	7	—	—
	बलवा	21	10	—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 168 पर।)

तालिका

इलाहाबाद जिले में ग्राम कुटीर उद्योगों के अन्तर्गत पंजीकृत सहकारी समितियों/संस्थाओं को वर्ष 1970–71 तथा 1971–72 म उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा दी गई आर्थिक सहायता, ग्रामोद्योग वस्तुओं के उत्पादन एवं विक्रय तथा व्यक्तियों को रोजगार मिलने का विवरण।

वर्ष	समितियों को दी गई आर्थिक सहायता		समितियों से ऋण के समक्ष वसूल की गई धनराशि	ग्रामोद्योग वस्तुओं का उत्पादन	वस्तुओं का विक्रय	व्यक्तियों को काम मिला
	ऋण	अनुदान				
1	2	3	4	5	6	7
1970-71 ..	1,52,475	13,450	67,680	6,43,625	7,05,415	548
1971-72 ..	63,025	26,500	25,835	11,55,368	12,36,033	616

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0—300 एल0 ए0—1973–835।

अनुभव विधान सभा